विषय-सूची

दशम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 2, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1991/1 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 23, 26 और 28 से 30	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—236
तारांकित प्रश्न संख्या : 24, 25, 27, 31 से 33 और 35 से 40	21—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 203 से 220, 222 से 249, 251 से 264, 266 से 348 और 350 से 430	33—218
सभा पटल पर रखे गए पत्र	237—241
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	241
सभा का कार्य	242—246
कार्य मंत्रणा समिति	246
सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
चाय कम्पनी (हरण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	247
बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	247
अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92	248—257 और 263—266
श्री मदन लाल खुराना	250
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	263
श्री हरि किशोर सिंह	264

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित†चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य 257—262

(एक) दिल्ली में हाल ही में नकली औषध के सेवन के कारण हुई मौतें 257—261

श्री एम० एम० जैकब 257

(दो) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में हाल की साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति 260—261

श्री एम० एम० जैकब 260

(तीन) स्वर्ण संव्यवहार 262

श्री मनमोहन सिंह 262

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक 267
(अनुच्छेद 37 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री भोगेन्द्र झा

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक 267—268
(अनुच्छेद 343 और 348 में संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा

(तीन) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक 268
(धारा 2 आदि में संशोधन)

श्री राम नाईक

(चार) सीमान्त किसान और कृषि कर्मकार परिवार सुरक्षा विधेयक 268—269

कुमारी उमा भारती

(पांच) कृषि उपज कीमत नियतन प्राधिकरण विधेयक 269

श्री भगवान शंकर रावत

(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक 269—270
(नए अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)

श्री शरद दिघे

(सात) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 270
(अनुसूची में संशोधन)

श्री शरद दिघे

विषय	पृष्ठ
(आठ) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)	270
प्रो० के० वी० थामस	
(नौ) गुवाहाटी उच्च न्यायालय (इंफाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	271
श्री याइमा सिंह युमनाम	
(दस) प्रत्यर्पण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन)	271
श्री पी० सी० थामस	
(ग्यारह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	271—272
श्री पी० सी० थामस	
(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 18-क का अन्तःस्थापन)	272
श्री भगवान शंकर रावत	
(तेरह) निराश्रित महिला कल्याण विधेयक	272—273
श्री भगवान शंकर रावत	
(चौदह) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	273
श्री भगवान शंकर रावत	
(पन्द्रह) उड़ीसा उच्च न्यायालय (बोलनगीर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	273—274
श्री शरत चन्द्र पटनायक	
(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 371 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	274
श्री शरत चन्द्र पटनायक	
(सत्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन)	274
डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी	

विषय	पृष्ठ
(अठारह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)	275
श्री पी० सी० थामस	
(उन्नीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 125 में संशोधन)	275
श्री सैयद शाहबुद्दीन	
(बीस) निर्धन व्यक्ति कल्याण विधेयक	275—276
श्री सैयद शाहबुद्दीन	
(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81 में संशोधन)	276
श्री सैयद शाहबुद्दीन	
(बाईस) कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण) विधेयक	276
श्री सत्यगोपाल मिश्र	
रोजगार गारंटी विधेयक	277—309
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री भोगेन्द्र झा	277
श्री ए० चार्ल्स	282
श्री चित्त बसु	287
श्री दाऊ दयाल जोशी	290
श्री सुधीर सावन्त	294
श्री जितेन्द्र नाथ दास	299
श्री तेज नारायण सिंह	300
श्री पी० सी० थामस	302
श्री बलराज पासी	303
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक	304
श्री बी० धनंजय कुमार	307

लोक सभा

शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1991/1 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आर्थिक अपराधों के रोकने के उपाय

*21. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में आमूल परिवर्तन करने के लिए कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के पुनःसंहिताकरण के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। कम्पनी विधि में परिवर्तन करने के लिए सरकार का सामान्य दृष्टिकोण अधिनियम के उपबन्धों में निवेशक संरक्षण, व्यवस्थिकरण तथा कारगर बनाने और कम्पनियों के सुप्रबन्ध के लिए प्रावधान सुलभ करने का है।

वित्त मन्त्रालय ने सूचित किया है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का पुर्नविलोकन सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा विचार रखती है, चूंकि इन्सपैक्शन डायरैक्ट्रेट द्वारा तीन प्रतिशत से कम कम्पनियों के बही खातों की जांच होती है, इसलिए अच्छे रिकार्ड वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट का पैनल बना कर इन कम्पनियों के बही खातों की जांच कराई जाए ? दूसरा, क्या सरकार ऐसा संशोधन ला रही है जिससे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा और सरकार द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उस ऋण को इक्विटी शेयर्स में बदला जा सके ? तीसरा, क्या सरकार, जो उद्योगपतियों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसमें जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे की मदों को प्रकाशित करना चाहती है ? ये मेरे तीन सवाल हैं कम्पनी कानून के अन्तर्गत।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : सबसे पहले मुझे सदन को यह बताना है कि एक प्रश्न से दो गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक आर्थिक अपराधों पर नियन्त्रण करने का और कम्पनी अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम में सरकार द्वारा प्रस्तावित आमूल परिवर्तनों का है। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, वह यह है कि जो मामला उन्होंने उठाया है वह आर्थिक अपराध का है या नहीं। मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि मैं इसे आर्थिक अपराध की परिधि में नहीं रखूंगा, यद्यपि इस सफेदपोश अपराध कहा जा सकता है। जैसे कि इस बात को उजागर करना कि कितना निवेश किया गया, कितना ऋण वापस नहीं किया गया इत्यादि। यद्यपि यह एक प्रश्न की परिधि में नहीं आता है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज खातों की लेखा परीक्षा स्वतंत्र सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कुछ मान्य लेखा मानदण्डों के अनुसार की जाती है। ये खाते लेखा परीक्षण के पश्चात् शेयरधारकों को प्रति वर्ष भेजे जाते हैं। अब हमने और भी कदम उठाए हैं तथा यह अधिसूचित किया है कि शेयर जारी करते समय जारी की जाने वाली विवरणिका में कम्पनियों द्वारा आर्थिक अपराधों के बारे में लम्बित विधानों की भी सूचना देनी होगी ताकि जो व्यक्ति कम्पनी में निदेश का इच्छुक हों उसे यह पता चल सके कि उक्त कम्पनी ने किसी प्रकार का कोई कानूनी उल्लंघन तो नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हवाला मार्किट के जरिए भारत सरकार को सालाना तीस हजार करोड़ रुपए का घाटा होता है। क्या सरकार यह सोचती है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? सरकार ने कहा है कि इस पर विचार कर रहे हैं। सरकार कानून के जरिये विदेशों में जा रहे धन को नहीं रोक सकती है, तो कौन-सा ऐसा कानून, सरकार बनाने जा रही है जिससे विदेशों में जा रहे धन को रोका जाए। क्या सरकार ऐसा संशोधन करेगी। दिल्ली में 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ (बहुदेशीय कंपनियों पर) का सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट पेश हुई थी। उस समय एक समझौता हुआ था। उस समझौते को तोड़कर विदेशी मुद्रा का गबन करते हैं। क्या सरकार इसको रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। टैक्नोलोजी के संबंध में बार-बार समझौता होता है। क्या सरकार ऐसा कानून बनायेगी कि विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग न हो सके?

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला कम्पनी अधिनियम का है जो कि मेरे विभाग के अन्तर्गत आता है तथा दूसरा 'फेरा' से सम्बन्धित है। अधिकारियों ने इस पर विचार किया है। अब सौभाग्यवश वित्त मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। उनकी अनुमति से क्या मैं उन्हें एक पूरक प्रश्न का उत्तर देने का निवेदन कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं। जो आपसे सम्बन्धित है, आप उसी का उत्तर दीजिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : यह मुझसे सम्बन्धित नहीं है। मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पुनर्विलोकन सरकार के विचाराधीन है तथा 'हवाला' व्यापार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

श्री मनोरंजन भक्त : कम्पनी अधिनियम तथा 'फेरा' में संशोधन से पहले मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या एक मुद्दे पर कोई विशेष अध्ययन करवाया गया है। अगर ऐसा कोई अध्ययन किया गया है तो तत्सम्बन्धी सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार का विचार कौन-कौन-सी सिफारिशें लागू करने का है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यद्यपि हमने कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में कोई पूर्व अध्ययन नहीं किया है फिर भी हमने 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्स्टीट्यूट', 'कम्पनी सैक्रेटरीज इन्स्टीट्यूट' तथा 'कास्ट अकाउंटेंट्स इन्स्टीट्यूट' में हमने अधिकृत लेखापालों की कार्यशालायें आयोजित करवाई हैं। सभी ने कार्यशालाओं के दौरान कम्पनी अधिनियम का अध्ययन किया तथा अपने विशिष्ट सुझाव दिए। हमने उन सभी सुझावों पर विचार किया है। विभाग ने केवल उनके साथ ही नहीं अपितु 'फिक्की' तथा 'एसोचम' के साथ भी विचार-विमर्श किया है और दूसरे पक्ष के सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मजदूर संघों से भी विचार विनिमय किया गया। उन सभी से विचार विनिमय के बाद कम्पनी अधिनियम का पुन: संहिताकरण विचाराधीन है।

फेरा के सम्बन्ध में ·····(**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : मुख्य सुझाव क्या हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : इस समय मेरे लिए यह कहना उचित होगा कि उन्होंने एक बात पर जोर दिया है कि कम्पनी अधिनियम में जो बहुत-सी अनावश्यक औपचारिकतायें हैं। उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम काफी हद तक स्वस्वीकृति लाने का प्रयास करेंगे। निवेशक संरक्षण को भी हमने सुदृढ़ किया है। कानून उल्लंघन पर अधिक दण्ड का प्रावधान किया जा रहा है। केवल जुर्माने की बजाय, दण्ड के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। यह प्रमुख बातें हैं जिन पर हम गौर करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम अधिनियम का आकार छोटा करने जा रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ भी नहीं किया गया है। सभी कुछ कागजों पर है··· (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : मैं इससे असहमत हूं। अगर आप चाहें तो मैं ऐसे आंकड़े भी दे सकता हूं कि हजारों लोगों पर मुकद्दमा चलाया गया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : खैर, इस सम्बन्ध में बाद में चर्चा होगी ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : जब यह विधेयक प्रस्तुत होगा तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सम्बन्ध में विशेषज्ञों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है तथा हम निश्चित रूप से विशेषज्ञों से राय लेंगे।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी

*23. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़† :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार भड़काने वाली कार्यवाही की गई है और भारत-पाकिस्तान सीमा पर जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में भारतीय सैनिकों पर कई बार गोलाबारी की गई है;

(ख) क्या स्थिति को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के एरिया कमांडरों की परस्पर बैठकें हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो उन बैठकों के क्या निष्कर्ष निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अकारण की गई गोलाबारी की कई घटनाएं हुई हैं। जहां तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोलीबारी का प्रश्न है, पाक सेना ने कोई गोलीबारी नहीं की। परन्तु विगत तीन महीनों में पाकिस्तानी रेंजरों ने पंजाब की सीमा से उग्रवादियों को भारत प्रवेश करवाने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर कई बार गोलीबारी की।

(ख) और (ग) सितम्बर और अक्तूबर, 1991 में, जम्मू और कश्मीर में भारतीय और पाकिस्तानी कमांडरों के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें हुईं। दोनों देशों के महानिदेशक सैन्य संक्रिया एक दूसरे के साथ टेलीफोन पर भी संपर्क बनाए हुए है। परिणामस्वरूप, अक्तूबर के मध्य से लेकर अधिकांश नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाओं में कुछ कमी आई है।

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय सीमा में आतंकवादियों को प्रवेश करने के साथ हुई गोलीबारी में आज तक कितने व्यक्तियों की हत्या हुई, कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आपको लिखित रूप में आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : माननीय मंत्री महोदय ने यह भी माना है कि दोनों ओर के अधिकारियों की कई बैठकें हुई हैं। इसके बाद भी, कुछ ही दिनों के भीतर फिर गोलीबारी हुई थी। इस तरह गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : दोनों देशों के सैन्य कार्रवाई के महानिदेशकों की कई बैठकें हुई हैं। भारत का प्रयास सदा यही रहा है कि सीमा पार से पाकिस्तान की गोलाबारी तथा उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया से उत्पन्न तनाव को कम किया जा सके। अक्तूबर, 1991 में, दोनों महानिदेशकों के मध्य गोलाबारी के दौरान उपयोग किए जाने वाले अधिक मारक क्षमता के अस्त्रों के उपयोग को कम करने के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ था। महानिदेशकों के मध्य हुए समझौते के पश्चात् विशेष रूप से कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है। जब भी

उन्होंने इसका उल्लंघन किया, हमने इसका विरोध करने के लिए समान रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी है। हम सीमा पार की ओर से की गई किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं और इसी के साथ सीमा पर तनाव कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत :इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए मंत्री स्तर पर और राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर क्यों नहीं बात की गई, क्योंकि पाकिस्तानी इस तरह से भड़काने वाली कार्रवाईयां कर रहे हैं तो रक्षा मंत्री के स्तर पर और प्रधान मंत्री के स्तर पर भी कोई बातचीत की गई है या नहीं ? यदि इस तरह की कोई बातचीत प्रस्तावित है तो बतायें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): इस पर विदेश मंत्रालय के सचिव स्तर पर बात हुई है और वे एग्री हो गये हैं कि ऐसी परिस्थिति सीमा पर पैदा न होने देने के लिए दोनों तरफ से कोशिश हो। इससे ज्यादा और कोई बातचीत हायर लेवल पर मिनिस्टर्स या पी० एम० स्तर पर नहीं हुई है।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी : हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने खुले तौर पर यह घोषणा की है कि उनका देश निश्चित तौर पर उग्रवादियों की हर तरह से मदद करेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न मामला है। इसका इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : मेरा दूसरा प्रश्न है कि पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर की सीमाओं पर हमारी ओर से पहल किए बिना हुई गोलीबारी की माह-वार संख्या क्या है और राज्यों की सीमाओं के पास 57 प्रशिक्षण केन्द्रों को नष्ट करने की सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे प्रश्न का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि आप चाहें, तो आपको लिखित जवाब मिल सकता है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मान्यवर, हमारे देश के जो पश्चिमी विभाग के सीमान्त प्रदेश हैं उन सीमाओं पर लगातार पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोलाबारी, घुसपैठ और चोरी के मामले बनते हैं। यह सीरियस बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कच्छ की सीट पर प्रचार करने आए थे तो उसी दिन पाकिस्तान के दो हेलीकाप्टर गुजरात की सीमा के भीतर देखे गए थे। यह बहुत गंभीर घटना है। हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा का सवाल है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि क्या रक्षा मंत्री इस घटना से अवगत हैं कि जब हमारे प्रधानमत्री ने दौरा किया और पाकिस्तानी हैलीकोप्टर हमारी सीमा में आए तो हमने क्या कार्रवाई की ?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : हमने अपना विरोध प्रकट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री बाऊ दयाल जोशी : मान्यवर, क्या यह सही है कि कई वर्षों बाद पाक रेंजर्स ने अपने उग्रवादियों को प्रवेश करवाने के लिए तोपखाना का उपयोग किया था, यदि हां तो क्या यह युद्ध जैसी विभीषिका की स्थिति पैदा नहीं हुई थी ? क्या यह भी सही है कि जितने भी पाकिस्तानी रेंजर्स और उग्रवादी मारे गये, हमारी सेना उन शवों को हस्तांतरित नही कर सकी और पाक उग्रवादी घसीटकर अपनी सीमा में ले गये, यह स्पष्ट करें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जहां तक तोप से मार करने की बात है, दो जगहों—कारगिल सैक्टर और किरनी सैक्टर में ऐसी बात हुई थी। इसमें पाकिस्तान के कुछ लोग मारे गए थे और उनकी लाशों को ले जाने का काम उनके बाकी सहायकों ने किया था।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : सीमा पर दो प्रकार की गोलीबारी होती है। एक सोची-समझी रणनीति के अन्तर्गत हुई गोलाबारी तथा दूसरी अनायास ही हुई गोलाबारी। कई बड़ी घटनाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है। आपको विस्तार से उल्लेख नहीं करना है। आप प्रश्न पूछिए, मंत्री महोदय जवाब देने में सक्षम हैं।

श्री सुधीर सावंत : जहां तक अनायास हुई गोलाबारी का प्रश्न है, ये सीमा पर छोटी-छोटी समस्याओं से होती है। मेरा प्रश्न है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि ऐसी आकस्मिक गोलाबारी न हो जो दोनों ओर से होती हैं—न केवल हमारी ओर से, अपितु दोनों पक्षों की ओर से—और इससे सीमा पर बहुत तनाव होता है और सेनाओं को सीमा पर ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें रात में गश्त लगानी पड़ती है। हम उस गोलाबारी पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं जो छोटे-छोटे मामलों के कारण, जो पूर्ण रूप से आकस्मिक है, सीमा पर हो रही है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य इस सीमा तक सही हैं कि कुछ गोलाबारी नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तान द्वारा तहखानों के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों के कारण होती है। किन्तु, और इन सब विषयों पर सैनिक कार्रवाई के महानिदेशकों के मध्य चर्चा चलती रहती है और यह चर्चा काफी समय से जारी है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि विदेश सैक्रेट्रीज लेवल तक एक मीटिंग हुई थी। मूल प्रश्न यह पूछा गया कि क्या कमांडर्स की मीटिंग हुई है; मैं जानना चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान आफेंसिव पर है और गड़बड़ हमारे देश में हो रही है, क्या रक्षा मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि केवलमात्र विदेश सचिव लेवल पर बात हो जाये, वही पर्याप्त है या हमारी सरकार डिप्लोमैटिक लेवल पर ऐसे कदम उठाएगी कि हायर लेवल पर बात हो या सेनाओं द्वारा पाकिस्तान की घुसपैठ का सही उत्तर देने का प्रयास करेगी ? इसका स्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : हमने अपने सैनिक शिष्ट-मंडल को लगभग दो महीने पहले इस्लामाबाद, पाकिस्तान भेजा था तथा वहां पर इस प्रकार की घटनाओं पर एक विस्तारपूर्ण चर्चा हुई थी। उस बैठक के पश्चात् जो एक समझौता हुआ था उसके बाद बहुत अधिक घटनाएं नहीं हुई हैं। कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं किन्तु सीमा स्थिति में थोड़ा-सा सुधार हुआ है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे विभिन्न लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाकिस्तानी बलों द्वारा की गई गोलाबारी की कितनी घटनाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रकार के आंकड़े बाद में उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-कलकत्ता खंड को चौड़ा करना और उसका विकास

*26. **श्री अनादिचरण दास** :

डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक से कलकत्ता जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कलकत्ता को जोड़ने वाला तटीय क्षेत्र का एक मात्र मार्ग है और उस पर यातायात की अत्यधिक भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग को इन दोनों बड़े नगरों के बीच विभिन्न खंडों में विकसित करने और इसे दो/चार लेनों तक चौड़ा करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए विश्व बैंक से कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई है; और

(घ) इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण-कार्य का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। तट के साथ-साथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5, कटक से कलकत्ता की ओर जाने वाले लम्बी दूरी के ट्रैफिक के लिए प्रमुख रूट है और इस पर सामान्यत: बहुत अधिक ट्रैफिक होता है। तथापि कटक से शुरू होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 सीधे कलकत्ते तक जाकर केवल भारपाखरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के साथ जंक्शन तक जाता है। वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 6 द्वारा कलकत्ता तक का सम्पर्क उपलब्ध होता है।

(ख) से (घ) कटक से कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 तथा 6 के पूरे खंड में पहले ही दो लेन की चौड़ाई है। इन्हें और चौड़ा करके चार लेनों का बनाया जाना इस बातों पर निर्भर

करेगा। 8वीं योजना में, जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, आबंटन, संसाधनों की उपलब्धता तथा अखिल भारतीय स्तर पर पारस्परिक प्राथमिकताएं। तथापि, प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण के अन्तर्गत सहायता के लिए 110 करोड़ रुपया की अनुमानित लागत से भुवनेश्वर से कटक से जगतपुर तक के समीपस्थ खंड को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा है। ऋण के लिए समझौता वार्ता पूरी हो गई है। तथापि विश्व बैंक ने ऋण पर अभी हस्ताक्षर करने हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण व्यवहार्यतः पूरे कर लिए गए हैं और विस्तृत प्लान पूरे होने ही वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष जी, यह जो पांच नंबर नेशनल हाइवे उड़ीसा के अंतर्गत है, इस पर मद्रास से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होते हुए जो गाड़ियां आ रही हैं, सब उड़ीसा से पास करती हैं। इस वजह से भुवनेश्वर से कलकत्ता तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। कम-से-कम भुवनेश्वर से जगतपुर तक ऐसा कोई दिन नहीं होता जब दो-दो एक्सीडेंट न हुए हों। उसको चौड़ा करने के लिए कोई प्रस्ताव है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं करना है।

श्री अनादि चरण दास : मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, उसके आधार पर बोल रहा हूं। 110 करोड़ रुपए का जो प्रावधान हाइवे के लिए था, अब क्यों नहीं हुआ ? दूसरी बात यह है कि उड़ीसा में एक के सिवाय कोई दूसरा एक्सप्रेस हाइवे नहीं है और यह जो रास्ता है, दूसरे स्टेट के लिए भी यही रास्ता है। तो क्या जो वर्ल्ड बैंक ने उस पर सर्वे किया है, उस आधार पर सरकार कुछ करने जा रही है, इसके बारे में कुछ बताइए।

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि अभी करीब 110 करोड़ रुपए की जो योजना बनी है, उसमें 2.8 किलोमीटर का फुल लेन का काम हो चुका है भुवनेश्वर से कटक-जगतपुर तक और बाकी 25 किलोमीटर का काम विश्व बैंक से कर्ज लेकर करने की कार्यवाही करीब-करीब पूरी हो चुकी है और एक-दो महीने में यह कार्यवाही पूरी होते ही उसमें काम शुरू हो जाएगा क्योंकि जमीन को अक्वायर करने का काम पूरा हो गया है, सर्वे का काम पूरा हो गया है और सैंक्शन करने के बाद इसमें तीन साल का टार्गेट रखा गया है। मैं समझता हूं कि चूंकि अभी 8वीं योजना आना बाकी है, और उसके बगैर हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हम कितना कर पाएंगे। अभी हमने 27.8 किलोमीटर का काम उसमें ले लिया है।

श्री अनादि चरण दास : मेरा दूसरा सवाल है कि यह जो नेशनल हाइवे है यह कलकत्ता से सीधे नहीं आ रहा है। यह झारपाखरिया से टर्न होकर बाहर चला जाता है। कोई सीधा रास्ता नहीं है। अभी सुवर्णरेखा पर जो ब्रिज बन गया है, वहां बहुत गाड़ियां चोरी-छिपे उस रास्ते से सामान ले जाती हैं। उसको नेशनल हाइवे बनाने में सरकार का कोई प्रस्ताव है क्या ? क्योंकि कलकत्ता से भुवनेश्वर, वाया बालासोर, जाने में कुल रास्ता लगभग 70 किलोमीटर कम हो जाता है जबकि अभी चक्कर काट कर जाना पड़ता है। इसलिए उसको लेने का क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव है। यदि है तो मैं चाहता हूं कि उस प्रस्ताव का ब्यौरा बताया जाये।

श्री अशोक गहलोत : ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, उत्तर के भाग (क) में कहा गया है कि तट के समीप लगा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 5 लम्बी दूरी के यातायात के लिए मुख्य मार्ग है। यह कटक से कलकत्ता जाने वाला मुख्य मार्ग नहीं है। दो अन्य मार्ग हैं जो "नेलको" तथा अन्य खनिज उद्योगों के कारण मुख्य मार्ग बन गए हैं। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बन रही है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन दो मार्गों, एक्सप्रेसवे, चान्दीखकोल से होते हुए बरास्ता सुकिंदा, भुवन, कामाख्यानगर और तालचेर तथा दूसरा चाओद्वार से धेनकनाल से सम्बलपुर का स्तर सुधारने पर विचार करेंगे। इन दो मार्गों पर 30 टन के भार का यातायात चलता है जबकि इसका वर्गीकरण केवल 10 टन के भार के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : सर, इतने ज्यादा प्रस्ताव, सभी प्रदेशों की ओर से, हमारे पास आये पड़े हुए हैं। माननीय सदस्य ने जो रोड़ बतायी, उसके सम्बन्ध में, एकदम कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। जब आठवीं प्लान फाइनेलाइज होगी, तब हम विचार करेंगे कि क्या करना है।

विदेशी ऋण

*28. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई वित्तीय नीति के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से पृथक्-पृथक् कितनी राशि का विदेशी ऋण लिया है;

(ख) सरकार इन ऋणों की अदायगी के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) इन ऋणों पर कितनी राशि का ब्याज दिया जाना है और ब्याज भुगतान की इतनी बड़ी राशि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) ऋणों की अदायगी और देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) किसी नई वित्तीय नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा अलग किस्म का कोई ऋण

ों लिया जा रहा है। वित्तीय नीति उपाय उन अनेक वित्तीय कदमों का हिस्सा होते हैं जो देशी ऋण प्राप्त करने के परम्परागत स्रोतों को जारी रखने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए सामर्थ-री बनाते हैं।

(ख) से (घ) ऋणों की वापसी अदायगी और देय ब्याज की राशि प्रत्येक ऋण की ख़ासी अनुसूची तथा शर्तों पर निर्भर करेगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे ऋणों के *रशोधन के लिए यह भार अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो। सरकार अल्पावधिक रता तथा दीर्घावधिक पुनर्संरचना के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों के लिए पहले ही एक कार्यक्रम* ़ कर चुकी है। इन सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तथा हमारी निर्यात आय रता सहित विकास प्रक्रिया को बल मिलेगा जिससे कि हमारी ऋणों की वापसी अदायगी हेतु ारी क्षमता में वृद्धि हो सके।

न्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि भारत के प्रति व्यक्ति के र कितना विदेशी ऋण लिया गया है। भारत के सब लोग, एक-एक व्यक्ति जानता है कि देशों से ऋण लिया गया है, क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि भारत के प्रति व्यक्ति पर कितना ण लिया गया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि कुल रुपया अब तक जो या गया, कर्ज वह जो विदेशों से चार प्रकार के कर्ज लिये जाते हैं : एक कर्ज वह है जो विदेशी कार से और विदेशों में स्थित वित्तीय संस्थाओं से भारत सरकार को दिया जाता है। इस मद कुल 31 मार्च, 1991 तक 66 हजार करोड़ रुपये लिए गए हैं। दूसरे प्रकार का कर्ज, जो विदेशी कारों से भारत को मिला। **(व्यवधान)**

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, मैं सीधे जानना चाहता हूं कि कुल ऋण कितना लिया ा और प्रति व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज लिया गया। **(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर ठाकुर : सितम्बर, 1991 तक 1,34,000 करोड़ रुपये लिए गए हैं। आप नते हैं कि भारत की आबादी प्रति-दिन बढ़ रही है। जनसंख्या या आबादी का नम्बर आपको लूम है। आप कृपापूर्वक प्रति व्यक्ति की फीगर विभाजित करके हिसाब लगा सकते हैं। **वधान)**

श्री आनन्द रत्न मौर्य : आप मन्त्री जी, पिछले वर्ष की अवधि तक की फीगर्स ही दे दें, में क्या है। **(व्यवधान)**

नुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऋण की कुल राशि को जनसंख्या से भाग देने पर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री जी अद्यतन स्थिति बताने की स्थिति में हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैंने सितम्बर, 1991 तक ऋण की कुल राशि का आंकड़ा बता दिया –1,34,000 करोड़ रुपया है। यह ब्याज सहित कुल बकाया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण दिया जाए। मैंने मन्त्री महोदय से है कि प्रति व्यक्ति कितना भाग आया है। इसलिए मुझे प्रति व्यक्ति बताया जाए, पूरा न बत जाए।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : *यह प्रति व्यक्ति कितना है। (व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से जानना चाहता हूं कि भारत विदेशी कर्ज अवमूल्यन के पहले कितना था और अवमूल्यन के बाद उस पर कितना असर पड़ा है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न अच्छे है तो उत्तर भी अच्छे ही होंगे।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर ठाकुर अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से बताना चाहता हूं कि मुद्रा मूल्यन के पूर्व 31 मार्च, 91 तक कुल राशि 99,485 करोड़ थी, जो मुद्रा अवमूल्यन के बाद जुल 91 में 1 लाख 28 हजार 800 करोड़ हो गई और इसके बाद इसी दरम्यान अप्रैल से सितम्बर, तक 5,200 करोड़ की राशि ली गई, अतिरिक्त कर्ज, कुल मिलाकर सितम्बर, 91 तक 1 लाख हजार करोड़ की राशि बनती है।

श्री हरिकिशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बहुत जोर से बोल रहे हैं कि " ली गई" जैसे कर्ज लेना कोई बहुत गौरव की बात हो। **(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व सदस्य चाहते थे कि प्रति व्यक्ति कि रुपए हैं यह बताया जाए, तो मैं बताता हूं कि 1200 रुपए प्रति व्यक्ति हैं। यदि पूरे 1 लाख हजार करोड़ को आप अभी लें, तो पहले की राशि जो कि मार्च 91 में थी उसके अनुसार 12 रुपए बैठते हैं और रिवाइज्ड रेट के अनुसार 1583 रुपए होते हैं। **(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर ठाकुर : इसमें चूंकि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति कितना ऋण का बोझ है, तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारी सारी अर्थव्यवस्था है, उसके अनुसार जितने विकासशील देश हैं, उनके अनुपात के मुकाबले में हमारे यहां अनुप बहुत अनुकूल है और मैं यह बताना चाहता हूं कि :

[अनुवाद]

निर्यात के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण पर ब्याज और कुल अप्रत्यक्ष आय 21 प्रतिशत लगभग है।

[हिन्दी]

जो हमारी पूरी आमदनी है उस हिसाब से जो हमारा परसेंटेज है वह

अनुकूल है और जो ब्याज की राशि दी जाती है उसका दस प्रतिशत से कम है। डैट सर्विसिंग जिसे कहते हैं ब्याज, वह पूरी आमदनी का दस प्रतिशत है। वह कृषि विकास देश के लिए बिल्कुल अनुकूल है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यदि पूरे आंकड़ों को साथ लेकर विचार करेंगे तो हम समझते हैं कि विकास की दृष्टि से हमारा रेट अनुकूल है, दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें ठीक से सुनें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर ठाकुर : तीसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सातवीं योजना जो इतनी बड़ी योजना तीन लाख बीस हजार करोड़ की थी उसके अन्तर्गत 93 प्रतिशत राशि भारतीय थी और केवल 7 प्रतिशत राशि विदेशी लगी थी। इसलिए हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, हमारा जो कुल उत्पादन है, सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो किसी भी विकास क्षेत्र की तुलना में अधिक नहीं है। अभी तक जितने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है वे सब मानते हैं विकासशील देशों में केवल हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है, जिसने अपना वित्तीय भुगतान हमेशा समय से किया है, इसमें कभी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है और हमने रीशैड्यूलमैंट ऑफ लोन कभी नहीं मांगा है।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : महोदय, श्री वी० पी० सिंह की सरकार की आर्थिक अव्यवस्था का मैं धन्यवाद देता हूं, जिसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और हम वामपंथी पार्टी के मित्रों का समर्थन प्राप्त था। उस दौरान भारत की ऋण अदायगी का अनुपात सबसे अधिक था। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय और नई सरकार को विदेशों से ऋण लेने के बजाय विदेशी निवेश पर अधिक बल देने के लिए बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विगत तीन महीनों का उनका क्या अनुभव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राष्ट्रपति जार्ज बुश ने आपसे क्या कहा?

श्री मुरली देवरा : मैं आपको निजी तौर पर बताऊंगा।

महोदय, अभी 70 बिलियन डालर से अधिक विदेशी ऋण है जबकि हमारा निवेश 1.5 बिलियन डालर से भी कम है। क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर जोर डालते हुए अनुकूल उत्तर दिया है? मैं वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नई सरकार की नीतियां विदेशी निवेश करने के बजाय अधिक से अधिक विदेशी ऋण लेने की ओर उन्मुख है। (व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत के पास बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश है। मैं पूर्व और पूर्वोत्तर एशिया के देशों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं लेकिन चीन जैसे देश में 1979 से प्रत्यक्ष रूप से जो कुल विदेशी निवेश करने की जो बात की गई थी वह लगभग 50 बिलियन डालर है। जो अद्यतन आंकड़े मैंने देखा चीन का जो वास्तविक भुगतान है वह 20 बिलियन डालर है। इसलिए, मेरा यही कहना है कि पूरे विश्व में यह माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष निवेश करने के बदले ऋण

+,000 करो.

लेने का जो पुराना तरीका है वह बहुत हद तक अलाभकारी है। हमारी अर्थव्यवस्था यदि सक्षम नहीं भी है और कोई उद्‌भव लाभ नहीं कमा रहा है तो हमें भुगतान करना होता है। इसलिए यह हमारे लिए एक शिकंजा है जिसमें हम फंसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि हाल ही में इसने इस स्थिति से उबरने का प्रयास शुरू किया है। जो भी संकेत हमें अभी तक मिले हैं उससे यही लगता है कि कुछ समय में इस स्थिति में परिवर्तन ला देंगे। हम स्थिति में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तीन महीने बाद ही बताया जा सकता है कि कितना परिवर्तन हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि हमारे प्रश्न पर चर्चा नहीं हो पाएगी और यह इस मुद्दे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकती हूं कि हमारे प्रश्न के उत्तर में······

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह इस प्रश्न का पूरक होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : निश्चय ही मैं पूरक प्रश्न पूछूंगी। जो उत्तर उन्होंने दिया है वह स्पष्ट नहीं है और उसमें बहुत कुछ छिपाया गया है।

क्या वह स्पष्ट वक्तव्य देंगे कि बजट भाषण के दौरान आपने जो निवेदन किया था उसके बाद कितने अप्रवासी भारतीय निवेश के लिए सामने आए, किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया, उनके नाम क्या हैं और कितनी राशि लगाने की उन्होंने बात की है। मैं उन चार रुग्ण उद्योगों के नाम भी जानना चाहती हूं, जिनका उन्होंने उल्लेख किया है।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न चर्चाधीन प्रश्न से किसी भी प्रकार जुड़ा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक अप्रवासी भारतीय निवेशकों का सम्बन्ध है, यह कोई दलगत मुद्दा नहीं है। वास्तव में पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मन्त्री का यह कहना है।······

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम तत्सम्बन्धी जानकारी चाहते हैं।

श्री मुरली देवरा : क्या आपको पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से कोई वैर भाव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वित्त मन्त्री पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री का आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि हम जानकारी चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ही ठीक उत्तर दे सकते हैं। आप इस बारे में चिंता न करें।

श्री मनमोहन सिंह : अप्रवासी निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करना हमारे देश में कोई दलगत मुद्दा नहीं है। इसे पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री सहित सभी राजनीतिक दलों का समर्थन है।

लेकिन मैंने सदन में यह पहले ही बता दिया है कि कोई भी अप्रवासी भारतीय हमारे देश में अपना धन तब तक नहीं लगा सकता है जब तक कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक अच्छा स्वरूप प्रदान नहीं कर लेते। यदि भारत की आर्थिक प्रणाली अव्यवस्थित ही रही, यदि उद्यमों को बिना सोचे विचारे बैंकों की अत्यधिक राशि दी जाती रही और वे उसे वापस भी नहीं करते हैं और यदि बैंक अपने ऋणों को माफ करती रही तो यह कभी भी आशा न करें कि अप्रवासी भारतीय यहां आएंगे और निवेश करेंगे। हम इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। उसके सही आंकड़े देना अभी जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, क्या यह सही है कि ये सारे के सारे लोन कांग्रेस (आई) के शासन में लिए गए हैं ? 1977-79 तक जब जनता पार्टी की सरकार थी या 11 महीने तक राष्ट्रीय मोर्चे और वी० पी० सिंह की सरकार थी, तब ये लोन नहीं लिये गये। क्या सारे के सारे विदेशी कर्जे कांग्रेस सरकार के शासन में ही लिए गए हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह कहना ठीक नहीं होगा कि ये सभी ऋण कांग्रेस सरकार के दौरान ही लिए गए। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उसने निश्चय ही कुछ ऋण लिये थे। लेकिन जब जनता दल या राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में थी तो उसने भी ऋण लिए थे। जुलाई, 1990 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चुपचाप स्वर्ण ड्राफ्ट निकाल लिया और उस समय यह बात किसी को भी नहीं बताई गई कि ऐसा किया जा रहा है।

श्री मुरली देवरा : उस समय आप मंत्री थे। आपको इसकी भी जानकारी नहीं है। (**व्यवधान**)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जब तक विदेशी ऋणों से सम्बन्धित शर्तों को हमें नहीं बताया जाता, हम इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकते कि कब और कितनी जल्दी इस ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से ही यह जानना चाहता हू कि वह लिए गए विदेशी ऋणों सम्बन्धी शर्तों और विदेशी निवेशों सम्बन्धी शर्तों को उस सभा के समक्ष रखेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋणों के सम्बन्ध में शर्तों का प्रश्न है मैंने उस सभा से वादा किया है कि मैं आशय-पत्र में निहित शर्तों को सभा पटल पर रखूंगा। मैं इसी सत्र के दौरान ऐसा करने की सोच रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के दरम्यान और चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी की परसों मीटिंग हुई, यहां पर, उस मीटिंग में प्रधान मन्त्री ने ऐसा निवेदन किया कि 6000 करोड़ रुपया अभी उन्होंने कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा बनाये रखने का काम किया है। मै मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 6000 करोड़ में अभी जो विदेशी कर्ज आपने लिया है, वह कितना है—नम्बर एक ? नम्बर दो—इस 6000 करोड़ रुपए में, जब आप इसको डालर में परिवर्तित करेंगे तो वह कितने डालर हो जाता है ? और एक साल पहले आपके पास जो डालर का पैसा था, उसके मुकाबले वह कहां तक बैठ.जाता है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं समझता हूं कि मैंने उस प्रश्न का उतर दे दिया है कि अभी हमारे कोष में दो मिलियन डालर हैं। जब हम सत्ता में आए थे तो इस कोष में केवल एक बिलियन डालर थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितना ऋण लिया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसमें से कितना पैसा पिछले तीन से 6 महीने में आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य संस्थाओं से कर्ज लिया है ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस दौरान हमने पिछले समय में लिए गए कई ऋणों का भुगतान किया है। प्रधान मन्त्री ने पहले ही बताया है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय भारतीय रिजर्व बैंक को 46 टन सोना बाहर भेजना पड़ा था। वह निर्णय हमारी सरकार द्वारा नहीं लिया गया था। यह पिछली सरकार का निर्णय था। पिछले माह उस ऋण का पूरी तरह भुगतान कर दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : डा० मनमोहन सिंह यहां राजनैतिक चाल चल रहे हैं। विशिष्ट प्रश्न यह है कि 6,000 करोड़ रुपए में विदेशी ऋण कितना है। यह साधारण-सा प्रश्न है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसमें से कितना पैसा वह है, जो अभी आपने कर्ज लिया है ? आपने कितना वापस किया, यह हमने नहीं पूछा, इसमें कितना है, यह पूछा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह खुशी और स्वागत योग्य प्रगति है कि हम विदेशी कर्ज के बदले विदेशी निवेश को बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार की इस नीति से हमें प्रोत्साहन मिला है। कुछ मुख्य मन्त्री सम्बन्धित राज्य में चालू परियोजनाओं के लिए अप्रवासी भारतीयों और उनके स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों से बातचीत करने के लिए विदेश जा रहे हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार दौरे के प्रस्तावों पर विचार कर रही है और कितनों से संपर्क किया गया है, कितने यहां आ रहे हैं और विशेषकर उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में किए गए यात्रा स्वराज पाल के साथ की गई बातचीत का परिणाम क्या हुआ, क्या भारत सरकार उससे अवगत है, और यदि है, तो इसका परिणाम क्या निकला है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : इसके लिए हमें अलग नोटिस दिया जाना चाहिए।

विशाखापत्तनम पत्तन

*29. **श्री एम० वी० एस० मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने उक्त अवधि में प्रति वर्ष विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क की कुल कितनी-कितनी धनराशि एकत्रित की;

(ग) क्या सरकार का विशाखापत्तनम पत्तन पर कोई अतिरिक्त गोदियों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार का आठवीं योजना के दौरान विशाखापत्तनम के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन को दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए)

	1988-89	1989-90	1990-91
ऋण	300	—	—
फिशिंग बंदरगाह के निर्माण के लिए भारत सरकार से अनुदान	247.48	399.50	223.96

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन द्वारा एकत्र किए गए विलम्ब शुल्क की कुल राशि निम्नलिखित है :—

	(लाख रुपए)
1988-89	58.90
1989-90	38.59
1990-91	101.94

(ग) और (घ) बर्थ के निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को वार्षिक योजना, 1991-92 में शामिल किया गया :—

जारी स्कीम	**परिव्यय 1991-92**
1. डब्ल्यू जे 2 और डब्ल्यू जे 3 को बहु-उद्देशीय बर्थ में बदलना	9.65 करोड़ रु०

नई स्कीमें

1. बाह्य बन्दरगाह के समीप भूमि के विकास सहित बहु-उद्देशीय बर्थ का निर्माण 3.00 करोड़ रु०

2. सामान्य कार्गो की हैंडलिंग के लिए बर्थ का निर्माण 5.00 करोड़ रु०

(ङ) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : विशाखापत्तनम पत्तन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्रित किए गए विलम्ब शुल्क में पिछले वर्ष 1989-90 की तुलना में 1990 91 में 200% वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण यह बताया गया कि विशाखापत्तनम पत्तन में बर्थ उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त गोदियों का निर्माण किया गया है तथा क्या आठवीं योजना में उसे शामिल किया गया है ? आठवीं योजना के दौरान कितने गोदियां बर्थ बनाने की योजना है ? विलम्ब शुल्क इकट्ठा करने के मुख्य कारण गोदियों, बर्थ और पोतों में उपस्कर सुविधाओं जैसी मूल सुविधाओं का अभाव है। क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो रिप्लाई दिया गया है, उसमें सारे प्वाइंट्स क्लीयर कर दिए गए हैं। जहां तक 1989-90 और 1990-91 की बात है डैमरेज की, वे भी रिप्लाई में दिए गए हैं। और जहां तक वाइजैक पोर्ट का सवाल है, वह सैल्फ-सफिशियेंट है, उसकी भारत सरकार की कोई मदद की जरूरत नहीं है। जो स्कीम चल रही है, उसके बारे में मुख्य रिप्लाई में दिया गया है। इसके अलावा माननीय सदस्य का कोई सुझाव हो, तो मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : 200% की दर से विलम्ब शुल्क एकत्रित करने के क्या कारण हैं ? 1989-90 में 35.59 लाख रुपए का विलम्ब शुल्क एकत्रित किया गया था जबकि 1990 91 में 101.94 लाख रुपए का शुल्क एकत्रित किया गया। क्या यह सच है कि ऐसा गोदियां तथा उपस्कर सुविधा उपलब्ध न होने के क्या कारण है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी जो शिप्स आती हैं, उन पर डिपेंड करता है कि उनकी समस्या क्या है ! इसमें रिवाइज की हुई रेट नहीं है, डैमरेज रेट जो पहले थी, वही चल रही है। इसमें कोई फीगर्स बढ़ी हैं, तो उसका मेरे पास अलग से कोई जवाब नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं इसको अलग से लिख कर भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न समाप्त हो गया है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हैंडलिंग सुविधाएं न होने से भारी क्षति हुई। बहुत अधिक माल लादने तथा उतारने की सुविधाओं की कमी तथा कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में पर्याप्त गैस और तेल मिलने को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री महोदय मछलीपत्तनम में छोटा पत्तन, जो कि एक पुराना पत्तन है, और विशाखापत्तनम पत्तन पर अधिक यातायात के लिए काकीनाडा को विकसित करने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों को निजी क्षेत्रों को सौंपना

[अनुवाद]

*30. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों को निजी क्षेत्रों को सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन मिलों को श्रमिकों के साथ परामर्श करके उचित ढंग से चलाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि० (एन० जे० एम० सी०) में हुए भारी घाटों तथा सरकार की संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एन० जे० एम० सी० के पुनर्जीवित हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मिलों के रोजमर्रा के कार्यचालन के सम्बन्ध में एन० जे० एम० सी० के प्रबंधक कामगारों के साथ परामर्श करते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : उन्होंने निजीकरण के लिए जिन कदमों का प्रस्ताव किया है, क्या वे उनके लिए सहमत हो गए हैं : उन्होंने ट्रेड यूनियनों के साथ इस बारे में चर्चा नहीं की है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वह आवश्यक नहीं है। अत: पश्चिम बंगाल में पटसन मालिकों और उद्योगपतियों के साथ मिलकर इन राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों को नष्ट करने की सुनियोजित योजना है। एन०जे०एम०सी० को पटसन खरीदने के लिए मजबूर किया गया था··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : कृपया मुझे बीच में मत टोकिए। मैं समय से ही अपनी बात

समाप्त कर दूंगा। महोदय, एन० जे० एम० सी० को भारतीय पटसन निगम से 850 रु० प्रति मी० टन पटसन खरीदने के लिए मजबूर किया गया जबकि बाहर इसकी कीमत 440 रुपए प्रति मी० ट० है। इस कारण उन्हें कई करोड़ रुपयों का घाटा हुआ। पिछले वर्ष उन्हें 65 करोड़ रुपए का घाटा हुआ क्योंकि उन्हें ऊंची कीमत देनी पड़ी तथा उन्हें घाटा सहने के लिए मजबूर किया गया।

दूसरे, मिलों में श्रमिकों ने समस्याएं उत्पन्न की हुई हैं। सरकार द्वारा उत्पन्न किए गए ये दो मुख्य कारण हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उद्योग को बचाने के लिए यह कठिनाइयां दूर करेगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, माननीय सदस्य जी कह रहे हैं, जे० सी० आई० से जो जूट खरीदने का जो कंपलशन था वह हमने हटा दिया है, उसके बाद एन० जे० एम० सी० सीधा बेच सकती है। जहां तक मजदूरों की बात है, मिलें जो घाटे में चल रही हैं वह आपसे छिपी हुई बात नहीं है, करीब पैंसठ करोड़ रुपए का घाटा पिछले साल हुआ, उसकी जानकारी आपको भी है। 45 परसेंट जो हैं वह पर-डे सिर्फ पर-टन प्रोडक्शन के लिए हैं, उसकी जगह पर 75 वर्कर्स लगे हुए हैं। वी० आर० एन० स्कीम के अन्तर्गत छंटनी करने के लिए हमने कुछ मजदूरों को पहले भी कोशिश की थी और हुए भी हैं। अभी करीब 19 हजार वर्कर्स काम कर रहे हैं जबकि सिर्फ 12 हजार मजदूरों से काम चल सकता है, इसलिए वी० आर० एन० स्कीम के अन्तर्गत, उसमें अगर मजदूर चाहेंगे तो उसमें आप लोग भी हमें सहयोग कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने अधिकारियों से कुछ गैर-सरकारी कंपनियों के मालिकों के पूरे रिकार्ड तथा रिपोर्ट देने के लिए कहा था और यह जानकारी गैर-सरकारी मालिकों को दी जा रही है ताकि यह पटसन उद्योग नष्ट हो जाए तथा इसका निजीकरण किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है कि इसे सीधा प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए और जब इनको नेशनलाइज किया गया था उस वक्त भी वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने का उद्देश्य था और आज भी सरकार के सामने वही उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सामने रखते हुए फैसला होगा और जब प्रधानमंत्री जी हाउस में कह चुके हैं पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में चर्चा होगी, तो मैं समझता हूं कि उसके साथ यह भी लेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें। क्या सरकार अथवा वस्त्र विभाग ने इन मिलों को अपने हाथ में लेने के लिए चैम्पदेनी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से बातचीत की है ? मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं 'हां' या 'नहीं'।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, मैं कह चुका हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हू कि कोई विचार-विमर्श चल रहा है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, मन्त्रालय के स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि नहीं, तो क्या किसी और स्तर पर बातचीत की गई है और मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय इस बारे में जानता है।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, मिनिस्ट्री में इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और अगर जानकारी होगी तो मैं इस बारे में आपको अवश्य बताऊंगा।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि एन० जे० एम० सी० मिलें निजी कंपनियों को नहीं सौंपी जाएंगी तथा गंभीरतापूर्वक इनमें सुधार करने के लिए कार्यक्रम बनाए जाएंगे। क्या सरकार स्पष्ट आश्वासन देगी ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, मैं कह चुका हूं कि सीधे तौर पर सौंपने का कोई विचार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभा को आश्वासन दे सकती है कि ये मिलें निजी एजेंसियों को नहीं सौंपी जा रही हैं बल्कि इनमें सुधार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, एन० जे० एम० सी० का सवाल नहीं है, इसके बारे में जो भी फैसला होगा उसको ध्यान में रखते हुए, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : मैं राष्ट्रीय पटसन मिल, सेनक्रेड, हावड़ा गया था जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पटसन मिल है और मैंने आई० एन० सी० यू० सी० सहित सभी दलों के श्रमिकों से बात की थी। वे इसे अर्थक्षम बनाने के लिए प्रबंधन तथा कच्चे पटसन के बारे में सरकार से बातचीत

करने के लिए तैयार हैं ? क्या सरकार श्रमिकों से बात करने तथा उनके विचार जानने के लिए तैयार है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और मेरा कहना भी यह है कि कोई भी फैसला करने से पहले श्रमिकों से बात करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति में परिवर्तन

[अनुवाद]

*24. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए अपनी ऋण नीति में अक्तूबर, 1991 में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके द्वारा मुद्रा-स्फीति में हो रही वृद्धि को किस सीमा तक रोके जाने की सम्भावना है और 1991-92 में प्राप्ति हेतु इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति में किए गए मुख्य-मुख्य परिवर्तनों में ये शामिल हैं :— बैंक दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि, उधार ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि, अल्पावधि जमा ब्याज दरों में वृद्धि, निर्यात ऋण ब्याज दर में वृद्धि, निर्यात पुनर्वित्त का उदारीकरण और नकद मार्जिन में कमी, कतिपय पुनर्वित्त सुविधाओं को वापस लेना और भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की नकद शेष पर ब्याज दर में कमी।

(ग) वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति दर 24 अगस्त, 1991 को 16.7 प्रतिशत पहुंच गई थी। 26 अक्तूबर, 1991 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मुद्रास्फीति दर कम होकर 13.3 प्रतिशत हो गई थी। मुद्रास्फीति दर को और कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दस शीर्षस्थ व्यापार घरानों द्वारा ऋणों की अदायगी न किया जाना

*25. श्री छीतूभाई गामित :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दस शीर्षस्थ व्यापार घरानों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इन व्यापार घरानों के इनके स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों में कितने-कितने शेयर हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में वित्तीय संस्थाओं/सरकारी/सहकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संस्थावार कितने-कितने शेयर हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं ने इनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी है;

(ङ) उन व्यापार घरानों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा दिए गये ऋणों की अदायगी नहीं की है और तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऋण अदा न करने वाले व्यापार घरानों पर कोई जुर्माना लगाया गया था;

(छ) यदि हां, तो इनसे कितनी धनराशि वसूल की गयी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या अदायगी न करने के बाद भी इन व्यापार गृहों को दी जाने वाली ऋण राशि की सीमा में वृद्धि की गई है; और

(झ) यदि हां, तो वर्षवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा तैयार सूची के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार, अपनी परिसंपत्तियों के आधार पर देश में 10 शीर्षस्थ व्यापार घरानों के नाम निम्नानुसार हैं—

1. बिरला
2. टाटा
3. रिलायंस
4. जे० के० सिंघानिया
5. थापर
6. मफतलाल
7. बजाज
8. मोदी
9. एल एण्ड टी
10. एम० ए० चिदाम्बरम्

(ख) वित्तीय संस्थाओं के पास प्राप्त सूचना के अधार पर दिनांक 31 मार्च, 1991 का स्थिति के अनुसार उनके स्वामित्व वाली विभिन्न कम्पनियों में इन व्यापारिक घरानों की इक्विटी शेयरधारिता का विवरण नीचे दिया गया है—

(करोड़ रुपए)

ग्रुप का नाम	इन ग्रुपों की उनके स्वामित्व वाली कम्पनियों में इक्विटी शेयर धारिता	उनके स्वामित्व वाली कम्पनियों में कुल चुकता इक्विटी पूंजी की तुलना में प्रतिशत
1. बिरला	184.15	31.5
2. टाटा	111.31	19.7
3. रिलायंस	96.25	40.2
4. जे० के० सिंघानिया	77.63	40.4
5. थापर	47.47	40.1
6. मफतलाल	29.26	28.9
7. बजाज	20.02	35.7
8. मोदी	85.18	33.0
9. एल० एण्ड टी०	7.92	9.0
10. एम० ए० चिदाम्बरम्	35.04	28.3

(ग) दिनांक 31-3-91 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय आवधिक ऋण दात्री वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में आवधिक ऋणों की शेष कुल बकाया राशि विवरण निम्नानुसार है—

(करोड़ रुपए)

ग्रुप	आई० डी० बी० आई०	आई० एफ० सी० आई०	आई० सी० आई० सी० आई०	कुल
1	2	3	4	5
1. बिरला	626.10	152.82	287.60	1066.52
2. टाटा	126.48	31.26	53.88	221.62
3. रिलायंस	251.07	178.33	102 78	532.18

1	2	3	4	5
4. जे० के० सिंघानिया	82.41	87.47	99.01	268.89
5. थापर	85.88	72.99	123.12	281.98
6. मफतलाल	82.85	15.65	58.82	155.52
7. बजाज	33.78	10.56	17.30	61.64
8. मोदी	91.73	58.49	41.13	191.35
9. एल० एंड टी०	4.86	5.10	16.62	26.58
10. एम० ए० चिदाम्बरम	99.80	23.53	28.88	152.21
जोड़ :	1484.96	636.20	827.13	2948.29

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में इस प्रकार के आंकड़े अब तक संकलित नहीं किए हैं। फिर भी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन पार्टियों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों में विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं शामिल हैं, जैसे—मांग ऋण, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, पैकिंग ऋण, देशीय और विदेशी बिलों की खरीद और बट्टा, तीन वर्ष की अवधि के बाद वापस किए जाने वाले मध्यम और दीर्घावधि के उधार और बिक्री का आस्थगित अवधि के आधार पर वित्तपोषण।

(घ) दिनांक 31-3-91 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्षस्थ 10 व्यापारिक घरानों को अखिल भारतीय आवधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित आवधिक ऋण की कुल राशि नीचे दी गई है—

(करोड़ रुपए)

ग्रुप	आई० डी० बी० आई०	आई० एफ० सी० आई०	आई० सी० आई० सी० आई०	योग
1. बिरला	670.90	135.69	232.88	1039.47
2. टाटा	133.03	51.80	32.80	217.63
3. रिलायंस	134.63	158.19	92.63	385.45
4. जे० के० सिंघानिया	87.65	68.29	81.29	237.23
5. थापर	101.70	49.65	90.40	241.75
6. मफतलाल	82.22	22.48	37.46	142.16
7. बजाज	27.04	8.44	8.88	44.36
8. मोदी	57.10	35.88	20.00	112.98
9. एल० एंड टी०	9.86	2.00	5.92	17.78
10. एम० ए० चिदाम्बरम्	182.48	20.80	24.04	227.32
	1486.61	553.22	626,30	2666.13

(ङ) से (भ) उक्त 10 व्यापारिक घरानों से संबंधित कुछ कम्पनियों ने वित्तीय संस्थानों द्वारा उनको दिए गए अग्रिम/ऋण की वापसी अदायगी में चूक की है। संस्थाओं ने उधारकर्ता कम्पनी के साथ हस्ताक्षरित ऋण करार के प्रावधानों के अनुसार ऐसी चूककर्ता कम्पनियों पर उचित दंड लगाया है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अलग-अलग घटकों से सम्बन्धित सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से सहायता

[हिन्दी]

*27 **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में जिलेवार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) आठवीं योजना में इन राज्यों में जिलेवार ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विशेष कृषि परियोजना (एस० पी० ए०) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का एक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण क्षेत्रों में पम्प-सैटों को बिजली प्रदान करने के लिए परेषण लाइनें खींचने और अन्य आधारभूत ढांचे सम्बन्धी समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, वाणिज्यिक बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर इस कार्यक्रम का वित्त पोषण किया जाता है। सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान नाबार्ड द्वारा इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में आबंटित रकम और उसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है—

(लाख रुपए)

राज्य	आबंटन	उपलब्धि
उत्तर प्रदेश	2115	1780
बिहार	341	141

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने आठवीं योजना अवधि के लिए विभिन्न राज्यों के लिये आबंटन का निर्धारण नहीं किया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

[अनुवाद]

*31. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अनिवासी भारतीय फर्मों का ब्यौरा क्या है, जो सरकार के आह्वान पर पूंजी निवेश के लिए आगे आई हैं और उन्हें दी गई सभी रियायतों का लाभ उठा रही हैं;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस-किस राज्य में स्थापित करने का विचार है;

(ग) उनमें से कितने प्रस्ताव रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए हैं और कितने निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना के सम्बन्ध में हैं; और

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए उन्होंने कुल कितनी धनराशि खर्च करने का वचन दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने 28 अक्तूबर, 1991 में एक नई अप्रवासी भारतीय निवेश नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अप्रवासी भारतीयों और समुद्रपारीय निगमित निकायों को 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में जो विदेशी निवेश के लिए पात्र हैं, पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश करने के लिए स्वत: स्वीकृति देगा।

(ii) अप्रवासी भारतीय और समुद्रपारीय निगमित निकाय उन उद्योगों में भी पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों सहित 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश कर सकते हैं जिनके लिए आवश्यक लाइसेंस की जरूरत हो और साथ ही लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को छोड़ कर अन्य उद्योगों में भी उक्त निवेश कर सकते हैं।

(iii) विदेशी प्रौद्योगिकी करारों और लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में घोषित नयी नीति अप्रवासी भारतीयों के निवेश के मामले में भी लागू होगी।

यह नीति हाल ही में घोषित की गयी है और प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा निवेश की योजना के अन्तर्गत रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए अन्तिम स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति कुल 951.97 लाख रुपए की 12 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में है। इसके अलावा, सिद्धांत रुप में 474 लाख रुपए की चार रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मूल्यों में वृद्धि

*32. **डा० एस० पी० यादव :**
श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट पेश किए जाने के पश्चात् खाद्य एवं गैर-खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई तथा मुद्रास्फीति की दर में अब तक कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) मूल्य-वृद्धि को रोकने एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस वर्ष बजट के बाद की अवधि के दौरान अर्थात् 20 जुलाई और 2 नवम्बर, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) के बीच वस्तुओं के "खाद्य" और "खाद्य-भिन्न" उपसमूह के थोक मूल्य सूचकांक में क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई और सकल थोक मूल्य सूचकांक में इस अवधि में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं : (i) विगत में भारी और निरन्तर राजकोषीय घाटा जो अनिवार्यतः बजट घाटे के मुद्रीकरण से जुड़ा है और भारी संचयी नकदी बाहुल्य, (ii) राजकोषीय समायोजन के एक हिस्से के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और चीनी की प्रशासित कीमतों में अपरिहार्य वृद्धि, (iii) भुगतान संतुलन की नाजुक स्थिति के परिणामस्वरूप आयातों के माध्यम से पूर्ति प्रबन्ध पर कठोर नियंत्रण, (iv) पिछले वर्ष के अन्त मे अर्थव्यवस्था में बनी मुद्रास्फीतिकारी संभावनाएं, और (v) अगस्त, 1991 के अन्त तक असमान मानसून होना।

(ग) सरकार ने बृहत आर्थिक स्थिरता और संरचनात्मक सुधारों के सम्बन्ध में अनेक उपाय किए हैं जिनका कुछ समय बाद कीमतों के स्तर पर भारी विस्फीतिकारी प्रभाव पड़ेगा। इन उपायों में (i) राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक आयोजनाबद्ध कमी लाना, जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.4 प्रतिशत से 1991-92 में 6.5 प्रतिशत होगा, (ii) प्रभावी मांग को कम करने के लिए मुद्रा पूर्ति के विस्तार को नियंत्रित करना, और (iii) आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक प्रभावी तरीके से प्रबन्ध करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाना, अधिक उत्पादन और बचतों को प्रोत्साहन देना तथा जमाखोरो और मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल है।

(घ) इन उपायों के फलस्वरूप मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो बिन्दु प्रति बिंदु आधार पर 24 अगस्त, 1991 को 16.69 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई थी, उसके बाद उसमें गिरावट की कुछ प्रवृत्ति दिखाई दी है और 2 नवम्बर, 1991 को वह 13.42 प्रतिशत पर थी।

पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा में बैंकों की शाखाओं को जलाया जाना

*33. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री साईमन मरांडी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने हाल ही में पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखाओं में आग लगा दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा आग से नष्ट हुई बैंक शाखा में से प्रत्येक शाखा को कितनी-कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब में 20/21 अक्तूबर, 1991 की रात को आतंकवादियों द्वारा 31 बैंक शाखाओं को आग लगाई गई थी। आतंकवादियों द्वारा पंजाब में 26 अक्तूबर, 1991 को एक शाखा, 10/11 नवम्बर, 1991 की रात में दो शाखाओं तथा 12/13 नवम्बर, 1991 की रात को एक शाखा को आग लगाई गई। इस अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा में ऐसी किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अनुमानित हानि की जिला-वार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) भारत सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है तथा राज्य सरकार ने बैंकों के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था को बढ़ाया है।

विवरण

अक्तूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान पंजाब में जलाई गई बैंक शाखाओं का जिला-वार विवरण तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त अनुमानित हानि का विवरण
जिला लुधियाना

बैंक का नाम	गांव/शाखा	नकदी की हानि
1	2	3
1. यूको बैंक	रोमी	55000/-
2. पंजाब एंड सिंध बैंक	लक्कर	10000/-
3. पंजाब नेशनल बैंक	माल्मण	35000/-
4. सहकारी बैंक	कमालपुर	50000/-

1	2	3
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	सीमा	50000/-
6. सहकारी बैंक	लोधिवाल	25000/ओ०बी०वी० एल-2 कोरटेज-5
7. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	लोबीवाल	—
8. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	कालेज सिधवाल	55000/-
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	नाथोवाल	60000/-
10. यूको बैंक	भुरका	55000/-
11. इंडियन ओवरसीज बैंक	थियुरके	3 लाख
12. पंजाब नेशनल बैंक	बंडरान	3 लाख
13. यूको बैंक	लमतोन	7 लाख
14. यूको बैंक	सुरजापुर	85000/-
	जिला संगरूर	
1. मालवा ग्रामीण बैंक	करोर	
2. मालवा ग्रामीण बैंक	महल कलां	
3. स्टेट बैंक आफ पटियाला	जलालवेवाला	
4. सहकारी बैंक	कुतबा	
5. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	वेहला	
6. केंद्रीय सहकारी बैंक	पंज ग्रेयअन	
7. भारतीय स्टेट बैंक	पंज ग्रेयअन	
8. सहकारी बैंक	बारी	
9. भारतीय स्टेट बैंक	चीमा	
10. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	भोतना	
11. मालवा ग्रामीण बैंक	थोलेवाल	
12. सहकारी बैंक	थोलेवाल	
13. पंजाब नेशनल बैंक	मोर नाभा	
	जिला फरीदकोट	
1. भारतीय स्टेट बैंक	सूधा नन्द	
2. केनरा बैंक	मरी मुस्तफा	

1	2	3
3. पंजाब नेशनल बैंक	बेरोक	
4. केनरा बैंक	रोडे	
	जिला जालंधर	
1. भारतीय स्टेट बैंक	कल्याणपुर	
	जिला अमृतसर	
1. पंजाब नेशनल बैंक	चेतनपुरा	
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	चोगावान	
3. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	खेला कलां	

रबड़ का उत्पादन, खपत और निर्यात

*35. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू मांग की पूर्ति के लिए रबड़ का पर्याप्त भंडार विद्यमान है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का कितना उत्पादन और खपत होने का अनुमान है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ का वर्तमान मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का रबड़ के निर्यात की अनुमति देने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का अनुमानित उत्पादन तथा खपत क्रमशः 3,65,000 और 3,80,000 मीट्रिक टन है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (मलयेशिया) में प्राकृतिक रबड़ के आर० एस० एस-3 का वर्तमान मूल्य लगभग 792 अमरीकी डालर है।

(घ) तथा (ङ) भारत अब तक प्राकृतिक रबड़ का वास्तविक आयातक रहा है। केवल चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मांग-सप्लाई अन्तराल को पूरा करने के लिए रबड़ आयात करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसलिए प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के सम्बन्ध में इतनी जल्दी कुछ कहना संभव नहीं है।

डाकघरों में सावधि जमा राशि पर ब्याज

*36. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों तथा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज की दरें भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सावधि जमा राशियों पर समान दर से ब्याज देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) डाकघरों और बैंकों की योजनाएं पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं और ब्याज दरों में पूर्ण एकरूपता बरतना संभव नहीं है। तथापि, डाकघरों में सावधि जमा पर ब्याज दरों की समीक्षा करते समय बैंक-जमा राशियों पर ब्याज-दरों में वृद्धि ध्यान में रखी जाती है।

सरकारी व्यय

[हिन्दी]

*37. **श्री पंकज चौधरी** :

श्री कादम्बूर एम० आर० जर्नादनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देशों के जारी होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) व्यय में अब तक की गई कटौती का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयास के परिणाम सन्तोषजनक निकले हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) :(क) जी, हां। सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ख) से (च) इन अनुदेशों को मद्देनजर रखते हुए चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार किए जा रहे हैं तथा उन्हें 1992-93 के लिए बजट अनुमानों के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई तथा आगरा-इन्दौर-नासिक-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्गों को "नेशनल एक्सप्रेस वे सिस्टम" में शामिल करना

*38. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग तथा आगरा-इन्दौर-नासिक-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को "नेशनल एक्सप्रेस वे सिस्टम" में शामिल करने का है;

(ख) क्या प्रस्तावित "एक्सप्रेस वे सिस्टम" में दिल्ली-जयपुर खंड को प्रथम प्राथमिकता तथा जयपुर-अजमेर खंड को दूसरी प्राथमिकता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या जयपुर-अजमेर खंड पर भारी यातायात को देखते हुए सरकार इसे प्रथम प्राथमिकता देने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मुक्त पत्तनों के सम्बन्ध में सलाहकार समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

*39. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता और व्यावहार्यता की जांच करने के लिए गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

रोजगार बढ़ाने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाने पर नई नीति के अन्तर्गत नये निवेशों का प्रभाव

*40. **श्री आर्थर फर्नाण्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाने

के लिए नीति के अन्तर्गत पूंजी-निवेश से अधिक पूंजी लगेगी और रोजगार के कम अवसर पैदा होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्रों में हाल ही में किए गए संरचनात्मक सुधारों से कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी और विकास प्रक्रिया को गति प्राप्त होने और उच्च प्रौद्योगिक तथा समग्र विकास को एक सुदृढ़ आधार मिलने की आशा की जाती है। अधिक निवेशों, औद्योगिक आधार के विस्तार, बेहतर क्षमता उपयोग, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्पाद की उच्च वृद्धि दर के कारण रोजगार में अधिक वृद्धि होने की संभावना है। नई औद्योगिक नीति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि सरकार श्रमिकों के हितों को पूर्ण संरक्षण देगी, उनके कल्याण को बढ़ावा देगी और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की अपरिहार्यता सहित उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लघु, बहुत छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए भी एक नई लघु-क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा की है, जिसमें रोजगार-सृजन की अभिज्ञात संभावनाएं हैं।

इंदिरा विकास पत्रों के लिए पुर्नानिवेश योजना

203. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने इंदिरा विकास पत्रों पर देय राशि की निर्धारित अवधि 19 नवम्बर, 1991 को पूरी हो रही है और यह राशि कुल कितनी होगी;

(ख) क्या सरकार ने इन इंदिरा विकास पत्रों के लिए कोई पुर्नानिवेश योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) लेखाकरण की मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत लेखे संकलित करने और उन्हें तैयार करने का कार्य मासिक आधार पर किया जाता है, न कि दिनांदिन आधार पर।

(ख) और (ग) इन्दिरा विकास पत्र समेत सभी बचत पत्र पूरे वर्ष आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहते हैं, जिनमें परिपक्व प्राप्ति राशियां पुनः निवेशित की जा सकती हैं।

अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए विदेशों से सहायता

204. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय जलमार्ग प्रणाली के विकास हेतु विदेशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता की कोई पेशकश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय ली जा रही विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी सहायता से अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी हां। राजाबागान डाकयार्ड के आधुनिकीकरण के लिए नीदरलैंड सरकार द्वारा 30.2 मिलियन गिल्डर्स (वित्तीय) और 9.8 मिलियन डच गिल्डर्स (तकनीकी) की सहायता की पेशकश की गई है। नीदरलैंड सरकार द्वारा अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए भी कुछ प्रस्ताव किए गए हैं। राजाबागान डाकयार्ड के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता का उपयोग शुरू नहीं किया गया है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा ऐसी कोई योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

सूती वस्त्र के पोत लदान के सी० सी० एस० दावे

205. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने सूती वस्त्र के पोत लदान सम्बन्धी सी० सी० एस० दावों के जमा होने पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इन दावों के भुगतान के लिए सरकार धनराशि क्यों नहीं दे रही है; और

(ग) इन दावों के भुगतान के लिए सरकार कब तक धनराशि प्रदान करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभाकर) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सूती कपड़ों सहित सभी प्रकार की वस्तुओं/उत्पादों के भुगतान इसलिए बकाया हैं क्योंकि पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हैं। जैसे ही आवश्यक निधियां उपलब्ध हो जाएंगी उन्हें सी० सी० एस० दावेदारों को वितरण के लिए विभिन्न लाइसेंसिंग कार्यालयों को रिलीज कर दिया जाएगा।

मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

[हिन्दी]

206. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** 26 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज मुजफ्फरपुर-खगरिया-फारबिसगंज के बीच क्रमशः कितनी दूरी है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को सम्मिलित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) स्थिति निम्न प्रकार है :—

(I) मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज	—	250 कि० मी०
(II) मुजफ्फरपुर-खगरिया-फारबिसगंज	—	370 कि० मी०

(ख) बिहार राज्य की सड़कों सहित विभिन्न राज्यों में नये राष्ट्रीय राजमार्गों का घोषणा के बारे में कोई निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा जो निधियों की उपलब्धता तथा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अन्य मानदण्डों के अध्यधीन होगा। इसलिए इस समय कोई स्थिति बताना संभव नहीं है।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

[अनुवाद]

207. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा किए गए वित्तीय उपायों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति तथा ऋण विश्वसनीयता में कितना सुधार हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति को उसी स्तर पर बहाल किया जा रहा है जिस स्तर पर वह दो वर्ष पहले थी तथा एक ऋण निर्धारण एजेन्सी ने अक्तूबर, 1991 में ऋण पर नियंत्रण हटा दिया है।

कर्नाटक के लिए जनता कपड़े के लक्ष्य का नियतन

208. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के लिए जनता कपड़े के लक्ष्य का नियतन राज्यों में हथकरघों की संख्या और जनता कपड़े के उत्पादन में उनके विगत कार्यान्वित के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कर्नाटक का कार्य-निष्पादन क्या रहा;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कर्नाटक के लिए जनता कपड़े का कितना लक्ष्य नियत किया गया और वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को जनता कपड़ा आसानी से उपलब्ध हो सके?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राज्यों के लिए जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :—

(1) उत्पादन क्षमता, (2) उत्पादन में विगत कार्य निष्पादन, (3) जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जनता कपड़े के उपभोग का अधिकारी होना, (4) देश में निर्धारित कुल जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य जो इस योजना के अन्तर्गत वर्ष में जारी की जाने वाली राजसहायता की राशि पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) कर्नाटक में गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य और किए गए उत्पादन का ब्योरा इस प्रकार है :—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	किया गया उत्पादन
1988-89	37.38	33.18
1989-90	40.18	35.29
1990-91	40.00	40.25
1992-92	33.00	—

(घ) कर्नाटक में उत्पादित जनता कपड़ा राज्य में लोक वितरण प्रणाली और जिला प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा चयन किए गए उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा लक्षित उपभोक्ता को वितरित किया जाता है। उपभोक्ता अभिकरणों को अपने उत्पादन का सामान्यतया अधिकतम 15%, तक अपने विक्रय केन्द्रों द्वारा विक्रय करने की अनुमति होती है। इस योजना में बल दिया गया है कि कम से कम 75% जनता कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समुदाय को भूमि सम्पत्ति और उनकी आय के आधार पर विक्रय किया जाये। कर्नाटक हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता मे गठित राज्य स्तर की समिति राज्य मे इस योजना के अन्तर्गत लोक वितरण प्रणाली के कार्य व वितरण व्यवस्था की देखरेख करती है।

स्वीकृति के लिए लम्बित बिहार की परियोजनाएं/योजनाएं

209. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित बिहार सरकार द्वारा पेश की गई परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उनकी स्वीकृति की निर्धारित तिथि क्या है; और

(घ) क्या इन्हें वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय वार्षिक योजना 1992-93 से सम्बन्धित राष्ट्रीय राजमार्ग की स्कीमों से है। बिहार सरकार से इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) से (घ) आठवीं योजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना को अभी कोई निश्चित रूप नहीं दिया गया है। अत: अभी यह कहना समयपूर्व है कि इन प्रस्तावों को कब स्वीकृति दी जाएगी।

विवरण

बिहार सरकार की वार्षिक योजना 1992-93 में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों (सड़क) की सूची

क्र०सं०	रा० रा० नं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि० मी०)	अनुमानित टिप्पणी लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
		(क) अधिक ट्रैफिक वाला ग्रुप		
		(क) निम्नलिखित में मौजूदा 2 लेन वाली पेवमेंट को सुदृढ़ करना		
1.	2	257 से 269 और 293 कि० मी०	14	2.80
2.	2	369 से 377 और 387 से 393 कि० मी०	16	3.00
3.	31	322.5 से 335 कि० मी०	13.5	3.00
4.	31	429 से 437 कि० मी०	9	1.80
		(ख) मध्यम ट्रैफिक वाला ग्रुप		
		(क) निम्नलिखित में कमजोर 2 लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना		
5.	33	84 से 95 कि० मी०	12	2.00
6.	33	271 से 280 कि० मी०	10	1.80
7.	28	374 से 383 कि० मी०	10	2.00
8.	28	527 से 536 कि० मी०	10	2.00
9.	30	122-144, 151-153 कि० मी०	26	3.00
10.	32	135 से 142 कि० मी०	8	1.60
		(ग) कम ट्रैफिक वाला ग्रुप		
		(क) निम्नलिखित में चौड़ा करने तथा सुदृढ़ करने के कार्य		
11.	23	34.8 से 41.8 कि० मी०	7	2.50
12.	23	41.80 से 51.80 कि० मी०	10	3.60

1	2	3	4	5
		(चास-रामगढ़ खंड)		
13.	23	51.80 से 60.00 कि० मी० (चास-रामगढ़ खंड)	8.2	3.00
14.	2	सासाराम बाजार को 4 लेन का बनाना	4	1.90
15.	31	पसरा जोन में 298 से 312 कि० मी० तक के चुनिदा खंडों में सुधारात्मक उपाय	1	1.00
16.	रा० रा०	विविध कार्य-राईडिंग क्वालिटि —हैंड सोल्डर —भूमि अधिग्रहण —बचाव कार्य —सर्वेक्षण जांच —अन्य विविध कार्य		5.00
		(चालीस करोड़ रु० मात्र)		40.00

पुल-कार्यों के प्रस्ताव
1992-93 की संस्वीकृति का वार्षिक कार्यक्रम

क्र० सं०	रा० रा० सं०	पुल कार्य का नाम/स्थान	लम्बाई (मीटर)	अनुमानित लागत टिप्पणी (लाख रु०)
1	2	3	4	5
(क)		वर्ग III : बड़े पुल		
1.	23	29 कि० मी० पर पुल तथा सम्पर्क मार्ग	64	130.00
2.	23	77 कि० मी० पर पुल तथा सम्पर्क मार्ग	100	250.00
3.	23	162 कि० मी० पर पुल तथा सम्पर्क मार्ग	75	150.00
			योग "क"	530.00
(ख)		वर्ग IV : छोटे पुल		
4.	23	113 कि० मी० पर पुल	40	80.00
5.	33	112 कि० मी० पर पुल	30	60.00

1	2	3	4	5
6.	33	119 कि० मी० पर पुल	40	80.00
			योग "ख"	220.00
(ग)		वर्ग VII		
		विविध: सर्वेक्षण और जांच/ परियोजना तैयार करना		30.00
(घ)		आर० ओ० बी०/आर० यू० बी०		
7.	30	197 कि० मी० पर दिदारगंज में आर० ओ० बी०		400.00
8.	31	172 कि० मी० पर किशनगंज में आर० ओ० बी०		350.00
9.	32	47/1 मील पर आर० ओ० बी०		300.00
10.	2	इसरी पर आर० ओ० बी०		400.00
				1450.00

कुल योग क+ख+ग+घ=2230 लाख

बैंक खातों का अन्तिम भुगतान करने की प्रक्रिया में परिवर्तन

210. **श्री के० बी० तंगाबालू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक के खातों का अन्तिम भुगतान करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 18 जनवरी, 1991 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें प्रकाशन की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के पश्चात् वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे के फार्मेटों मे संशोधन के अपने इरादे के बारे में बताया गया है। प्रस्तावित फार्मेटों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशेषतायें होंगी :

(1) वे आय और व्यय दोनों की और अधिक विस्तृत तस्वीर पेश करेंगे;

(2) वे परिसम्पत्तियों और देनदारियों के साथ-साथ आय और व्यय की विभिन्न मदों के वर्गीकरण में समानता सुनिश्चित करेंगे; और

(3) आसानी से समझने की सुविधा के लिए उनमें लेखा नीतियों पर विवरण शामिल होंगे।

अधिसूचना के प्रत्युत्तर में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया) सहित इच्छुक क्षेत्रों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावित नए फार्मेटों को 31 मार्च, 1992 को समाप्त चालू लेखा वर्ष लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

बिहार में हथकरघा क्षेत्र के लिए धनराशि का नियतन

[हिन्दी]

211. **श्री रामशरण यादव** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान बिहार में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों/योजनाओं के आधार पर हथकरघा क्षेत्र को राशि राज्यवार आवंटित नहीं की जाती अपितु धनराशि योजनावार आवंटित की जाती हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार राज्य को 542.45 लाख रुपये की राशि जारी की गई। 1991-92 के दौरान अब तक बिहार राज्य को 158.18 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

आई० एन० एस० अण्डमान गश्ती जलपोत का डूबना

[अनुवाद]

212. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1991 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "आई० एम० एस० अण्डमान डिजास्टर हू इज टु ब्लेम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 21 अगस्त, 1990 को गश्ती जलपोत "आई० एन० एस० अण्डमान" के डूबने की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इस दुर्घटना की समग्र रूप से जिम्मेदारी निश्चित कर दी गई है; और

(घ) पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या निवारक कदम उठाए जायेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जांच बोर्ड निष्कर्षों/सिफारिशों के आधार पर नौसेना पोत के डूबने की घटना के लिए प्रथम दृष्टि में दोषी पाए गए अधिकारियों/नौसैनिकों के विरुद्ध सरकार ने कोर्ट मार्शल कार्रवाई/अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीय नौसेना के पोतों की मरम्मत/रखरखाव के मौजूदा प्रबन्धों, विशेषकर संभारिकी सहायता/मरम्मत संबंधी व्यवस्था और गुणता आश्वासन/प्रमाणीकरण कार्यविधियों की पर्याप्तता तथा उनके कार्यों की पुनरीक्षा करने के भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। नौसेना पोत कर्मचारियों को पोत को

होने वाली किसी प्रकार की क्षति पर काबू पाने और पोत में सवार व्यक्तियों का जीवन बचाने के कार्यों का अधिक प्रशिक्षण देने तथा इन कार्यों की उन्हें अद्यतन जानकारी देने के साथ-साथ उनके व्यावसायिक ज्ञान तथा व्यावसायिक क्षमता की समीक्षा करने पर भी अधिक बल दिया जाता है।

निजामुद्दीन सड़क पुल को मजबूत तथा चौड़ा करने के लिए धनराशि

213 **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी दिल्ली में निजामुद्दीन सड़क पुल को चौड़ा करने तथा इसे मजबूत करने हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) क्या इस पुल की बिगड़ती स्थिति और अत्यधिक भारी यातायात को ध्यान में रख कर इस पुल पर ट्रकों के चलने पर पूर्णतया रोक लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। सरकार ने पुल को मजबूत बनाने के लिए निधियां संस्वीकृत की हैं।

(ख) दिसम्बर, 1991 के अंत तक काम शुरू हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वाहनों के सामान्य यातायात के लिए पुल की हालत सुरक्षित है। तथापि, बढ़े हुए यातायात को देखते हुए पुल पर भार और गति से सम्बन्धित कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

निजामुद्दीन पुल से आगे दिल्ली-नोएडा सम्पर्क सड़क को चौड़ा किया जाना

214. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन पुल से आगे दिल्ली-नोएडा सम्पर्क सड़क को चौड़ा करने की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब से शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या समाचार पुल पर स्थित सड़क जंक्शन की मरम्मत के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संवैधानिक रूप से यह मन्त्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों/पुलों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होता है। प्रश्नगत परियोजना पर दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उससे प्राप्त

सूचना के अनुसार इस कार्य के लिए अनुमान पर स्थाई वित्त समिति में विचार किया गया है किंतु औपचारिक स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है। इसे देखते हुए इस कार्य के शुरू होने की निश्चित तारीख के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।

(ग) और (घ) जी हां। पुल तथा पुल के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है। तथापि, इस अभ्यावेदन के प्राप्त होने के बाद दिल्ली प्रशासन ने इस पुल के प्रयोक्ताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नौएडा लिंक रोड के मध्य सिरे पर गेप दे दिया है।

आई० टी० ओ०, निजामुद्दीन और वजीराबाद पुलों का रख-रखाव और मरम्मत

215. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० ओ०, निजामुद्दीन तथा वजीराबाद के पुल तेजी से जीर्णशीर्ण होते जा रहे हैं जिससे इनके शीघ्र मरम्मत की आवश्यकता है और जबकि नये पुलों के प्रस्तावों पर कोई अमल नजर नहीं आता है; और

(ख) यदि हां, तो पुराने पुलों की समय पर मरम्मत न करने तथा यमुना-पार की इन कालोनियों जहां दिल्ली की एक तिहाई जनता रहती है, के लिए यातायात सुचारू रूप से चलाने हेतु यमुना के ऊपर और अधिक पुलों का निर्माण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : संवैधानिक रूप से यह मन्त्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। अन्य "राज्य सड़कों" के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होता है केवल निजामुद्दीन के समीप यमुना पर बना पुल ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है जबकि आई० टी० ओ० और वजीराबाद के समीप यमुना पर बने पुल अन्य सड़कों पर पड़ते हैं अतः उनके लिए दिल्ली प्रशासन जिम्मेदार है।

(क) और (ख) वर्तमान आई० टी० ओ० पुल को किसी तात्कालिक मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वजीराबाद तथा निजामुद्दीन पुलों को मरम्मत की जरूरत है और यह मरम्मत की जा रही है।

यमुनापार कालोनियों के लिए यातायात सुविधाओं में वृद्धि हेतु आई० टी० ओ० के समीप चार लेन वाले एक अतिरिक्त पुल के निर्माण के लिए अनुमान पहले ही तैयार कर लिया गया है और इसे स्वीकृति प्रदान करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली प्रशासन का, मौजूदा वजीराबाद और निजामुद्दीन पुलों के समीप दो और पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

म्युचुअल फंड

216. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान कौन-कौन से म्युचुअल फंड शुरू किए गए ;

(ख) इनमें से प्रत्येक म्युचुअल फंड की शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन म्युचुअल फंडों में से प्रत्येक के अन्तर्गत निवेशकों को यदि कोई कर लाभ दिया गया है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले दो महीनों के दौरान कोई नई पारस्परिक निधि शुरू नहीं की गई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पेरिस में भारत सहायता कोष की बैठक

217. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता कोष की पेरिस में हुई बैठक के दौरान विश्व बैंक ने उदार शर्तों के विरुद्ध कोई सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बैठक में लिया गया अंतिम निर्णय क्या था; और

(घ) ये निर्णय भारत के लिए किस सीमा तक लाभदायी होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) इस बैठक में विश्व बैंक ने कहा था कि उचित रूप से समायोजन के लिए अस्थायी लागत को बांटने की बाबत गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये सभी उद्देश्य को प्राथमिकताओं का निर्धारण कर और सख्त निर्णयों के माध्यम से ही संतोषजनक ढंग से प्राप्त किए जा सकते है।

(ग) 19-20 सितम्बर, 1991 में पेरिस में हुई "भारत सहायता कोष" की बैठक में कोष के सदस्यों ने 6.7 अरब अमेरिकी डालर की सहायता करने का वचन दिया।

(घ) कोष की बैठक में निष्कर्षों से भारत की अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। वित्तपोषण सम्बन्धी तैयार की गई अपेक्षाएं, विशेष रूप से भुगतान संतुलनों में असामान्य अन्तर को पूरा करने के लिए अपेक्षाओं को "भारत सहायता कोष" की बैठक में दिए गए वचनों से पूरा किया जा सकेगा।

एम्बेसेडर कारें खरीदने के लिए जमा कराई जाने वाली अग्रिम धनराशि

218. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्बेसेडर कारों के कुछ डीलरों द्वारा ग्राहकों के कार खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि जमा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे डीलरों के विरुद्ध एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को ऐसे कितने मामले मिले हैं तथा उसने क्या कारवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड और उसके डीलरों के विरुद्ध कारों को बेचने के लिए अग्रिम राशि स्वीकार करके और इसके पश्चात इसके वितरण की शर्तों में हेर-फेर करके एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 2(ण) के अर्थ में आरोपित अवरोधक व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने के लिए 3 जांचें संस्थित की थीं। दो मामलों में जांच के नोटिस को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसमर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। तीसरे मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स जिओ मोटर्स, कोचीन के विक्रेता के विरुद्ध दिनांक 20-9-91 को यह निर्देश देते हुए "प्रविरत और प्रतिविरत" आदेश पारित किया है कि वह अवरोधक व्यापार प्रथा को बन्द कर दें और इसकी पुनरावृत्ति न करें।

गुजरात में आयकर वसूली

219. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले तथा अन्य भागों में अनेक कम्पनियों, फर्मों, व्यापारियों और उद्योगपतियों तथा कुछ व्यक्तियों पर लाखों रुपये का आयकर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों, व्यक्तियों तथा अन्यों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इन बकाया राशियों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में कंपनियों, फर्मों, व्यष्टियों आदि के 3161 मामले थे, जिनमें प्रत्येक में एक लाख रु० से अधिक की आयकर की राशि बकाया थी। इन मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

	संख्या	दिनांक 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया राशि (करोड़ रु० में)
(i) कंपनियां	618	107.3
(ii) व्यष्टि तथा अन्य गैर-कंपनी कर-निर्धारिती	2543	275.9
योग :	3161	383.2

इन मामलों की एक बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यष्टि के मामले में बकाया मांग को बता पाना व्यावहारिक नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले में जानकारी चाहते हों तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ग) कर-बकाया की वसूली के निमित्त आयकर अधिनियम के अधीन अनुमत्य कार्यवाही के अलावा कर-बकाया को कम करने के लिए निरन्तर प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं। विधायी कार्यवाहियों में ये शामिल हैं :—अदायगी नहीं करने पर दण्ड लगाना, बैंक खातों/ऋणों आदि को कुर्क करने के लिए गार्निशी आदेश जारी करना, परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री के तहत वसूली करने के प्रयोजनार्थ वसूली अधिकारियों द्वारा वसूली-विवरण तैयार किया जाना, चूककर्ता की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए प्रापक की नियुक्ति करना, चूककर्ताओं को हिरासत में लिया जाना आदि। प्रशासनिक तौर पर, बकाया मांग को कम करने के लिए कार्य योजना लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है तथा वसूली में हुई प्रगति पर विविध स्तरों पर निगरानी रखी जाती है। जिन मामलों में बकाया की एक बड़ी राशि अन्तर्ग्रस्त होती है, उन मामलों में कर-निर्धारण अधिकारियों के लिए करों की वसूली में हुई प्रगति को दर्शाने वाली डोजियर रिपोर्टें भेजना जरूरी होता है और इन रिपोर्टों की आयकर आयुक्त तथा उससे ऊपर के स्तर पर समीक्षा की जाती है। चूंकि बकाया राशि का एक बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है इसलिए, अपीलों के शीघ्रातिशीघ्र निपटान हेतु भी उपाय किए जाते हैं।

रुग्ण कपड़ा मिलों को बन्द करना

220. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी औपचारिक स्वीकृति के बिना रुग्ण कपड़ा मिलों को बन्द कर देने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

222. **श्री गोपीनाथ गजपति** :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री शरद दिघे :
कु० उमा भारती :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री के० वी० तंगाबालू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से ऋण मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितना ऋण मिलने की संभावना है;

(ग) ऋण मंजूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने क्या शर्त लगायी हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो कितना ऋण मंजूर किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) इस धन से वित्तीय समस्याओं के समाधान में किस तरह सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए 13660.8 लाख एस० डी० आर० की ऋण राशि स्वीकृति दी है, जिसमें से 7200.8 लाख एस० डी० आर० पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों को प्राप्त करने की शर्तों पर बातचीत हो गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किए जाने वाले उपाय देश के सर्वोत्तम आर्थिक हित में है। विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की शर्तें वे ही हैं जो ऐसे परंपरागत विकास ऋणों के लिए हैं।

(ङ) और (च) जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है. कृपया इस प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देखें।

चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों की राशि 14040 लाख अमेरिकी डालर है।

(छ) इन स्रोतों से ऋण प्राप्त करने से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास, जिसमें अनिवासी भारतीय शामिल हैं, प्राप्त करने और हमारा विकास आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार्य भुगतान संतुलन कायम रखने के लिए आवश्यक पूंजी प्रवाह में वृद्धि करना है।

समुद्री उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा

223. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में हो रहे समुद्री उत्पादों के कुल व्यापार में भारत के व्यापार में अभूतपूर्व गिरावट आ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस शर्त पर विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है कि वे उनके उत्पाद को यहां से खरीदेंगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां। समुद्री उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत के हिस्से में गिरावट आई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार पंचकोणीय कार्यनीति का अनुसरण कर रही है :

(i) मछली पकड़ने की प्रक्रिया को विकसित करके निर्यात उत्पादन को बढ़ाना;

(ii) मत्स्य पालन द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए :

(क) श्रिम्प फार्मों में प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाना;

(ख) मत्स्य पालन द्वारा श्रिम्प के निर्यात उत्पादन के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाना; तथा

(ग) अन्य निर्यात योग्य मदों का मत्स्य पालन उत्पादन बढ़ाना।

(iii) नई प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्धन की शुरूआत करना;

(iv) संसाधन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, गुणवत्ता उन्नयन तथा रद्दी में कमी लाना;

(v) जोरदार बाजार संवर्धन उपाय करना।

मध्य प्रदेश की लम्बित परियोजनाएं/योजनाएं

[हिन्दी]

224. **श्री प्यारे लाल यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित लम्बित परियोजनाओं तथा योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) ये कब से लम्बित पड़ी हैं और प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संभवतः माननीय संसद सदस्य मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित स्कीमों और परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। सड़क कार्यों से सम्बन्धित 9 स्कीमों और पुल कार्यों से संबंधित 3 स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने आठवीं योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत 97.03 करोड़ रुपए की लागत की 87 स्कीमें प्रायोजित की हैं। केन्द्रीय

सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि के अभाव में 215.00 लाख रुपए की लागत की केवल 5 स्कीमों को ही मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें पुरानी दरों के अनुसार 31-3-92 को उपलब्ध फ्री-बैलेन्स को ध्यान में रखा गया है। केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि हो जाने पर अन्य स्कीमों पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक महत्व के कार्यक्रम के अन्तर्गत 980 लाख रुपए की लागत के छह प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं को हाथ में लेने के सम्बन्ध में निर्णय निधियों की उपलब्धता और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	तारीख जबसे लंबित है	कारण
1	2	3	4
	सड़क कार्य		
1.	एन० एच-3 पर इन्दौर बाई पास का निर्माण	25-8-90	ई० एफ० सी० का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। मंत्रिमंडल के निकट नोट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
2.	एन० एच-3 पर देवास-इंदौर खण्ड को चौड़ा करके चार लेन का बनाना	25-8-90	—वही—
3.	ग्वालियर सर्किल में एन० एच-3 पर 61/0 से 62/600 कि० मी० तक उच्च तटबंध में सुधार के लिए तकनीकी प्रस्ताव	29-8-91	तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।
4.	एन० एच-7 पर 520 से 543 कि० मी० के बीच कमजोर दोहरी लेन को मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव	1-10-91	अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
5.	एन० एच-7 पर 170 से 190 कि० मी० पर मौजूदा कमजोर दोहरी लेन वाले खण्ड को मजबूत बनाना	19-11-91	जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है।

1	2	3	4
6.	एन० एच-7 पर 141/6 से 350 कि० मी० और एन० एच-27 46/6 से 98/25 कि० मी० रायपुर डिवीजन में बाउन्ड्री स्टोन सुलभ कराने और उन्हें जमाने के लिए प्राक्कलन	1-11-91	जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है।
7.	एन० एच-7 पर 511 से 652/6 कि० मी० और एन० एच० 26 पर 381/6 से 406/7 कि० मी० एन० एच० डिवीजन सियोनी में बाउन्ड्री स्टोन सुलभ कराने और उन्हें जमाने के लिए प्राक्कलन	1-11-91	जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है।
8.	एन० एच-3 पर 591/6 से 594/10 कि० मी० में पेव्ड सोल्डर्स सुलभ कराने के लिए प्राक्कलन	18-11-91	—वही—
9.	एन० एच-3 के 161/6 कि० मी० (दक्षिणी इन्दौर) में सेंधवा में एकीकृत चेकपोस्ट का निर्माण	21-5-91	जांच की जा रही है।
	पुल कार्य		
1.	एन० एच-3 पर 92/10 और 93/2 कि० मी० में संक पुल (तकनीकी प्रस्ताव)	10-10-91	जांच की जा रही है।
2.	एन० एच-6 पर 318/8 कि० मी० में शिवनाथ पुल साथ में डोंग के समीप बाई पास बनाते हुए पहुंच मार्ग	30-10-91	अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
3.	आठवीं योजना पुल कार्य (11 डिवीजन) के लिए सब-सायल जांच प्राक्कलन	15-10-91	जांच की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अधिकारियों की यात्रा

[अनुवाद]

225. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की टीम भारतीय अर्थव्यवस्था पर चल रही वार्तालाप में भाग लेने हेतु हाल ही में भारत के दौरे पर थी;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक समायोजन और तत्सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर भारत सरकार का प्रेषित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशिष्ट प्रस्ताव क्या हैं;

(ग) इस मसले पर किस स्तर तक सहमति अथवा असहमति हुई है; और

(घ) उक्त वार्तालाप के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी सहायता मांगी गई अथवा प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधन प्राप्त करने से सम्बन्धित शर्तों पर सन्तोषप्रद रूप में समझौता हो गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपाय वही हों जो देश के सर्वोत्तम आर्थिक हित में ठीक समझे जाते हैं।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 20 महीने की अवधि के लिए 165.6 करोड़ एस० डी० आर० की राशि के बराबर खरीद करने के सम्बन्ध में भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इसमें से 8.5 करोड़ एस० डी० आर० की राशि की निकासी 15 नवम्बर, 1991 को कर ली गई थी।

चाय का उत्पादन और निर्यात

226. **श्री मंजय लाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय उद्योग को हो रही विभिन्न कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार ने सर्वाधिक चाय उत्पादक और निर्यातक देश के रूप में देश की छवि बनाने के लिए खामियों का पता लगाने तथा अधिक व्यापक नीति तैयार करने की दृष्टि से वर्तमान नीति की पुनरीक्षा भी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सरकार ने चाय के लिए दीर्घावधि कार्यनीति और योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 1989 में प्रस्तुत की थी और इसने अन्य बातों के साथ-साथ चाय उद्योग की समस्याओं तथा कमियों का भी पता लगाया था। चाय का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात करने वाले देश के रूप में भारत की छवि बनाये रखने के लिए

कार्यान्वित किए जा रहे नीति सम्बन्धी उपायों में गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय की खेती का संवर्धन, पुनर्रोपण, जीर्णोद्धार आदि के माध्यम से उच्च उत्पादकता को प्रोत्साहन, विशेष लोगों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का संवर्धन तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा भारतीय ब्रांडों का संवर्धन है।

विदेश पूंजी निवेश

227. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कम्पनियों को "इंडियन म्युचुअल फंड" में भागीदारी की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का देश में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या अवसर प्रदान करने का विचार है; और

(घ) सरकार को इससे क्या फायदा होने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जब भी इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होते है उन पर उसी समय गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) हाल ही में घोषित नवीन औद्योगिक नीति में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है जिसमें विदेशी इक्विटी 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में लगेगी। विदेशी इक्विटी प्रस्तावों में यह आवश्यक नहीं है कि इन्हें विदेशी प्रौद्योगिक करार के साथ सम्बद्ध किया जाए। प्रधानतया पहले से ही निर्यात गतिविधियों में लगी व्यापारिक कम्पनियों को 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी धारित करने की अनुमति दी गई है।

(घ) आशा है कि उक्त (ग) पर जो उपाय बताए गए हैं, उनसे अच्छे परिणाम निकलेंगे।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम

228. **प्रो० उमा रेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम पिछले कई वर्षों से घाटे पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस शिपयार्ड के पास जलपोतों के निर्माण के लिए पर्याप्त आर्डर नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस शिपयार्ड को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड को होने वाले घाटे के कई कारण हैं। अधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं :—

(क) मूल्य निर्धारण फार्मूले के कारण लागत-मूल्य में भारी अन्तर,

(ख) जहाज निर्माण पूरा होने में अधिक समय लगना,

(ग) लागत-मूल्य में अन्तर इत्यादि को पूरा करने हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज का भारी बोझ,

(घ) कम उत्पादकता।

(ग) जी, हां।

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा अन्य शिपयार्डों के पुनरुद्धार के लिए सरकार अनेक उपायों पर विचार कर रही है। इनमे पूंजीगत पुन: संरचना, विदेशगामी जहाजों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सरकारी सबसिडी में वृद्धि, जहाज के वसूली योग्य मूल्य के 50% तक कर मुक्त आयात, इत्यादि शामिल हैं।

मुरादाबाद से टांडा, बाजपुर, हल्द्वानी तक रक्षा सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

229. **श्री बलराज पासी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद से टांडा, बाजपुर, हल्द्वानी तक रक्षा सड़क के निर्माण पर अभी तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या उक्त सड़क खस्ता हालत में है;

(ग) क्या इस सड़क का निर्माण-कार्य कार्यक्रमानुसार प्रगति कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) मुरादाबाद से टांडा-बाजपुर होकर हल्द्वानी जाने वाली सड़क, रक्षा मन्त्रालय के अधीन नहीं है। इस प्रकार इस सड़क के बारे में रक्षा मन्त्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

पाम ऑयल और रबड़ का आयात

230. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार पाम ऑयल और रबड़ का आयात कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या इन फसलों को उगाने के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) **रबड़** : देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाकर रबड़ के आयात को कम करने के सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं :—

(I) रबड़ उत्पादकों को रबड़ का और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु देश में उत्पादित रबड़ के लिए मूल्य संरक्षण।

(II) भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में रबड़ की खेती और उत्पादन के सभी आधारभूत तथा अनुकूल पहलुओं से सम्बन्धित व्यापक अनुसंधान शुरू करना तथा बोर्ड के विस्तार सेवा तंत्र के माध्यम से रबड़ के उपजकर्त्ताओं को व्यापक पैमाने पर सिद्ध तकनीक का अंतरण करना।

(III) पौध रोपण के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं का कार्यान्वयन; पुराने तथा खर्चीले बागानों का पुनर्रोपण, अधिक उपज देने वाले कल्टीवरों का उपयोग बढ़ाना, विद्यमान बागानों से उपज में सुधार करना तथा रबड़ की गुणवत्ता में सुधार करना।

(IV) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती का विस्तार करने पर बल देना।

भविष्य में रबड़ के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों आदि में लगभग 11,50,000 हैक्टेयर क्षेत्र का अनुमान लगाया गया है।

जहां तक पॉम तेल का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र करके सभापटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात

[अनुवाद]

231. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान भारत का निर्यात 18711 करोड़ रुपए मूल्य का रहा जबकि अप्रैल-सितम्बर, 1990 के दौरान यह 15097 करोड़ रुपए का था, इस प्रकार इसमें रुपये की दृष्टि से 23.9% की वृद्धि हुई।

वर्ष 1991-92 की दूसरी तिमाही में निर्यात वृद्धि में पहली तिमाही की तुलना में रुपए की दृष्टि से कार्य निष्पादन में कुछ सुधार आया है। अप्रैल-जून, 1991 में वर्ष 1990 की उसी अवधि की तुलना में 10.1% की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में जुलाई-सितम्बर, 1991 के दौरान निर्यातों में 37.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

रुपया भुगतान क्षेत्र को होने वाले निर्यात जानबूझकर कम कर दिए गए हैं क्योंकि उन देशों द्वारा भारत को आवश्यक आयातों की पूर्ति करने में कठिनाइयां सामने आ रही थीं। इसके परिणामस्वरूप रुपया भुगतान क्षेत्र को होने वाले निर्यातों में अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान

वर्ष 1990 में उसी अवधि की तुलना में रुपए की दृष्टि से 39% की तथा अमरीकी डालर की दृष्टि से लगभग 5.4% की गिरावट आई है। अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र को होने वाले निर्यातों में रुपए की दृष्टि से 39.4% की तथा निर्यातों में रुपए की दृष्टि से 5.4% की वृद्धि हुई है।

(ख) निर्यातों में कम वृद्धि होने के कारणों में ये शामिल हैं, रुपया भुगतान क्षेत्र में स्थित देशों को होने वाले निर्यातों में गिरावट, विश्वव्यापी उत्पादन एवं निर्यातों में गिरावट, प्रमुख विकसित देशों में मन्दी, हमारे कतिपय कृषिगत उत्पादों की विश्व कीमतों में कमी, भुगतान संतुलन की संकटपूर्ण स्थिति की वजह से लागू किए गए आयात नियन्त्रण जिससे हमारा घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ है, तथा निर्यात ऋण पर ब्याज दरों में तेजी से हुई वृद्धि आदि।

(ग) सरकार ने व्यापार नीति सम्बन्धी अनेक सुधार आरम्भ किए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात दबाव को इष्टतम बनाना है। आर० ई० पी० लाइसेंसों का स्थान एग्जिम स्क्रिप्स नामक एक नए दस्तावेज ने ले लिया है। इनके जरिए कुछ किस्मों के कच्चे माल, संघटक एवं फालतू पुर्जों का आयात किया जा सकता है। निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में एक अग्रिम लाइसेंसिंग की प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है। सरकार ने विनिश्चय किया है कि निर्यातकों को स्वीकृत बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जाए और निर्यातकों को विदेशी ऋण सृजित करने की अनुमति दी जाए। ऐसे खातों से निर्यात से जुड़े आयातों के लिए भुगतान करने तथा निर्यात से होने वाली आय को ऐसे खातों में जमा करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा सरकार ने अन्य उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :—लाइसेंसिंग के जरिए नियन्त्रणों को कम करना, निर्यात के लिए क्रियाविधि को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय करना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय चर्चा, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ परस्पर क्रियाकलाप आदि।

वातानुकूलित होटलों द्वारा व्यय कर की अदायगी

232. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में 1 अक्तूबर, 1991 से पहले आंशिक अथवा पूर्णत: वातानुकूलित कितने होटल थे;

(ख) मुम्बई में 1 अक्तूबर, 1991 से वातानुकूलित होटलों और रेस्टोरेंटों में बेचे जाने वाले पेय पदार्थों और खाद्य पर लगने वाले 15 प्रतिशत व्यय कर से बचने के लिए कितने होटलों ने वातानुकूलन समाप्त कर दिया है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कर से अनुमानत: कितनी राशि एकत्रित होगी; और

(घ) मुम्बई में वातानुकूलित होटलों के बन्द होने के कारण सरकार को अनुमानत: कितना घाटा होगा?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) (ख) और (घ) मन्त्रालय में

इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को व्यय-कर देना है वे इस दायित्व से बच न सकें।

(ग) 150 करोड़ रुपए।

जापान, फ्रांस तथा अमरीका के साथ व्यापार

[हिन्दी]

233. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत द्वारा जापान, फ्रांस तथा अमरीका के साथ किए गए व्यापार के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) व्यापार को बढ़ावा देने तथा दुर्लभ और सुलभ मुद्रा क्षेत्रों में व्यापार असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत का व्यापार निम्नवत रहा :—

(करोड़ रुपया)

देश का नाम	निर्यात		आयात	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
जापान	2726.69	3025.25	2819.70	3245.53
फ्रांस	638.32	765.44	1611.75	1305.02
संयुक्त राज्य अमरीका	4474.38	4795.52	4259.48	5236.98

(ख) द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के लिए व्यापार तथा उद्योग की उदारीकृत नीति के अलावा जो अन्य निर्यात संवर्धन उपाय किए जाते हैं वे हैं व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, मेलों और सरकारी स्तर की वार्ताओं में भाग लेना।

विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन

[अनुवाद]

234. श्री भोरेश्वर सावे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1991 की अपनी आन्तरिक रिपोर्ट में विदेशी बैंकों द्वारा उसके निर्देशों का उल्लंघन करने का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विदेशी बैंकों के कार्यों की जांच करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी बैंकों के कार्यकरण की उनकी समीक्षा से उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने, निर्यात क्षेत्र का कम वित्त पोषण करने और कई विदेशी बैंकों द्वारा रुग्ण एककों का वित्त पोषण जारी रखने के प्रति सामान्य उदासीनता दिखाए जाने का पता चला है। बिल वित्तपोषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन के क्षेत्रों में भी कुछ अनियमिततायें जानकारी में आई थीं। समीक्षा के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1991 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संशोधित और विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किये जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि उक्त मार्गनिर्देशों का किसी प्रकार भी उल्लंघन किए जाने पर उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।

(ख) दो वर्षों के अन्तराल पर विदेशी बैंकों के निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की आन्तरिक (इनबिल्ट) प्रणाली है। बैंकों से कहा जाता है कि वे निरीक्षणों में बताई गई त्रुटियों को सुधार करने या दूर करने के लिए उचित समय के अन्दर-अन्दर उपयुक्त कदम उठाएं। गम्भीर अनियमितताओं पर बैंकों के प्रबंधन के साथ चर्चा भी की जाती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में ये प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों का शहरों की ओर पलायन

235. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री धर्म भिक्षम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई औद्योगिक और वित्तीय नीतियों के कारण देश के हथकरघा बुनकरों और शिल्पकार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं तथा दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक हथकरघा बुनकर और शिल्पकार अपनी आजीविका की खोज में अपने गांव छोड़कर शहर चले गये हैं;

(ग) यदि हां, तो हथकरघा बुनकरों और शिल्पकार विरोधी नीति अपनाये जाने के क्या कारण हैं; जिस कारण उन्हें अपने गांव छोड़कर शहर जाना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार किया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। ग्रामीण उद्योग

जिसमें हथकरघा उद्योग भी है, को सुदृढ़ बनाने और इसके संवर्धन के लिए हाल ही में घोषित नीति का उद्देश्य हथकरघा उद्योग को और ओजस्वी बनाना तथा प्रोत्साहन देना है ताकि यह क्षेत्र रोजगार, निर्यात और विकास के संदर्भ में दी गई राशि का पूरा प्रयोग कर सके।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन और निर्यात

236. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी के उत्पादन में अपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसके निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) चीनी वर्ष 1991 में चीनी का उत्पादन 119.05 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि पिछले चीनी वर्ष में वह 109.89 लाख मीटरी टन था।

(ख) और (ग) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान वाणिज्यिक तथा अधिमानी कोटा निर्यातों के लिए 5.25 लाख मीटरी टन चीनी रिलीज की है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में बंकों की नई शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

237. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नई शाखाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो ये शाखाएं कहां-कहां खोली जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों के ग्रामीण केन्द्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या (30-6-1991 की स्थिति के अनुसार) नीचे दी गई है :—

बैंक का नाम	जिले में शाखाओं की संख्या	
	देवरिया	बलिया
1. भारतीय स्टेट बैंक	10	5
2. इलाहाबाद बैंक	2	3
3. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	41	14
4. पंजाब नेशनल बैंक	17	—
5. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	3	5

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाये गये केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को दी जानी होती है। लीड बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

सरकारी भंडार से बेचे गए सोने की पुन: खरीद

[अनुवाद]

238. **श्री शंकर सिंह बघेला :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मई, 1991 में विदेशी मुद्रा में धन जुटाने के लिए कितनी मात्रा और मूल्य का सोना बेचा जिसे दुबारा वापिस खरीदने का विकल्प भी रखा गया था; और

(ख) सरकार इस सोने को कब तक पुन: खरीद लेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी खाते में रखे, जब्त किए गए 20 मीट्रिक टन सोने को, 16 मई, 1991 को हुए लीज करार के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक को लीज पर दिया है। इसके बाद 18 मई, 1991 के समझौते के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड के साथ पुन: खरीद के विकल्प सहित एक विक्रय सौदा किया। भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को लीज पर दिए गए सोने का कुल मूल्य, जिसका आकलन लन्दन मेटल एक्सचेंज में सोने की 95 प्रतिशत कीमत पर किया गया है, 2004 लाख अमेरिकी डालर बनता है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक पुन: खरीद के विकल्प का प्रयोग आरम्भ करेगा जिसकी किस्त 25 नवम्बर, 1991 को देय होगी।

यमुनापार क्षेत्र के लिए और अधिक बसें

[हिन्दी]

239. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मे दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत इस समय कुल कितनी बसें चल रही हैं और यमुनापार क्षेत्र में चलने वाली बसों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कुल कितनी बसों की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यमुनापार क्षेत्र दैनिक यात्रियों की अत्यधिक भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए वहां और बसें चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-10-91 को दि० प० नि० के तहत चलने वाली बसों की कुल संख्या 4580 थी जिसमें 620 प्राइवेट बसें शामिल हैं। यमुना पार क्षेत्र में चलने वाली बसों की संख्या 1039 थी जिसमें 71 प्राइवेट बसें शामिल हैं।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सड़क परिवहन पर कार्य दल ने दि०प०नि० की बसों और प्राइवेट बसों के लिए वर्ष 1991-92 के लिए बेड़े सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताएं परियोजित की हैं :

दि०प०नि०	प्राइवेट बसें	कुल
6019	2408	8427

(ङ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय दि०प०नि० यमुना पार के क्षेत्र के लिए और अधिक बसें प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने दि० प० नि० के मुकाबले अधिक किराए ढांचे पर प्राइवेट आपरेटरों को और स्पेशल स्टेज कैरिज परमिट देने सम्बन्धी एक स्कीम लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन से सिफारिश की है। प्राइवेट आपरेटरों को और अधिक स्टेज कैरिज परमिट देने के लिए भी दिल्ली प्रशासन से कहा गया है जो यमुना पार सहित दिल्ली के सभी भागों में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों में भिन्नता

[अनुवाद]

240. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों में भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उठाया गया है क्योंकि यह मामला हमारी प्रमुख वित्तीय संस्था से सम्बन्धित है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

इक्विटी निर्गम/ऋण पत्रों के लिए आवेदनों की स्वीकृति में विलम्ब

241. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान पूंजी निर्गम नियंत्रक ने कितनी कम्पनियों के इक्विटी निर्गम/ऋण पत्रों के आवेदनों को स्वीकृत किया है;

(ख) क्या अभी भी अधिकांश ऐसे आवेदन पूंजी निर्गम नियंत्रक की मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने आवेदन लंबित हैं और उनमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इन आवेदनों को स्वतः मंजूरी देने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले तीन महीने के दौरान (अगस्त-अक्तूबर, 1991) इक्विटी/ऋण पत्रों को जारी करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से प्राप्त 206 आवेदन पत्रों पर पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा कारंवाई की गयी है।

(ख) और (ग) चूंकि कम्पनियों ने पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करायी है और कुछ मामलों में कम्पनियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव इक्विटी/ऋण पत्रों को जारी करने सम्बन्धी मार्ग निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान प्राप्त 33 आवेदन-पत्रों पर आज तक कारंवाई नहीं की गई है।

(घ) से (च) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों को स्वतः अनुमोदित किये जाने का प्रश्न नही उठता है।

कच्चे रेशम का उत्पादन

242. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1990 के दौरान कच्चे रेशम का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में वर्ष 1994-95 तक पांच पारम्परिक राज्यों और बारह अन्य राज्यों में

रेशम का उत्पादन बढ़ाकर 15,000 टन करने के लिए विश्व बैंक की 700 करोड़ रुपये की सहायता से परियोजना आरम्भ की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कच्ची रेशम का उत्पादन 12,665 मि० टन हुआ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त एक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना पांच परंपरागत राज्यों (आंध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) तथा बारह प्रायोगिक राज्यों (महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा) में क्रियान्वित की जा रही हैं। यह परियोजना वर्ष 1989-90 से क्रियान्वित की जा रही है जिसका प्रारंभिक परिव्यय 555.30 करोड़ रु० है जो कि पांच वर्ष की अवधि के लिए है।

इस परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित समग्र लक्ष्य निम्नोक्त अनुसार है :

1. अतिरिक्त शहतूती रोपण के लिए 57,600 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास करना।

2. कोसों का उत्पादन 58,700 टन तक बढ़ाना।

3. कच्चे रेशम का 6,000 टन का अतिरिक्त उत्पादन।

4. 1 मिलियन व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना।

5. निर्यात आय बढ़ाकर 900 करोड़ रु० तक करना।

6. भारतीय रेशम की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार करना।

7. अनुसंधान, विस्तार, बीज उत्पादन, कोसों के विपणन तथा कच्ची रेशम की प्रोसेसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के इन्फरा स्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना।

8. नाबार्ड और आई० डी० बी० आई० के जरिए कीट पालकों, रीलरों, ट्विस्ट्रो और बीज उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

9. महिलाओं को रोजगार देने, रेशम उत्पादन विकास में एन० जी० ओ० को शामिल करने आदि जैसी वांछनीय सामाजिक रूप को सुदृढ़ बनाना।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

243. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रण में कौन-कौन-सी कपड़ा मिलें चल रही हैं;

(ख) इन मिलों की वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन मिलों के बारे में सरकार की क्या योजना है जिनकी अधिग्रहण अवधि निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 9 राष्ट्रीकृत एककों के अतिरिक्त निम्नलिखित 2 एककों का संचालन किया जाता है :

(1) लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर ।

(2) अथर्टन काटन मिल्स, कानपुर ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इन दोनों मिलों द्वारा उठाया गया निवल घाटा नीचे दिया गया है :

मिल का नाम	वर्ष 1990-91 में निवल घाटा (करोड़ रु० में)
1. लक्ष्मी रतन काटन मिल्स	13.41
2. अथर्टन काटन मिल्स	11.90

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकरण किए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कानपुर स्थित 2 एककों के प्रबंधन को अधिगृहीत किया गया था। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन प्रबंधित एककों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय, सरकार द्वारा विभिन्न सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखने के उचित समय पर लिया जाएगा जिनमें कानपुर स्थित एकक भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में कृषि क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

244. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने उत्तर प्रदेश के कृषि क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ)सरकारी क्षेत्र के बैंक किसानों को सरलता से एवं समय पर ऋण प्रदान करने तथा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के प्रयोजन से किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने जैसे उपाय स्वयं करते हैं। ये कार्ड उन किसानों को दिए जाते हैं जिनका रिकार्ड अच्छा होता है ताकि वे उत्पादन निवेशों की लागत को पूरा करने के

लिए बिना कठिनाई के कृषि ऋण प्राप्त कर सकें। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृषि क्रेडिट कार्ड योजना उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, न्यू बैंक आफ इंडिया, आन्ध्रा बैंक, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडीकेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर और बैंक आफ बड़ौदा द्वारा की गई है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की असाधारण आम बैठक/वार्षिक आम बैठक के लिए प्रतिनिधियों के सत्यापन के नियम

[अनुवाद]

245. **श्री गुमानमल लोढा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की असाधारण बैठक/वार्षिक आम बैठक के लिए प्रतिनिधियों का सत्यापन करने हेतु कौन से नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या आपात आम बैठक/वार्षिक आम बैठक में मतदान से पहले अथवा मतदान के बाद ऐसा सत्यापन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो जिस बैठक के सन्दर्भ में प्रतिनिधि सत्यापित किए गए हैं; उसके रद्द कर दिए जाने की स्थिति में ऐसे प्रतिनिधियों का कानूनी दर्जा क्या होगा ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 176 की उपधारा (7) में प्रावधान है कि कंपनी की बैठक में अथवा उसमें प्रस्तावित किसी संकल्प पर मत देने का हकदार हर सदस्य बैठक के प्रारम्भ के लिए नियत समय के चौबीस घंटे पूर्व प्रारम्भ होने वाली और बैठक की समाप्ति पर अन्त होने वाली कालावधि के दौरान उन परीक्षियों का, जो निविष्ट किए गए थे, कम्पनी के कामकाज के समय के दौरान किसी समय निरीक्षण करने का हकदार होगा परन्तु यह तब जबकि ऐसा निरीक्षण करने के अपने आशय की तीन से अन्यून दिन की लिखित सूचना कम्पनी को दे दी गई है।

कम्पनियों द्वारा अपने संगम अनुच्छेद में निर्धारित परीक्षियों का प्ररूप अधिनियम की अनुसूची IX में निर्धारित प्ररूप के यथासम्भव समान होना चाहिए और बैठक की तारीख भी उसमें दी गई होनी चाहिए ताकि उन बैठकों, जिनके लिए परीक्षियों के उक्त दस्तावेज वास्तविक रूप में निर्दिष्ट तथा निष्पादित किए गए हैं, के पश्चात होने वाली बैठकों में उन परीक्षियों का अनुचित प्रयोग न हो सके।

नई जल-भूतल परिवहन नीति

[हिन्दी]

246. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नयी जल-भूतल परिवहन नीति बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी निर्यात कोटे में कटौती

[अनुवाद]

247. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य चीनी अधिनियम, 1948 और यूरोपीय आर्थिक समुदाय कोटा के अन्तर्गत अधिमान्य चीनी निर्यात कोटे में कटौती होने के कारण सरकार को विदेशी मुद्रा में अब तक कितनी वार्षिक क्षति हुई;

(ख) क्या चीनी निर्यात कोटे को पुनः लागू करने के लिए कोई प्रयास किए गए है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारत के पास यूरोपीय आर्थिक समुदाय को गारंटीशुदा कीमत पर बेचने के लिए 25,000 मी० टन चीनी का कोटा था। चूंकि भारत सूखे और अन्य कारणों से सुपुर्दगी अवधि 1980-81 के लिए इस कोटे को पूरा नहीं कर सका, अतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यह कोटा वापस ले लिया। इस कोटे को वर्ष 1983 में पुनः शुरू करके कोटे की मात्रा 10,000 मी० टन कर दी गई थी जो अभी लागू है।

वर्ष 1991-92 में भारत के लिए चीनी का अमेरिकी आयात कोटा 10,571 मी० टन (अनुमानित मूल्य) निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान यह 16,273 मी० टन था। अमेरिका प्रति वर्ष विभिन्न देशों के लिए चीनी का आयात कोटा निर्धारित करता है। कोटा निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिका में चीनी का घरेलू उत्पादन है, जो कि इस वर्ष काफी अधिक रहा है। इसे देखते हुए भारत का कोटा कम किया गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए विदेशी मुद्रा के घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

बैंक डकैतियां

[हिन्दी]

248. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बैंक डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में बैंकवार कितनी जानें गईं और कितनी धनराशि लूटी गई और इसकी क्षतिपूर्ति किस रूप में की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जहां वर्ष 1990 के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लूट-पाट/डकैतियां की 169 घटनाएं घटी हैं, वहां जनवरी से सितम्बर, 1991 के दौरान बैंक लूट-पाट/डकैतियों की मात्र 84 घटनाएं घटी हैं।

(ग) 1-1-91 से 30-9-91 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जो बैंक लूट-पाट/डकैतियों की घटनाएं घटीं और उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि तथा जो जीवन क्षति हुई, उससे संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

जहां तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

1-1-91 से 30-9-91 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घटी बैंक लूट-पाट/डकैतियों से सम्बन्धित घटनाओं में अंतर्ग्रस्त धनराशि तथा उनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	बैंक का नाम	मामलों की सं०	संबंधित धन-राशि (रु० लाख में)	मारे गए व्यक्ति
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	10	8.86	—
2.	बैंक आफ बड़ोदा	1	2.00	—
3.	बैंक आफ इंडिया	9	22.12	12
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1	1.14	—
5.	केनरा बैंक	5	13.77	—
6.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	6	4.19	—
7.	इंडियन बैंक	1	0.79	—
8.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	19.11	—
9.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	2	3.70	—
10.	पंजाब एन्ड सिंध बैंक	6	23.62	—

1	2	3	4	5
11.	पंजाब नेशनल बैंक	13	40.69	1
12.	भारतीय स्टेट बैंक	10	135.51	1
13.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2	7 04	5
14.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2	0.06	1
15.	यूको बैंक	2	1.14	—
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2	0.56	--
17.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	11	17.53	1
		84	301.83	21

ए० एस० 90 तोपों की खरीद

[अनुवाद]

249. **कुमारी उमा भारती** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्रिटिश ए० एस० 90 स्वप्रणोदक तोपें खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इस तोप की मुख्य विशेषताएं क्या है तथा बांफोर्स तोप की तुलना में इसकी क्षमता कितनी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सेना को स्व-प्रणोदी तोपों की सप्लाई के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें ब्रिटिश ए० एस० 90 भी शामिल है। तोपों की सप्लाई के संबंध में प्राप्त इन विभिन्न प्रस्तावों का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में मामलों का निपटान

251. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के पश्चात इनमें मामलों के निपटान की दर में कोई विशेष वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो मामलों को शीघ्र निपटाने और लंबित पड़े मामलों के ढेर को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां। सुस्पष्ट सुधार हुआ है। उच्चतम न्यायालय के मामले में 1-1-90 को लंबित मामलों की संख्या 201383 थी जो घटकर 1-10-1991 को 135374 रह गई है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, यद्यपि अधिक

संख्या में मामले संस्थित किए जाने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की गति और निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1989 में निपटाए गए मामलों की संख्या 770946 थी जबकि 1985 में निपटाए गए मामलों की संख्या 605698 थी।

(ख) समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के अतिरिक्त, ऐसे मामलों को जिनमें विधि के समान प्रश्न अंतर्ग्रलित होते हैं, एक समूह में रखने, ऐसे मामलों को जिन्हें शीघ्र निपटाया जाना अपेक्षित है, पूर्विकता देने, विशेषज्ञ न्यायपीठों के गठन आदि जैसे विभिन्न अन्य उपाय किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायपीठों का इस प्रकार गठन किया जाता है कि वे अधिक अवधि तक कार्य करें और कार्य का इस प्रकार आबंटन किया जाता है कि एक प्रकार के मामले उसी न्यायपीठ के समक्ष आ जाएं। विभिन्न सिफारिशें, जिनके अंतर्गत बकाया समिति (मलिमथ समिति) की, जिसने उच्च न्यायालयों में बकाया पड़े मामलों की समस्या पर विचार किया था, रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रक्रियात्मक और अधिकारिता विषयक सुधार के संबंध में सिफारिशें भी हैं, सभी उच्च न्यायालयों, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

न्हावा सेवा पत्तन कन्टेनर गोदाम में चोरी

252. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान न्हावा सेवा पत्तन के कन्टेनर गोदाम में कितनी बार चोरियां हुई तथा इन घटनाओं में कितने मूल्य के सामान की चोरी हुई;

(ख) इन गोदामों के मालिकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) कन्टेनर फ्रेट स्टेशन पर एक वेयरहाउस है, जिसका प्रबन्धन केन्द्रीय भंडारण निगम (सी० डब्ल्यू० सी०) द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय भंडारण निगम की सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 16,000 रु० के सामान की चोरी हुई। सी० डब्ल्यू० सी० ने पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज करवा दी थी।

कलकत्ता पत्तन

253. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से कलकत्ता पत्तन पर ढोये जाने वाले माल के टन भार में तथा माल ढोने वाले जहाजों की संख्या में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन और गोदी में मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) कलकत्ता पत्तन के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : जी, नहीं। कलकत्ता पत्तन पर हैंडल किए जाने वाले टनेज में कोई कमी नहीं हुई है लेकिन कलकत्ता पत्तन पर हैंडल किए जाने वाले जहाजों की संख्या कम हो गई है।

(ख) गत पांच वर्षों के ब्यौरे इस प्रकार है :—

वर्ष	हैंडल किया गया टनेज (000 एम० टी०)	हैंडल किए गए जहाजों की संख्या
1986-87	12072	1400
1987-88	13071	1394
1988-89	14223	1364
1989-90	14689	1393
1990-91	15420	1366

यह कमी पार्सल के आकार में वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) गत पांच वर्षों में हुई कमी इस प्रकार है :—

वर्ष	कलकत्ता पत्तन में कर्मचारियों की संख्या
1986	28424
1987	26849
1988	26431
1989	25702
1990	24846

(ङ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(I) बड़े जहाजों की बर्थिंग के लिए डुबाव में सुधार।

(II) कार्गो की शीघ्र हैंडलिंग के लिए उपकरणों में सुधार।

(III) नई तेल जैट्टी का निर्माण करके क्षमता में वृद्धि।

कटक जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

254. **श्री श्रीकान्त जैना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नई शाखाएं खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये शाखाएं खोली जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा के कटक जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 165 शाखाएं है ।

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अंतर्गत, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले मे पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को दी जानी होती हैं । लीड बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है । शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अंतर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

255. **श्री काशीराम राणा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयराज मार्गों के विकास के लिए गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनमें से मंजूर किए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गयी है;

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंजूर की गयी परियोजनाओं में से किसी परियोजना के निर्माण कार्य में विलंब किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1-4-88 से 31-3-91 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए 219.11 करोड़ रु० के संचित वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय ने निधियों की उपलब्धता और

सकल प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए 127.34 करोड़ रु० लागत के 164 प्रस्ताव अनुमोदित किए थे।

(ग) 1-4-91 को लंबित 12 प्रस्तावों में से 5 प्रस्ताव 1991-92 के दौरान अनुमोदन के लिए लिए गए हैं। शेष प्रस्ताओं के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए राज्य लो० नि० वि० के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति सामान्य तौर पर संतोषजनक है। तथापि 1986-87 में स्वीकृत अहमदाबाद-बड़ोदरा राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में संविदात्मक समस्याओं, जिनको अब काफी हद तक हल कर लिया गया है, के कारण अपेक्षाकृत विलम्ब हुआ है।

सिंडीकेट बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण

256. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सिंडीकेट बैंक को 1978 से आगे सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंडीकेट बैंक ने इस निदेश को कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1990 की पुनरीक्षा याचिका संख्या 592 और 608 के 1-4-1991 के आदेश के साथ पठित रिट याचिका संख्या 847/87 में 10-8-1990 को दिए गए निर्णय में सिंडीकेट बैंक का अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया है कि वह अपने अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए 1-1-1978 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें।

(ख) जी, हां।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंकों में अनियमितताएं

257. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की ग्रामीण बैंकों की कुछ शाखाओं में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसके लिए किसी जांच समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोई गम्भीर अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकांश रूप से लक्ष्यगत समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और देय रकमों की वसूली न होने के कारण सामान्यत: वित्तीय कमजोरियों के शिकार होते हैं। जब कभी भी किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यकरण के बारे में शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाती है और सम्बन्धित अधिकारियों को निवारक उपाय करने का परामर्श दिया जाता है।

वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण

[अनुवाद]

258. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार इस समय वित्तीय संस्थाओं के निजीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

"बारूद डिपो से गोलियां गायब" शीर्षक से समाचार

259. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1991 के "जनसत्ता" में "बारूद डिपो से गोलियां गायब, मामला दबाने की कोशिश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) 16 मार्च, 1989 को गोला बारूद डिपो, भरतपुर में रेल से प्राप्त सामान की खेप में 7·62 मि० मी० तोपों के 5762 गोलों की कमी पाई गई। सामान की जांच करने पर यह देखा गया कि जिन बक्सों में गोले कम थे उनमें से कुछ बक्सों में ईंटें तथा रोड़ी भरी हुई थी। सेना अधिकारियों ने गोला बारूद में हुई इस कमी की जांच करने के लिए एक जांच अदालत गठित की। जांच-अदालत इस बारे में कोई सुझाव नहीं दे सकी कि कम पाए गए गोला-बारूद को वापस कैसे प्राप्त किया जाए। अदालत ने इस डिपो के 3 अफसरों, 2 गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों तथा 2 सिविलियन स्टोर-कीपरों के विरुद्ध कर्तव्य की

अवहेलना के लिए प्रशासनिक तथा अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की। सैनिक कार्मियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सिविलियन कर्मचारियों के विरुद्ध अभी अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है।

नकद प्रतिपूर्ति सहायता वापस लिये जाने तथा नई व्यापार नीति की घोषणा किए जाने के पश्चात निर्यातकों को होने वाली समस्यायें

260. **प्रो० राम कापसे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद प्रतिपूर्ति सहायता वापस लिए जाने तथा नई व्यापार नीति की घोषणा हो जाने के पश्चात निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) दिनांक 3-7-1991 से नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप निर्यातकों ने दिक्कतें जाहिर की हैं। लेकिन सरकार ने जो अन्य उपाय किए हैं, यथा मुद्रा दर का समायोजन, लाइसेंस प्रतिपूर्ति योजना का पुनर्गठन एवं विस्तार, एफ० ओ० बी० मूल्य के 30% की एक समान दर से आर० ई० पी० और उदारीकृत व्यापार नीतियां आदि, वे सी० सी० एस० समाप्त करने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए कहीं अधिक हैं।

रूसी गणराज्य के साथ व्यापार वार्ता

261. **श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोवियत संघ के रूस गणराज्य के साथ अलग से व्यापार वार्ता का संचालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत रूस सहयोग के विषयों पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त आयोग गठित करने का विचार है;

(ग) क्या रूस गणराज्य के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या अन्य सोवियत गणराज्यों के साथ इस प्रकार की बातचीत की जा रही है और क्या उनके साथ अलग व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस गणराज्यों के क्या नाम हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी हां। रूसी गणराज्य के साथ व्यापार वार्ता संभवत: जल्दी ही शुरू होनी है। भारत रूसी संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उजबेकिस्तान गणराज्य के साथ पहले ही एक व्यापार करार सम्पन्न

हो चुका है। इस संबंध में उजाकिस्तान तथा किरगीजिया के साथ भी प्रारम्भिक बातचीत की गई हैं।

कोटद्वार (गढ़वाल) में सैनिक विश्राम गृह

[हिन्दी]

262. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटद्वार (गढ़वाल) में एक सैनिक विश्राम गृह की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) कोटद्वार (गढ़वाल) में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में चुनाव

[अनुवाद]

263. **श्री चित्त बसु** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी फरवरी में पंजाब में चुनाव कराने हेतु कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) पंजाब में, 15 फरवरी, 1992 से पहले निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव है यद्यपि पंजाब में निर्वाचन कराए जाने की निश्चित तारीख अभी तक तय नहीं की गई है।

(ख) सरकार ने, आतंकवादी हिंसा से निबटने, नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और विधि और व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में पहले से ही पर्याप्य उपाय किए हैं। पंजाब के राज्यपाल, ज्येष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासन तथा जनता के बीच की दूरी को समाप्त करने के प्रयासस्वरूप जनता की शिकायतें सुन रहे हैं। राज्य के आर्थिक विकास की ओर और युवकों, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों को, आतंकवादी पथ पर जाने से रोकने के लिए, और अधिक नौकरियों के लिए अवसर उपलब्ध कराने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए आवश्यक वातावरण पैदा करने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान, जब कभी भी ये हों, सुनिश्चित करने के लिए और आवश्यक उपाएं किए जाएंगे।

मुम्बई में कस्टम्स हाउस में तथाकथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

264. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई में कस्टम्स हाउस में तथाकथित अनियमितताओं तथा घपलों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सरकार को बम्बई सीमा-शुल्क गृह सहित विभिन्न सीमा-शुल्क गृहों में माल, यात्रियों के असबाब आदि की निकासी में विलम्ब के बारे में व्यापारी वर्ग और जनता से समय-समय पर शिकायतें अवश्य मिलती हैं। ऐसी शिकायतों की जांच सम्बन्धित सीमा-शुल्क समाहर्ताओं के परामर्श से की जाती है और जब कभी भी अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कारंवाई की जाती है।

बिहार में हथकरघा एककों को रुई के कोटे की सप्लाई

266. **श्री मुमताज अंसारी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लघु हथकरघा एकक्रों रुई के कोटे की सप्लाई न होने के कारण बन्द पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को प्रति एकक रुई का अधिकतम कितना कोटा दिया जा रहा है अथवा दिए जाने का विचार है जिससे कि इन लघु हथकरघा एककों द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) हथकरघा एकक रुई का प्रयोग नहीं करते। इसलिए रुई के कोटे की सप्लाई न होने के कारण किसी भी हथकरघ एकक के बंद होने का प्रश्न नहीं उठता।

जबकि हथकरघा क्षेत्र में खपत के लिए सूती हैंक यार्न की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है फिर भी एक समस्या कीमतों के बारे में रही है। पिछले कुछ महीनों में सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार के अनेक औपचारी उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं सूती यार्न के निर्यात का स्थगन तथा सहकारी निधि और राज्य-क्षेत्र में कताई मिलों को इस बात के लिए राजी करना कि वे बजट से पूर्व कीमतों पर हथकरघा को हैंक यार्न की सप्लाई करें।

हथकरघा एककों को सूती यार्न की सप्लाई के लिए कोई कोटा नहीं है।

लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिये स्वदेशी तकनीक

[अनुवाद]

267. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़ाकू विमानों का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) हल्के युद्धक वायुयान का देश में ही विकास किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन तकनॉलाजियों का विकास किया जा रहा है वे हैं :—डिजीटल फ्लाई बाई वायर कंट्रोल सिस्टम, विंगों के लिए कम्पोजिट, बहु पद्धति वाले रेडार और उन्नत वैमानिकी प्रणाली ।

आयकर अधिकारियों की शक्तियां

268. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एल० टी० वयन हैव नो पावर टु अरेस्ट, रूल्स कोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने जिन व्यक्तियों पर आक्षेप लगाया है उनके सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां ।

(ख) उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के खिलाफ इस अवधारणा के आधार पर एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है कि मामले के तथ्यों के आधार पर कर निर्धारिती के मामले में तलाशी लेनी न्यायोचित नहीं था और यह भी कि कर-निर्धारिती को गैर-कानूनी ढंग से नजरबन्द रखा गया था । इसलिए, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा "ग्रीन लाइन" सेवा

[हिन्दी]

269. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा द्रुत और आरामदायक सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिक किराया पद्धति पर 'ग्रीन लाइन" सेवा आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर यह सेवा आरम्भ की गई है;

(ग) क्या इन बसों में भी जारी भीड़ होती है और यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सेवा को सफलतापूर्वक चलाने हेतु अधिक बसें उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। दि० प० नि० ने निम्नलिखित रूटों पर ग्रीन लाइन सेवाएं शुरू की हैं :

(1) नोएडा सैक्टर-37 से रा० कृ० पुरम सैक्टर-1,

(2) पालिका केन्द्र से शालीमार बाग (ट०) डेसू कालोनी, और

(3) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नं० 11 से सरिता विहार से और बदरपुर बार्डर।

(ग) और (घ) ग्रीन लाइन सेवाओं की शुरूआत पर यात्रियों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, दि० प० नि०, मांग तथा बसों की उपलब्धता के आधार पर और अधिक ग्रीन लाइन सेवा शुरू करेगा।

बैंकों में जमा धनराशि

270. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1990 और 8 नवम्बर, 1991 को वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कितनी धनराशि जमा थी; और

(ख) यदि 8 नवम्बर, 1991 को जमा धनराशि 30 सितम्बर, 1991 की जमा धनराशि की तुलना में कम थी तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 30-9-91 और 8-11-91 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, 27-9-91 और 1-11-91 (शुक्रवार की सूचना) की स्थिति के अनुसार जमाराशियां निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

	27-9-91 की स्थिति के अनुसार जमाराशियां	1-11-91 की स्थिति के अनुसार जमाराशियां
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	206794	209587
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4828	4932

अतः यह देखा जा सकता है कि समग्र रूप से कुल जमाराशियों में कमी नहीं आई है।

कर्नाटक में नयी बैंक शाखायें खोलना

[अनुवाद]

271. **श्री जी० मादे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिलेवार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें कार्य कर रही हैं; और

(ख) 1991 के दौरान कर्नाटक में जिलेवार कितनी नई शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कर्नाटक में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या नीचे दी गई है :—

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
बंगलोर (ग्रामीण)	69	गुलबर्गा	82
बंगलोर (शहरी)	526	हसन	99
बेलगांव	166	कुडागु	81
बेल्लेरी	82	कोलार	99
बिदर	43	माण्डिया	93
बीजापुर	133	मैसूर	153
चिकमंगलूर	80	रायचूर	73
चित्रदुर्गा	82	शिमोगा	122
दक्षिण कन्नड़	378	टुमकुर	106
धारवाड़	170	उत्तर कन्नड़	117

(ख) वर्तमान लाइसेंस नीति से अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोला जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है जो इस सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंसों द्वारा नियंत्रित होती है। क्योंकि एक वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, अतः वर्ष 1991 के दौरान कर्नाटक में खोली जाने वाली शाखाओं की जिला-वार संख्या को बताना सम्भव नहीं है।

काले धन का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारना

272. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन के विरुद्ध अभियान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सम्मिलित करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काले धन का पता लगाने के लिए सी० बी० आई० ने अब तक कितने छापे मारे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) काले धन का पता लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई तलाशी नहीं ली है।

आयकर अधिकारियों द्वारा जब्त सोने और चांदी की चोरी

273. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1991 को "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित शीर्षक "सील्ड सिल्वर वेनिशेज" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो जब्त सोने और चांदी का ब्यौरा क्या है और किन परिस्थितियों में यह सरकार की अभिरक्षा से गायब हो गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों मे जब्त ऐसी वस्तुओ का विवरण क्या है तथा उनमें से कितनी वस्तुओं को वापस कर दिया गया हैं और कितनी अभी सरकार की अभिरक्षा में है;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) तलाशी के समय वास्तविक रूप से 2.11 कि० ग्राम० के स्वर्ण आभूषण तथा 13.554 कि० ग्रा० की चांदी की वस्तुएं अभिगृहीत की गई थीं। लेकिन, तलाशी के समय तैयार किए गए पंचनामे में अभिगृहीत की गई वस्तुओं के कुल वजन को गलती से काफी अधिक दर्शाया गया था, यह गलती अनुमोदित मूल्यांकक की जानकारी में मूल्यांकन करते समय आई। यह कहना ठीक नहीं है कि अभिगृहीत की गई कोई भी वस्तु विभाग की अभिरक्षा (कस्टडी) से गायब हुई।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अभिगृहीत किए गए स्वर्ण आभूषणों तथा अन्य परिसंपत्तियों, जिनमे चांदी भी शामिल है, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

वित्त वर्ष	अभिगृहीत किए गए स्वर्ण आभूषण	अभिगृहीत की गई अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य*
1990-91	67.66	118.46
1989-90	42.39	55.25
1988-89	68.33	52.82

* "अन्य वस्तुओं" में चांदी भी शामिल है।

अभिगृहीत की गई परिसंपत्तियों के छोड़े जाने तथा रखे जाने का निर्धारण आयकर कार्यवाहियों के दौरान विविध स्तरों पर किया जाता है, जैसे—

(i) धारा 132(5) तथा धारा 132(12) के अधीन कार्यवाहियां,

(ii) कर-निर्धारण तथा दण्ड विषयक कार्यवाहियां, तथा

(iii) अपीलीय कार्यवाहियां।

अत: किसी विशिष्ट अवधि के दौरान अभिगृहीत की गई परिसंपत्तियों के रखे जाने तथा छोड़े जाने के सम्बन्ध में आंकड़े रख पाना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) पंचनामे को तैयार करने में हुई गलती के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने के निमित्त जांच शुरू की गई है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में विश्व बैंक की सलाह

274 **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी है कि वह अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि पर निर्भरता की अर्थव्यवस्था कम करे और अन्य योजनाओं तथा व्यवस्था के जरिए विदेशों से धनराशि जुटाने के उपायों का पता लगाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां। विश्व बैंक ने भारत के सम्बन्ध में अपने एन्ट्री इकोनोमिक मैमोरेण्डम (1991) में लिखा है कि विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति की दृष्टि से भारत को अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों पर अपनी निर्भरता कम करके बांड जैसे लम्बी परिपक्वता अवधि और अधिक पूर्वानुमेय परिशोधन की प्रकृति वाले वैकल्पिक प्रपत्रों पर अधिक निर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए।

(ख) भारत सरकार ने योजना आयोग के सदस्य डा० सी० रंगराजन की अध्यक्षता में भुगतान संतुलन के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसके विचारार्थ विषय में ऋण के वर्तमान ढांचे की जांच करना और उसमें परिवर्तन के लिए सुझाव देना शामिल है। इस बारे में प्राप्त विश्व बैंकों के सुझावों सहित सभी सुझावों की जांच समिति द्वारा की जाएगी।

कर वसूली

275. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अप्रैल, 1990 से 30 सितम्बर, 1990 तक और 1 अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक प्रत्यक्ष करों की कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) इसमें अन्तर के स्पष्ट कारण क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1991 के दौरान वसूली किए गए प्रत्यक्ष करों की राशि अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि गत वर्ष कर वसूली करने वाले अधिकारियों द्वारा कर की वसूली बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के प्रयास क्यों नहीं किए जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अब यह जांच कराने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अप्रैल, 1990 से 30 सितम्बर, 1990 के दौरान वसूल किए गए प्रत्यक्ष करों की सकल राशि 2476 करोड़ रु० तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 के दौरान वसूल किए गए प्रत्यक्ष करों की सकल राशि 3471 करोड़ रु० थी।

(ख) इस वर्ष वसूली में हुई वृद्धि के मुख्य-मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :—

(i) नए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए इस वर्ष के बजट में किए गए उपायों का सकारात्मक प्रभाव।

(ii) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस वर्ष के सितम्बर माह में की गई 118 करोड़ रुपए की अदायगी जबकि पिछले वर्ष सितम्बर माह तक इसके द्वारा कोई कर अदा नहीं किया गया था।

(iii) आरक्षण-विरोधी आंदोलन के कारण हुई गड़बड़ी से भी पिछले वर्ष सितम्बर माह के दौरान वसूलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस वर्ष वसूलियों में हुई वृद्धि के कारणों का उल्लेख ऊपर (ख) में किया गया है। सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक वसूली की जाए। पिछले वर्ष भी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे जिनसे वित्त वर्ष की समाप्ति तक वसूलियों में वृद्धि हुई।

तैयार कपड़े पर राजस्व हानि

276. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "हैवी रेवन्यू लॉस ऑन प्रोसेस्ड क्लॉथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव निर्मित तैयार कपड़े पर उत्पाद शुल्क राजस्व की वसूली निम्नानुसार है :—

वर्ष	स्वीकृत बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक वसूली (करोड़ रुपयों में)	संशोधित बजट अनुमान से कम/अधिक
88-89	465	469	437	(—) 32
89-90	600	487	489	(+) 2
90-91	515	490	421 (अनुमानित)	(—) 69

वर्ष 90-91 के दौरान राजस्व वसूली में कमी होने का एक मुख्य कारण यह था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन दिए जाने के कारण देय उत्पाद शुल्क की अदायगी नहीं की गई। इसके अलावा, संसाधन के स्तर पर उत्पाद शुल्क का अपवंचन किए जाने की भी कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। वित्त मन्त्री ने वर्ष 1990-91 का बजट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित टिप्पणी की थी :

"हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की जा रही है। सभी लोगों का यह विश्वास है कि उनकी इस दुर्दशा का एक मुख्य कारण संसाधन के स्तर पर व्यापक पैमाने पर कर अपवंचन की घटनाओं के कारण इस क्षेत्र को दी गई कर सम्बन्धी रियायतों का निष्प्रभावी होना है। अत: उत्पाद शुल्क को फैब्रिक्स स्तर के बदले यार्न स्तर पर लगाने के पक्ष में एक आम राय बनती जा रही है, जिससे मैं भी सहमत हूं। तथापि, मानव निर्मित फैब्रिकों के मामले में बिक्री कर के स्थान पर सम्पूर्ण शुल्क अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में है। तद्नुसार, शुल्क ढांचे में कोई भी परिवर्तन राज्यों के साथ परामर्श करके ही किया जा सकता है। मैं इस सम्बन्ध में शीघ्र ही मुख्यमन्त्रियों के साथ परामर्श करने का प्रस्ताव रखता हूं।"

(ग) अक्तूबर, 1990 में हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को फैब्रिकों के स्थान पर यार्न स्तर पर लगाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया और शुल्क को यार्न के स्तर पर लगाने का निर्णय किया गया था। तथापि, इस बैठक के पश्चात्, कुछेक राज्य सरकारों ने इस मामले में कड़ी आपत्तियां व्यक्त की हैं और यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रस्ताव पर फिलहाल कोई निर्णय न लिया जाये और इस मामले पर अन्तर्राज्यीय परिषद की अगली बैठक में नये सिरे से विचार किया जाये। अत:, इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ आगे और परामर्श किए जाने की आवश्यकता है।

रामगढ़ छावनी क्षेत्र में पेय जल की समस्या

[हिन्दी]

277. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में रामगढ़ छावनी क्षेत्र में पेय-जल की गम्भीर समस्या है;

(ख) क्या पेय जल की समस्या दूर करने के लिए रामगढ़ छावनी बोर्ड से सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सरकार आवश्यक धनराशि कब तक स्वीकृत कर देगी?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रामगढ़ छावनी के सात वार्डों में से चार वार्डों में पेयजल की आपूर्ति के लिए रामगढ़ छावनी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत 69.66 लाख रुपए की अनुमानित लागत की एक योजना अनुमोदित की गई थी और 1985-86 में उसे विशेष सहायता-अनुदान के रूप में स्वीकृति दी गई थी। उक्त योजना बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

[अनुवाद]

278. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर तारकोल तथा सीमेंट से बनी सड़कों की अलग-अलग कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) इन सड़कों के उचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 33,689 कि० मी० लम्बाई में से 625 कि० मी० में मिसिंग लिंक हैं या उनमें लो ग्रेड बिना सतह वाला पैदल पथ है। शेष लम्बाई मूलतः तारकोल (डामर) की सतह वाली है, केवल बहुत थोड़ी-सी छोटी-छोटी लम्बाइयां ऐसी हैं जहां पुराना कंक्रीट का पैदल पथ है और जिन्हें धीरे-धीरे तारकोल सतह में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण/रख-रखाव अन्य बातों के अलावा सामग्री और श्रमिक जरूरतों, चौड़ाई और सड़क सतह की किस्म, यातायात की सघनता, भौतिक और जलवायु सम्बन्धी दशाओं, आदि पर आधारित होता है और निधियों की समग्र उपलब्धता के भीतर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत के लिए किया गया खर्च नीचे दिया गया है।

वर्ष	अनुरक्षण/मरम्मत के लिए खर्च
1988-89	146.35 करोड़ रु०
1989-90	158.96 करोड़ रु०
1990-91	169.29 करोड़ रु०

प्रमुख पत्तनों के प्रयोक्ताओं से लिए जाने वाले विलम्ब शुल्क को माफ करना

279. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख पत्तनों के प्रयोक्ताओं से लिया जाने वाला वर्षवार कितनी राशि का विलम्ब शुल्क माफ किया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले

तीन वर्षों के दौरान 11 महापत्तनों द्वारा पत्तन प्रयोक्ताओं को माफ किए गए विलम्ब शुल्क की कुल राशि निम्नलिखित है :

(लाख रु०)

1988-89	1989-90	1990-91
1102.21	4846.67	1714.92

(ख) इस प्रकार की माफी के कई कारण हैं, जैसे पत्तनों में हड़ताल, पत्तनों में उपस्करों का ठीक न चलना और सीमा शुल्क क्लियरेंस में विलम्ब होना।

सड़क सुरक्षा उपाय

280 **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ख) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों पर वर्ष 1990-91 और 1991-92 में अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवहन श्रमिकों की सुरक्षा को कम प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिये उठाये जाने वाले नये उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन 16 मई, 1991 को सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए किया गया था। परिषद के सरकारी सदस्यों के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) 1990-91 के दौरान सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 1,69,271 रुपए (अनन्तिम) व्यय किए गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक लगभग 3.5 लाख रु० व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) सरकार ने परिवहन कर्मकारों के लिए सुरक्षा को कम महत्व नहीं दिया है।

(घ) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

क्रम सं०	विवरण	सरकारी/ गैर सरकारी	सं०	संक्षिप्त टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन मन्त्री	अध्यक्ष	1	केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन मन्त्री

1	2	3	4	5
2.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सड़क परिवहन के प्रभारी मन्त्री	सरकारी	32	परिशिष्ट के अनुसार हर दूसरे वर्ष
3.	सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक	सरकारी	32	
4.	केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग के प्रतिनिधि	सरकारी	9	(i) गृह मन्त्रालय (ii) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (iii) पर्यटन (iv) रेलवे (v) शहरी विकास (vi) रसायन तथा पेट्रोकैमिकल्स विभाग (vii) व्यय विभाग (viii) औद्योगिक विकास विभाग और (ix) योजना आयोग
5.	महानिदेशक (सड़क विभाग) जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय	सरकारी	1	सड़क पक्ष
6.	सदस्य सचिव	सरकारी	1	संयुक्त सचिव (परिवहन)

प्रथम वर्ष के सदस्य	द्वितीय वर्ष के सदस्य
1	2
1. आंध्र प्रदेश	1. आसाम
2. बिहार	2. गुजरात
3. हरियाणा	3. हिमाचल प्रदेश
4. जम्मू कश्मीर	4. कर्नाटक
5. केरल	5. मध्य प्रदेश

1	2
6. महाराष्ट्र	6. मणिपुर
7. तमिलनाडु	7. नागालैंड
8. उत्तर प्रदेश	8. पंजाब
9. राजस्थान	9. पश्चिम बंगाल
10. उड़ीसा	10. त्रिपुरा
11. मेघालय	11. सिक्किम
12. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12. मिजोरम
13. चंडीगढ़ प्रशासन	13. गोवा
14. दिल्ली प्रशासन	14. अरुणाचल प्रदेश
15. लक्षद्वीप	15. दमन एवं दीव
16. पांडिचेरी	16. दादर और नगर हवेली

विवरण-II

किए गए/किए जा रहे प्रयासों में ये शामिल हैं :—

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 और इसके अधीन बने नियमों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कड़ी अपेक्षाओं और अपराधों के लिए सख्त जुर्मानों की व्यवस्था है।
2. परिवहन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु किसी ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूर्व-अपेक्षा बना दिया गया है।
3. हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित ट्रकों के लिए अधिकतम सुरक्षित लदे हुए भार निर्धारित किए गए हैं।
4. हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है।
5. पूरे देश में वाहनों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए एक समान समय अंतराल निर्धारित किए गए हैं।
6. यह निर्धारित किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा साधन लगाए जाएं अर्थात् वाहनों के लिए बलिकर प्रणाली सहित दिशा सूचक, खतरनाक और जोखिमपूर्ण माल ले जाने वाली गाड़ियों पर विशेष लेबल।
7. सड़क सुरक्षा उपायों को तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है।
8. यातायात नियमों और विनियमों का कड़ा और कठोर प्रवर्तन।

9. अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाने, ड्राइविंग लाइसेंसों के बिना गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, शराब हैडलाइटों, सीमा से अधिक गति, ओवर लोडिंग आदि के विरुद्ध नियमित विशेष अभियान।

10. नोटिस जारी करके उल्लंघन के लिए नियमित अभियोजन।

11. स्कूल के बच्चों को दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा सड़क के नियमों और सम्बन्धित सड़क सुरक्षा पहलुओं के बारे में स्कूलों में नियमित रूप से आवश्यक प्रशिक्षण/शिक्षा दी जाती है।

12. दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में ब्लिंकर/सिगनल लगाना।

13. राडार गनों के जरिए अभियोजन।

14. दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में पुलिस की अधिक उपस्थिति।

15. प्रातःकालीन विशेष अभियान और रात्रि में चलती-फिरती गश्त।

16. सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत प्रचार करने के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी/समाचारपत्रों का व्यापक उपयोग।

17. बस बाक्सों, पीले बाक्सों में रंग करना।

18. राजमार्गों पर रात्रि के समय विशेष "चैकिंग"।

19. बसों, एच० टी० यू० एस०, टी० एम० आर० एस०, टैक्सियों आदि के विरुद्ध अभियान।

20. विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं और बच्चों में सड़क सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा रंग भरो प्रतियोगिताओं और अन्य सड़क सुरक्षा कार्य-कलापों का आयोजन किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में स्वीकृत सड़कों एवं पुलों से सम्बन्धित परियोजनाएं

281. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत सड़कों एवं पुलों से सम्बन्धित परियोजनाओं का और उनकी लागत का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : सातवीं योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व (ई एण्ड आई) की राज्य सड़कों और केन्द्रीय सड़क निधि के लिए ऋण सहायता के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत मंजूर की गई सड़क और पुल परियोजनाओं का ब्यौरा, क्रमशः इस प्रकार है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रुपए)
	(ई० एंड आई० स्कीम)	
1.	मेनदार्गी-दुधानी-अफसलपुर सड़क का सुधार जिसमें पुलों और बी० टी० पुलों (i) नागाज नाला (ii) शोलापुर जिले में रूबेवदीनाला-एस० एच० और एम० डी० आर० शामिल है।	33.00
2.	पंढारपुर-बीजापुर (सड़क राज्य राजमार्ग) का सुधार, जिसमें सांगली जिले में बान नदी पर हाली (बैलगांव) के निकट एक पुल भी शामिल है।	21.00

केन्द्रीय सड़क निधि	के० स० नि० के तहत अनुमोदित लागत (लाख रु०)
1	2
1. एम० ई० आर० आई० नासिक में एलोटोमिक बियरिंग (पुलों में प्रयोग हेतु) पर प्रयोग करने के लिए निधि में वृद्धि	5.056
2. कराड़-तसगांव सड़क (23 कि० मी०) पर सुधार कार्य	30.00
3. गोदावरी पर पुल निर्माण	50.00
4. चिमूर मेरी-नवारगांव सड़क की एस० टी० एवं बी० टी०	30.00
5. गढ़चिरोली-चमेर्शि सड़क का एस० टी० एवं बी० टी०	30.00
6. अंजुर्नी गोंदिया बालाघाट सड़क में सुधार कार्य	30.00
7. कान्हा परसा सड़क पर सी० डी० कार्यों और छोटे पुलों का निर्माण	20.00
8. मंडोरी-वाशी-कोरा सड़क पर पोथरू नाले पर एक पुल का निर्माण	20.00
9. पिम्पलकोठी-परवा सड़क पर छोटे पुल तथा सी० डी० कार्यों का निर्माण	30.00
10. खामगांव-मतारगांव-छांगेपट सड़क पर पूरना नदी पर एक पुल का निर्माण	30.00

1	2
11. चन्दर बाजार मोरशी सड़क में सुधार	25.00
12. अकोला-अकोट सड़क में सुधार	20.00
13. किमबात-परवा सड़क (छोटी से पिम्पलगांव तक का खंड) की ब्लैक टापिंग	20.00
14. महाराष्ट्र में राज्यीय राजमार्ग-4 और रा० रा०-4 को जोड़ने वाले पन्वेल म्युनिसिपल सीमाओं में गुजरने वाली सड़क का सुधार	25.25

मसालों का निर्यात

282. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसालों के, मुख्यतः काली मिर्च के निर्यात में मात्रा तथा मूल्य दोनों रूप से भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन-कौन से देश भारत से कम मात्रा में मसालों का आयात कर रहे हैं; और

(घ) सरकार का मसालों के निर्यात में गिरावट रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सभी मसालों और अलग से काली मिर्च के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मसाले		काली मिर्च	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपये)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपये)
1988-89	99946	274.80	36981	164.63
1989-90	102170	275.76	34482	152.96
1990-91	97291	238.66	31871	111.06

आंकड़ों से स्पष्ट है कि मसालों के निर्यात में कमी आई है।

(ख) मसालों के निर्यात में कमी निम्नलिखित कारणों की वजह से आई है—

(i) घरेलू खपत में वृद्धि, (ii) घरेलू बाजार में ऊंची कीमतें, (iii) खाड़ी युद्ध के कारण खाड़ी बाजार को कम निर्यात, (iv) प्रमुख मसालों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, और (v) न्यून उत्पादकता, इससे भारतीय मसाले अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो रहे हैं।

(ग) युद्ध स्थिति के कारण वर्ष 1990-91 में वाना (पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका) देशों ने कम मात्रा में मसालों की खरीद की। अन्य देशों ने भारत से मसालों का अपना आयात कुल मिलाकर सामान्य स्तर पर रखा है।

(घ) भारत से मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) मूल्य वर्द्धित मदों जैसे मसालों का तेल और तेल राल, मसाला ब्लेण्ड्स और मिश्रण के निर्यात तथा ब्रांड युक्त उपभोक्ता पैकों के निर्यात को प्रोत्साहन देना।

(2) बाजार संवर्धन हेतु चुनिंदा बाजारों को प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन दल भेजना।

(3) कारोबार बढ़ाने के लिए भारत में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

(4) चुनिंदा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(5) भारतीय मसालों के विभिन्न ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने और भारतीय ब्रांडों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए मसाला बोर्ड ने एक ब्रांड सम्वर्धन स्कीम शुरू की है।

(6) मसालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकास और संवर्धन कार्यक्रम बनाना।

(7) उपजकर्ताओं को शिक्षित करना और आयातकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय मसालों में स्वच्छता लाने हेतु क्वालिटी उन्नयन प्रयोगशाला स्थापित करने जैसे विभिन्न उपाय करना।

सरकारी कारों पर व्यय

283. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में अब तक सरकारी कारों पर हुए खर्च का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार ने इन कारों पर हो रहे खर्चे में कमी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कदमों का खर्च पर मन्त्रालय-वार क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी वाहनों/स्टाफ कारों पर किए जा रहे व्यय को किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा संगठनों से ऐसी सूचना एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगने की संभावना है जो कि इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के समनुरूप नहीं होगा।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) सरकारी वाहनों में पेट्रोल/डीजल की खपत कम करने तथा उसमें बचत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(i) सभी मन्त्रालयों/विभागों को जून, 1990 में अनुदेश जारी किए गए थे कि 1990-91 से आगे स्टाफ कारों सहित सरकार वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत में 1989-90 के दौरान की गई पेट्रोल और डीजल की खपत से 20% तक की कमी करें। इन अनुदेशों को अप्रैल, 1991 में दोहराया गया था। पेट्रोल के दामों में हाल ही की वृद्धि के बाद सभी मन्त्रालयों/विभागों को 1-8-1991 को अनुदेश जारी किए गए थे कि 1991-92 के दौरान पेट्रोल/डीजल की खपत के कुल व्यय को उस राशि तक नियंत्रित किया जाएगा जो 1989-90 के दौरान वास्तविक खपत में से 20 प्रतिशत कटौती करने के बाद पेट्रोल/डीजल की परिकलित मात्रा पर 1990-91 के दौरान खर्च की गई थी।

(ii) 22 अगस्त, 1990 को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि सरकारी वाहनों को, जब तक कि वे आपातकाल तथा अन्य अपरिहार्य प्रचालनात्मक ड्यूटी पर न लगाए गए हों तथा स्टाफ कारों को रविवार के दिन इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा।

(iii) जनवरी, 1991 में सभी मन्त्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें पूलिंग व्यवस्था पर पुनः जोर दिया गया था कि अधिकारीगण अपने घर और आवास के बीच तथा बैठकों में जाने के लिए—दोनों तरह की यात्रा के दौरान अलग-अलग कारों में यात्रा करने के बजाय, जहां तक सम्भव हो, एक ही कार से यात्रा करें।

(vi) नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है।

मन्त्रालयों/विभागों से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के आधार पर पेट्रोल/डीजल की खपत की सतत् मानीटरी की जा रही है। अगस्त, 1991 तक 24 सरकारी विभागों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि 1991-92 (अप्रैल-अगस्त) के दौरान पेट्रोल की खपत में 1989-90 में इसी अवधि के दौरान की खपत की तुलना में 17.76% की बचत हुई है। डीजल (हाई स्पीड डीजल) के बारे से 5 विभागों की इसी तरह की सूचना 37.15% की बचत दर्शाती है।

दिल्ली न्यायिक सेवा के अधीन पद

284. **श्री आर्स्कर फर्नान्डीज** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली न्यायिक सेवा के अन्तर्गत अब तक स्वीकृति पदों की संख्या कितनी है,

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं और कितने आरक्षित पद अभी भी रिक्त हैं; और

(ग) इन पदों को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) अभी तक स्वीकृत पदों की संख्या 218 (133 स्थायी और 85 अस्थायी) है।

(ख) और (ग) आरक्षित पदों को 40 प्वाइंट रोस्टर, जो रखा जा रहा है, के अनुसार भरा जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रहा है। दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा, 1991 आयोजित की जानी थी और उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन किया जाना था। उक्त परीक्षा अब 11 अक्तूबर से 13 अक्तूबर, 1991 के बीच आयोजित की गई है।

मूल्य वृद्धि

285. **श्री आर्का फर्नान्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 का बजट पेश किए जाने के बाद अनेक वस्तुओं के थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्रशासित कीमतों और राजकोषीय अनुशासन से संबधित कुछ मदों पर सीमा शुल्क में परिवर्तनों, पीछे से चला आ रहा भारी नकदी बाहुल्य, पिछले वर्ष में प्रणाली में मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं और अगस्त, 1991 के अन्त तक असमान मानसून होने के कारण, बजट पेश किए जाने के बाद उर्वरक, लेवी चीनी, डीजल और मिट्टी के तेल को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों, कागज और कागज उत्पादों, परिवहन उपस्कर और कल-पुर्जों जैसी कुछ मदों के थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ग) मुद्रास्फीति के प्रबंध को सरकार उच्चतम प्राथमिकता देती है। मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में राजकोषीय घाटे में काफी कमी करना, प्रभावी मांग को कम करने के लिए मुद्रा पूर्ति के प्रसार को नियंत्रित करना, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रबंध करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाना, अधिक उत्पादन और बचतों के लिए प्रोत्साहन देना तथा जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल हैं।

पत्तन परिवहन में गिरावट

286. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्राही** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान पत्तन परिवहन में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परिवहन में गिरावट से पत्तन पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या पत्तनों में श्रमिक कर्मचारियों की भारी संख्या में छंटनी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो पत्तन-वार इसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। कोई छंटनी नहीं की गई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में शहरों का वर्गीकरण

287. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन शहरों को "क", "ख-1", "ख-2" और "ग" श्रेणी के शहर घोषित किया गया है;

(ख) शहरी विकास परिव्यय की शर्तों में वर्गीकरण की इस प्रणाली का, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते/शहर प्रतिकारात्मक भत्ते के निर्धारण के अतिरिक्त और क्या प्रयोजन है; और

(ग) बिहार में उन शहरों और कस्बों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1991-92 की शहरी विकास की किन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा इन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और शहरवार इन पर कितना परिव्यय होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) बिहार राज्य में मकान किराया भत्ते/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिए "क", "ख-1" "ख-2" और "ग" श्रेणी के रूप में वर्गीकृत शहरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

"क" श्रेणी

शून्य

"ख-1" श्रेणी

पटना

"ख-2" श्रेणी

1. जमशेदपुर

2. रांची

3. धनबाद (प्रतिपूर्ति) नगर (भत्ते के लिए मात्र)

"ग" श्रेणी

1. आरहा

2. बरौनी

3. बेगुसराय

4. बेतिया

5. भागलपुर	18. हाजीपुर
6. बिहार	19. जमालपुर
7. बोकारो इस्पात नगर	20. कटिहार
8. छपरा	21. किशनगंज
9. चाईबासा	22. मोकामाह
10 डाल्टनगंज	23. मोतीहारी
11. दरभंगा	24. मुंगेर
12. देहरी	25. मुजफ्फरपुर
13. देवघर	26. पतरातू
14. धनबाद	27. पूर्णिया
15. गया	28. सहरसा
16. गिरिडिह	29. सासाराम
17. हजारीबाग	30. सिवान

कपास तथा सूती धागे का निर्यात

288. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान निर्यात की गई कपास तथा सूती धागे का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1991-92 के दौरान अनुमानित निर्यात कितना है;

(ग) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कपास तथा सूती धागे का अन्तर्देशीय बाजार में तथा पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात औसत मूल्य वर्षवार कितना था;

(घ) 1991-92 के कपास वर्ष के दौरान कपास का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ङ) क्या 1-10-91 तक पिछले तीन कपास वर्षों के दौरान कपास अथवा सूती धागे का आयात किया गया था; और

(च) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान रुई और सूती यार्न के निर्यात के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :

सूती यार्न			रुई		
वर्ष (वित्तीय वर्ष के आधार पर)	मात्रा मि० किग्रा० में	मूल्य मि० रु० में	वर्ष (सितम्बर से अगस्त)	मात्रा लाख गां० में : प्रत्येक गांठ 170 किग्रा०	मूल्य करोड़ रु० में
1988-89	40.15	2334.42	1988-89	0.76	72.14
1989-90	61.82	3615.89	1989-90	13.71	610.52
1990-91	89.78	5114.31	1990-91	11.90	561.05

(ख) अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान सूती यार्न के निर्यात की मात्रा 67.86 मिलियन किग्रा० तथा उसका मूल्य 466.40 करोड़ रु० था। वर्ष 1992 के लिए सूती यार्न के निर्यात उच्चतम सीमा पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। वर्ष 1991-92 के रूई मौसम में सरकार ने अभी तक निर्यात के लिए बंगाल देशी रुई की 1 लाख गांठें रिलीज की हैं।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आंतरिक बाजार में रुई और सूती यार्न की औसत कीमत तथा उनके निर्यात के मूल्य (एफ० ओ० बी०) के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं—

(रु० प्रति किग्रा०)

वर्ष	रुई	सूती यार्न		
		कोन यार्न	हैंक यार्न	होजरी यार्न
आंतरिक बाजार				
1988-89	20.94	50.85	41.31	47.13
1989-90	18.15	56.41	47.32	52.52
1990-91	26.71	55.31	48.01	53.18

निर्यात मूल्य

(रु० प्रति किग्रा०)

वर्ष	रुई	सूती यार्न
1988-89	55.47	58.34
1989-90	26.19	55.64
1990-91	27.77	57.30

(घ) रुई सलाहकार बोर्ड ने 29 अगस्त, 1991 को हुई अपनी पिछली बैठक में वर्ष 1991-92 के रुई मौसम के दौरान रुई का उत्पादन 130 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया था।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती यार्न का कोई आयात नहीं किया गया। वर्ष 1988-897, 1989-90 और 1990-91 के रुई मौसमों के दौरान सरकार ने रुई का कोई आयात नहीं किया।

विदेश-मुद्रा प्रेषण योजना

289. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीयों द्वारा धारित अलेखादेय विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने के लिए बनी आम माफी योजनाओं में से एक विदेशी मुद्रा प्रेषण योजना का आकलन यह पता लगाने के लिए किया है कि निवासी भारतीयों द्वारा अपने काले धन के स्वामित्व को विदेशी मुद्रा ड्राफ्टों के बदले विदेश स्थित अनिवासी भारतीयों के कब्जे में देने के द्वारा अपने बेहिसाब रुपयों के भंडारों को सफेद बनाने के एक बड़े उपकरण के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आम माफी योजनाओं का काले धन को सफेद धन करने के काम में इस्तेमाल न किया जा सके;

(ग) इन आम माफी योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल कितने धन की प्राप्ति हुई है; और

(घ) विदेशी मुद्रा प्रेषण योजना में हवाला गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक कानून के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) विदेशी मुद्रा (उन्मुक्ति) प्रेषण योजना, 1991 भुगतान संतुलन संबंधी वर्तमान कठिनाइयों पर काबू पाने और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना सीमित समयावधि के लिए खुली है। इस योजना के अनुसार, विदेशी मुद्रा में प्रेषणाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी कानून के अन्तर्गत कोई पूछताछ अथवा जांच शुरू नहीं की जा सकती। इस स्कीम के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्ति हुई हैं। तथापि, इस स्कीम से संबंधित संग्रहों के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टाक एक्सचेंजों में "बदला फाइनेंसिंग" और "ओपवाग्स ट्रेडिंग" रोकने के उपाय

290. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंज को दो समस्याओं—विशिष्ट ब्याज दरों सहित "बदला फाइनेंसिग" और "ओपवाग्स ट्रेडिंग" का हल नहीं हो सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए और बदला फाइनेंसिंग तथा "ओपशन्स ट्रेडिंग" के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय ने फरवरी, 1991 में पूंजी बाजार अनुसंधान एवं विकास समिति, नई दिल्ली द्वारा शेयर बाजारों में शेयरों के व्यापार पर एक विशेष अध्ययन दल नियुक्त किया था। अध्ययन के संदर्भ की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली और अहमदाबाद के शेयर बाजारों और शेयरों में "बदला प्रणाली" के परिचालन के विशेष संदर्भ सहित भारतीय शेयर बाजारों में प्रचलित व्यापारिक प्रणाली की जांच करना शामिल था। विशेषज्ञ अध्ययन की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अनुसार प्रतिभूतियों में विकल्प अवैध है।

एम० आर० टी० पी० (एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार) अधिनियम में संशोधन

291. **श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने हेतु एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में संशोधन करने के लिए विधान बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चिट फंड तथा जमीन-जायदाद संबंधी व्यापार को भी संशोधक विधान के दायरे के अंतर्गत लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रपति ने नये उपक्रमों की स्थापना, विस्तार, समामेलन, विलयन, अधिग्रहण तथा निदेशकों की नियुक्ति और उपक्रमों के पंजीकरण के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के प्रवेश-पूर्व प्रतिबन्धों को हटाने के लिए 27 सितम्बर, 1991 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 प्रख्यापित किया है। यह प्रस्तावित है कि इस अध्यादेश को संसद के एक अधिनियम द्वारा बदला जाए। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद के चल रहे सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी हां। अध्यादेश के अनुसार, "सेवा" की परिभाषा को चिटफंड को सम्मिलित करके उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है। यह स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है कि जमीन-जायदाद से संबंधित कोई भी लेन-देन "सेवा" में शामिल किया गया माना जाएगा।

"सोफ्ट ड्रिंक फर्म चार्ज विद अनफेयर मीन्स" शीर्षक समाचार

292. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "सोफ्ट ड्रिन्क फर्म चार्ज विद अनफेयर मीन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां, महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण ने एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 10(क) (iii) के अन्तर्गत मैसर्स पेपसी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ के विरुद्ध उनके द्वारा "लहर 7 अप कूल कूल ऑफर" शीर्षक के अन्तर्गत एक योजना आरम्भ करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष एक आवेदन किया है, जिस योजना के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई थी कि योजना में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रतिवादी के शीतल पेय के छह कॉउन ढक्कन एकत्र करने तथा उसके साथ 25 रुपये का भुगतान करने पर एक टी शर्ट प्राप्त होगी अथवा प्रतिवादी के शीतल पेय के 3 कॉउन ढक्कन एकत्र करने तथा उसके साथ 5 रुपये का भुगतान करने पर एक फिडो डिडो बैंड प्राप्त होगा। इस स्कीम का विज्ञापन अनेक जाने माने राष्ट्रीय और राज्यीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ जिनमें दिनांक 26-9-1991 का इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली का संस्करण भी शामिल है। एम० आर० टी० पी० आयोग ने कम्पनी के विरुद्ध जांच का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया क्योंकि आयोग के विचार में स्कीम पर एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 2(ण) लागू होती है।

2. डी० जी० आई० एण्ड आर० द्वारा कम्पनी के विरुद्ध जांच के निष्कर्ष तक प्रतिवादी को स्कीम जारी रखने से रोकने के लिए अस्थायी व्यादेश मंजूर करने हेतु धारा 12 के अन्तर्गत आयोग के समक्ष एक दूसरा आवेदन दायर किया गया है। 14 नवम्बर, 1991 के आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद आयोग ने एक अन्तरिम व्यादेश पारित किया है जिसमें प्रतिवादी पर "पूर्वोक्त विज्ञापन में वर्णित योजना का विस्तार करने अथवा उसे आगामी आदेश तक पुनः शुरू रखने के लिए" रोक लगाई गई है।

भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक समझौता

293. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन के साथ एक दीर्घकालिक व्यापार और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करने है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारत और चीन द्वारा अगस्त, 1984 में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो

अब भी लागू है। इस करार के तहत समय-समय पर व्यापार संलेखों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस करार के तहत दिनांक 8 फरवरी, 1991 से एक वर्ष के लिए नवीनतम व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन से सीमावर्ती व्यापार पुन: आरंभ करने संबंधी कुछ प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

विदेशी निवेश

294. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान आज तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ख) इनमें विदेशी निवेश की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जापान और ब्रिटेन ने नई औद्योगिक नीति का उत्साहवर्धक उत्तर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 94 विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

(ख) निवेश में अमरीकी डालर 34,407,000 और 3 करोड़ रुपए की धनराशि अन्तर्ग्रस्त है।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, जापान और युनाइटेड किंग्डम से इस नीति को पर्याप्त उत्साहवर्धक उत्तर मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इन देशों से निवेश प्रस्तावों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

देश	प्रस्तावों की संख्या	अमरीकी डालर में धनराशि
(i) सं० रा० अमरीका	3	17,381,000
(ii) जर्मनी	3	472,000
(iii) फ्रांस	—	—
(iv) जापान	1	12,750,000
(v) यूनाइटेड किंग्डम	5	2,880,000

पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा की घोषणा

295. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि भारत आने वाले पर्यटकों से उनके पास विदेशी मुद्रा के बारे में घोषणा-पत्र लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विद्यमान मुद्रा विनियमन के अनुसार, 1,000 रुपये अमरीकी डालर की पूर्ववर्ती सीमा के स्थान पर 6-11-91 से यदि कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डालर से अधिक हो तो विदेश से आने वाले सभी पर्यटकों को करेंसी घोषणा पत्र में करेंसी, बैंक नोट और यात्री चैक के रूप में लाई गई विदेशी मुद्रा की घोषणा करनी होती है।

(ग) विदेशी मुद्रा से संबंधित आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त शक्ति मौजूद है।

पेटेंट्स एक्ट, 1970 में संशोधन

296. **डा० असीम बाला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेटेंट्स अधिनियम, 1970 में संशोधन करके पेटेंट अधिकार को सजीव रूपों के मामले में भी लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो "प्लांट ब्रीडर्स राइट" में शामिल होने के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टि-कोण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने इण्डियन पेटेंट्स एक्ट में सुधार करके सजीव रूपों को एकस्व करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि जैव तकनीक विभाग ने एक समिति का गठन किया है जो अभी जैव तकनीकी आविष्कारों की एकस्व क्षमता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों की जांच कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पौध प्रजनकों के अधिकार तथा उस पर सरकार की स्थिति के मामले की अलग से जांच कर रही है।

कोल्हापुर में मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ

297. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर में मुंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना के लिए महा-राष्ट्र के छह पश्चिमी जिलों की जनता निरंतर मांग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां। मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान और नागपुर तथा औरंगाबाद स्थित उसकी दो विद्यमान स्थायी न्यायपीठों के अतिरिक्त, अमरावती, पुणे, कोल्हापुर और शोलापुर में मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए, समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता जब तक कि

उच्च न्यायालय की सिफारिशों के साथ राज्य सरकार से इस बाबत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता। आगे कार्यवाही करने के लिए, उच्च न्यायालय की सिफारिश वाले ऐसे प्रस्ताव की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बैंकों में जमा धनराशि के ब्याज पर आयकर

298. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**
श्री पी० सी० थामस :
श्री बलराज पासी :
श्री मोरेश्वर सावे :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में जमा धनराशि से मिलने वाले ब्याज पर स्रोत पर आयकर वसूल करने के सरकार के निर्णय से बैंकों में जमा धनराशि में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1989, 1990 और 1991 के 31 अक्तूबर तक बैंकों में जमा धनराशि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का जमा धनराशि में गिरावट को देखते हुए योजना की समीक्षा करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां जून, 91 के अन्तिम शुक्रवार के अनुसार 199108 करोड़ रुपए से बढ़कर अक्तूबर, 91 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 214528 करोड़ रुपए हो गई हैं।

अक्तूबर, 89, अक्तूबर, 90 और अक्तूबर, 91 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां निम्नानुसार थीं :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
अक्तूबर, 1989	156520
अक्तूबर, 1990	181780
अक्तूबर, 1991	214528

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार बैंक जमाराशियों की वृद्धि की प्रवृत्ति की सतत समीक्षा करते हैं और जब कभी आवश्यक होता है सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

सोवियत संघ के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध

299. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ में हाल की घटनाओं का भारत-सोवियत व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) सोवियत संघ के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को पुनः सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सोवियत संघ में भौतिक तथा आर्थिक ढांचे के विघटन की व्यापक प्रक्रिया का भारत-सोवियत व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसे देखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिससे कि द्विपक्षीय-व्यापार को नई गति प्रदान की जा सके। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(I) सोवियत गणराज्यों के साथ सीधा संपर्क कायम करना;

(II) वाणिज्यिक उपक्रम स्तर पर सीधे संपर्क बढ़ाना जिसमें दोनों देशों के व्यापार मंडलों के बीच बढ़ाए गए पारस्परिक क्रियाकलाप भी शामिल हैं;

(III) संयुक्त उद्यमों जैसे आर्थिक सहयोग के नए ढांचे पर अधिक बल देना; और

(IV) चूंकि सोवियत संघ के साथ संतुलित व्यापार प्रणाली में निर्यातों का वित्त पोषण करने के लिए आयात रुपये का सृजन करते हैं अतः सोवियत संघ से भारत को किए जाने वाले निर्यातों पर भी बराबर जोर दिया जा रहा है।

अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि का दौरा

300. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :
श्री रवि राय :
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :
प्रो० सुशांत चक्रवर्ती :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच विभिन्न विषयों पर हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों ने अपने क्या दृष्टिकोण व्यक्त किये; और

(घ) इस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि सुश्री कार्ला हिल्स ने दिनांक 4 अक्तूबर से 8 अक्तूबर, 1991 तक भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बहुपक्षीय वार्ताओं के उरुग्वे दौर में जिन मामलों पर समझौता वार्ताएं की जा रही हैं उन पर और साथ ही भारत में हो रहे आर्थिक सुधारों पर भी विचार-विमर्श

किया गया। उरुग्वे दौर की वार्ताओं के सम्बन्ध में जिन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें वस्त्र-व्यापार, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार-सम्बन्धी पहलू (टी० आर० आई० पी० एस०), व्यापार-सम्बन्धी निवेश उपाय (टी०आर०आई० एम० एस०) और नियम बनाने सम्बन्धी मामले शामिल हैं। वस्त्र के मामले में, भारतीय पक्ष ने बिना किसी सुधार के और भारत के वस्त्र निर्यात के लिए बिना किसी उन्नत बाजार-पहुंच मांगे बहु-रेशा करार को 31 दिसम्बर, 1992 तक समाप्त कर दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। बहुरेशा-करार को चरणबद्ध रूप से पूरा करने की प्रक्रिया को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अमरीकी पक्ष ने बताया कि वे भारत के अनुरोध पर विचार करने को तैयार है।

टी० आर० आई० पी० एस० के मामले पर दोनों पक्षों के बीच कापीराइट, ट्रेड मार्क और साथ ही कापीराइट के उल्लंघन पर इनके प्रवर्तन पर विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया और मतभेदों को काफी हद तक कम किया गया। एकस्वों के मामले में कोई नया मुद्दा नहीं उठाया गया और दोनों पक्षों ने इस मामले पर वर्तमान स्थिति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। टी० आर० आई० एम० एस० के मामले पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत की नीति में हाल में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया था।

स्विस शिष्टमंडल का दौरा

301. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और अधिक सुधारने के लिए इस वर्ष अक्तूबर में स्विस शिष्टमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किए गए मुद्दों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) स्विस शिष्टमंडल ने भारत में किन क्षेत्रों में निवेश करने का प्रस्ताव किया था और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री एवं उप राष्ट्रपति श्री रेने फेलबर के नेतृत्व में एक स्विस प्रतिनिधि-मंडल ने 7 अक्तूबर से 13 अक्तूबर, 1991 के दौरान भारत का दौरा किया। पारस्परिक विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक आर्थिक एवं व्यापार सम्बधों को घनिष्ठ बनाने की अपनी वचनबद्धता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमियों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों, विशेषत: साफ्टवेयर प्रीसीजन उपकरण, वस्त्र तथा रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया गया।

हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण

302. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के लड़ाकू विमान के देश में विकास में इसके निर्माण शुरू करने से अब तक क्या प्रगति हुई है और इस पर राज्यवार कितना खर्च हुआ है; और

(ख) इस परियोजना के पूरा होने तथा हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए क्या समय सीमा तय की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) हल्के युद्धक वायुयान का परियोजना परिभाषा चरण पूरा कर लिया गया है। अगले चरण अर्थात् परियोजना परिभाषा चरण के बाद के चरण के रूप में पूरे पैमाने पर इंजीनियरी विकास अप्रैल, 1990 में शुरू किया गया और इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण के कार्यकलापों, जिसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन की योजना है, के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। पहले चरण के साथ-साथ प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए पूरे पैमाने पर इंजीनियरी विकास के दूसरे चरण की योजना बनाई गई है। अक्तूबर, 1991 तक 390 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है जिसमें से परियोजना परिभाषा चरण पर 72.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

(ख) हल्के युद्धक वायुयान की प्रौद्योगिकी दर्शाने सम्बन्धी पहला उड़ान वर्ष 1996 में किए जाने की आशा है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इस वायुयान का निर्माण अगले दशक के प्रारम्भिक वर्षों में शुरू होने की सम्भावना है।

समाचार-पत्र समूहों द्वारा ऋणों का कथित दुरुपयोग

303. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न समाचार-पत्र समूहों ने ब्याज-रहित ऋण प्रदान करने तथा अन्य अव्यवसायिक प्रयोजनों के लिए ब्याज पर उधार ली गई वृहत धनराशि का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों के निर्धारित प्रयोजनार्थ उपयोग न किये जाने की सूरत में इनको समाप्त न करने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों, लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों और बैंकरों से प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपने व्यक्तिगत घटकों के बारे में सूचना को प्रकट नहीं कर सकते।

विदेशों में संयुक्त उद्यम

404. **श्री छीतू भाई गामित**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत किन कंपनियों को अनुमति दी गयी है;

(ख) भारतीय कंपनियों के साथ-साथ वे कौन-सी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने संयुक्त उद्यम लगाये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय औद्योगिक घरानों से संबंधित अनेक कंपनियां फेरा के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति के बिना भारत के बाहर कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय कंपनियों तथा संबंधित विदेशी कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजना के तहत भारत सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है और यदि इस प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई है तो फेरा विनियमों के अन्तर्गत कारंवाई की जा सकती है। इस मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि औद्योगिक घरानों की कोई कंपनियां सरकार की ऐसी स्वीकृति के बिना कार्यरत हैं।

विवरण

क्रम संख्या	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम
1	2	3
आस्ट्रेलिया		
1.	मैसर्स ओबराय होटल (इंडिया) प्रा० लि०, कलकत्ता	डी० एल० फरुगिया एंड पी० एस० फरुगिया, आस्ट्रेलिया
2.	मैसर्स भगवती पालीमियर्स (प्रा०) लि०, बम्बई	आस्ट्रेलियन गम प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, आस्ट्रेलिया
बहरीन		
3.	मै० एल० आई० सी० आफ इंडिया, बम्बई	दि इंटरनेशनल एजेंसीज कं० लि० (इंटरकोल), बहरीन
4.	मै० डाटा सिस्टम्स सर्विसेज प्रा० लि०, पुणे	मि० फाउड इब्राहिम अल मुटवा, यू० ए० ई०
5.	मै० वोल्टास इंटरनेशनल लि० एण्ड मै० सिमटो इंवेस्टमैंट कं० लि०, बम्बई	अहमद मंसूर अल आअली, बहरीन

1	2	3
बोत्सवाना		
6.	मै० कंसालीडेटिड फाउन्डेशन (इंडिया) लि०, बम्बई	मि० राईट एम० मेकवी बोत्सवाना मिसेज राजश्री सुहाश कुमार, न्यूयार्क
बंगलादेश		
7.	मै० बिरला टैक्नीकल सर्विसेज, बम्बई	एच० वाई०/एस० ए० मुनीछ गिनीरेरो सेन निकोलस, मैक्सिको
8.	मै० इलीगेन्ट अपैरल्स (प्रा०) लि०, बम्बई	(i) बी० ए० अहमद तथा (ii) मिसेज नासरीन हुसैन तथा अन्य
ग्रीस		
9.	मै० महेन्द्रा एंड महेन्द्रा लि०, बम्बई	मि० कंसटेनटाइन जेकरपोलस हेरीलस कोनकिस तथा अन्य
मिस्र		
10.	मै० ओबराय होटल्स प्रा० लि०, कलकत्ता	दि इजेपिशियन जनरल कं० फार टूरिज्म एंड होटल्स, काहिरा
11.	मै० टी ट्रेनिंग कार्पो० आफ इंडिया लि०, कलकत्ता	दि इजेपिशियन कं०फार पैकिंग एण्ड डिस्ट्री-ब्यूटिंग फूड स्टफ्स (घेमटी) ए० आर० ई०
12.	मै० ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई	ट्रांसपोर्ट एंड इंजीनियरिंग कं० एलेक्जेनड्रिया टायर कं० इंडो भारत रेयन
फिजी		
13.	मै० मैशियन पेंट्स (इंडिया) लि०, बम्बई	(i) रैजीडेंस आफ होस्ट कंट्री (ii) ई० एम० जान्स लि०
हांगकांग		
14.	मै० डेवलपमेंट कंसलटैन्ट्स प्रा० लि०, कलकत्ता	मि० अमिता चौधरी मि० हेवटी होसनटेसी, हांगकांग
15.	मै० मेहरा ज्वैलर्स, नई दिल्ली	ओरियंट कार्पो० हांगकांग
16.	मै० मंगलिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट (आई) लि०, बम्बई	मि० एन० जी० यांग हुई, सिंगापुर मि० मिली कार्पोरेशन (पीटीइ) लि०, सिंगापुर
17.	मै० मार्ग मार्किटिंग एंड रिसर्च ग्रुप (प्रा०) लि०	स्टार्च इनरा हूपर इंक डेविड थेयोडेरी बूटेमाले तथा अन्य

1	2	3
18.	ओबराय होटल्स (प्रा०) लि०, दिल्ली	एम० ई० एक्स० एक्स० इंवेस्टमेंट्स सी० वी०
फ्रांस		
19.	मै० राइटस, नई दिल्ली	साफरीटीबी, फ्रांस
इंडोनेशिया		
20.	मै० दि रेमन्ड वूलन मिल्स लि०, बम्बई	मै० जे० के० यार्न एजी यंग मि० गनी डिजेमल एंड अन्य, इन्डोनेशिया
21.	ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स इंडस्ट्रीज, कलकत्ता	पी० टी० बेकती इंडस्ट्रीयल एण्ड डिव० कार्पो० एंड पी० टी० वेकलानी एण्ड मिसलेनिबस
22.	भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली	मि० मोहन लाल मै० टोकोटाला रोम, इन्डोनेशिया
23.	मै० इस्पात प्रोजैक्ट्स लि०, कलकत्ता	मै० आटमन इन्वेस्टमेंट्स लि०, हांगकांग मि० इडी कोवारा, जकारटा
24.	मै० कुसुम प्रोडक्ट्स लि०, कलकत्ता	डा० अटंग कारटुन हडोजा विलप्रिस्ट नेमीनीज लि०, हांगकांग
25.	मै० गोदरेज एंड बायसी मैन्यू० कंपनी प्रा० लि०, बम्बई	हाजी नोटजी बदोई, जकारटा
26.	मै० बंबई डाईंग एण्ड मैन्यू० कं० लि०, बम्बई	कामनवेल्थ टैक्सटाइलस (जे० के० टी०) लि०, हांगकांग पी० टी० इंटर आर्या टैकनीक एस० पी० टी० पुसलानी
27.	मै० गोकापटेल वोलकार्ट लि०, बंबई	पी० टी० आई० पी० कार्पो० पी० टी० एस० बी कार्पो० ठकराल ब्रदर्स
28.	मै० प्रेसिज इंड० लि०, बम्बई	पी० टी० बकलानी ठकुराल होल्डिंग (एच० के०) लि०, हांगकांग इन्डोनेशिया ग्रुप इंक
29.	मै० बिरला बम्बई प्रा० लि०, सिकंदराबाद	लेंजिग एजी० आस्ट्रेलिया पी० टी० पूना गोल्डन लायन, इंडोनेशिया अविल इंवेस्टमेंट लि०
30.	दि स्टैन्डर्ड कं० लि०, बम्बई	मैंट्रो ट्रेडंग लि०, केमन आइलैंड हंटमैन लि० जर्सी, यू० के० तथा अन्य

1	2	3
कीनिया		
31.	मै० दि रेमेंट वूलन मिल्स कं० लि०, बम्बई	चढ्ढा ब्रदर्स लि०, आई० सी० डी० सी० नैरोबी तथा अन्य
32.	मै० ओरियंट पेपर मिल्स लि०, कलकत्ता	गवर्नमेंट आफ कीनिया इंडस्ट्रीयल एण्ड कर्माशियल डेव० बैंक तथा अन्य
33.	मै० बोल्टन इंडिया, फरीदाबाद	मि० क्रिमन मटुआ तथा 5 अन्य
34.	मै० एल० आई० सी० एण्ड जी० आई० सी० आफ इंडिया, बम्बई	केनियन शेयर होल्डर्ज
35.	मै० किर्लोस्कर ब्रदर्ज लि०, पूणे	मि० मवान्गी मथाई एण्ड एसोसिएट्स
36	मै० गंगपा केबल्स लि०, हैदराबाद	कोस्ट केबिल्स लि०, केन्या
37.	मै० मोहन मोकिन ब्रीविरीज लि०, हिमाचल प्रदेश	गेलेट इण्डस्ट्रीज लि० मोहन गेलेट एण्ड ब्रदर्ज
38.	मै० इण्डियन प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग कं०, बम्बई	एमवजा इण्डस्ट्रीज रिचर्ड एम० एमवागले आशाभाई पी० पटेल
मलयेशिया		
39.	मैसर्स गोदरेज एण्ड बायसी मैन्यू० कं० प्रा० लि०, बम्बई	मि० डाटो जी० एस० गिल मि० संगत सिंह तथा अन्य
40.	मै० जे० जी० ग्लास इन्डस्ट्रीज लि०, पुणे	एलाइड प्रोपारटाज एस० डी० एन० बी० एच० डी० पॉम एण्ड वेजीटेबिल आयल्स (एम०) एस० डी० एन० बी० एच० डी०
41.	मै० बम्बई आटो एनसलरी एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०	एनिक एवडवल मुख्तार अहमद तथा अन्य
42.	मै० जैवगेहैंड गायकवाड प्रा० लि०, बरौदा	गुआं० गुआं० इण्डस्ट्रीज एस० डी० एन० बी० एच० डी०
43.	मै० क्वालिटी टैक्सटाइल एसोसिएट्स प्रा० लि०, एन० तमिलनाडु	एन० आर० ए०
44.	मै० ट्रोपटी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०, बम्बई	दि ग्रेट एलोननियरज ट्रेडिंग कार्पो० तथा अन्य
45.	मै० बिरला ईटर्स्न लि०, कलकत्ता	नेशनल लैंड कोआप० सोसाइटी लि०, बेहर इंक तथा अन्य

1	2	3
46.	मै० गजरा गियर्स प्रा० लि०, बम्बई	स्टेट इकोनामिक डेव० कार्पो०, मलयेशिया
47.	मै० किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कं० लि०, बंगलौर	इन्डो-मलयेशियर इन्जी० कं० बी० एच० डी० भूमिपुत्राज
48.	मै० रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि०, नई दिल्ली	डा० माधवन परमेश्वरन एण्ड अदर्ज
49.	मै० बिरला इस्टर्न लि०, ग्वालियर	नेशनल लैंड फाइनैंस कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कोआलालमपुर
50.	मै० जनरल इन्युरेंस कार्पो० आफ इण्डिया, बम्बई	लोकर शेयर होल्डर्ज
51.	मै० फुजेगीअुर इलैक्ट्रीक लि०, मद्रास	हुंग सेन इलेक्ट्रिकल यू० एन० आई० पेसीफिक ट्रांसपोटेशन एण्ड अदर्ज
52.	मै० बैस्ट एण्ड क्रामटन इण्डिया लि०, मद्रास	अरब मलयेशिया डेव० बी० एच० डी०
53.	मै० यूनिवर्सल रैडियेटर्ज लि०, कोयम्बटूर	एसोसिएटिड आटोपार्ट इण्टरप्राइजिज एस० डी० एन० बी० एच० डी० तथा अन्य
54.	मै० गुजरात रिक्लेम एण्ड रबड़ प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई	मलेशियर रबड़ डेव० कार्पो० बी० एच० डी०
55.	मै० जगजीत कोटन टेक्सटाइल मिल्स लि०, नई दिल्ली	सचदेवा कंसलटेन्ट्स ग्रेट अलोनटरस ट्रेडिंग का०
56.	मै० बिरला ईस्टन लि०, कलकत्ता	पीगमास सीडन, क्वालालम्पुर
57.	मै० समूटेक्स केमिकल (प्रा०) लि०, बम्बई	डा० तान ची हुआ लीमसेंग टी टान टीग होंक
58.	मै० हिन्दुस्तान सेपटी ग्लास वर्क्स	पहले देश के नागरिक और तीसरे देश के नागरिक
मारीशस		
59.	मै० इलोफीक इंड० प्रा० लि०, नई दिल्ली	ट्री बीचन्द कं० लि० डहल ब्रदर्स एण्ड कं० लि० और अन्य
60.	मै० एयर इंडिया, बम्बई	एयर मारिशस
61.	मै० लक्ष्मी मशीन वर्क्स, कोयम्बटूर	स्टेट इंवे० कार०, पोर्टलुई

1	2	3
62.	मै० एलजीं टायर एण्ड लि०, कोयम्बटूर	श्री इंद्रा थकुडी
नीदरलैंड		
63.	मै० बेक्लाइट हेल्म लि०, सिकन्दराबाद	श्री वूरवालट होल्डिग
64.	मै० टेलीकमुनीकेशन कंसलटेन्ट इण्डिया लि०, नई दिल्ली	नीपोस्टल, नीदरलैंड
नेपाल		
65.	मै० ओबराय होटल (इण्डिया) प्रा० लि०, कलकत्ता	एन० आर० ए०
66.	मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, कलकत्ता	श्री राम नारायण लाल कासधन और अन्य
67.	मै० मोहन मैकिंग लि०, नई दिल्ली	एच० आर० एस० प्रिंसस सोभा राजलक्ष्मी शाही और अन्य
68.	मै० हैदराबाद इन्ड० लि० हैदराबाद	महामहिम, नेपाल सरकार के० के० बम्फोर्ड एंड कं० लि०, हांगकांग
69.	मै० उड़ीसा इन्ड० लि०, राहुलकेला	महामहिम, नेपाल सरकार
70.	मै० एशियन पेन्ट (इन्डिया) लि०, बम्बई	नाम नहीं बताया गया है (स्थानीय नागरिक)
71.	मै० सीता वर्ल्ड इन्डिया लि०, नई दिल्ली	श्री अरुण शर्मा कुमार प्रसाद सप्कोटा और अन्य
72.	मै० जेनसंस एण्ड निकल्संस (इन्डिया) लि०, कलकत्ता	पी० एल० श्रेष्ट बी० बी० श्रेष्ट और अन्य
73.	मै० आई टी० सी० लि०, कलकत्ता	श्री पी० एस० जे० बी० बी० राना और उनका समूह, नेपाल
74.	मै० डालमिया इन्ड० प्रा० लि०, नई दिल्ली	एन आर ए
75.	मै० राजस्थान फर्टिलाइजर एण्ड केमी० कार०, जयपुर	श्री सुनील समशेर, जे० बी० राना और अन्य

1	2	3
76.	द इण्डियन होटल क० लि०, बम्बई	एच० आर० एच० प्रिंसस हेलन शाह और अन्य
77.	मै० इन्डियन ईस्ट कं० लि०, कलकत्ता	श्री बी० एल० श्रेष्ट, रवि लाल और अन्य
नाइजीरिया		
78.	बिरला ब्रदर्स प्रा० लि०	नाइजीरिया के रिवर्स राज्य की सरकार और अन्य
79.	मै० बिरला ब्रदर्स प्रा० लि०, कलकत्ता	अलाहजी सेहू मलामी अलाहजी अलियू माई सेंगों और अन्य
80.	मै० वेस्ट एण्ड क्राम्प्टन इन्जी० लि०, मद्रास	श्री जे० ए० कोहली और आठ अन्य
81.	मै० रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लि०, नई दिल्ली	श्री सी० आर० दरीयानानी और अन्य नाईजिरीयन नागरिक
82.	मै० कबंचन्द्र थापर, नई दिल्ली	चेलसंस (बरमूदा) लि० और 7 अन्य
83.	मै० हैदराबाद ऐस्बेस्टस सीमेंट प्रोड० लि०, हैदराबाद	बोची स्टेट सरकार, नाईजीरियन इन्ड० डेव० बैंक और अन्य
84.	मै० एच एम टी लि०, बंगलौर	नाईजीरिया संघीय गणराज्य की संघीय सेना सरकार
85.	मै० एल्यूमीनीयम इन्ड० लि०, कुदारा	बोची स्टेट सरकार और अन्य
86.	मै० बलारपुर इन्ड० लि०, नई दिल्ली	फोर सीजन्स ट्रेडिंग एन्ड इनवेस्टमेंट लि० तथा अन्य
87.	मै० टेलीकम्युनीकेशन कंसल्टेन्ट्स इंडिया लि०, नई दिल्ली	अलहाजी तिजानी हासीम अलहाजी इसयाकू रबीयू और अन्य
88.	मै० कैम्पा बीवरेज प्रा० लि०, नई दिल्ली	मै० हिलटाप बाटलिंग कं० लि०, नाइजीरिया
89.	मै० मीकन (इंडिया) लि०, रांची	डेल्टा स्टील कं० लि०, अजोकुटा स्टील कं० लि० और अन्य
90.	मै० यूनिक फार्मास्यू० लेबो० लि०	बासीटी नाइजीरियन फार्मा० लि०
91.	मै० मान इन्टरनेशनल, हरियाणा	मै० जगी इन्ड० लि०, नाइजीरिया
92.	मै० रेनबेक्सी लेबो० लि०, नई दिल्ली	रैन मैक्स लेबो० (नाइजीरिया) लि०, लागोंस

1	2	3
ओमान		
93.	मै० वोल्टास इन्ट० लि०, बम्बई	कलबवश इरिगेशन एण्ड वेल ड्रीलिंग, मसकट
94.	मै० वेस्टर्न इण्डिया इरेक्शन लि०, पुणे	अल-रमद बिजनेस कार० और इसकी सहयोगी कम्पनी
पनामा		
95.	मै० महिपाल इन्वेस्ट० प्रा० लि०, बम्बई	मै० परिवास ऐस्ट मैनेजमेंट, पनामा
96.	मै० यूनिवर्सल रेडियेटर लि०, कोयम्बटूर	श्री बी० एस० नारायण, श्री के० पी० सम्सुद्दीन और अन्य
स्पेन		
97.	मै० फी मैन्स मिजरस प्रा० लि०, लुधियाना	मै० आइबर मेट्रोस एस ए बार्सिलोना, स्पेन
पुर्तगाल		
98.	मै० ग्लेनमार्क फार्मेस्यूटिकल (प्रा०) लि०, बम्बई	ब्रिटेन के श्री एक्स० रेमिडियोस, ब्रिटेन के श्री गोपाल कृष्णन, केनिया के श्री एस० हरानी
फिलीपीन्स		
99.	मै० ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स लि०, 24 प्रागनास, प० बंगाल	सिसवाल इन्टरप्राइसिस एण्ड एसोसिएट्स मासफंको एण्ड एसोसिएट्स, मनीला एंड अदर्स
साऊदी अरब		
100.	मै० डेकन इन्टरप्राइसिस प्रा० लि०, सिकन्दराबाद	मै० सन्डी अरेबियन अरवानटिट कं० लि०, साऊदी अरब
101.	मै० ओबराय होटल (आई) प्रा० लि०, कलकत्ता	सिविल वर्क्स कम्पनी, साऊदी अरब
102.	मै० के ए एम इन्टरनेशनल लि०, बम्बई	शेख अहमद एम० बिनलाभोडन
103.	मै० नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	एच० ए० अली आमिल ब्रदर्स कम्पनी, साऊदी अरब
104.	मै० बेस्ट एण्ड क्रम्पटन इन्जीनियरिंग लि०, मद्रास	नेशनल कन्ट्रेक्टिंग कम्पनी, साऊदी अरब

1	2	3
सेनेगल		
105.	मै० इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कार्पो० लि०, नई दिल्ली	इन्डस्ट्रीज चिमिक्यूज०ड्यू, सेनेगल (आई० एस० सी०)
जार्डन		
106.	मै० न्यू इण्डिया एशोयरेंस कं०, बम्बई	एबीयू जाहर एण्ड कबर ग्रुप, मै० अल क्लार्क इन्सयोरेंस कं० और अन्य
107.	एस पी आई सी, मद्रास	जार्डन फासफेट माइन्स कं०
सोलोमन द्वीप		
108.	मै० एशियन पेन्ट (आई) लि०, बम्बई	एशियन पेन्ट (साऊस पैसेफिक) लि० फिजी और अन्य कम्पनियां
सेशेल्स		
109.	मै० करम चन्द थापर एण्ड ब्रदर्स लि०, कलकत्ता	एन० आर० ए०
सिंगापुर		
110.	मै० टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०, बम्बई	डेव० बैंक, सिंगापुर, टाटा इन्टरनेशनल एजी, स्विटजरलैंड और अन्य
111.	मै० अमृतलाल चीमाबस लि०, बम्बई	मै० एशियन इन्टरेस्ट्स लि०
112.	मै० गोदरेज एण्ड बायेक मैन्यु० कं० प्रा० लि०, बम्बई	श्री ए० बी० शाह, श्री एच० एम० बेदू एन्ड ब्रदर्स
113.	मै० हिन्दुस्तान कंप्यूटर लि०, नई दिल्ली	वेस्केनल लि०
114.	मै० इसार बल्क कैरियर्स लि०, बम्बई	स्कानडिया होल्डिंग्स एस ए, सिंगापुर
115.	मै० फर्स्ट लिजिंग कं० आफ इंडिया लि०, मद्रास	माइकल एनर्जी इन्जीनियरिंग, कोन, सिंगापुर
116.	मै० गोट्ज (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली	मै० गोट्ज एजी, जर्मनी
117.	मै० ड्यूरामेटेलिक इण्डिया लि०, मद्रास	ड्यूरामेटेलिक कार्पो०, अमरीका

1	2	3
118.	मै० नेशनल इन्जी० इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	बिरला एसोसिएट्स प्रा० लि०, सिंगापुर
119.	मै० भूषा इन्टरनेशनल, बम्बई	मोहिन्दर कुमार, सिंगापुर
120.	मै० स्टील ट्यूब्स आफ इण्डिया लि०, देवास	टोक्यो बोएकी लि० एण्ड अदर्स
121.	मै० वोल्टाज इन्टरनेशनल लि० बम्बई	मै० ओमेगा लि०, केमान एण्ड अदर्स
122.	मै० पोद्दार उद्योग लि०, कलकत्ता	श्री दलीप सेन, श्री पी० सी० अग्रवाल एण्ड अदर्स
123.	मै० टिटेनियम इक्यूपमेंट एण्ड एनोड मैन्यू० कं० लि०, मद्रास	श्री के० रामानुजम, सिंगापुर
124.	मै० ओबराय होटल (आई) लि०, दिल्ली	श्री डब्ल्यू० आर० ओ० हुंडरसन (सिंगापुर) ओरियन्ट ओपरेशन्स (सिंगापुर) प्रा० लि०
श्रीलंका		
125.	मै० जे० इंजी० वर्क्स लि०, कलकत्ता	रोलैंड्स एन० सी० भट्ट कारपल सिलोन लि० एण्ड अदर्स
126.	मै० निलाम्बी इन्वेस्टमेंट लि०, बम्बई	श्री सी० डी० जी० कारोलिस (वरिष्ठ) श्रीमती इन्दिरा रानी ए० डियास एण्ड अदर्स
127.	मै० कलर चैम लि०, बम्बई	हैलिस लि०, कोलम्बो
128.	मै० सीता वर्ल्ड ट्रेवल (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली	वाकर्स टूर्स लि० एण्ड अदर्स
129.	मै० शान्ति विहार होटल्स प्रा० लि०, मद्रास	श्री वी० बालासुब्रह्मण्यम्, श्रीलंका
130.	मै० एम० एस० कन्सलटेन्ट्स इंडिया प्रा० लि०, बंगलौर	श्री एस० रामास्वामी, एक्सपोर्ट्स, कोलम्बो
131.	मै० इण्डियन होटल कं० लि०, बम्बई	मोर्गिन इन्वेस्टमेंट कं० लि० लांटास एस्टेब्लिस्टमेंट लि० एण्ड अदर्स
132.	मै० वोल्टाज इन्टरनेशनल लि०, बम्बई	वाकर डेव० लि० एण्ड एसोसिएट्स ओमेगा लि०

1	2	3
133.	मै० बंगाल वाटरप्रूफ लि०, कलकत्ता	श्री एन० सी० भट्ट, कोलम्बो
134.	मै० एडहैसिव एण्ड कैमिकल्स प्रा० लि०	कैमेनेक्स लि०, श्रीलंका
135.	मै० अशोक लेलैंड लि०, मद्रास	लंका अशोक लेलैंड लि०
136.	मै० एशिया मैच कं० प्रा० लि०, शिवकाशी	श्री टी० आर० आर० रेयन केन्डी एण्ड ब्रदर्स
137.	मै० इण्डियन ग्रुम्ड पाइ क० लि०, बम्बई	मद्रा इन्टरप्राइजिंग ईस्टर्न मैनेजमेन्ट लि०
138.	मै० मेकलाई एण्ड मेकलेई फाइमान्स कंसलटेन्सी प्रा० लि०, बंबई	बार्टेड एण्ड कं० लि०, कोलम्बो
139.	मै० अंबाडी इंटरप्राइजेज (प्रा०) लि० मद्रास	मरचेन्टाइल क्रेडिट लि०, एण्ड और अन्य
140.	मै० डायनामिक स्टील (प्रा०) लि० मद्रास	ए० आर० क्लील यू० आर० रहमान ए० आर० अमन, वी० आर० रहमान और अन्य, कोलम्बो
141.	मै० लक्ष्मी टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट लि०, कोयम्बटूर	कोषागार सचिव श्रीलंका सरकार
स्विटजरलैंड		
142.	मै० मगल्या ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा० लि०, बम्बई	श्री एफ० एच० गलाटी श्री जी० एफ० साराशिन, स्विटजरलैंड
थाईलैंड		
143.	मै० बिरला ब्रदर्स प्रा० लि०, बम्बई	आर० एम० आर० मरनाथ एण्ड संस बैंकाक पुरस्वानी एसोसिएट्स, बैंकाक और अन्य
144.	मै० ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि०, नागदा	श्री एम० आर० अमरनाथ एण्ड एसोसिएट्स और अन्य
145.	मै० ओलेक्स इण्डिया प्रा० लि०, फरीदाबाद	थाई मार्टिन्स ट्रेडिंग कं० लि०, एण्ड एसोशिएट्स, थाईलैंड

1	2	3
146.	मै० यूनिटेक लि०, नई दिल्ली	मै० बिनाटोन कं० लि०, थाईलैंड
147.	मै० ग्रासीम इन्डस्ट्रीज, नागदा	एन० आर०ए०
148.	मै० बलारपुर इन्डस्ट्री लि०, नई दिल्ली	ई० ओ० डी० सी० (एशिया) लि० प्रूडेन्सियल एसट मैनेजमेन्ट एशिया लि० और अन्य
149.	मै० ऊषा मार्टिन ब्लैक लि०, कलकत्ता	दिवारचन्द कुन्वर वाल और अन्य
150.	मै० इण्डियन डाईस्टफ इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	टांग टिहुआ हैंग क० लि० और अन्य
151.	मै० रैनबक्सी इन्डस्ट्रीज, पंजाब	मै० ग्लो लाक्स इन्टरप्राइजेज लि०, और अन्य
152.	मै० लूपिन लैबोरेट्री प्रा० लि०, बम्बई	लूपिन प्रा० लि०, ग्लोबेक्स कारपो० प्रा० लि० और अन्य
153.	मै० रेचेम इन्जी० प्रा० लि०, बम्बई	खामफिन कारपोरेशन लि०, बैंकाक
154.	मै० थाट होल्डिंग (प्रा०) लि०, पुणे	मै० पाहुरत प्लाजा कं० लि०
155.	मै० एनसल प्रोपरट्रीज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली	श्री किरितशाह श्री सुनील सेर
156.	मै० हिन्दुस्तान टूल्स एण्ड फोरजिंग प्रा० लि०	ई० पी० एस० एण्ड संस लि०
टोंगा		
157.	मै० एशियन पैन्ट्स (इंडिया) लि०, बंबई	एशियन पैन्ट (साउथ पैसिफीक) लि०, फीजि और अन्य
यूगांडा		
158.	मै० बिरला जूट मै० कं० लि० 9/1 आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता	नेशनल टैक्सटाइल्स बोर्ड, पोस्ट बॉक्स नं० 1259 कम्पाला, यूगान्डा
159.	रोड मास्टर इन्डस्ट्रीज ऑफ इण्डिया लि० राजपुरी, पंजाब	यूगान्डा कारपोरेशन सेन्ट्रल यूनियन लि०, कम्पाला

1	2	3
यू० ए० ई०		
160.	श्री आर० एम० गोकुलदास, 53/57, लक्ष्मी इन्सोरेन्स बिल्ड० श्री पी० एम० रोड, बंबई	(i) बिसीगनेश दी एक्स ऑफ दुबई (ii) श्री एम० के० एडलवाला (iii) बसकोन्टी, एस० ए० (iv) श्री सी० डी० मोतीवाला
161.	मै० फोयनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर प्रा० लि०, 53/57, लक्ष्मी इन्सोरेन्स बिल्ड०, बंबई	श्री एम० के० एडेनवाला पी० ओ० बाक्स नं० 3389, दुबई
162.	मै० गैमन इण्डिया लि० गैमन हाऊस, वीर सावरकर मार्ग, बंबई	मै० गैमन इस्टर्न यूनियन लि०, हांगकांग
163.	बलारपुर इण्डस्ट्रीज लि०, थापर हाऊस, 124, जनपथ, नई दिल्ली	मै० ए० एल० बस्ती मुकथा एसोसिएट, पी० ओ० बॉक्स नं० 2393, दुबई, यू० ए० ई०
164.	मै० क्वालिटी फोरज फूड प्रा० लि०, 154-सी, डा० ए० बी० रोड, बंबई	मै० रिगल ट्रेडर्स दुबई एण्ड इन्टरनेशनल ट्रेडर्स (एन० ई०) एण्ड किशनभाटिया, दुबई
165.	श्री रामानन्द सागर सागर इन्टरप्राइजेज रोड नं० 12 ए, जुहू पारले, बंबई	इब्राहिम अबदुल्ला मुराद
166.	मै० बालमेर लावरी एण्ड कं० लि० 21 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	एच० एच० शेख हशर मकतुम
167.	मै० रेलिएबुल फूड इण्ड० प्रा० लि० रेलिएबुल हाऊस, ए-6, के० बी० एच-डी-ई० आई० जेड० ए० इन्दौर रोड, भोपाल	मै० मोहम्मद ओमर बिन हेदर इस्टैबेलिशमेन्ट, दुबई
168.	मै ए०आई०एम०सी०ओ० पेस्टीसाइड्स लि० पो० ओ० बॉक्स 6822, सांताक्रुज (ई) ईस्ट बंबई	एच०ई० अबदुल्ला बिन अली एल० जाबी अबुधाबे, यू० ए० ई०

1	2	3
169.	मै० गुजरात इंजेक्ट्स लि० हारीडेंक चेम्बरस पी० बी० नं० 2554, सबाजीगंज, बरोदा	1. श्री अबदुल मक्कीद सिद्दीकी यू० ए० ई० 2. श्री अजि जी० सिमजी, ओमान
यू० के०		
170.	मै० घई लाम्बा केटरिंग कंसटन्ट्स (प्रा०) लि०, 29, हनुमान रोड, नई दिल्ली	एच० एन० हरिसैला मि० एम० एन० कौल एण्ड श्रीमती रजनी कांत
171.	मै० घई लाम्बा केटरिंग कंस्लटेन्ट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	जी एल रैस्टोरेन्ट लि०, लन्दन
172.	मै० कर्ना होटल्स (प्रा०) लि०, बी-2, यूनिटी बिल्डिंग, बंगलौर	मि० आर० सूद लंदन एण्ड श्रीमती एस० सूद लंदन
173.	मै० क्लोरो स्टेट (आई) लि०, 34 एस ई ई पी जेड, बंबई	दनोदर्म इलैक्ट्रिक, डेनमार्क
174.	मै० किरलोस्कर ब्रादरसलि० उद्योग भवन, तिलक रोड, पूना	ईवेरा कारपोरेशन टोकियो एण्ड सुमिटोमो कारपोरेशन, टोकियो
175.	मै० दक्कन मैके० एण्ड कैमिकल्स इंड० (प्रा०) लि०, 78, भोसरी इंड० एरिया, पुणे	चैनल ऑफशोर सर्विसस लि० एण्ड श्रीमती सुजाता सुरेश दंडेकर
176.	मै० ओरिएंट लोंगमेन लि०, 3/5, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	(1) श्री एम-धनी डीसूजा, लंदन (2) सैफुद्दीन अब्दुल्ला अली, लंदन (3) मि० जी० के० रेड्डी, यू० एस० ए०
177.	मै० चम्पक लाल इन्वे० एंड फाइनान्स कन्सलटेन्सी लि० रिजेन्ट चैम्बर्स, नरिमन प्वाइंट, बंबई	(1) मीरा बी० पटेल, लंदन (2) बी० आर० पटेल, लंदन
178.	मै० ओबरॉय होटल्स (प्रा०) लि०, मोनगोई, कलकत्ता	श्री विलियम राबर्ट हैण्डरसन आस्ट्रेलिया
179.	मै० बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, 11, इन्डस्ट्री हाउस, 159, चर्चगेट रिक्लेमेशन्स, बंबई	एन० आर० ए०
180.	मै० गुजरात नर्मदा वैली फर्टि-लाइजर कं० लि०, 392015, जिला—भरोंच, गुजरात	श्री अबदुल्ला अहमद नास, बहरीन

1	2	3
181.	मै० सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यु० कं० लि०, बिरला नगर, नई दिल्ली	चैमेट इम्पोर्ट्स एस० ए०
182.	श्री आर० एम० गोमुलदास, 53/57 लक्ष्मी इन्सोरेंस बिल्डिंग, बंबई	(1) ओमनी कंसलटेंट ए० जो० (2) श्री एस० जीहवाने और (3) कु० जे० के० वाकी और अन्य
183.	अम्बालाल साराभाई इण्टरप्राइजेज, वाडी वाडी बड़ोदा	(1) होवियोन लैब, पुर्तगाल (2) इलाज अली, स्विटजरलैंड (3) जेनसेन, बेल्जियम
184.	सी० जे० होटल्स प्रा० लि० मोहन सिंह बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	एन० आर० ए०
185.	जे० बी० बोडा एण्ड कं० प्रा० लि०, बम्बई	(1) श्री लीला बेवगे की (2) श्री टी० एम० और (3) श्री एस० टी० चिनास और अन्य
186.	मोदी ग्रेड्स लि०, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश	होल्ड्सवर्थ और गिब्स डायर्स लि०
187.	आई० एफ० बी० इण्ड० लि०, कलकत्ता	(1) हेनरिच सिशोद ए० जी०, स्विट्जरलैंड (2) फैंक गूडी ब्रिटेन, और (3) डा० आर० ए०, सूटर
188.	मै० माटेसाम्स ऐंटीक्वार्ट्स प्रा० लि०, हैड आफिस, 64, एम० जी० रोड, बंगलौर	(1) श्रीमती टेस्सा रावर्टन एल्लीन मैनर्ड, ब्रिटेन (2) डेविड स्वोप, सं० रा० अम०
संयुक्त राज्य अमरीका		
189.	मै० घई लम्बा कैटरिंग कन्सल्टेन्ट्स (प्रा०) लि० 29, हनुमान, नई दिल्ली	गेलार्ड इंडिया रेस्ओरेंट इल्लिनोएस, सं० रा० अम०
190.	मै० यूनाइटेड बिल्डर्स कन्स्ट्र० इंडिया (प्रा०) लि०, बी०, 26 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	वी० के० अग्निहोत्री

1	2	3
191	मै० लिक्स्लेटी बीवरैजेन (प्रा०) लि० 101 वाटवा जी० आई० डी० सी० इंड० एरिया, नरोल, अहमदाबाद	श्री पी० के० बी० मेहतो, सं० रा० अम०
192.	कुलोस्कर वादर्स लि० उद्योग भवन, तिलक रोड, पुणे	सिग्मण्ड, पुल्लोमीटर पम्प ग्रुप लि०, ब्रिटेन
193.	इंडियन डाइस्टफ इंड० लि०, बम्बई	(1) आगस्मे ए०जी० ज्यूरिख (2) आमेड्यूस इण्टरप्राइजेज लि०, आई० यू० के० और अन्य
194.	मै० आई० टी० सी० लि० वर्जीनिया हाउस, 37, चौरंगी रोड, कलकत्ता	एन० आर० आई० ग्रुप
195.	मै० इण्डियन फाइन ब्लैंक लि०, 14, टालस्टाय मार्ग, कलकत्ता	श्री हींज राथ, सं० रा० अम०
196.	इनफोसीज कनसल्टेन्ट्स प्रा० लि०, 7वां मेन, पांचवा ब्लाक, जयनगर, बंगलौर	कुर्त सलमान एसोसिएट्स
197.	मै० भोरूकॉम साफटवेयर प्रा० लि०, 31-ए, सरोजिनी देवी रोड सेन्ट मेरी चर्च के पीछे, सिकन्दराबाद	ड्रमा रंक आस्टिन, टैक्सास
198.	मै० दीपक फर्टिनाइजर्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स कारपो० लि०, शिव-शक्ति, बी० जी० खेर मार्ग, बम्बई	(1) अनिवासी भारतीय निवेशक और वर्तमान अनिवासी भारतीय शेयर धारक, (11) मिसीसिपी केमिकल्स कारपो० (सम्भावित)
199.	टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेस बाम्बे हाउस, होती मोदी स्ट्रीट, बम्बई	यूनिक्स सिस्टम लैबोरैट्रिज इन्क० 190, रिवर रोड समिट, यू० एस० ए०
यू० एस० एस० आर०		
200	मै० आई० टी० डी० सी० थापर हाउस 124 जनपथ, नई दिल्ली	ट्रस्ट ऑफ स्टेशन रेस्टोरेंट, मास्को, यू० एस० एस० आर०
201.	मै० सुप्रटो ओवरसीज (प्रा०) लि०, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली	यूनियन रिसर्च सेण्टर फार प्रिवेटिव मैडिकल ऑफ दि यू० एस० एस० आर० भारत के साथ व्यापार सम्बर्धन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, मास्को

1	2	3
202.	मै० ऐरो ट्रेडर्स प्रा० लि०, गुरुद्वारा रोड करोलबाग, नई दिल्ली	आम्बुल प्रोडक्टिव लैदर कार्मशियल फुटवीयर एसो० कजक, यू०एस०एस० आर०
203.	फोनिक्स ओवरसीज (प्रा०) लि० गोपाल टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ पब्लिक केटरिंज, लेनिनग्राद
204.	मै० कैमिकल इण्टरनेशनल लि०, 16, रिंग रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली	मै० ओई जेड
205.	मै० ए० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी फ्लैट नं० 9, आत्मा राम मेन्शन, सिन्धिया हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	मै० सोवैक्सपोर्टफिल्म,
206.	मै० लिबर्टी शूज लि० 11/51, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	गोर्की शूज प्रोडक्शन
207.	यूनोटेक लि०, यूनीटेक हाउस, 6, कम्यूनिटी सेण्टर, साकेत, नई दिल्ली	(1) कजाख रिपब्लिक काउन्सिल फारटूरिज्म (2) सेण्ट्रल काउन्सिल फार यूरिज्म मास्को और अन्य
208.	भारत फोर्ज मन्ध्वा, पुणे	(1) मास्को डेन्सन ऑफ दि स्पे० डिजाइन (2) टैक्नालोजीकल ब्यूरो आफ आल यूनियन इण्डस्ट्रियल कारपो० सोगूजोडी, सिट्रोबेटसोल्वस्सिया
209.	मै० इण्डियन होटल्स कम्पनी लि० विलिंग्टन म्यूज, 33, नत्थालाल पारेख मार्ग, बम्बई	यू० एस० एस० आर० स्टेट कमेटी फार फारेन टूरिज्म
210.	मै० रामा एसोसिएट्स बी-10, लारेंस रोड, नई दिल्ली	मै० सोविनकाम मै० पालितरा
211.	इण्डिया फिटिंग्स मैन्यु० कं० लि० 4, कमर्शियल सेन्टर, सफदरजंग डेव० एरिया, नई दिल्ली	(1) अश्काबाद कनज्यूमर गुड्ज प्रोडक्शन एसोसिएशन (2) तुर्कमान रिपब्लिकन जिमसोक बैंक

1	2	3
212.	मै० बिस्लेरी बीवरेजेज लि० वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे अंधेरी (ईस्ट), बम्बई	(1) आ० पी० एल० ओ० उजापस्की प्राम (2) नूकुस बियर फैक्ट्री (3) यूजीबैंक
213.	वरुण मैनेजमेन्ट सर्विसेज (प्रा०) लि०, 29, बैंक स्ट्रीट, बम्बई	(1) चैस्टर ट्रैवल क० लि०, ब्रिटेन (2) ओडेस्सिन्टूर्ग, सोवियत संघ
214.	मिडईस्ट (इण्डिया) लि०, एच-1, जमरूदपुर कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	(1) मैरी एग्रो बिजिनेस इन्टरप्राइजेज (2) सोवियत ऐसो० फार बिजिनेस प्रमोशन विद इंडिया
215.	मै० दिल्ली डेरी स्पेशियलिटीज (प्रा०) लि०, 8/, पश्चिमी मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली	(1) रिपब्लिकन फोरन ट्रेड ऐसो० तुर्कमेनिनटार्ग (2) तुर्कमेनपोट्रेब-सोयूज
216.	—वही—	—वही—
जर्मनी		
217	मै० किर्लोस्कर आयल इंजी० लि०, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, पुणे	(1) इन्टरसेसन वेस्तुगं एन्स्टाल्ट (2) हेंस कोसोनीबर्ग (3) गूंटर मुण्ड और अन्य पश्चिमी जर्मनी
218.	मै० आटो रबड़ (प्रा०) लि०, मेलूर	(1) लोशेर्न गोम, और (2) यू० बा० बी० इन्टर रिमेन्सवेट वाल्टुंग्स उण्ड बेटर
219.	अमीनसंस लेदर फिनिसर्स लि०, 15/288, सिविल लाइन्स, कानपुर, यू० पी०	बंगर्ट्म हैण्डलसेलस-चाफ्ट एम० बी० एच०, पश्चिमी जर्मनी
वेनेजुएला		
220.	टाटा अल्युमीनियम लि०, मार्फत टाटा केमिकल्स लि० बम्बई हाउस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई	इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट कम्पनी कारपो० वेनेजुएला डे गुयाना और अन्य

1	2	3
वियतनाम		
221.	सिमको लि०, नई दिल्ली	कांग ताइ थोम जुयात खाड (पाइनेक्सको) वियतनाम
यूगोस्लाविया		
222.	मैसर्स ऊषा मार्टिन ब्लैक लि०, कलकत्ता	यू० एन० आई० एस० यूगोस्लाविया
जिम्बाब्वे		
223.	मै० न्यू इण्डिया एश्यूरेन्स कं० लि०, बम्बई	श्री ई० बूहेवे मै० रैंक होलसेलर्स और अन्य
हंगरी		
224.	मै० लिबर्टी शूज लि०, 11/51, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	अभी पता करना रहता है।
225.	मै० बिहन महाराष्ट्रा स्टील इण्ड० (प्रा०) लि०, बम्बई	दुनाई वास्मू, हंगरी

स्टाक एक्सचेंजों को सुविधाएं

305. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज में अब तक पंजीकृत दलालों की संख्या कितनी है और इसके पास दलालों/उप दलालों के पंजीकरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है तथा इन आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी;

(ख) क्या सरकार को भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज में पंजीकृत दलालों को भवन/भूखण्ड, हाट लाइनें, टेलीफोन/टेलेक्स जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) सभी स्टाक एक्सचेंजों को एक समान सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि उक्त एक्सचेंज में सदस्य के रूप में कुल 162

व्यक्ति पंजीकृत हैं। इस एक्सचेंज में दलालों और उप दलालों के रूप में पंजीकरण के लिए कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित स्टाक एक्सचेंजों की होती है।

कम्पनियों को पूंजी जुटाने की अनुमति

306. **श्री अमावि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान, माह-वार, कितनी कम्पनियों को जनता से पूंजी जुटाने के लिए "इक्विटी" अथवा "डिबेंचर" जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनता से पूंजी जुटाने की अनुमति दिए जाने के काफी समय बाद भी अनेक कम्पनियों द्वारा अभी "पब्लिक इश्यू" जारी किया जाना बाकी है;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) स्टाक एक्सचेंजों के पास नये "इश्यू" के सूचीबद्ध में असाधारण विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चालू वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 1991 तक) माह-वार, पूंजी जुटाने के लिए अनुमत कम्पनियों की संख्या निम्नलिखित है :—

माह	अनुमत कम्पनियों की संख्या
जनवरी	86
फरवरी	82
मार्च	76
अप्रैल	65
मई	50
जून	65
जुलाई	66
अगस्त	66
सितम्बर	41
अक्तूबर	99

(ख) और (ग) किसी कम्पनी को जनता से पूंजी जुटाने के लिए दिया गया सहमति आदेश सहमति की तारीख से 12 माह के लिए वैध होता है। यदि कम्पनी सहमति आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर निधि नहीं जुटाती है तो इसकी वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

(घ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 73 में विवरणी के जरिए जारी किए गये शेयरों और ऋणपत्रों के सूचीकरण के लिए अंशदान सूची के बंद होने की तारीख से 10 सप्ताह की समय-सीमा का उपबंध है। अत: फिलहाल इस सम्बन्ध में कोई और कदम उठाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

त्रिपुरा में चाय का उत्पादन

[हिन्दी]

307. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष त्रिपुरा में गत वर्ष की तुलना में चाय का उत्पादन कम रहा :

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में चाय के कितने नये पौधे लगाये गये और इस पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) त्रिपुरा में इन वर्षों में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नही।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा में लगभग 150 हेक्टेयर भूमि को चाय रोपण के अन्तर्गत लाया गया। इसमें लगभग 15 लाख नए पौधे/क्लोनकीय कटिंग लगे होंगे और इस पर लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे।

(ग) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान त्रिपुरा में चाय का उत्पादन क्रमश: 4.01 मिलियन किग्रा०, 5.27 मिलियन किग्रा० और 5.26 (अनुमानित) मिलियन किग्रा० हुआ।

भारतीय वायुसेना के विमानों में दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

308. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों के दौरान माह-वार तथा तिथिवार भारतीय वायु सेना के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) इससे सिविलियन सम्पत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) इससे पहले के 6 माह के आंकड़ों की तुलना में दुर्घटनाएं कम हैं या अधिक; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं मे कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 1 मई, 1991 से 3 अक्तूबर, 1991 तक की छ:

महीनों की अवधि में भारतीय वायुसेना के 19 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए । इस सम्बन्ध में ब्यौरा इस प्रकार है : –

तारीख	दुर्घटनाओं की संख्या
17-5-91	1
11-6-91	2
16-7-91	1
19-7-91	1
20-7-91	2
25-7-91	1
27-7-91	1
29-7-91	1
7-8-91	1
20-8-91	1
4-9-91	1
5-9-91	1
17-9-91	1
19-9-91	1
30-9-91	1
9-10-91	1
21-10-91	1
कुल	19

(ख) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप 6 पायलटों तथा 2 सिविलियनों की मृत्यु हो गयी ।

(ग) इन दुर्घटनाओं में लगभग 62,960 रु० की सिविलियन सम्पत्ति, जिसमें ज्यादातर खड़ी फसलें थीं, की क्षति हुई ।

(घ) नवम्बर, 1990 से अप्रैल, 1991 तक की छः महीनों की अवधि के दौरान 17 वायुयान दुर्घटनाएं हुईं ।

(ङ) प्रत्येक दुर्घटना की विशेषज्ञों की जांच अदालत द्वारा पूरी तरह से जांच की जाती है । ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कारंवाइ की जाती है । वायुयान में किसी प्रकार की निर्माण सम्बन्धी खराबी नजर आने

पर वायुयान निर्माताओं तथा प्रयोक्ताओं के विशेषज्ञों का दल इन पर संयुक्त अध्ययन करता है तथा उन खराबियों में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करता है।

अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश योजनाएं

[हिन्दी]

309. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों से अधिक से अधिक धनराशि देश में लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई निवेश योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की आर्थिक रियायत घोषणाओं के समय से कितने अनिवासी भारतीयों ने इनका लाभ उठाया है;

(ग) सरकार ने इससे विदेशी मुद्रा के रूप में आज तक कितनी धनराशि अर्जित की है;

(घ) अनिवासी भारतीयों ने नयी नीति लागू होने के समय से किन-किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया है;

(ङ) क्या अनिवासी भारतीयों को देश में लाई गई सम्पूर्ण राशि मिल जायेगी अथवा इसमें से कुछ राशि सरकारी खाते में जमा कर दी जायेगी; और

(च) अधिक से अधिक संख्या में अनिवासी भारतीयों को इन योजनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार ने भारत में अप्रवासी भारतीयों द्वारा सीधे निवेश करने के लिए हाल ही में एक संशोधित नीति की घोषणा की है। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) अप्रवासी भारतीय और समुद्रपारीय निगमित निकाय को अब उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में (औद्योगिक नीति के अनुबंध III) 100 प्रतिशत इक्विटी तक पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभ सहित निवेश करने की अनुमति दी गयी है।

(ii) अप्रवासी भारतीय और समुद्रपारीय निगमित निकाय पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों सहित ऐसे उद्योगों में भी 100 प्रतिशत इक्विटी तक निवेश कर सकते हैं जिनके लिए आवश्यक रूप से लाइसेंस की जरूरत होती है और साथ ही ऐसे उद्योगों में भी जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है और अन्य किसी उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं, उक्त में निवेश किया जा सकता है।

(iii) भारतीय विकास बाण्ड्स की एक योजना अमरीकी डालर और पौण्ड स्टर्लिंग के मूल्य वर्गों में प्रारम्भ की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष होगी। इन बाण्डों में किया गया निवेश धन कर से मुक्त होगा। उपहार बाण्ड उपहार कर से मुक्त

होंगे और इनसे अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा। निवेशकर्ताओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे निवेशित धन का स्रोत एवं उसके स्वरूप के बारे में बताएं।

(iv) सरकार ने अब कम्पनियों में 5 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक अप्रवासी भारतीयों के पोर्टफोलियो निवेश की सीमा भी संशोधित की है बशर्ते कि कम्पनी साधारण सभा द्वारा ऐसा निश्चय करे।

(ख) से (च) अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रत्यावर्तन आधार पर सीधे निवेश करने की संशोधित नीति की घोषणा 28 अक्तूबर, 1991 को की गयी भारतीय रिजर्व बैंक इस योजना का कार्यरूप देने के तौर-तरीकों पर कार्रवाई कर रहा है।

भारत विकास बांड स्कीम के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। संग्रह संबंधी अन्तिम आंकड़े सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश सरकार को सड़क बांड जारी करने की अनुमति

[अनुवाद]

310. **श्री एम० बी० वी० एम० मूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में सड़क विकास के वित्त पोषण हेतु सड़क बांड जारी करने की अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्य सरकार को यह अनुमति कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बैंकिंग उद्योग को नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्राधीन लाने हेतु प्रस्ताव

311. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकिंग उद्योग को भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्य-क्षेत्राधीन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लेखा परीक्षा के काम को भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र के अन्दर लाने के प्रश्न की हाल ही में जांच की गई है। यह पाया गया

कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा एवं आंतरिक निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालन के वाणिज्यिक स्वरूप को देखते हुए स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व का समुचित योग सुनिश्चित करना आवश्यक है। अत: सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लेखा परीक्षा का काम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपना आवश्यक नहीं समझती।

विशाखापटनम पत्तन पर रात्रि में विमानों को उतरने की सुविधा

312. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना का विशाखापटनम हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का विस्तार करने तथा विमानों के रात्रि में उतरने की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है ताकि यात्रियों की यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए एअर बस आ-जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। विशाखापटनम हवाई अड्डे में एक और सहायक हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण करने/विस्तार करने की योजना है, बशर्ते कि विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट से इस प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध हो जाए। इस बीच, मौजूदा हवाई पट्टी पर वायुयानों की रात्रि में उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की प्राप्ति

313. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चित्त बसु :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री के० वी० तंगाबालू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पटसन निगम द्वारा हस्तक्षेप न करने के कारण पटसन उत्पादक इस वर्ष अपना उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचने को मजबूर हुए;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम द्वारा हस्तक्षेप न करने के क्या कारण हैं;

(ग) चालू पटसन मौसम में कुल उत्पादन की तुलना में भारतीय पटसन निगम ने अब तक राज्यवार कच्चे पटसन की कितनी मात्रा की खरीद की; और

(घ) कच्चे पटसन की कीमतों को उचित स्तर पर बांधने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) रिपोर्टों के आधार पर कच्चे पटसन की कीमतें जब कभी न्यूनतम समर्थन स्तर को छूने लगती हैं तब जे० सी० आई० के समय पर बाजार हस्तक्षेप के कारण पटसन उपजकर्ताओं को अपने उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम पर बेचने के लिए विवश नहीं होना पड़ा है।

(ग) और (घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जे० सी० आई० द्वारा मूल्य समर्थन परिचालनों में निधियों की कमी के कारण गतिरोध पैदा न हो, सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं और कच्चे पटसन मूल्य परिदृश्य पर दिन-प्रतिदिन निगरानी रखी जा रही है। 14 नवम्बर, 1991 तक कच्चे पटसन और मेस्ता की अधिप्राप्ति और उनके अनुमानित उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :--

(गांठों में)

राज्य का नाम	जे० सी० आई० द्वारा अधिप्राप्ति	अनुमानित उत्पादन
पं० बंगाल	172657	55,00,000
बिहार	69227	10,50,000
असम	42290	10,50,000
मेघालय	472	65,000
उड़ीसा	2222	4,00,000
आंध्र प्रदेश	1444	6,00,000
त्रिपुरा	833	85,000
उत्तर प्रदेश	22	1,00,000
अन्य राज्य		1,50,000
कुल :	289167	90,00 000

पटसन उद्योग के लिए कार्य योजना

314. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पटसन उद्योग के लिए एक दीर्घावधि कार्य योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार का यह प्रस्ताव है कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अन्तर्गत विशिष्ट वस्तुओं को पटसन की पैकिंग के लिए बराबर आरक्षित रखा जाए ताकि पैकिंग क्षेत्र में पटसन के समान परम्परागत बाजार को संरक्षित रखा जा सके।

सरकार पटसन आधुनिकीकरण निधि के प्रयोग द्वारा पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना बराबर जारी रखेगी। सरकार पटसन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष पटसन विकास निधि का भी बराबर उपयोग करती रहेगी। इसके साथ ही सरकार पटसन के सामान के नए बाजारों का विकास करने तथा निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से मूल्य वर्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी।

विदेशी निगमित निकायों द्वारा निवेश

315. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी निगमित निकायों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में निवेश करने सम्बन्धी सरकार के आह्वान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने किन-किन परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा जताई है;

(ख) इनमें से कितने निकाय रुग्ण एककों को पुनः चालू करने तथा कितने निकाय निर्यातोन्मुखी एकक चलाने के इच्छुक हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितनी-कितनी लागत आयेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार द्वारा 28 अक्तूबर, 1991 को स्कीम की घोषणा की गई हैं तथा इसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा निवेश की योजना के अन्तर्गत संशोधित नीति की घोषणा से पूर्व रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए चार समुद्रपारीय निगमित निकायों को अपनी अन्तिम स्वीकृति दे दी है जिनकी कुल लागत 656.40 लाख रुपए थी। इसके अलावा, सिद्धान्त रूप में 83 लाख रुपए की एक रुग्ण इकाई के सम्बन्ध में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

लेबनान को घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई

316. **प्रो० एस० पी० यादव :**
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेबनान सरकार ने उसे मानव उपभोग के अयोग्य घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई किए जाने के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच खाद्यान्न व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने विदेशों से किए गए वायदे के अनुसार उन्हें सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में करेंसी सम्बन्धी धोखाधड़ी

317. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 1991 के टेलीग्राफ में "ब्रेक थ्रू इन उड़ीसा करेंसी स्कैम 10 आर० बी० आई० स्टाफ फेस एक्शन आन फ्राड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के भुवनेश्वर स्थित कार्यालय को, फरवरी तथा जुलाई, 1988 में, उस कार्यालय में भुगतान के लिए पास किये गए 100 रुपए के मूल्य-वर्ग के कटे-फटे नोटों की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस मामले की जांच करने के पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक के भुवनेश्वर स्थित कार्यालय के 16 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस मामले की विभागीय रूप से तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 कर्मचारियों को दण्ड देने के वास्ते अन्तरिम आदेश जारी किए हैं जिनमे 4 कर्मचारियों से 17,88,400 रुपए की रकम वसूल करने सम्बन्धी आदेश भी शामिल हैं। 3 कर्मचारियों को दोष-मुक्त कर दिया गया है।

"रुपीज 10 करोड़ फ्राड—सेंट्रल बैंक मैनेजमेंट इन्वाल्वड" शीर्षक समाचार

318. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** :
श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 सितम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "रुपीज 10 करोड़ फ्रॉड—सेन्ट्रल बैंक मैनेजमेंट इन्वाल्व्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धनराशि जारी करने पर लगाये गये प्रतिबन्धों के बावजूद कुछ बैंक बिना किसी प्रतिभूति गारंटी के करोड़ों रुपयों के ऋण दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने मामले की जांच की है, ने सूचित किया है कि उसने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में ऋण मूल्यांकन किए बगैर अग्रिम स्वीकृत करने तथा खातों के एक ग्रुप के मामले में स्वीकृति के बाद की देखरेख की कमी को पाया है। उसने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को मामले की पूर्ण जांच करने का परामर्श दिया है। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने संबंधित अंचल प्रबंधक को 9-10-1991 से निलंबित कर दिया है।

प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम मूल्यों की पुनरीक्षा

319. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मूल्यों (बेंच मार्क प्राइस) में पिछली पुनरीक्षा और निर्धारण के बाद प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत काफी बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मूल्यों की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) आर० एम० ए०-4 ग्रेड के रबड़ के लिए प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य (बेंच मार्क प्राइस) पिछली बार 15 जनवरी, 1991 को 2,145 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो कि मजदूरी की लागत तथा अन्य निवेशों को ध्यान में रखकर, वर्ष 1990-91 के दौरान वित्त मंत्रालय के लागत लेखा विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के उपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर था। उस समय, न्यूनतम मूल्य में करीब 4000 रु० प्रति टन की महत्वपूर्ण वृद्धि हो गई थी। जब तक प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत के बारे में दूसरा अनुमान नहीं लगाया जाता, तब तक यह इंगित करना सम्भव नहीं होगा कि जनवरी, 1991 में प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत किस हद तक बढ़ी है। सरकार मूल्य समर्थन के उपाय के रूप में उपजकर्त्ताओं के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु प्राकृतिक रबड़ की प्राप्ति सहित आवश्यक कदम उठा रही है।

एन० सी० सी० केडिटों के लिए वर्दियों की कमी

320. **श्री आत्रेय बंडारू** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० सी० केडिटों के लिए वर्दियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है और प्रभावित केडिटों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) यद्यपि, पॉलिस्टर सूती सफेद निकरों तथा पॉलिस्टर सूती खाकी कमीजों की कमी नहीं है, परन्तु वर्दी के अन्य मदों की कुछ कमी है। वर्दियों में यह कमी कैडेटों को तब तक कम मात्रा में सामान देकर पूरी की जाती है, जब तक कि पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को दिये गए आर्डरों के अनुसार पूरी मात्रा में इन मदों की आपूर्ति नहीं हो जाती।

(ग) वर्दी की इन मदों के लिए एक मुश्त मांग पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को भेजी जा चुकी है।

कुटीर उद्योगों पर उत्पादन शुल्क

321. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर उद्योगों को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है;

(ख) क्या हस्त निर्मित पेनल दरवाजे और खिड़कियां कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या 1991 के बजट में इन वस्तुओं पर 30 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) हस्त निर्मित पेनल दरवाजे और खिड़कियों को कुटीर उद्योग क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत भी शामिल किया गया है। 20 लाख रुपए तक की कुल वार्षिक निकासियों की राशि वाले किसी एकक को, चाहे वह कुटीर उद्योग क्षेत्र में हो अथवा अन्य क्षेत्र में, दिनांक पहली मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-के० उ० शु० के अन्तर्गत उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है। उन अपेक्षाकृत थोड़े बड़े से एककों के लिए, जिनकी घरेलू खपत के लिए वार्षिक निकासी की राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो, रियायत का क्रम इस प्रकार है—

(i) पहले 20 लाख रुपये तक : शून्य

(ii) अगले 55 लाख रुपये तक : 20%

75 लाख रुपए से अधिक राशि की निकासियां 30% की सामान्य दर पर शुल्क निर्धार्य हैं। जब तक कुटीर उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला कोई विनिर्माता 20 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक निकासियां नहीं करता है, तब तक उसे उत्पाद शुल्क से बराबर छूट दी जाती रहती है।

(ग) और (घ) 25 जुलाई, 1991 से पेनल दरवाजों पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत की दर से मूल उत्पाद शुल्क लगाया गया था। ऐसा इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि ये दरवाजे कार्य और कीमतों की दृष्टि से फ्लश दरवाजों की ही भांति है जिन पर मूल्यानुसार 30% की दर पर मूल उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्थायी वेतन पुनरीक्षा समिति

[हिन्दी]

322. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार से एक स्थायी वेतन पुनरीक्षा समिति के गठन तथा चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार का इन सिफारिशों को लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे मे निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) से (घ) स्थायी वेतन पुनरीक्षा समिति के गठन तथा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने से सम्बन्धित मांगों पर संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की 21-9-1991 को हुई राष्ट्रीय परिषद् की पिछली बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें इन मांगों की जांच करने के लिए क्रमशः विशेषज्ञ दल तथा समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में "बस क्यू शेल्टरों" का निर्माण

323. श्री पंकज चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टापों पर "बस क्यू शेल्टर" नहीं है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम का निकट भविष्य में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टापों पर "बस क्यू शेल्टर" बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बस स्टापों पर 184 बस क्यू शेल्टर हैं।

(ख) इस समय 320 बस क्यू शेल्टर निर्माणाधीन हैं जिनमें से 68 बस क्यू शेल्टरों का निर्माण दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(ग) अगले 3 महीने के अन्दर काम पूरा हो जाने की संभावना है

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

*324. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो रिक्त पदों की वर्तमान संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का विचार इन्हें कब तक भर देने का है;

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या कितनी है तथा कितने प्रतिशत मामले एक वर्ष, पांच वर्ष तथा दस वर्ष से लम्बित हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार लम्बित मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों के कुछ नए पद सृजित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों में से 22 स्थायी न्यायाधीश के और 3 अपर न्यायाधीशों के पद है। इस समय सभी स्थायी/अपर न्यायाधीश पद पर आसीन हैं।

(घ) तारीख 31-12-1990 को राजस्थान उच्च न्यायालय में 83185 मामले लम्बित थे। इनमें से, 42731 मामले एक वर्ष से अधिक (51.3%), 14286 मामले पांच वर्ष से अधिक (17.1%) और 2151 मामले 10 वर्षों से अधिक (2.5%) समय से लंबित थे।

(ङ) से (छ) सरकार ने, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 अपर न्यायाधीशों के पद सृजित करने का विनिश्चय किया है। और अधिक पदों को सृजित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो।

अण्डमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक द्वारा कृषि ऋण माफ किया जाना

[अनुवाद]

325. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2 अक्तूबर, 1989 को अण्डमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक को प्रत्येक शाखा ने सेवा सहकारी सघों के माध्यम से कृषि ऋणों के अन्तर्गत कुल कितना ऋण दिया;

(ख) अण्डमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक ने कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत अब तक कितनी ऋण-राशि माफ की; और

(ग) उक्त सहकारी बैंक को प्रत्येक शाखा ने कुल कितने लाभार्थियों के ऋण माफ किये?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उनकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, हिताधिकारियों की संख्या तथा अण्डमान और निकोबार

राज्य सहकारी बैंक द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत अण्डमान और निकोबार के दो जिलों में बट्टे खाते डाली गई राशि नीचे दी गई है :—

(रुपए लाख में)

जिले का नाम	हिताधिकारियों की संख्या	राशि
अण्डमान जिला	1274	19.98
निकोबार जिला	4	0.16
योग :	1280	20 14

अण्डमान और निकोबार प्रशासन के लिए यात्री-सह-मालवाहक पोत

326. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अण्डमान और निकोबार प्रशासन के लिए पोलैंड शिपयार्ड को तीन यात्री-सह-मालवाहक पोतों के निर्माण का आर्डर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में प्राप्त किये गये ऐसे एक पोत में निर्माण सम्बन्धी कोई दोष पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या अन्य पोतों के निर्माण के चरण के दौरान कोई निरीक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी नव-निर्मित जहाजों में कुछ प्रारम्भिक समस्यायें आती हैं जिनका समाधान सामान्यत: एक वर्ष की गारंटी अवधि में कर दिया जाता है। प्रथम यात्री-सह-कार्गो जहाज एम० वी० निकोबार में पाई गई खराबियों/कमियों की सूचना शिपयार्ड को दे दी गई और इन्हें निरंतर दूर किया जा रहा है। जहाज की एक वर्ष की गारंटी-अवधि के दौरान पाई गई खराबियों को इस प्रकार दूर करने में आई कुल लागत को शिपयार्ड द्वारा पूरा किया जाएगा।

(घ) और (ङ) भारतीय नौवहन निगम ने जो इन जहाजों के निर्माण का पर्यवेक्षण कर रहा है, इन जहाजों के निर्माण की पूरी अवधि में चार इंजीनियरों के एक दल को शिपयार्ड में रखा है और उनका कार्य मशीनरी और उपकरणों का जैसे ही उन्हें लगाया और चालू किया जाता है, रोजाना निरीक्षण करना, उन पर निगरानी रखना तथा जांच करना है। पहले जहाज के बारे में मालूम हुई खराबियों को, सामान्य अवधि में, इन इंजीनियरों को सूचित किया जाता है जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये खराबियां/कमियां शेप जहाजों पर न दोहराई जाएं।

मुम्बई में उत्पाद शुल्क की चोरी करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार

327. श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय, मुम्बई ने उत्पाद शुल्क की चोरी के सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जैसा कि 26 सितम्बर, 1991 के "इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, मुम्बई-II के क्षेत्राधिकार में सात विनिर्माताओं के खिलाफ तैयार किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों में जुलाई, 1991 से 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से पांच विनिर्माता टेक्सटाइल प्रोसेसर्स हैं जिन्हें प्रथमदृष्ट्या उत्पाद शुल्क माल की अपेक्षाकृत कम निकासी दर्शाने और इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गेट पासों का दुरुपयोग करते हुए पाया गया था। इन मामलों में दस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य मामले में, एक विनिर्माता को अनुपयुक्त माडवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के उद्देश्य से जाली उत्पाद शुल्क गेट पासों को जारी करते हुए पाया गया था। शेष एक मामले में, एक विनिर्माता को उत्पाद शुल्क माल के वास्तविक उत्पादन को छिपाते हुए और माडवेट क्रेडिट का भी अनुपयुक्त लाभ उठाते हुए पाया गया था। इनमें से प्रत्येक मामले में एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इन मामलों में पता लगाए गए उत्पाद शुल्क अपवंचन की कुल राशि 47.3 लाख रुपए आंकी गई है।

पूर्णिया, अरेरिया और किशनगंज क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंक

328. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्णिया, अरेरिया और किशनगंज जिलों में ब्लाक-वार कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं तथा उनकी शाखायें किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन जिलों में बैंक की एक शाखा की सेवाओं के लाभार्थियों को जिलेवार और ब्लाकवार औसत संख्या क्या है; और

(ग) इन जिलों में वर्ष 1991-92 के दौरान खोली जाने वाली बैंक शाखाओं के स्थानों का ब्लाक-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम और उनकी शाखाओं के स्थान विवरण के रूप में संलग्न हैं। शाखाओं के ब्लाक-वार विवरण भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इन जिलों में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत नई बैंक शाखाओं की स्थापना प्रस्तावित शाखा शाखाओं की सुस्थापित आवश्यकता, कारबार की संभावना और वित्तीय सक्षमता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखाओं का खोला जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा। अतः, इन जिलों में 1991-92 के दौरान खोली जाने वाली बैंक शाखाओं की ब्लाक-वार संख्या का अनुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है।

विवरण

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
पूर्णिया जिला	
केनरा बैंक	अस्जा मोया, पूर्णिया
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	बैसा, बनमंखी, ब्रह्मज्ञानी, दामदहा, गेरकी, हार्डा हरंमपुर, जलालगढ़, कटारी, मासोपाड़ा, पूर्णिया (दो शाखाएं) रूपाली।
भारतीय स्टेट बैंक	बैसा, बलूटोला, बनमंखी, बडहरी, भांगी, भवानीपुर, बिशुनपुर, चौपरा बाजार, दमेली, डमगाड़ा, दारडाहा, फकीरटोली, कस्बा, मछट्टा, पूर्णिया (चार शाखाएं), संदीप, सरसी, सिरसिया, तेलडीया।
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	बरडेला, बिशुनपुर, धरहरा, जियागंज, मिरचइवाड़ी, पूर्णिया।
इलाहाबाद बैंक	बेलवा, पूर्णिया।
यूको बैंक	गोसी, कस्बा, मरहरिया, मोहनी, पूर्णिया, रामपुर।
पंजाब नेशनल बैंक	गोकुलपुर, कृत्यानंदनगर, पूर्णिया।
बैंक आफ बड़ौदा	पिथौरा, पूर्णिया, सौरा, जबेर, तारन।
अररिया जिला	
भारतीय स्टेट बैंक	अंचरा, अररिया (4 शाखाएं), मीरबेनी, फोरजबेगंज (दो शाखाएं), हरदार, जोगबनी, कन्धुदिया, लगड़ा, मैना, नाथपुर, उफरेल चौक, उरल्हा।
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	अररिया, भरगमा, फोरबेजगंज, जोगबनी, नरपतगंज, प्लासी, सिक्टी।
इलाहाबाद बैंक	बरहरा, रानीगंज, सिसौना।

1	2
बैंक आफ बड़ौदा	बसंती, बिसटोरिया, फोरबेजगंज, रघुनाथपुर, रामपुर।
यूको बैंक	बठमहा, गैगढ़ी, जोगबनी, मानिकपुर।
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	रूपौली।
किशनगंज जिला	
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	बहादुरगंज, किशनगंज
भारतीय स्टेट बैंक	किशनगंज (दो शाखाएं), ठाकुरगंज
इलाहाबाद बैंक	किशनगंज
यूको बैंक	किशनगंज
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	किशनगंज
पंजाब नेशनल बैंक	रोहनिया

बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण और जमा राशि का अनुपात

329. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में कुल मिलाकर ऋण और जमा राशि का औसत अनुपात क्या था;

(ख) पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिले के सम्बन्ध में ये आंकड़े क्या थे;

(ग) वर्ष 1990-91 के अंतिम कार्य दिवस को पूरे राज्य और इन जिलों में वास्तविक ऋण और जमा राशि का अनुपात कितना-कितना था;

(घ) उक्त कार्य दिवस की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक लोगों को क्षेत्रवार कितनी-कितनी राशि के ऋण प्रदान किए गए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार बिहार और पूर्णिया, किशनगंज और अररिया स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात नीचे दिया गया है :

		13-3-1991 को ऋण जमा अनुपात
1.	पूर्णिया	70
2.	किशनगंज	76 (अनुमानित)
3.	अररिया	58
4.	बिहार	39.6

(घ) 1990-91 की वार्षिक ऋण योजनाओं के अन्तर्गत पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिलों तथा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों को दिए ऋणों के सवितरण में वाणिज्यिक बैंकों की उपलब्धि निम्न प्रकार से थी :

(राशि लाख रुपए में)

जिले का नाम	कृषि	लघु उद्योग	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	जोड़
1. पूर्णिया	335	114	140	589
2. किशनगंज	110	42	60	212
3. अररिया	266	58	79	403
4. बिहार	15047	6813	9529	31389

(ङ) ऋणकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के हिस्से का जिलावार ब्योरा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, 31-3-91 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के बकाया अग्रिम निम्न प्रकार थे :

	राशि (रुपये लाख में)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	21371
महिलाएं	6809
अल्पसंख्यक समुदाय	11776

नाविकों, जवानों तथा वायु सैनिकों की भर्ती

330. **श्री मोहन सिंह :**
श्री ओबम शर्मा :
श्री सुखदेव पासवान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में सशस्त्र सेनाओं में नाविकों, जवानों तथा वायु सैनिकों की भर्ती में कदाचार तथा अनियमितताओं के दृष्टांत आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) जवानों, नाविकों और वायुसैनिकों को भर्ती करने में हेराफेरी और अनियमितताओं की कुछ घटनाएं सरकार की जानकारी में आई है।

भर्ती करने में हेरा फेरी/अनियमितताओं का संबंध मुख्यतः जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना/स्वीकार करना, गैर-कानूनी भर्ती, भर्ती कार्यालयों में तैनात स्टाफ द्वारा रिश्वत लेना, स्पान्सरशिप फार्म का दुरुपयोग करना, परीक्षा-पत्रों का पहले से लीक हो जाना, डाक्टरी जांच आदि में पक्षपात करना आदि है।

2. भर्ती में हेरा-फेरी की शिकायतों की या तो विभागीय या पुलिस/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से तुरन्त जांच करायी जाती है। दलालों/एजेंटों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है।

3. इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों को कतिपय मामले में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रताड़ना से लेकर सेवा से बर्खास्तगी तक कठोर दंड दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती करने में हेरा-फेरी करते हुए पाए 12 अफसरों, 47 जे० सी० ओ०/अन्य रैंकों और 08 सिविलियन कर्मचारियों को दंड दिया गया है।

4. रक्षा कार्मिकों की भर्ती से हेरा-फेरी/अनियमितताओं को दूर करने के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(1) दलालों/एजेंटों से बचने के लिए भर्ती के वास्ते आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की पद्धति शुरू की गयी है। उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पद्धति सरल और कारगर बनायी गयी है।

(2) भर्ती कार्यालयों में अफसरों, जे० सी० ओ०/अन्य रैंकों की तैनाती के बारे में विस्तृत एवं गुणात्मक अपेक्षाएं निर्धारित की गयी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिवत् रूप से चुने गए कार्मिकों को ही भर्ती कार्यालयों में तैनात किया जाता है और जिन कार्मिकों की सत्यनिष्ठा पर संदेह हो उन्हें वापस भेजा दिया जाता है।

(3) भर्ती कार्यालय में तैनाती की अवधि योधी और सिविलियन दोनों के लिए 2 वर्ष निर्धारित की गयी है।

(4) उम्मीदवारों की छंटनी अफसरों के बोर्ड जिसमें स्थानीय विरचना/यूनिट के 2 स्वतंत्र सदस्य भी होते हैं, द्वारा की जाती है।

(5) भर्ती करते समय डाक्टरी जांच करने में हेरा फेरी की शिकायतों को कम से कम करने के लिए दूसरे चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से डाक्टरी जांच करने की व्यवस्था शुरू की गयी है। भर्ती चिकित्सा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था भी की गयी है।

(6) दलालों/एजेंटों के विरुद्ध सिविल पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेना संपर्क यूनिट की सहायता से तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

(7) नौसेना में नाविकों की भर्ती के मामले में नामांकन संबंधी फार्म देने की प्रक्रिया सुदृढ़ की गयी है और भर्ती का काम करने वाले कर्मचारियों पर पूरी नजर रखी जाती है।

(8) रिक्त स्थानों के बारे में तथा भर्ती की प्रक्रिया संबंधी कार्य प्रणाली पूरी तरह से युक्तिसंगत बना दी गयी है।

(9) नौसेना में भर्ती के लिए परीक्षा कार्यालय बम्बई से हटाकर दिल्ली में लाया गया है जिससे कि क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों/शाखा भर्ती कार्यालयों को भेजे जाने वाले प्रश्न-पत्र केन्द्रीय रूप से तैयार, छापे और कूरियर सेवा द्वारा वितरित किये जा सकें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंध लगाना

[हिन्दी]

331. **श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने कर्मचारियों तथा उद्यमियों को ऋण देने पर अक्तूबर, 1991 से प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रतिबन्ध को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1991 से बैंकों पर अपने कर्मचारियों तथा उद्यमियों को ऋण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्तूबर, 1991 को बैंकों को परामर्श दिया है कि वे कुछ क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों को सीमित रखें और उनकी हिदायतों में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक के बकाया ऋणों वृद्धि न हो :—

(i) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण,

(ii) शेयरों तथा डिबेंचरों/बाण्डों के प्रति व्यक्तियों को ऋण,

(iii) अन्य गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के व्यक्तिगत ऋण, तथा

(iv) स्थावर सम्पदा ऋण।

स्टाफ ऋणों को इन प्रतिबन्धों के सीमा-क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

कारगिल क्षेत्र में गोलाबारी

332. **श्री मोहन सिंह :**

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री गुरुदास कामत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में कारगिल क्षेत्र में भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया था;

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर कितने-कितने सैनिक हताहत हुए;

(ग) क्या इस आक्रमण के दौरान पाकिस्तान मुजाहिदीनों की घुसपैठ कराने में सफल हुआ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे घुसपैठियों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) पाकिस्तानी सैनिकों ने 24 व 25 अक्तूबर, 1991 को कारगिल क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर अर्टिलरी, राकेट लांचरों तथा मोर्टारों से भारी गोलाबारी की। गोलाबारी में सेना का एक अन्य रैंक तथा सीमा सुरक्षा बल का एक सहायक सब इंस्पेक्टर घायल हुए। समझा जाता है कि इस गोलाबारी में 6 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए तथा 4 घायल हुए।

इससे अधिक ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा। उपर्युक्त घटना के दौरान कारगिल क्षेत्र में उग्रवादियों तथा विद्रोही तत्वों की घुसपैठ की कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं आयी है।

थोक मूल्य सूचकांक

333. **श्री मोहन सिंह :**
श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई-अक्तूबर, 1991 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक स्थिति क्या थी; और

(ख) वर्ष 1990 की इसी अवधि के दौरान की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जुलाई-अक्तूबर, 1991 तथा 1990 की तदनुरूप अवधि के लिए साप्ताहिक थोक मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं :—

मास/सप्ताह	थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82=100)		1991 के प्रत्येक सप्ताह के अन्त में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
	1990	1991	
1	2	3	4
जुलाई			
i	178.8	201.0	12.4
ii	179.2	201.8	12.6
iii	179.5	202.6	12.9

1	2	3	4
iv	179.0	205.8	14.5
अगस्त			
i	180.2	207.2	150
ii	180.2	208.4	15.6
iii	180.2	209.6	16 3
iv	180.3	210.4	16 7
v	180.7	210.3	16.4
सितम्बर			
i	180.7	209.0	15.7
ii	180.8	209.2	15.7
iii	180.9	208.9	15.5
iv	181.2	208.6	15.1
अक्तूबर			
i	182.1	208.5	14.5
ii	182.3	208.6	14.4
iii	184.3	209.1	13.5
iv	184.6	209.2	13.3

उड़ीसा में रेशम का उत्पादन

[अनुवाद]

334. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) इस राज्य में रेशम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई नई योजना भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने राज्य को रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितनी सहायता दी है और कितनी सहायता देने का विचार किया है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उड़ीसा राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की है :—

सामान्य योजना	राष्ट्रीय रेशम परियोजना के अन्तर्गत (एन० एस० पी०)
1 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, कोरापुट (शहतूती)	1. कोरापुट में पी 2 फार्म
2. क्षेत्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र बारीपाड़ा (टसर)	2. कोसा बाजार, कोरापुट
3 मूल बीज गुणन तथा प्रशिक्षण केन्द्र संख्या-5—सुन्दरगढ़, नोरंगपुर, पल्लाहारा, बारीपाड़ा और लहूनीपाड़ा प्रत्येक में एक-एक	3. तकनीकी सेवा केंद्र संख्या 8
4 राउरकेला में कच्चे माल बैंक का उप डिपो	4. चौकी पालन केन्द्र
5. भुवनेश्वर में क्षेत्रीय विकास कार्यालय	5. रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र-संख्या 2—रामगिरी और कोरापुट प्रत्येक में एक-एक।
6. कुचींदा में अनुसंधान विस्तार केंद्र (शहतूती)	6. ड्राइंग चैम्बर्स
7. बांधरीपेसी में अनुसंधान विस्तार केन्द्र (टसर)	7. कोरापुट में कृषक प्रशिक्षण विद्यालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न राज्यों में (जिनमें उड़ीसा भी शामिल है) रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अपने सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त उड़ीसा में निम्नलिखित विशेष रेशम उत्पादन विकास परियोजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है :—

1. गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड उड़ीसा के गंजम जिले में वर्ष 1986-87 से 4.27 करोड़ रु० की कुल लागत वाली गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना क्रियान्वित कर रहा है।

2. अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना का अनुवर्ती चरण

वर्ष 1981-82 और 1985-86 के बीच स्विस विकास सहयोग (एस० डी० सी०) की सहायता से केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्रियान्वित अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना की सफलता से प्रेरित होकर, जिससे राज्य में 2499 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टसर रोपण का विकास करने में मदद मिली है, उड़ीसा में वर्ष 1986-87 और 1989-90 के बीच चार वर्षों की अवधि के लिए 451 लाख रु० के परिव्यय वाली अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना के अनुवर्ती चरण को क्रियान्वित किया गया। वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए 408.96 लाख रु० के परिव्यय की अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना को दूसरा अनुवर्ती चरण क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के परिव्यय की राशि में से 186 22 लाख रु० का अंशदान स्विस विकास सहयोग द्वारा किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना

केन्द्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1989-90 से उड़ीसा के कोरापुट जिले में विश्व बैंक और स्विस विकास सहयोग की सहायता से शहतूत की एक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। इस परियोजना में पांच वर्ष की परियोजना अवधि में कच्चे रेशम का उत्पादन 120 एम० टी० करने के लिए शहतूत की कृषि के अन्तर्गत 4,000 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। 414.13 लाख रु० की कुल लागत से मूल रेशम उत्पादन इन्फास्ट्रक्चर की स्थापना की जा रही है जिनमें शामिल हैं : पी 2 फार्म (सं०-1), ग्रेनेज (सं०-2), तकनीकी सेवा केन्द्र (सं०-8), प्रशिक्षण विद्यालय (सं०-1), ड्राइंग चैम्बर्स (सं०-40), प्रदर्शन सह-प्रशिक्षण केन्द्र (सं०-1) कोया बाजार (सं०-1) तथा चौकी पालन केन्द्र (सं०-40)।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महगाई भत्ता

335. **श्री गोपीनाथ गणपति :**

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के 3500 रुपए से अधिक वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1991 से उन्हें देय महंगाई भत्ते की किस्त नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की यह किस्त कब दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की अभी भी जांच की जा रही है।

कर्नाटक में रुग्ण विद्युतकरघों पर से प्रतिबंध हटाना

336. **श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से कर्नाटक के प्रसिद्ध कच्चे रेशम की मांग में अचानक गिरावट आने की स्थिति से निपटने के लिए प्रतिबंध में ढील देकर अधिक रेशम के विद्युतकरघे लगाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेशम के अधिक विद्युतीकरघों पर से प्रतिबंध हटाने से कर्नाटक में रेशम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :(क) से (घ) जी नहीं। फिर भी देश में कच्चे रेशम की अनुमानित उपलब्धता तथा हथकरघा क्षेत्र/मौजूदा रेशम करघों की रेशम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार और रेशम विद्युत करघों को प्रोत्साहन देने के लिए इच्छुक नहीं है।

कर ढांचे में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समिति

337. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान कर प्रणाली को और अधिक लचीला, व्यापक और सरल बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

(ख) क्या समिति ने इस बीच सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विद्यमान कर ढांचे में क्या परिवर्तन किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आशा है कि समिति शीघ्र ही अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

विदेशी पूंजीनिवेश प्रस्तावों को एक ही जगह से स्वीकृति

338. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अप्रवासी भारतीयों और विदेशी कंपनियों द्वारा देश में पूंजीनिवेश करने के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने तथा कार्यान्वित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक ही जगह से यह सब काम कराने की प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विदेशी पूंजीनिवेश आकर्षित करने हेतु उनकी सेवाओं को प्रोत्साहित करके लाभान्वित होने का है;

(ग) क्या सरकार विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान विभिन्न भारतीय दूतावासों द्वारा अब तक आकर्षित किए गए विदेशी पूंजीनिवेश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) देश में विदेशी निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एकल केन्द्र प्रणाली की स्थापना की गई है।

(ख) देश में विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए संसद सदस्यों सहित सभी क्षेत्रों से मदद का स्वागत है ।

(ग) और (घ) देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश नीति में हाल ही के उदारीकरण का प्रचार करने में विदेशों में स्थित भारतीय मिशन एवं अन्य संवर्द्धनात्मक एजेंसिया अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं।

रक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु ओमान के साथ वार्ता

[हिन्दी]

339. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी देश ओमान के साथ रक्षा के क्षेत्र मे सहयोग हेतु वार्ता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) ओमान के साथ, अन्य बहुत से देशों की तरह, सहयोग बढ़ाने के प्रयास करना एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है ।

केंद्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को धनराशि का आबंटन

340. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को वर्षवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान वर्ष-वार और जिला-वार वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई तथा बनायी गयी सड़कों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निधियां विभिन्न राज्य सरकारों को, वर्ष-वार, एकमुश्त रूप में जारी की जाती हैं, जिसमें राज्य के लिए अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, पहले जारी की गई निधियों, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, राज्यों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं और बजट में प्रावधान की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित की गयी और वास्तव में जारी की गयी निधियां नीचे दी गयी हैं :

(लाख रु० में)

वर्ष	आबंटित निधियां	जारी की गयी निधियां
1985-86	20 00	20.00
1986-87	शून्य	शून्य
1987-88	शून्य	शून्य
1988-89	40.00	45.40
1989-90	35 00	30.00
	95.00	95.40

इस अवधि के दौरान जिन सड़कों पर धनराशि खर्च की गयी उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. पाडियोपाल सड़क का निर्माण, लम्बाई 15 कि० मी०, खारगोन जिला में मुसावल को जोड़ते हुए।

2. मकसूदन गढ़ नजीराबाद सड़क का निर्माण, लम्बाई 20.8 कि० मी०।

3 शाहपुर-उमारिया सड़क का निर्माण, उसे मजबूत बनाना और चौड़ा करना लम्बाई 22.2 कि मी०।

4 निगार महूवागांव बंजारी और भारसारग सड़क का निर्माण, 34 कि० मी०।

5. ग्वालियर भिंड इटावा सड़क को चौड़ा करना और मजबूत बनाना, लम्बाई 60 कि० मी०।

6. रायपुर बाईपास के साथ समानान्तर सर्विस रोड का निर्माण।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखाएं खोलना

341. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहे हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या और उनकी अवस्थिति नीचे अनुसार है :

केन्द्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
1. अम्बा	2
2. बड़गांव (नौली)	1
3. बागचिनी	1
4 बनमौर	4
5. बरोधा	1
6. बसैयां	1
7. बिजयपुर	1
8. बीरपुर	1
9. बुधारा	1
10. छैरा	1
11. देवघर	1
12. धोबनी	1
13. दोधर	1
14. दिमोई	1
15. एसा	1
16. गद्दी	1
17. झुण्डपुरा	1
18. जोरा खुर्द	1
19. जौरा	3
20. कमतराए	1
21. कड़हुल	1
22. केलारस	1
23. खंडौली	1
24. क्रियांच	1
25. मौरेना	8
26. मृगपुरा	1
27. नागरा	1

1	2
28. नूराबाद	1
29. पहाड़गढ़	1
30. पच्छौला	1
31. पौरसा	1
32. प्रेमसर	1
33. जोषा	1
34. रामपहाड़ी	1
35. रामपुर कलां	1
36. रिथौना	1
37. रिथौरा	1
38. सबलगढ़	3
39. सहसराम	1
40. सराय चौला	1
41. सरसैनी	1
42. सेमाई	1
43. शिवपुर	3
44. सिहौनिया	1
45. सुजरमा	1
46. सुमौली	1
47. थारा	1
48. उत्तमपुरा	1
जोड़ :	65

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की वर्षवार नीति के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पहचान किए गए केन्द्रों की सूची आवश्यक विवरण के साथ उस जिले के अग्रणी बैंक को भेजी जानी होती है। अग्रणी बैंक सभी बैंकों से प्राप्त सूची को समेकित करने के बाद जिला कलक्टर को उसकी सिफारिश के लिए और सम्बद्ध राज्य सरकार के माध्यम से उसे भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करने के लिए भेज देता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोलने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। अत:

यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

काला धन बाहर निकालने की योजनाएं

342. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने तथा काला धन बाहर निकालने की सरकारी योजनाओं को लागू करने के बाद अब तक सरकार को राज्यवार कितना काला धन प्राप्त हुआ है;

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना के अन्तर्गत राज्य-वार प्राप्त हुए काले धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की अन्तिम तिथियां बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समाहर्तालय-वार, मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान कितना काला धन वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा राशियां) योजना, 1991, विदेशी मुद्रा (उन्मुक्ति) योजना, 1991 तथा भारत विकास बांड योजना, 1991 को हाल ही में शुरू किया गया है। इन योजनाओं के प्रति सामान्यत: उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। तथापि, इन योजनाओं के अन्तर्गत हुए संग्रहों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

(ङ) सूचना सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

1. 18-9-1991 से 15-11-1991 तक के दौरान आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा :

आयकर निदेशक (जांच) का नाम	मारे गए छापों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपए)	आयकर अधिनियम की धारा 132 (4) के अन्तर्गत प्रकट की गई गुप्त राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
बम्बई	10	65.57	8.00
बंगलौर	9	31.02	65.40

1	2	3	4
चंडीगढ़	14	25.32	32.95
कलकत्ता	2	1.29	—
कानपुर	4	19.94	—
हैदराबाद	2	1.50	3.00
मद्रास	7	10.84	3.84
अहमदाबाद	2	64.32	44.64
पुणे	4	17.45	30.00
दिल्ली	3	46.73	—
जोड़	57	283.98	187.83

II. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा (16-9-91 से 15-11-91 तक)

निदेशालय का ज़ोनल कार्यालय	मारे गए छापों की संख्या	पकड़ी गई भारतीय मुद्रा की राशि (लाख रुपए)	पकड़ी गई विदेशी मुद्रा की राशि (लाख रुपए)
बम्बई	95	94.98	25.77
कलकत्ता	51	21.97	0.42
दिल्ली	43	3.96	22.56
जालंधर	36	11.50	3.15
मद्रास	201	170.06	16.96
जोड़	426	302.47	68.86

कपड़ा उद्योग

343. **श्री साईमन मरांडी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसार वस्त्र नीति की पुनर्रचना किए जाने के कारण कपड़ा उद्योग निर्यात में सबसे आगे हो गया है;

(ख) उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कपड़ा उद्योग को कम लाभ हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने जनवरी, 1991 से उत्पादन लागत कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) वर्ष 1991 से कितनी कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हो गया है; और

(ङ) कितनी कपड़ा मिलें घाटे में चल रही हैं तथा इनका सुधार करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) निर्यात बढ़ाने के लिए समय-समय पर किये गए उपायों के फलस्वरूप वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 में वस्त्रों के निर्यात में 29.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान 91 वस्त्र मिल एककों का आधुनिकीकरण संभवत: पूरा हो जाएगा।

(ङ) 30-9-91 की स्थिति अनुसार निजी क्षेत्र की 271 मिलों के तुलनापत्रों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि इन 271 मिलों में से 61 मिलों को वर्ष 1989-90 के दौरान घाटा हुआ। सरकार ने अर्धक्षम रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। उद्योग में लगी अप्रचलित मशीनों को हटाने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना शुरू की गयी है तथा साथ ही औद्योगिक रुग्णता की समस्याओं के निवारण के लिए औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना भी की गयी है।

पटसन उद्योग द्वारा विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना

344. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य-वृद्धि के कारण पटसन उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पटसन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार पटसन उत्पादन तथा निर्यात किए गए पटसन-उत्पादों का मूल्य सहित ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पटसन उद्योग विश्व बाजार में कम कीमतों में उपलब्ध सिन्थेटिक प्रतिस्थापनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

(ख) सरकार ने पटसन के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे : आर० ई० पी० की स्वीकृति, बाह्य बाजार सहायता, ऐसी पटसन मिलों पर निर्यात दायित्व लगाना जिन्हें डी० जी० एस० एण्ड डी० ने बी० ट्विल पटसन बोरों की सप्लाई करने के आर्डर दिए जाते हैं, अधिक मात्रा में विश्व-व्यापी संविदाएं प्राप्त करने के लिए निर्यात मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना का क्रियान्वयन आदि।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन के सामान का उत्पादन और निर्यात के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

(मात्रा हजार मी० टन)
(मूल्य करोड़ रु०)

	उत्पादन		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1988-89	1388 6	उपलब्ध नहीं	223.5	239.07
1989-90	1304.3	,,	236.7	296.40
1990-91	14 9.9	,,	225.9	298.84

स्वर्ण न्यास अथवा बांड योजना

345. **श्री साईमन मरांडी :**
श्री रमेश चन्द्र तोमर :
श्री पृथ्वी राज चव्हाण :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वर्ण न्यास अथवा स्वर्ण बांड योजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) कुल कितनी संख्या में तथा कितने मूल्य के बांड जारी किए जाएंगे तथा इनकी पुन: प्राप्ति के सम्बन्ध में मुख्य शर्तें क्या हैं;

(घ) यह योजना कब तक आरम्भ होगी;

(ङ) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों को स्वर्ण का आयात करने की अनुमति देने तथा उन्हें स्वर्ण बांड जारी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार को, व्यक्तियों और राजनैतिक दलों से स्वर्ण बांड योजना शुरू करने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के विजयवाड़ा-अंगोल खंड को छः लेनों में चौड़ा करना

[अनुवाद]

346. **प्रो० उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलू** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के विजयवाड़ा-अंगोल खंड पर गुजरने वाले यातायात में काफी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के इस भाग को छह लेनों में चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात में वृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है। रा० रा० 5 के विजयवाड़ा-अंगोल खंड पर इस समय इतना यातायात नहीं है जिससे इसे चौड़ा करके वर्तमान दो लेनों से चार/छः लेनों का बनाने की जरूरत है और यह संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करेगा।

आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण

347. **प्रो० उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पुलिगोड्डा और पेनगुंडी में कृष्णा नदी पर कृष्णा और गुंटूर जिलों को जोड़ने वाले सड़क पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मक्के का आयात

[हिन्दी]

348. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में सूखा पड़ने के कारण मक्के की कमी हो गई है और स्टार्च उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मक्का उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मांग को पूरा करने के लिए मक्के का आयात करने का विचार है?

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) चूंकि चालू वर्ष में मक्के के उत्पादन में मामूली गिरावट आने की संभावना है, इसलिए मौजूदा स्थिति में उसके आयात की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

सिले-सिलाए वस्त्रों की निर्यात नीति में परिवर्तन

350. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषद से परिधानों के निर्यात सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के लिए कोई सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) वर्ष 1991-93 के लिए परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के प्रावधानों में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार को अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद और परिधान निर्यात व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए थे। विभिन्न सुझावों की जांच करने के बाद सरकार ने वर्ष 1992 और 1993 की नीति में सरकार ने निम्नलिखित संशोधन किए हैं :—

(क) वर्ष 1992 और 1993 के लिए एफ० सी० एफ० एस० प्रणाली के अन्तर्गत केवल वही मात्राएं आबंटित की जाएंगी जो कि समय-समय पर लोचशीलताओं और अभ्यर्पणों के कारण उपलब्ध होंगी।

(ख) (i) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम०ई०ई०) प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन को मौजूदा 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ii) एम० ई० ई० आबंटनों के सम्बन्ध में विगत निष्पादन आबंटनों (पी० पी० ई०) और एम० ई० ई० आबंटनों पर 125 प्रतिशत की मौजूदा सीमा हटा दी गई है।

(iii) एम० ई० ई० प्रणाली के अन्तर्गत निर्यातक को विकल्प के लिए प्राप्त देश/श्रेणी मिश्रण की अधिकतम संख्या 15 से घटाकर 10 कर दी गई है।

(iv) ग्रस्ट देशों के लिए गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन० क्यू० ई०) प्रणाली के अन्तर्गत 75 प्रतिशत कोटे के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आधार अवधि को पी० पी० ई० प्रणाली के अनुसार बराबर कर दिया गया है। इस प्रणाली में आबंटन को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें विशेष रूप से हथकरघा परिधानों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है।

पिछड़े वर्गों को रियायती दरों पर ऊनी अथवा पटसन के कम्बलों की सप्लाई

351. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ऊनी अथवा पटसन के कम्बलों का निर्माण करने तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर उन्हें उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्बलों के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इमदादी दरों पर कमजोर वर्गों को सप्लाई करने के लिए ऊनी कम्बलों को जनता योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है, इन कम्बलों को उपभोक्ता सहकारी समितियों के जरिए भी सप्लाई किया जाता है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा 60"×90" आकार के कम्बलों के लिए न्यूनतम कीमत 50 रु० निर्धारित की गई है।

कलकत्ता-ढाका-बनारस-काठमांडू के बीच अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवाएं

[अनुवाद]

352. **श्री शरद दिघे : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य राष्ट्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में कलकत्ता-ढाका-बनारस-काठमांडू के बीच अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवाएं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुम्बई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

353. **श्री शरद दिघे : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में कौन-कौन-सी कपड़ा मिलें अक्तूबर, 1983 से सरकार ने अधिग्रहण कर ली हैं और अब उनका संचालन राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दक्षिण महाराष्ट्र) द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या अनेक स्थायी कामगारों को अभी तक नहीं खपाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जिन कामगारों को खपाया नहीं गया है उन्हें छंटनी-मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्तूबर, 1983 में अधिगृहीत बंबई स्थित 13 वस्त्र मिलों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(1) एलफिन्स्टोन स्पि० एण्ड वी० मिल्स

(2) फिन्ले मिल्स

(3) गोल्ड मुहर मिल्स

(4) जाम मैन्युफैक्चरिंग मिल्स

(5) कोहिनूर मिल्स नं० 1

(6) कोहिनूर मिल्स नं० 2

(7) कोहिनूर मिल्स नं० 3

(8) न्यू सिटी आफ बंबई मैन्युफैक्चरिंग मिल्स

(9) पोद्दार मिल्स

(10) पोद्दार मिल्स (प्रोसेस हाउस)

(11) श्री मधुसूदन मिल्स

(12) श्री सीताराम मिल्स, तथा

(13) टाटा मिल्स

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन 13 मिलों के अधिग्रहण के फलस्वरूप इन मिलों के कामगारों से पुन: नियोजन के बारे में कामचलाऊ मशीनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखकर विचार किया गया था। इस प्रक्रिया में अब तक 5,288 कर्मचारियों को काम पर नहीं लगाया जा सका।

(घ) और (ङ) 10 002 कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर उनको उपदान और अन्य अन्तिम लाभ के रूप में 1088.27 लाख रुपए की राशि अदा की गई है। 5,288 कर्मचारियों को, जो कि न्यायालय में चले गए हैं अथवा जिन्होंने अपने त्यागपत्र नहीं दिए हैं, उन्हें उपदान/अन्तिम लाभ की राशि अदा नहीं की गई है।

न खपाए गए कर्मचारियों का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिए वह न्यायाधीन है।

बम्बई में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

354. श्री शरद दिघे : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कौन-कौन-सी कपड़ा मिलें 1985 से बन्द पड़ी हैं;

(ख) इनके बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए; और

(ग) इन मिलों को पुन: चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1985 से बम्बई में निम्नलिखित चार सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हुई हैं :—

मिल का नाम	बंद होने की तारीख
(1) कमला मिल्स लि०	7-11-1988
(2) माडर्न मिल्स लि०	17-3-1987

(3)	न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पिनिंग एण्ड वीविंग कंपनी लि०	13-3-1987
(4)	रघुवंशी मिल्स लि०	25-2-89

(ख) 8202 कामगार बेरोजगार हो गए हैं।

(ग) इन चार मिलों में से तीन मिलों की जांच नोडीय अभिकरण द्वारा कर ली गई है जिसकी स्थापना अर्थक्षम वस्त्र मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाने और उसका संचालन करने के लिए वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में की गई है। फिर भी, नोडीय अभिकरण ने केवल एक ही मिल अर्थात् रघुवंशी मिल्स को अर्थक्षम पाया है जबकि अन्य दो मिलों अर्थात माडर्न मिल्स और कमला मिल्स को गैर-अर्थक्षम पाया है। हालांकि नोडीय अभिकरण ने रघुवंशी मिल्स को अर्थक्षम पाया था, बाद में बी० आई० एफ० आर० को प्रथमदृष्ट्या बंद करने का नोटिस जारी करना पड़ा। हालांकि कामगार सहकारी समिति द्वारा इस एकक को दुबारा चालू करने के लिए प्रयास भी किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली।

सड़क निर्माण हेतु महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

355. **श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र को कितनी राशि स्वीकृति की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार से इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई समस्त राशि खर्च कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो उन सड़कों को ब्यौरा क्या है जिन पर यह राशि व्यय की गई थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र सरकार के लिए 54.00 लाख रु० की राशि मंजूर की गई थी।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सारी धनराशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) जिन सड़कों पर यह राशि व्यय की गई उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत (सी० एस०)
1.	मेनदार्गी-दुधान-अफसलपुर सड़क का सुधार जिसमें पुल और बी० टी० पुल (I) नागाज नाला, (II) शोलापुर जिले में कबेवदी नाला-एस० एच० और एम० डी० आर० शामिल है	33.00
2.	पंढारपुर-बीजापुर सड़क (राज्य राजमार्ग) का सुधार जिसमें सांगली जिले में बान नदी पर हाली (बेलगांव) के निकट एक पुल भी शामिल है।	21.00
	योग	54.00 लाख रु०

महाराष्ट्र में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

356. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) चूंकि गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत किसी स्कीम का प्रस्ताव नहीं दिया था इसलिए कोई व्यय नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

बड़े पत्तनों का आधुनिकीकरण

357. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न बड़े पत्तनों के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 1990-91 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) अभी तक वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है और कितना निर्माण कार्य किया गया है; और

(ग) शेष स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) देश में

महापत्तनों के विकास के लिए वार्षिक योजना, 1990-91 में 471.98 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

(ख) 1990-91 के दौरान महापत्तनों द्वारा अपनी योजनागत स्कीमों पर किया गया वास्तविक खर्च 194.95 करोड़ रु० था। महत्वपूर्ण स्कीमों और 1990-91 में हुई वित्तीय प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) किसी वर्ष विशेष में निधियों का उपयोग विभिन्न बातों जैसे स्कीमों की समय पर संस्वीकृति, शिड्यूल के अनुसार कार्यान्वयन, आदि पर निर्भर करता है। इन कार्यकलापों में होने वाली किसी चूक के फलस्वरूप निधियों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अप्रयुक्त निधियों को आगे ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पिछले वर्षों में शामिल की गई स्कीमों के लिए बाद के वर्षों में पर्याप्त प्रावधान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों की कमी के कारण इन स्कीमों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	1990-91 के दौरान किया गया खर्च (लाख रुपए)
1	2	3
कलकत्ता पत्तन		
(I)	कंटेनर पार्क का विकास	506.69
(II)	हुगली मुहाने में डुबाव में सुधार के लिए व्यापक स्कीम	560.95
(III)	गोदी क्षेत्र और उसके आस-पास आधारभूत सुविधाओं का विकास	103.75
(IV)	जिगरखली पर्लंट का रिसेसन	309 00
(V)	एम० ओ० टी० टग-1 का रिप्लेसमेंट	122.80
हल्दिया गोदी परिसर		
(I)	ट्रैक्टर टगों सहित द्वितीय तेल जेटी	954.45
पारादीप पत्तन		
(I)	दक्षिणी बर्थ का विस्तार	150.00
(II)	कोयला हैंडलिंग सुविधाएं	200.00

1	2	3
विशाखापत्तनम पत्तन		
(1)	डब्ल्यू जे 2 और डब्ल्यू जे 3 को बहु-उद्देश्यीय बर्थ में बदलना	398.42
(II)	मोबाइल क्रेनों का रिप्लेसमेंट	176.78
मद्रास पत्तन		
(1)	कंटेनर टर्मिनल का विस्तार	2808.59
(II)	अमरावती और वेंकट टगों का रिप्लेसमेंट	159.31
टूटीकोरिन पत्तन		
(1)	द्वितीय कोयला जेटी का निर्माण	117.43
न्यू मंगलूर		
(1)	पूर्वी गोदी के पश्चिमी किनारे पर अतिरिक्त बर्थ के बकाया भाग का निर्माण	136.59
मुरगांव पत्तन		
(1)	अतिरिक्त बार्ज अनलोडिंग जेटी	431.91
बम्बई पत्तन		
(1)	हाजी बंदर डम्प में वेयरहाउस का निर्माण	316 44
(II)	दो ट्रांजिट शेडों का पुनर्निर्माण	148.34
(III)	रेलवे साइडिंग वडाला फेस 1 पर चतुर्थ श्रेणी के लिए क्वार्टरों का निर्माण	122.78
कांडला पत्तन		
(1)	कांडला में सातवीं कार्गो बर्थ का निर्माण	600 00
(II)	एस० आर० पी० यूनिटों द्वारा प्रोपेल्ड 19 टन का अतिरिक्त बी० पी० टग	165.53

सूती धागे का निर्यात

[अनुवाद]

358. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूती धागे के निर्यात को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कपास के उत्पादन पर सूती धागे के निर्यात को बन्द करने से पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सूती यार्न की अधिक कीमतों/उपलब्धता कम होने के कारण उत्पन्न हुई विकेन्द्रीकृत हथकरघा और विद्युत करघा बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने 21 सितम्बर, 1991 से सूती यार्न के निर्यात स्थगित कर दिए गए हैं। फिर भी, निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यातों को स्थगन आदेश से मुक्त रखा गया है :

(1) अग्रिम लाइसेंस/शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख योजना के अन्तर्गत निर्यात।

(2) इन देशों को निर्यात जिनमें भारत से सूती यार्न के निर्यात मात्रा सम्बन्धी प्रतिबंधों के अधीन है (ई० ई० सी०)।

(3) 60 और उससे अधिक काउंटो के सूती यार्न।

(4) जहां सूती यार्न का निर्यात दायित्व रियायती शुल्कों पर पूंजीगत माल के आयात के आधार पर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

भारत-जर्मनी व्यापार

359. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मनी व्यापार बढ़ाने एव उसमें सुधार करने के लिए भारत और जर्मनी के अधिकारियो के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और दोनो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारत-जर्मन द्विपक्षीय व्यापार मे और सुधार करने की सम्भावनाओं पर नई दिल्ली में 19 नवम्बर, 1991 को हुए औद्योगिक और आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित भारत-जर्मन सयुक्त आयोग के नवे सत्र के दौरान विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के सुनिश्चित विकास, विशेष रूप से भारत से जर्मनी को निर्यात पर बल दिया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि जर्मन आर्थिक क्षेत्र, जो पुन: एकीकरण के परिणामस्वरूप बढ़ गया है, और जर्मन संघीय गणराज्य के नए राज्यों में आधारभूत संरचना तथा उद्योग का अपेक्षित नवीकरण जर्मन बाजार मे भारतीय सप्लाई के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान कर रहे है। इस बात पर बल दिया गया कि क्रियाविधियों का सरलीकरण, बाजार सूचना मानकों का उन्नयन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण और उद्योग के विशिष्ट शिष्टमडलो के विनिमय आदि जैसे क्रियाकलापों को और सुदृढ़ करने से विस्तृत जर्मन बाजारों में भारतीय निर्यातों की पहुंच सुविधाजनक होगी।

कारों का निर्यात

360. श्री वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो इस समय भारत से कारों का आयात कर रहे हैं; और

(ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों में कारों के निर्यात से वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारत से आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, साइप्रेस, ग्रीक, हंगरी, घाना, फ्रांस, ईरान, आइरन, केन्या, माल्टा, मलेशिया, मालदीप, मारीशस, माली, नाइजीरिया, नेपाल, नीदरलैंड, निकारागुआ, श्रीलंका, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात (यू० ए० ई०) और संयुक्त राज्य अमरीका को कारों (जीप सहित सवारी कारों) का निर्यात किया जाता रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीप सहित सवारी कारों के अनन्तिम निर्यात इस प्रकार रहे :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1988-89	21.68
1989-90	52.74
1990-91	41.32

कारों के आयात सम्बन्धी नियम

361. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों के आयात सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधन के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष वर्ग के लोगों द्वारा कारों के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। ये लोग अब खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के तहत कारों का आयात कर सकेंगे, परन्तु आयात शुल्क विदेशी मुद्रा में चुकाया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरे वाणिज्य मन्त्रालय के दिनांक 16-8-1991 की सार्वजनिक सूचना सं० 197-आई० टी० सी० (पी० एन०)/90-93 तथा दिनांक 16-8-1991 के ओ० जी० एल० आदेश सं० 68/90-93 में दिए गए हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

नोटों के परिचालन में वृद्धि

362. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान नोटों के परिचालन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त महीने के दौरान परिचालित नोटों के मास-वार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) नोटों के परिचालन में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था और मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। पिछले छः महीनो (अर्थात् 26-4-91 से 25-10-91 तक) के दौरान परिचालन में नोटों का विस्तार, पिछले दो वर्षों की तुलनीय अवधियों में हुई वृद्धि से काफी कम रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उपर्युक्त महीनों में परिचालन में नोटो की महीनेवार संख्या नीचे दी गई है :

सम्बन्धित महीने का अन्तिम शुक्रवार	राशि (करोड़ रुपए)
26 अप्रैल, 1991	56,162
31 मई, 1991	58,627
28 जून, 1991	57,858
26 जुलाई 1991	55,468
30 अगस्त, 1991	54,131
27 सितम्बर, 1991	53,628
25 अक्तूबर, 1991	56.606

(घ) अर्थव्यवस्था या कीमतों पर मौद्रिक उपादानों के प्रभाव का निर्धारण परिचालन में नोटों में परिवर्तनों के बजाय बृहत् मौद्रिक समुच्चयों में परिवर्तनों पर आधारित होता है।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि

[हिन्दी]

363. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य सूचकांक में 1 जुलाई, 1991 से लेकर नवम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) गत पांच वर्षों में इसी अवधि के दौरान मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) चालू वर्ष तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान जुलाई के पहले सप्ताह से नवम्बर के पहले सप्ताह तक थोक मूल्य सूचकांक में हुई प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है. ---

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि (आधार: 1981-82 = 100) (जुलाई के पहले सप्ताह से नवम्बर के पहले सप्ताह तक)
1986	1.36
1987	4.28
1988	1.10
1989	3.01
1990	3.36
1991	3.36

(ग) बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों में राजकोषीय घाटे में काफी कमी करना, प्रभावी मांग को कम करने के लिए मुद्रा पूर्ति के विस्तार को नियंत्रित करना, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तथा मांग का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंध करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाना, अधिक उत्पादन और बचत के लिए प्रोत्साहन देना तथा जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल है।

विदेशी बैंकों द्वारा शाखायें खोला जाना

364. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई आर्थिक नीति के तहत विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी शाखाएं खोलने के लिए अनुमति मांगी है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंककारी विनियमन अधि-नियम, 1949 के अनुसार, भारत में बैंकिंग का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी करने के वास्ते सांविधिक शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास निहित हैं। भारत में शाखाएं खोलने के

लिए विदेशी बैंकों को अनुमति प्रदान करने के वास्ते सभी आवेदनों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है।

(ख) भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति मांगने वाले विदेशी बैंकों के नाम बताना फिलहाल लोकहित में नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक ऋण

[अनुवाद]

365. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश को कुल कितना ऋण देने का वचन दिया है;

(ख) इस ऋण राशि में से कितना भाग विशेष अहर्ता अधिकार के माध्यम से दिया जाना है;

(ग) ये ऋण किस प्रयोजनार्थ लिए जा रहे हैं; और

(घ) इन ऋणों के साथ क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक द्वारा देश को जितना ऋण देने का वचन दिया गया था उसकी कुल राशि निम्नानुसार है :

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	—	13660.8 लाख एस० डी० आर० जिसमें से 7200.8 लाख एस० डी० आर० प्राप्त हो गए हैं।
एशियाई विकास बैंक	—	—4170 लाख अमेरिकी डालर।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋण विशेष आहरण अधिकार के रूप में हैं।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाला ऋण हमारी विकास आवश्यकताओं के अनुरूप भुगतान संतुलन की व्यवहार्य स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी प्रवाह में वृद्धि करने के लिए है। एशियाई विकास बैंक के ऋण परियोजनाबद्ध हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

(i) भारतीय तेल निगम	—	1500 लाख अमेरिकी डालर
(ii) गन्धार तेल क्षेत्र विकास परियोजना	—	2670 लाख अमेरिकी डालर

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्रोत प्राप्त करने की शर्तों पर बातचीत हो गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि अपनाए जाने वाले उपाय देश के सर्वोत्तम आर्थिक हित में होंगे। एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने की शर्तें वहीं हैं जिन पर ऐसे विकास-ऋण परंपरागत रूप से भारत को उपलब्ध कराए गए हैं।

मध्य प्रदेश में मुरार छावनी क्षेत्र में सैनिक भूमि का सीमांकन करना

[हिन्दी]

366. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मध्य प्रदेश में ग्वालियर के मुरार सैनिक छावनी क्षेत्र के सैनिक अधिकारियों द्वारा किसानों को परेशान करने के सम्बन्ध मे कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उक्त छावनी क्षेत्र में सैनिक भूमि का अब तक सीमांकन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस भूमि का सीमांकन कब तक कर दिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद सेना अधिकारियों को यह सलाह दी गई कि वे ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे भूमि का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने में निजी भूमि मालिकों को कोई परेशानी हो।

(ग) मुरार छावनी में सैनिक भूमि का पहले ही सीमांकन कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में निजी बस मालिकों को मार्ग परमिट देना

367. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की भारी कमी को देखते हुए निजी बस मालिकों को और अधिक मार्गों के लिए परमिट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन्हें मार्ग परमिट कब तक दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवा में वृद्धि करने के प्रयोजन से राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने दि० प० नि० से अधिक भाड़ा-दरों पर दिल्ली के कुछेक नगर-रूटों पर प्राइवेट आपरेटरों को 3000 स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना पर दिल्ली प्रशासन अभी विचार कर रहा है।

भारत के वस्त्र निर्यात कोटे में वृद्धि

[अनुवाद]

368. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार भारत के वस्त्र निर्यात कोटे में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस चुनौती भरे अवसर का फायदा उठाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) चालू वस्त्र करार के, जो कि 31 दिसम्बर, 1991 को समाप्त हो रहा है, विस्तार के नवीकरण के लिए इस समय वाशिंगटन में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधिमण्डलों के बीच परामर्श हो रहा है। इसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।

विदेशों में जूतों के बाजार का विस्तार करना

369. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में जूतों के बाजार का अत्यधिक विस्तार हुआ है, किन्तु उसमें भारत का हिस्सा बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संघटक विनिर्माण सुविधाओं की अपर्याप्तता, प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों का अभाव, उत्पाद विकास और विपणन की ओर अपर्याप्त ध्यान विश्व के फुटवियर बाजार में अधिक प्रतिशतता शेयर प्राप्त करने में हमारी कुछ बाधाएं हैं। सरकार फुटवियर व्यापार की विकास क्षमता के प्रति सतर्क है और फुटवियर का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू कर रही है।

हीरे जवाहरात का निर्यात

370. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आयात पर लगाई गई रोक के कारण हीरे-जवाहरात के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) मार्च, 1991 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये आयात प्रतिबंधन उपायों से अन्य बातों के साथ-साथ, अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए धन प्रेषण की व्यवस्था करने में हीरा उद्योग भी प्रभावित हुआ। किन्तु इसके बावजूद, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, अप्रैल से सितम्बर, 1991 की अवधि में रत्न तथा आभूषण को निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

(ख) निर्यातकों के लिए मार्जिन राशि की आवश्यकताओं के संबंध में कुछ ढील दी गई है। हीरा निर्यातकों को अपरिष्कृत हीरों के आयात के वित्त पोषण हेतु डालर खाता खोलने और विदेशों में ऋण-संचारण की अनुमति प्रदान की गई है।

बी० आई० सी० लिमिटेड, कानपुर द्वारा मुकदमेबाजी पर व्यय

371. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सात महीनों से बी० आई० सी० लिमिटेड, कानपुर में मुकदमेबाजी पर होने वाले व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है और साथ ही गत दो वर्षों में इसी अवधि के दौरान मुकदमेबाजी पर किए गए व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कंपनी को व्यय की राशि कम करने का निदेश दिया है ताकि पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में कमी न आए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष व्यय पर्याप्त रूप से कम हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

[हिन्दी]

372. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी स्वीकृत परियोजना के निर्माण कार्य में विलंब किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89 से 1990-91 के दौरान बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सड़क/पुल निर्माण कार्यों के 83 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए थे। इनमें से 5075 312 लाख रुपए की राशि के 78 प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(ग) जहां तक शेष पांच प्रस्तावों का सम्बन्ध है, तीन प्रस्तावों को बाद में स्वकृति दे दी गई थी। दो प्रस्ताव प्राक्कलनों में संशोधन के लिए राज्य सरकार को लौटा दिए गए थे।

(घ) और (ङ) बिहार में कुछ संस्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में हड़तालों, उपयुक्त ठेकेदारों के अभाव, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि जैसे कई कारणों से विलम्ब हो रहा है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

373. **श्री राम लखन सिंह यादव : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पटनों, रोहतास और भोजपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बिहार के पटना, रोहतास और भोजपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या निम्नानुसार है :

जिला	शाखाओं की संख्या
पटना	103
रोहतास	68
भोजपुर	56

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाए गये केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को दी जानी होती है। लीड बैंक सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

बिहार और उड़ीसा में किसानों को बैंकों से ऋण

374. **श्री राम लखन सिंह यादव :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और उड़ीसा में जिले-वार अनुसूचित बैंको द्वारा किसानों को कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ख) इस अवधि के दौरान ऋणों की कितनी राशि की वसूली हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों (संबद्ध गतिविधियों को छोड़कर) को जून, 1987, जून, 1988 तथा जून, 1989 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में जो प्रत्येक कृषि ऋण संवितरित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :

(रुपए करोड़ में)

जून में समाप्त वर्ष	बिहार	उड़ीसा
1987	68.0	47.4
1988	83.2	48.8
1989	99.5	58.2

तदनुरूप अवधि के दौरान उड़ीसा तथा बिहार में सभी अनुसूचितत वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली नीचे दर्शाई गई है :—

(करोड़ रुपए)

जून में समाप्त वर्ष	मांग	वसूली
1. बिहार		
1987	148.88	66.50
1988	170.71	81.37
1989	210.07	100.40
2. उड़ीसा		
1987	104.43	55.13
1988	131.99	69.08
1989	141.24	76.67

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली से उपरोक्त सूचना के आंकड़े जिला-वार प्राप्त नहीं होते ।

औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित मामले

[अनुवाद]

375. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास काफी संख्या में मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मामले की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जो निपटाए जाने की अन्तिम अवस्था में हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने सूचित किया है कि 31-10-91 की स्थिति के अनुसार दर्ज किए गए 1080 मामलों में से 068 को पीठों को सौंप दिया गया था, इनमें से 688 मामलों को निपटा दिया गया है। 107 निपटाए जाने की अन्तिम स्थिति में थे और 36 मामले उस श्रेणी में आए जिसमें उन्हें फिर खोला गया था जिन्हें ए० ए० ए० आई० एफ० आर० द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया अथवा जो दूसरी अदालतों में अन्यथा लम्बित थे। बाकी 237 मामले पूछ-ताछ की विभिन्न स्थितियों में हैं।

(ग) बी० आई० एफ० आर० ने बताया है कि 31-10-91 की स्थिति के अनुसार 107 मामलें (45 ड्राफ्ट योजनाएँ और 62 बन्द करने के नोटिस, जैसे कि संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है) निपटाए जाने की अंतिम स्थिति में थे ?

विवरण

ड्राफ्ट स्कीम

1. श्री वल्लभ ग्लास
2. मोहुर्म लेजर ब्रीवरी
3. सुखाना पेपर
4. पाउडर मेटल्स
5. स्पेशलिटी पेपर लि०
6. जय लक्ष्मी मिल्स
7. साउथर्न एब्रोफंरेन
8. गोग्टे टैक्सटाइल्स
9. कर्नाटक सिमेन्ट
10. रामनुगर कैन
11. रोलकी मेटल्स

12. सेठ वुलेन्स
13. ईस्टेन्ड पेपर
14. एम० पी० कारबाईड
15. स्टैंडर्ड मोटर्स
16. गोपाल ग्लास वर्क्स
17. चांगीया फूड प्रोसेसिंग
18. श्री रायलसीमा पेपर मिल्स
19. अहमदाबाद न्यू काटन मिल्स
20. पिगमेन्ट्स इण्डिया
21. सिस्टम कंट्रोल्स एण्ड ट्रान्सफार्मर्स
22. साधना टेक्सटाइल्स
23. ऐक (इण्डिया) लि०
24. मयूर सिन्टेक्स
25. केमो-फार्मा
26. सीलौड कंटेनर्स
27. रोहित मिल्स लि०
28. नव कर्नाटक स्टील
29. सी० जे० जीलेटीन प्रोडक्ट्स
30. राजकुमार मिल्स
31. स्वान मिल्स
32. तमिलनाडु अलाय
33. मोदी कारपेट्स
34. डालमिया बिस्कुट्स
35. मोदी स्पी० एण्ड वीविंग मिल्स
36. पी० बी० पी० लि०
37. अशोक मिल्स
38. सूर्या पावर

39. आइडिया आवा (इण्डिया)

40. श्री विष्णु सिमेन्ट्स

41. विशाल सिन्टेक्स लि०

42. मानसिंह आयल

43. वंडलसीड नेशनल कंडक्टर्स

44. गैंग्स फर्टिलाइजर्स केमि०

45. दावनेर काटन मिल्स

समाप्ति का नोटिस

1. मद्रास अल्मुनियम

2. कमला मिल्स

3. कलकत्ता जूट मैनुफैक्चरिंग

4. एम० पी० इलैक्ट०

5. श्री दुर्गा काटन

6. सराओ पेपर

7. कोले आइरन एण्ड स्टील कं०

8. डेल्टा जूट

9. आइलैक लि०

10. जीवनलाल

11. श्री वेंकटाचलपत्ती मिल्स

12. देवीकाय इलैक्ट०

13. सुदर्शन क्ले

14. अजंता फोरगीग्स

15. पंजन आनन्द बैटरीज

16. जयपुर उद्योग

17. डेम्पो डेयरी इंडस्ट्रीज

18. बुदगे बुदगे

19. इंड० केमिकल एण्ड मोनोमर्स लि०

20. विनोद पेपर मिल्स लि०

21. ऐप इन्डस्ट्रीज
22. होप टेक्सटाइल्स
23. चम्पीयन इन्डस्ट्रीज
24. हथवा बनस्पति
25. अम्बिका वेज एण्ड केमि०
26. साउथर्न आर्गेड केमि० लि०
27. नेलीमारला जूट
28. बंगाल फेरो अलाय
29. होइस्टोमेच
30. ईस्टर्न पेपर मिल्स
31. लक्ष्मी सुगर मिल्स
32. गोल्डेन प्रोन्टीस
33. ओसवाली केमिकल्स लि०
34. कलिंग कारबोनेट्स
35. महाराष्ट्र आसबेस्टोस
36. श्री गनेसर टेक्सटाइल
37. लेबोनी कपूर काटन
38. रघुवंशी मिल्स
39. दानबार मिल्स
40. चम्पारण सुगर
41. स्टार मशीनरी मैनुफैक्चरिंग
42. श्री हनुमान जूट
43. जयाकवादी पल्प एण्ड पेपर मि० लि०
44. नालन्दा सेरामिक्स
45. त्रिवेणी मेटल्स ट्यूब्स
46. स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल
47. स्टार स्टील लि०
48. के० सी० ए० लि०
49. कोणार्क जूट लि०
50. प्राइमटेक्स मशीनरी

51. सायन गैरेज
52. श्री पाइप्स
53. प्रेसीजन ब्लैंकिंग
54. रासी सेरामिक इन्ड०
55. के०टी०सी० टायर्स (इण्डिया) लि०
56. डाबरीवाला स्टील
57. नूतन मिल्स
58. केरा सिटर्स
59. औरो प्लास्ट इण्डिया
60. साउथ दिल्ली इरेक्टर्स (इण्डस्ट्रीज)
61. बिजली प्रोडक्टस
62. गुप्ता पेपर मिल्स

हीरों के निर्यातकों को प्रोत्साहन

376. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जो हीरों के कुल निर्यात का 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात करते हैं;

(ख) क्या हीरे के निर्यातक किसी तरह के प्रोत्साहन दिये जाने के हकदार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या ऐसे सभी निर्यातकों को पहले ही प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन कंपनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें ऐसे प्रोत्साहन नहीं दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जिन निर्यातकों ने वर्ष 1990-91 के दौरान तराशे हुए और पालिस किए हुए हीरों के कुल निर्यात मूल्य का 2% या उससे अधिक का निर्यात किया उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) मै० बी० विजय कुमार एण्ड कंपनी, बम्बई

(2) मै० सुराज डायमंड (आई) लिमिटेड, बम्बई

(3) मै० गीतांजलि एक्सपार्ट्स कारपोरेशन, बम्बई

(4) मै० महेन्द्रा ब्रादर्स, बम्बई

(5) मै० एवरेस्ट जेम्स, बम्बई

(ख) और (ग) हीरों के निर्यातकों को अन्य बातों के साथ-साथ प्रति कैरेट वसूली मूल्य के आधार पर निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य के 65% से 90% के बीच प्रतिपूर्ति सुविधा दी जाती है।

(घ) प्रतिपूर्ति सुविधा तराशे और पालिश किए हुए हीरों के सभी निर्यातकों को दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत अलाभप्रद कपड़ा मिलें

377. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संभावित वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा पहचान की गई अलाभप्रद मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अलाभप्रद मिलों को बन्द करने का है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितने श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम देश में 124 मिलें चला रहा है। इन मिलों की संख्या को राज्य-वार/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार दर्शाने वाली एक तालिका नीचे दी गई है :

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के नाम	मिलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	6
असम	1
बिहार	2
दिल्ली	1
गुजरात	12
कर्नाटक	4
केरल	5
माहे	1
महाराष्ट्र	35

1	2
मध्य प्रदेश	7
उत्तर प्रदेश	11
राजस्थान	4
पंजाब	4
प० बंगाल	14
तमिलनाडु	14
उड़ीसा	1
पाण्डिचेरी	2
कुल	124

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के आठवीं योजना प्रस्तावों में भारी घाटा उठाने वाली 14 मिलों को गैर-अर्थक्षम रूप में अभिज्ञात किया गया है। उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इन्हें पुन: चालू करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

1. आजम जाही मिल्स
2. अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स
3. पानीपत वूलन मिल्स
4. वीरमगांम टैक्सटाइल मिल्स
5. महालक्ष्मी मिल्स (गुजरात)
6. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स
7. पेंटलाड टैक्सटाइल मिल्स
8. विदर्भ मिल्स
9. हीरा मिल्स
10. बिजली काटन मिल्स
11. लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स
12. श्री विक्रम काटन मिल्स
13. ज्योति वीविंग मिल्स
14. गया काटन एण्ड जूट मिल्स

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

378. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन के लिए सरकारी निदेशों के पूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली कोई एजेंसी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय के विशेष रूप से पुनर्वास प्रभाग बनाया गया है। पुनर्वास महानिदेशालय, जो मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है, सरकारी और रोजगार के अन्य क्षेत्रों में, जिनमें स्व-रोजगार, प्रशिक्षण और कल्याण कार्य शामिल हैं, भूतपूर्व सैनिकों की भरती संबंधी सभी मामलों को देखने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय एक दूसरी ऐसी एजेंसी है जो केवल प्राथमिकता श्रेणियों के भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों अर्थात् निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत/निशक्त कार्मिकों के परिवारों के सदस्यों की भरती के काम को देखता है जिनकी मृत्यु/निशक्तता सैनिक सेवा के कारण होती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग में उन सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों और उनके अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों में प्राधिकारी नियुक्त करके भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने तथा उन्हें देय अन्य लाभों को दिए जाने सम्बन्धी आदेशों को सुनिश्चित किए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विदेश जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा

379. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 और 1991 के दौरान अब तक कितने छात्रों को विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है और प्रत्येक छात्र को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत बैंकों की चुनिंदा शाखाएं उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित मार्ग निर्देशकों के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी करती रही हैं।

(ख) वर्ष 1990 और 1991 (जनवरी से अगस्त तक) के दौरान जिन विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा आबंटित की गई उनकी संख्या तथा प्रति विद्यार्थी विदेशी मुद्रा की औसत राशि का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	विदेशी मुद्रा की आबंटित राशि	प्रति विद्यार्थी जारी की गई औसत राशि
1990	6,276	86.62 करोड़ रुपए	1.38 लाख रुपए
1991 (जनवरी से अगस्त)	4,419	80.98 करोड़ रुपए	1.83 लाख रुपए

सैन्य बलों के लिए नये भर्ती क्षेत्र

380. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सशस्त्र बलों के लिए नए भर्ती क्षेत्रों की स्थापना करने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) देश के विभिन्न भागों में अधिक भरती कार्यालय खोलने की मांग समय-समय पर प्राप्त होती रहती है।

(ख) वर्तमान क्षेत्रीय भरती कार्यालय भरती सम्बन्धी मौजूदा मांग को पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं इसलिए नये क्षेत्रीय भरती कार्यालय/शाखा भरती कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षा सेवाओं में महिलाओं की भर्ती

381. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :**
श्री के० एच० मुनियप्पा।

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा सेवाओं के चुनिन्दा शाखाओं में महिलाओं की भर्ती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में भारतीय नौसेना की शिक्षा, सम्भारिकी और विधि शाखाओं में अधिकारी पदों पर महिलाओं को भरती करने के एक प्रस्ताव अनुमोदित किया। वायुसेना की गैर-तकनीकी ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं, उदाहरणार्थ प्रशासन, सम्भारिकी, लेखा, शिक्षा तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी शाखाओं के अधिकारी संवर्ग में महिलाओं की भरती को भी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसी तरह, सेना में भी महिलाओं की भरती का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारतीय व्यापार शिष्टमण्डल का अमरीका दौरा

382. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी पूंजी-निवेश एवं संयुक्त सहयोग के उद्यमों में सहयोगी कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए नवम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह के दौरान एक उच्चाधिकार प्राप्त भारतीय व्यापार शिष्टमंडल ने अमरीका का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो क्या दौरे के पश्चात् शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस शिष्टमण्डल को अमरीकी सहयोगी कम्पनियों तथा विदेशी पूंजी-निवेश को आकर्षित करने में कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) नवम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह के दौरान अमरीकी निवेश संग्रह करने तथा संयुक्त सहयोग उद्यमों के लिए हिस्सेदार जुटाने के प्रयास में सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका में किसी व्यापार शिष्टमण्डल को प्रायोजित नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र को सीधे ऋण देना

383. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को सूचित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने निकट भविष्य में सरकार की गारन्टी के बिना ही गैर-सरकारी क्षेत्र को सीधे ऋण देने की सम्भावना की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को कब से सीधे ऋण दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण

384. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल धन का चालीस प्रतिशत रियायती ब्याज पर पर प्राथमिक क्षेत्रों को देने की जिम्मेदारी से मुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार अन्य किन मानदण्डों में संशोधन कर रही है और इससे बैंकों को कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, सरकार ने वित्तीय प्रणाली के ढांचे, गठन, कार्यों तथा कार्यविधि से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है। समिति से सरकार को उचित उपायों पर परामर्श देने की आशा की जाती है जिससे कि वित्तीय क्षेत्र की अर्थक्षमता तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके ताकि यह स्वस्थ वित्तीय प्रणाली के नियमों तथा सिद्धान्तों को त्याग किये बिना अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को सही रूप में सेवा कर सकें।

विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों के कार्य की पुनरीक्षा करना

385. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों में भारी परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उदार औद्योगिक नीति की दृष्टि से इससे विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों को क्या सहायता मिलेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उद्योग की बदलती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने और विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के वास्ते समय-समय पर उपयुक्त समझे जाने वाले कदम उठाये जाते हैं। भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों को समेकित करने के लिए भी कार्यवाई आरम्भ की गयी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर) की वर्तमान शाखाओं को अपने हाथ में लेने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना भी शामिल है।

विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए औद्योगिक गृहों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री

386. **श्री दिग्विजय सिंह** :
श्री गुमान मल लोढ़ा :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए औद्योगिक गृहों को अपने इक्विटी शेयर विदेशों में बेचने के कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड/इक्विटी को विदेशों में जारी करने के लिए अनुमति दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

विश्व मिर्च बाजार में भारत का स्थान

[हिन्दी]

387. **श्री राम शरण यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मिर्च बाजार में भारत ने अपना स्थान खो दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस व्यापार में भारत का खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत निर्यात में वृद्धि का रुख दर्शाया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कम्पनियों द्वारा कम्यूलेटिव कनर्वाटिबल प्रेफ्रेन्स शेयर जारी किया जाना

388. **श्री राम शरण यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता से अधिक पूंजी निवेश जुटाने के लिए कम्पनियों को कम्यूलेटिव कनर्वाटिबल प्रेफ्रेन्स शेयर जारी करने की कम्पनियों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसका इक्विटी रिस्क कैपिटल के विस्तार पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के अन्य बातों के साथ-साथ संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के निर्गम से निधियां जुटाने की अनुमति पहले ही दी गयी है। इस सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश 19 अगस्त, 1985 को जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) चूंकि संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्षों और पांच वर्षों के अंत के मध्य परिवर्तनीय होते हैं, अतः संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयर

जारी करने वाली कम्पनियों की इक्विटी पूंजी, सं० प० त० शे० के परिवर्तन से उत्पन्न इक्विटी पूंजी की सीमा तक बढ़ाई जाती है।

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण संबंधी आवेदन पत्रों का निपटान

389. **श्री राम शरण यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों को अल्पावधि में निपटाने के लिए नये मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न शाखाओं में 31 अक्तूबर, 1991 तक ऋण संबंधी कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े थे और इनका निपटान कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों के निपटान के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना प्रणाली से प्रत्येक महीने के अन्त में विभिन्न शाखाओं के पास लम्बित पड़े ऋण आवेदनों संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होती। सामान्यतः ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े से लेकर 8 से 9 सप्ताह तक निपटा दिया जाता है।

निर्यातोन्मुख वस्तुओं का पता लगाना

390. **श्री राम शरण यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ निर्यातोन्मुख वस्तुओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिब्बा बन्द वस्तुओं, जिनकी आपूर्ति कम है और जो केवल धनी लोगों को ही उपलब्ध हैं, को भी इसमें शामिल किया गया है और इस प्रकार समाज के कमजोर वर्ग का स्वास्थ्य प्रभावित होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार तिलहन, खली तथा लौह अयस्क जैसी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अन्य प्रकार से निर्यात किए जाने वाले अन्य मदों के महत्व की अनदेखी

किए बिना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत ग्रस्ट क्षेत्रों का पता लगाया है। "ग्रस्ट क्षेत्रों" की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) टमाटर पेस्ट और टमाटर के अन्य उत्पादों, ऊष्ण कटिबंधी फलों के रस, गूदा, काढा तथा परिरक्षित कुकुरमुत्ते इत्यादि जैसे संसाधित खाद्य पदार्थों की निर्यात हेतु पहचान की गयी है क्योंकि ये वस्तुएं देश में आसानी से उपलब्ध हैं। इन मदों के निर्यात से देश को मुक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तथा दीर्घावधि में देश के किसानों की स्थिति में भी सुधार होगी, क्योंकि ये इन किसानों की आय के स्रोत बनेंगे और किसानों की आय बढ़ाने वाले साधन के रूप में कार्य करेंगे इस प्रकार यह समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी सहायक होंगे।

(घ) और (ङ) अभी, अरंडी के बीज, कपास के बीज, लीसी के बीज, सूर्यमुखी के बीज, सोयाबीन, सरसों/रेपसीड इत्यादि जैसे तेल बीजों के निर्यात पर रोक लगी है। शीशम के बीज, एच० पी० एस० मूंगफली, सूर्यमुखी के बीज और नाइजर बीज जैसे कुछ तेल बीजों के निर्यात की अनुमति है। तथापि, तेल रहित मूंगफली निस्सारण, तेल रहित चावल की भूसी, सोयाबीन निस्सारण इत्यादि जैसी तेलरहित खली के निर्यात की अनुमति है। सरकार का अभी इस नीति में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वर्तमान नीति घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों के हितों की रक्षा करती है तथा इसके साथ देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होता है। जहां तक लौह अयस्क का संबंध है, घरेलू मांग और निर्यात मांग को पूरा करने हेतु वर्तमान संसाधन पर्याप्त हैं।

विवरण

ग्रस्ट क्षेत्रों की सूची

1. चाय, विशेष रूप से पैकेज और मूल्य वर्धित रूप में;
2. अनाज, विशेषकर गेहूं;
3. फल और रस, मांस और मांस उत्पाद, तथा ताजे फल एवं सब्जियां सहित संसाधित खाद्य;
4. समुद्री उत्पादन, विशेषकर मूल्य-वर्धित रूप में;
5. लौह अयस्क;
6. चमड़ा और चर्म उत्पादन, विशेष रूप से चर्म उत्पाद;
7. हस्तशिल्प और आभूषण;
8. पूंजीगत माल और उपभोक्ता टिकाऊ माल;
9. इलेक्ट्रानिक्स का सामान तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर;
10. मूल रसायन;
11. फैब्रिक्स, पीस गुड्स और मेड-अप्स;
12. सिले सिलाए वस्त्र;

13. ऊनी वस्त्र और बुने हुए वस्त्र;

14. परियोजनाएं और सेवाएं; और

15. ग्रेनाइट ।

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राएं

[अनुवाद]

391. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने पर रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या विशेष कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर प्रतिबन्ध के बावजूद कुछ सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं को पिछले तीन महीनो के दौरान मंजूरी दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत तीन महीनों के दौरान कितने सरकारी अधिकारी विदेश गए और इन यात्राओं का प्रयोजन क्या था; और

(छ) इन यात्राओं पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ङ) सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर कुछ अपवादों को छोड़ कर रोक लगी हुई है। उन अपवादों में अन्यों के साथ-साथ व्यापार, सहायता अथवा विदेश नीति सम्बन्धी बातचीत करने के लिए दौरे शामिल हैं।

अधिकारियों के विदेशी दौरों सम्बन्धी प्रस्तावों की पूरी तरह जांच की जाती है और केवल उन्हीं दौरों के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है जो अनिवार्य हों तथा पूर्णतः औचित्य-पूर्ण हों।

(च) और (छ) यह सूचना किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है और इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से एकत्र करना होगा। इस सूचना को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा, उससे प्राप्त प्रयोजन उसके समनुरूप नहीं होगा।

नई कपड़ा नीति

392. **श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा नीति 1985 के संबंध में आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो नई कपड़ा नीति किस प्रकार तैयार की जाएगी;

(ग) क्या नई नीति से उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (घ) आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन निजी बसों को चलाया जाना

[हिन्दी]

393. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ निजी बसों को दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितने परमिट जारी किये गये हैं;

(ग) पहले कितनी बसें शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष बसें शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल/मई, 1991 के दौरान कुल 55 बसें लगायी गयी थीं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों की कोई निजी बस दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत नहीं लगायी जा सकी।

(ग) से (ङ) दिल्ली परिवहन निगम ने प्रारम्भ में 1000 निजी बसें लगाने की योजना बनायी थी। स्थानीय समाचारों पत्रों में दिए गये विज्ञापन के उत्तर में दिल्ली परिवहन निगम को 337 आवेदन प्राप्त हुए थे। तथापि 94 पात्र आवेदकों में से अन्ततः केवल 55 आवेदक अपनी बसें लगाने के लिए पहुंचे।

काफी का निर्यात

[अनुवाद]

394. **श्री सुखदेव पासवान :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की काफी का विश्व के अन्य प्रतियोगियों को निर्यात करने पर देश को प्रतिवर्ष अत्यधिक नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के शुरू से लेकर आज तक भारत की काफी के निर्यात में वर्ष 1990 की इसी अवधि में किए गये निर्यात की तुलना में कितने प्रतिशत कमी हुयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को भारत की काफी के निर्यात में कमी हुई है तथा प्रत्येक देश को किए जाने वाले निर्यात में कितने-कितने प्रतिशत कमी हुई है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन पर कुल कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार ने भारत की काफी का निर्यात बढ़ाने तथा इसका निर्यात करने के लिए नए बाजार का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) जुलाई, 1989 तक उन विभिन्न देशों से निर्यात कोटों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार किया गया था जो अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के सदस्य थे। इस करार के तहत आर्थिक खंड जुलाई, 1989 में निष्प्रभावी हो गया, जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी की कीमतें काफी कम हो गई थीं। इसके बावजूद भारतीय काफी का कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा। वर्ष 1987-88 से भारतीय काफी के निर्यात के जरिए मूल्य वसूली इस प्रकार रही :

वर्ष	मूल्य वसूली (करोड़ रुपए)
1987-88	260.10
1988-89	337.72
1989-90	363.14
1990-91	278.79

2. 1990-91 के लिए कुल वसूली में कमी निर्यात की मात्रा में काफी कमी हो जाने के कारण हुई और यह कम फसल होने के कारण हुआ था। वर्ष 1991-92 के लिए लक्ष्य 400 करोड़ रुपए है।

3. जनवरी से अक्तूबर, 1991 के बीच कुल 71004 मी० टन का निर्यात किया गया था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 93537 मी० टन का निर्यात किया गया था। जनवरी से अक्तूबर, 1991 तक मूल्य वसूली 229.48 करोड़ रुपए हुई जबकि पिछले वर्ष यह 235.71 करोड़ रुपए थी। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के निर्यात में हुई कमी को पूरा कर लिए जाने की संभावना है और हम आशा करते हैं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित 400 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। जनवरी से अक्तूबर, 1990 तक और जनवरी से अक्तूबर, 1991 के दौरान प्रमुख देशों को किया गया निर्यात तुलनात्मक रूप से नीचे दिया गया है :

देश का नाम	जनवरी से अक्तूबर, 91 में निर्यात		जनवरी से अक्तूबर, 90 में निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	(मात्रा मी० टन में)		(मूल्य लाख रुपये में)	
जर्मनी	9087	2818.28	10424	1958.01
इटली	6018	1805.35	5000	1078.65
चेकोस्लोवाकिया	4055	1498.97	4634	933.24
संयुक्त राज्य अमरीका	3709	879.63	4830	704.62
जापान	751	250.76	182	39.47
यूगोस्लाविया	2979	925.25	7984	1737.86
स्विटजरलैंड	1261	471.56	568	180.31
फ्रांस	607	173.23	679	138.03
नार्वे	659	191.36	308	72.18

4. भारतीय काफी का निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) व्यापार नीति का उदारीकरण।

(2) अन्य-मुद्राओं की तुलना से भारतीय रुपए की विनिमय दर का पुन: समायोजन।

(3) क्वालिटी काफी के विश्वसनीय सप्लायर के रूप में भारत की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्यात के लिए न्यूनतम मात्रा निर्धारित करना।

रुपए का मूल्य

[हिन्दी]

395. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1947 को आधार वर्ष मानकर रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : 1947 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम में मापित सितम्बर, 1991 में रुपए का वर्तमान मूल्य 6 57 पैसे है (अद्यतन उपलब्ध)।

एकाधिकारी घरानों की पूंजी

396. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकारी घरानों की पूंजी में सातवीं योजना अवधि के दौरान कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) छठी योजना अवधि की तुलना में यह वृद्धि कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) एकाधिकार वाले घरानों की प्रदत्त पूंजी छठी योजना अवधि के दौरान वर्ष 1979 में 1788 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1984 में 2880 करोड़ रुपए हो गई और उसके बाद सातवीं योजना अवधि के दौरान 1989-90 में 4856 करोड़ रुपए हो गई।

वर्ष 1991-92 के लिए उत्पाद शुल्क वसूली का लक्ष्य

[अनुवाद]

397. **कुमारी उमा भारती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के लिए उत्पाद शुल्क की वसूली का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली के बजट अनुमानों को नहीं बढ़ाया गया है। तथापि, सरकार की संसाधन संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रयासों में तेजी लाएं और बेहतर कर प्रशासन के जरिए बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 5% अथवा 1317 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की वसूली का लक्ष्य रखें।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्थानांतरण नीति

398. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में एक अनिवार्य स्थानांतरण नीति लागू करने की निरंतर रूप से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) सरकार ने विधि आयोग की 80वीं रिपोर्ट में उसकी नीति संबंधी सिफारिशों के रूप में यह स्वीकार किया है कि एक ऐसी परिपाटी होनी चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से हों। सरकार ने विनिश्चय किया कि इसे या तो बाहर से प्रारम्भिक नियुक्ति करके या स्थानांतरण करके कार्यान्वित किया जाये। इस दिशा में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को बाहर से लेने की नीति को अपनाते हुए एक शुरुआत की गयी है। इस नीति को अपनाने के

पश्चात् बाहर के उच्च न्यायालयों से अवर न्यायाधीशों की कुल प्रारम्भिक नियुक्तियां की गई है और कुछ न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण भी किए गये हैं।

सरकार इस नीति का अनुसरण कर रही है।

न्हावा सेवा पत्तन में कंटेनरों के भंडारण के लिए ठेका

399. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा सेवा पत्तन में कंटेनरों के भंडारण का ठेका केन्द्रीय भांडागार निगम को दिया गया था;

(ख) यदि हां तो, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन्होंने उसे उप-ठेके पर एक गैर-सरकारी पार्टी को दे दिया था;

(ग) क्या यह सरकार की मंजूरी से किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उप-ठेका किन शर्तों पर दिया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (न्हावा सेवा) ने कंटेनर फ्रेट स्टेशन के प्रचालन और प्रबन्धन का एक ठेका केन्द्रीय भंडारण निगम को दिया था।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रचालनों के एक भाग, जैसे कंटेनरो के आवागमन और भराई तथा सामान उतारने के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम ने एक प्राइवेट पार्टी को उप-ठेका (सब-कंट्रेक्ट) दिया था।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भंडारण निगम और प्राइवेट पार्टी के बीच हुए 'सब-कंट्रेक्ट' को सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं थी। यद्यपि, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास और केंद्रीय भंडारण निगम के बीच हुए ठेके को, जिसमें 'सब-कांट्रेक्ट' का एक खंड था, सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क का अपवंचन और 'फेरा' उल्लंघन के मामले

400. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 में अब तक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क उपबंध तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उल्लंघन के कितने-कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अपवंचन और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि शामिल है;

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामले न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

[हिन्दी]

401. **श्री काशी राम राणा :**
श्री चंद्रेश पटेल :

क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान बन्द हुई कपड़ा मिलों का ब्योरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने मजदूर प्रभावित हुए;

(ख) इन बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मिलें भविष्य में बन्द न हों ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) विवरण-I संलग्न है। वर्ष 1981-82 से अब तक के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने अर्थक्षम वस्त्र मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाने और उसका प्रबन्ध करने के लिए आई० डी० बी० आई० के साथ एक नोडीय अभिकरण बनाया है। सरकार ने बन्द पड़ी वस्त्र एककों के सम्बन्ध में उपचारी और सुधारात्मक उपाय करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) की स्थापना की है।

(ग) सरकार ने पुरानी और अप्रचलित मशीनों को बदलने के लिए उदार शर्तों पर आधुनिकीकरण की सहायता प्रदान करने के लिए आई० डी० बी० आई० के अन्तर्गत वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना स्थापित की है।

विवरण-I

पिछले 15 वर्षों के दौरान सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों का बन्द होना

वर्ष	बन्द पड़ी मिलों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या (000 संख्या)
1	2	3
1975-76	14	46
1976-77	28	20

1	2	3
1977-78	30	31
1978-79	19	14
1979-80	13	8
1980-81	11	22
1981-82	58	162
1982-83	27	40
1983-84	48	83
1984-85	70	107
1985-86	72	95
1986-87	90	127
1987-88	135	161
1988-89	142	186
1989-90	121	158
1990-91	105	161

विवरण-II

सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों का बन्द होना और प्रभावित कामगार
(1981-82/1991-92)

(राज्य-वार)

वर्ष	आन्ध्र प्रदेश		असम		बिहार		गुजरात	
	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981-82	2	492	—	—	—	—	5	6972
1982-83	1	93	—	—	1	500	6	10391
1983-84	2	3262	—	—	1	500	13	21201
1984-85	5	4229	—	—	1	500	19	31236
1985-86	2	2671	—	—	1	500	18	27922
1986-87	2	2751	1	1079	1	500	27	45271
1987-88	5	3742	—	—	1	500	35	55405

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988-89	4	1796	—	—	1	621	36	56289
1989-90	7	2068	—	—	1	621	35	55769
1990-91	7	2922	—	--	1	500	33	56207
1991-92 (सितम्बर)	7	2430	—	—	1	500	31	55008

वर्ष	हरियाणा		कर्नाटक		केरल		मध्य प्रदेश	
	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार
1981-82	1	1415	—	—	7	4144	2	8641
1982-83	1	5026	1	3254	—	—	—	—
1983-84	2	5292	—	—	1	1701	2	2636
1984-85	2	5292	1	3304	1	265	—	—
1986-86	2	5292	2	3928	—	—	—	--
1986-87	2	5292	5	5626	1	537	3	5813
1987-88	2	5056	10	7572	3	1862	3	5813
1988-89	3	6296	12	13773	5	2832	3	5813
1989-90	2	5056	10	6302	1	1015	2	2636
1990-91	2	5292	8	6757	1	674	2	2636
1991-92 (सितम्बर)	2	5292	9	6907	1	337	2	2636

वर्ष	महाराष्ट्र		उड़ीसा		राजस्थान		तमिलनाडु	
	बन्द मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981-82	26	119024	1	320	—	—	9	6731
1982-83	3	6004	2	3245	1	821	8	2545
1983-84	4	10471	2	3245	3	2815	10	10560
1984-85	8	18256	3	4805	4	6247	14	3990
1985-86	10	19765	—	—	5	6669	23	8920
1986-87	11	21605	—	—	5	5177	23	10851

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987-88	13	26654	—	—	7	6601	37	14757
1988-89	15	39293	—	—	7	9764	40	16760
1989-90	18	36985	—	—	5	2499	26	15309
1990-91	13	31702	—	—	4	4841	19	10518
1991-92 (सितम्बर)	11	21837	—	—	4	4841	21	17603

वर्ष	उत्तर प्रदेश		प० बंगाल		दिल्ली		पांडिचेरी		योग	
	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार	बंद मिलें	कामगार
1981-82	2	2540	3	10743	—	—	—	—	58	161868
1982-83	1	2276	1	1136	1	4400	—	—	27	39691
1983-84	2	4046	4	4722	1	5500	1	6860	48	82818
1984-85	4	5456	7	16844	—	—	1	6860	70	107284
1985-86	4	6500	4	6193	—	—	1	6860	72	95226
1986-87	4	6500	4	11480	—	—	1	4557	90	127039
1987-88	7	9313	10	23428	—	—	—	—	133	160903
1988-89	8	21588	8	21030	—	—	—	—	142	185855
1989-90	7	12088	6	13141	1	5161	—	—	121	158380
1990-91	7	16085	7	17995	1	5161	—	—	105	161290
1991-92 (सितम्बर)	8	17585	9	17385	1	5161	—	—	107	157522

बन्द कपड़ा मिलों को पुन: चालू करने के लिए लाइसेंसों में रियायतें

402. **श्री काशीराम राणा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बन्द कपड़ा मिलों को पुन: चालू करने के लिए लाइसेंसों में रियायतें देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्र श्रमिक पुनर्वास कोष योजना

403. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र श्रमिक पुनर्वास कोष योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और इस योजना में क्या राहत दी जा रही है;

(ख) क्या यह योजना गुजरात में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में सफल रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ऐसे वस्त्र एकक जो 6 जून, 1985 को अथवा इसके पश्चात् बन्द हुए तथा जिनका पंजीकरण वस्त्र आयुक्त या उद्योग (डी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत किया गया है, उनके स्थाई रूप से बन्द होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि की स्थापना की गई है। योजना में अधीन सहायता टैपरिंग आधार पर केवल 3 वर्षों के लिए उपलब्ध है जिसमें से एकक के बन्द होने के पहले वर्ष में वेतन के 75 प्र० श० के बराबर, दूसरे वर्ष में 50 प्र० श० और तीसरे वर्ष में वेतन के 25 प्र० श० के बराबर राहत मिलेगी।

(ख) जी हां।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गरीबों को मकान बनाने के लिए ऋण सुविधा

[अनुवाद]

404. **श्री राजबीर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक का कौन-कौन से विशेष उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : शीर्ष स्तरीय वित्तीय संस्था होने के कारण राष्ट्रीय आवास बैंक का एक मुख्य कार्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आवास वित्त कंपनियों, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों आदि जैसी प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है। बैंक की पुनर्वित्त योजना को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लिए स्वनिर्मित झुकाव है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं में निर्धारित किया गया है कि 40 वर्ग मीटर तक के मकान का निर्माण करने के लिए प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संवितरित 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पूरी तरह से पुनर्वित्त पोषित होंगे। 40 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र लेकिन 1.50 लाख रुपए से अनधिक लागत के मामले में एक लाख रुपये तक की पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त संवितरित ऋण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त पोषित नहीं है।

इसी प्रकार भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाली परि-

योजनाओं के लिए पुनर्वित्त पोषण के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि निर्मित आवासों के 75 प्रतिशत आवास 40 वर्ग मीटर से अधिक आकार के नहीं होने चाहिए और किसी भी आवास का क्षेत्र 120 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। गंदी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते राष्ट्रीय आवास बैंक ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह ऋण खाता योजना के अन्तर्गत न्यूनतम अंशदान को कम-से-कम 30 रुपए प्रति माह रखा गया है।

बैंक कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

[हिन्दी]

405. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी कितने दिन सांकेतिक हड़ताल पर रहे तथा उन बैंकों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसी हड़तालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय बैंक संघ के अनुसार पिछले 12 महीनों में बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों द्वारा पूरे उद्योग में अखिल भारतीय स्तर पर किसी हड़ताल की सूचना नहीं मिली है। तथापि, अलग-अलग बैंकों में अधिकारियों/वर्कमैन ने स्थानीय मुद्दों पर विभिन्न तारीखों में सांकेतिक हड़ताल की हैं।

(ख) चूंकि हड़ताल आदि यूनियनों/संघों द्वारा की जाती हैं, इसलिए केवल सरकार ही इन्हें रोक नहीं सकती। तथापि, भारतीय बैंक संघ/प्रबन्धन/श्रम, प्राधिकारियों द्वारा हड़तालों को रोकने के लिए यूनियनों के साथ सामान्यतः सुलह/बातचीत के प्रयास किए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण दरें

[अनुवाद]

406. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई ऋण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋण दरों में वृद्धि कृषि क्षेत्र पर भी लागू है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(घ) क्या कृषि क्षेत्र के लिए ऋण दरों में वृद्धि रिजर्व बैंक कृषि समिति द्वारा सुझायी गयी दरों का उल्लंघन करती है; और

(ङ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र के लिए ऋण दरों में इस वृद्धि के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अक्तूबर, 1991 को वित्तीय वर्ष 1991-92 के उत्तरार्ध के लिए ऋण नीति की घोषणा की थी।

ऋण नीति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मुख्य संशोधनों में बैंक दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि, उधार ब्याज दरों मे 1.5 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि, अल्पावधि जमा दरों में वृद्धि, निर्यात ऋण ब्याज दर में वृद्धि, निर्यात पुनर्वित्त का उदारीकरण और नकद मार्जिन कटौती, कतिपय पुनर्वित्त सुविधाओं को वापिस लेना और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंक की नकद बकाया पर ब्याज दर में कटौती शामिल थे।

(ख) से (ङ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार ब्याज दरों में 9 अक्तूबर, 1991 से स्पाट रूप से 1.5 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि कर दी गई है। अत: अब उधार ब्याज दरें अब तक की 10.0% से 18.5% (न्यूनतम) की तुलना में 11.5% से 20.0% (न्यूनतम) है। उधार ब्याज दर ढांचा कृषि क्षेत्र से संबद्ध व्यक्तियों सहित सभी बैंक उधारकर्ताओं पर लागू है और दर में रियायत ऋणों के आकार से जुड़ी है। बहरहाल, कृषि, लघु उद्योगों औद दो वाहनों तक के ट्रांस्पोर्ट आपरेटरों के सावधि ऋणों पर ब्याज की दरों में 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए तक के बीच के ऋणों पर ब्याज की दरों में केवल एक प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि की गई है। इन क्षेत्रों के 2 लाख रुपए के सावधि ऋण 9 अक्तूबर, 1991 से पूर्व की 14 प्रतिशत की दर के स्थान पर 15.0 प्रतिशत (न्यूनतम) निर्धारित की गई है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के सावधि ऋणों पर उधार-कर्ताओं की सामान्य श्रेणी की अपेक्षा ब्याज की रियायती दरें ली जाती हैं।

हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों के श्रमिकों के लिए पुनर्वास कोष

407. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा श्रमिक पुनर्वास कोष योजना के अन्तर्गत हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 तक कितने हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग रुग्ण घोषित लिए गए और उक्त योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए; और

(ग) विभिन्न राज्यों में हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों सहित राज्यवार कितने कपड़ा एककों से सम्बन्धित मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र के कामगार शामिल नहीं हैं क्योंकि यह निधि संगठित मिल क्षेत्र के कामगारों के लिए हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

घी और मक्खन का निर्यात

408 **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान घी और मक्खन का वर्षवार कितनी-कितनी मात्रा में और किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ख) क्या घरेलू बाजार में इन मदों की कमी और हाल के महीनों में इनके मूल्य में तेजी

से हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन्हें घरेलू खपत के लिए उपलब्ध कराने हेतु इन वस्तुओं का निर्यात बन्द करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) कृषि और परिष्कृत खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए घी और मक्खन की मात्रा निम्न प्रकार है :—

1988-89	313 मी० टन
1989-90	174 मी० टन
1990-91	146 मी० टन

ये मदें मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान और मलेशिया को निर्यात की जाती हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि इन मदों की केवल थोड़ी मात्रा का निर्यात करने की ही अनुमति दी जाती है। इस थोड़े से निर्यात से घरेलू सप्लाई में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी ओर इनके उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास और ब्रांडों की स्थापना आदि जैसे सकारात्मक पहलू हैं, जिनके परिणामस्वरूप भविष्य में अधिक मात्रा का निर्यात हो सकेगा जो ऐसे निर्यात करने के लिए देश की क्षमता पर निर्भर करेगा। इसलिए सरकार का इन निर्यातों को रोकने का प्रस्ताव नहीं है।

आर्थिक सम्भावनाएं

409. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ट्रेंड्स इन डेवेलपिंग इकोनमीज" नामक शीर्षक से विश्व बैंक रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें यह इंगित किया गया है कि भारत का विकास और नीतियां परिवर्तन की हालत में हैं और इसकी आर्थिक सम्भावनाएं संसाधन प्रयोग की क्षमता के सुधार पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए भारी ऋण को चुकाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और वित्तीय क्षेत्रों में बहुत-से आमूल सुधारों की घोषणा की गई है।

(ग) ऋण की वापसी अदायगी मुख्यतः देश के निर्यातों तथा अदृश्य आय में से की जाती है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और अदृश्य आय में वृद्धि करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि विदेशी वित्तपोषण पर हमारी निर्भरता उत्तरोत्तर कम होती जाए।

"नेशनल रिनुअल फंड" के लिए विश्व बैंक से ऋण

410. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने "नेशनल रिनुअल फंड" के लिए उदार शर्तों पर 6000 लाख डालर का ऋण देने की पेशकश की है ताकि सरकारी क्षेत्र के जिन रुग्ण एककों के बंद होने की आशंका है उनके श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण किन-किन शर्तों पर प्रदान किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) नेशनल रिनुअल फंड को दिए जाने के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक के शिष्टमण्डल द्वारा दिसम्बर, 1991 में भारत का दौरा किए जाने की संभावना है। इससे सम्बन्धित ब्यौरे आदि शिष्टमण्डल की यात्रा के दौरान और उसके बाद ही तैयार किए जाएंगे।

अनिवासी भारतीयों के लिए मुम्बई स्टाक एक्सचेंज में विशेष कक्ष

411. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों की समस्याओं से निपटने के लिए मुम्बई स्टाक एक्सचेंज में एक विशेष कक्ष खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस प्रकार के कक्ष अन्य स्टाक एक्सचेंजों में भी खोले जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कक्षों की कार्यप्रणाली क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) बम्बई स्टाक एक्सचेंज के मौजूदा निवेशक सेवा स्कन्ध के अन्तर्गत एक अनिवासी भारतीय अनुभाग एक्सचेंज द्वारा हाल ही में खोला गया है जो भारतीय निगमित प्रतिभूतियों में अनिवासी भारतीय निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में सामना की जा रही समस्याओं की देख-रेख करेगा तथा निवेश की प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करेगा। ऐसे अनिवासी भारतीय अनुभाग को खोलने का निर्णय उक्त एक्सचेंज द्वारा लिया गया था न कि सरकार द्वारा।

(ख) इस मामले में निर्णय अन्य स्टाक एक्सचेंजों ने लेना है।

(ग) और (घ) उपरोक्त उत्तर (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में सैनिक स्कूलों का खोला जाना

[हिन्दी]

412. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) सैनिक स्कूल की स्थापना किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विशेष अनुरोध पर की जाती है, क्योंकि सैनिक स्कूल का सारा पूंजीगत व्यय तथा आवर्ती व्यय का एक बड़ा भाग उन्हीं के द्वारा वहन किया जाना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार से पौड़ी-गढ़वाल या चमोली जिलों में सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में बैंक शाखाएं खोलना

413. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में भारतीय स्टेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और किन-किन स्थानों के लिए;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए संबंधित बैंकों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा खोलने की वर्तमान (1990-95) नीति के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से चमोली जिले के गोपेश्वर और पौड़ी गढ़वाल जिले के लैण्डस डाऊन और कोटद्वार अर्ध-शहरी केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन केन्द्रों के आबंटन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। ग्रामीण केन्द्रों के सम्बन्ध में, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के अग्रणी बैंक को दी जानी होती है। अग्रणी बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते उसे जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के लिए ग्रामीण केन्द्रों के बारे में आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को जब आवेदन प्राप्त होंगे तो यह नीति के मानदण्डों के अनुसार गुण-व-दोष के आधार पर उन पर विचार करेगा।

उत्तर प्रदेश में गोपेश्वर और नरेन्द्रनगर में सैनिक भर्ती केन्द्र खोलना

414. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में लैंसडाउन में स्थित सेना भर्ती केन्द्र समूचे क्षेत्र की भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गोपेश्वर (चमोली) और नरेन्द्रनगर (टिहरी) में एक-एक भर्ती केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, गोपेश्वर या नरेन्द्रनगर से भरती कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गढ़वाल क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलना

415. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मण्डल के पौड़ी, चमोली, देहरादून, टिहरी और उत्तराकाशी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जिलेवार कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या इन जिलों में कुछ अन्य स्थानों में भी उक्त ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और वहां ग्रामीण बैंक की शाखाएं कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी, चमोली, देहरादून, टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों में (दिनांक 30-6-91 की स्थिति के अनुसार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या नीचे दी गई है :—

जिले	शाखाओं की संख्या
पौड़ी गढ़वाल	37
चमोली	14
देहरादून	14
टिहरी गढ़वाल	24
उत्तर काशी	5

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पहचाने गए केन्द्रों की सूची आवश्यक विवरणों के साथ उस जिले के अग्रणी बैंक को देनी होती है। अग्रणी बैंक सभी बैंकों से प्राप्त सूची को समेकित करने के बाद जिला कलक्टर को उसकी सिफारिश के लिए और सम्बद्ध राज्य सरकार के माध्यम से उसे भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करने के लिए भेज देता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोलने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इन जिलों मे कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

बोफोर्स मामले की जांच

[अनुवाद]

416. श्री चित्त बसु :
　　श्री आनन्द रत्न मौर्य :
　　श्री राम विलास पासवान :
　　श्री लोक नाथ चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोफोर्स मामले की नवीनतम स्थिति क्या है जिसकी स्विटजरलैंड और भारत में जांच की जा रही है; और

(ख) जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बोफोर्स मामले की भारत में तथा विदेश में सक्रिय रूप से जांच की जा रही है।

(ख) बोफोर्स मामले में दायर की गयी कुछ याचिकाओं के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सारांश और उसकी प्रतिलिपि स्विस अधिकारियों को तत्काल भेज दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में, हाल ही में दायर की गयी याचिकाओं पर भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कानून सम्मत समुचित कार्रवाई की जा रही है।

हल्दिया पेट्रोरसायन कॉम्पलेक्स को धन देने के लिए एशिया विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेना

417. श्री चित्त बसु :
　　श्री अमर राय प्रधान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रोरसायन कॉम्पलेक्स को धन देने के लिए एशिया विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हल्दिया परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से आवश्यक मुद्रा प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां। एशियाई विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक—दोनों—के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण माफी योजनाएं

[हिन्दी]

418. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत अभी तक विभिन्न बैंकों द्वारा माफ किए गये ऋण की राज्यवार राशि कितनी है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत बैंकों को अभी तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा दी गयी है; और

(ग) बाकी धनराशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 11-11-1991 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत कुल 7711 करोड़ रुपए की ऋण राहत सहायता उपलब्ध करायी गई है। इसका राज्य-बार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजना के अन्तर्गत 1,156 करोड़ रुपए मंजूर तथा संवितरित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों को केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में 1266 करोड़ रुपए मंजूर तथा जारी किये गए हैं और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1289 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गये हैं ।

(ग) आशा की जाती है कि बाकी रकम चालू तथा अगले वित्त वर्ष में दे दी जाएगी ।

विवरण

दिनांक 11-11-91 की स्थिति के अनुसार कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई ऋण राहत राशि का राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	88,321
2.	अरुणाचल प्रदेश	216
3.	असम	12,081

1	2	3
4.	बिहार	81,975
5.	गोवा	440
6.	गुजरात	49,942
7.	हरियाणा	23,242
8.	हिमाचल प्रदेश	5,572
9.	जम्मू व कश्मीर	838
10.	कर्नाटक	48,994
11.	केरल	16,052
12.	मध्य प्रदेश	47,178
13.	महाराष्ट्र	77.482
14.	मणिपुर	1,294
15.	मेघालय	1,677
16.	मिजोरम	265
17.	नागालैंड	1,034
18.	उड़ीसा	38,556
19.	पंजाब	19,307
20.	राजस्थान	56,213
21.	सिक्किम	268
22.	तमिलनाडु	53,232
23.	त्रिपुरा	2,414
24.	उत्तर प्रदेश	1,04,433
25.	पश्चिम बंगाल	37,441
26.	चंडीगढ़	1,007
27.	दादरा और नागर हवेली	33
28.	दमन और द्वीव	11
29.	दिल्ली	436
30.	लक्षद्वीप	3
31.	पांडिचेरी	1,065
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	104
	जोड़	7,71,126

स्टॉक एक्सचेंजों में उप-दलालों का पंजीकरण

[अनुवाद]

419. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाक एक्सचेंजों ने उप-दलालों (सब-ब्रोकर्स) के पंजीकरण की कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितने उप-दलालों को पंजीकृत किया गया है; और

(घ) क्या उप-दलालों के पंजीकरण के मामले में बेरोजगार स्नातकों को वरीयता दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार ने हाल ही में स्टाक एक्सचेंजों से कहा है कि वे उप-दलालों के पंजीकरण के लिए एक योजना आरम्भ करें।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) उप-दलालों का पंजीकरण स्टाक एक्सचेंजों द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार किया जायेगा।

विवरण

उप-दलालों के पंजीकरण से सम्बद्ध योजना की मुख्य विशेषताएं

(i) उप-दलालों के पंजीकरण के लिए स्टाक एक्सचेंज निम्नलिखित वापसी योग्य शुल्क लगाएगा :

(क) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज :	10,000 रु०
(ख) कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज	5,000 रु०
(ग) अन्य एक्सचेंज	3,000 रु०

(ii) यदि उप-दलाल स्टाक एक्सचेंज के किसी नियम, उप-नियम और विनियमों का उल्लंघन अथवा टाल-मटोल करता पाया जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज उस उप-दलाल का पंजीकरण रद्द कर देगा।

(iii) कोई भी पंजीकृत उप-दलाल स्टॉक एक्सचेंज के एकाधिक सदस्य द्वारा परिचालित नहीं होगा।

(iv) उप-दलाल से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह लेखा पुस्तक और अन्य दस्तावेज यथा लेन-देन का रजिस्टर, ग्राहकों का लेजर, रोकड़ पुस्तिका, बैंक पास बुक और दस्तावेज रजिस्टर रखे।

(v) योग्यताएं :

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो।

(ख) उसे धोखेबाजी अथवा बेईमानी से सम्बद्ध अपराध में दोषी करार न किया गया हो।

(ग) उसे किसी अन्य स्टाक एक्सचेंज द्वारा किसी भी समय निकाला अथवा चूककर्ता घोषित न किया गया हो।

(घ) उससे कम से कम कक्षा 12वीं के स्तर की अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मौजूदा उप-दलालों के सम्बन्ध में शैक्षिक योग्यता में छूट स्टाक एक्सचेंजों द्वारा योग्यता के आधार पर भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड में सूचित करते हुए दी जाएगी।

(ङ) आवेदक को दो ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करना होगा जिसमें से एक व्यक्ति अनुसूचित बैंक का प्रबन्धक हो और उस बैंक में आवेदक का खाता हो।

अवशिष्ट अभ्रक का निर्यात

420. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्रों की खनिज निर्यात कंपनियों ने अवशिष्ट अभ्रक को पुन: बाजार में जमाने के लिए इसके निर्यात को गैर सारणीबद्ध करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) अभ्रक उद्योग से इस अनुरोध के साथ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अभ्रक छीलन का सारणीयन समाप्त कर दिया जाए।

(ग) सरकार ने अभ्रक छीलन से सम्बन्धित निर्यात नीति की समीक्षा की है और ऐसा निर्णय लिया गया है कि अभ्रक छीलन से संबंधित मौजूदा निर्यात नीति को जारी रखा जाए।

गुजरात में जामनगर शहर का दर्जा बढ़ाना

421. **श्री चंद्रेश पटेल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न श्रमिक संघों और अन्य संगठनों से मकान किराया भत्ते हेतु गुजरात के जामनगर शहर का दर्जा बढ़ाये हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जामनगर शहर का दर्जा बढ़ाये जाने की मांग को कब तक स्वीकार किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) देश में, राज्य-वार, ऐसे शहरों की संख्या कितनी है जिनका गत तीन वर्षों के दौरान दर्जा बढ़ाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) जी, हां।

(ख) इस मांग पर 1991 की जनगणना के आधार पर अन्तिम जनसंख्या-आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

(ग) राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहरों की संख्या
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2. आंध्र प्रदेश	6
3. असम	2
4. बिहार	2
5. चंडीगढ़	1
6. गुजरात	6
7. हरियाणा	1
8. कर्नाटक	3
9. केरल	1
10. मध्य प्रदेश	7
11. महाराष्ट्र	3
12. पंजाब	2
13. राजस्थान	7
14. तमिलनाडु	8
15. उत्तर प्रदेश	5
16. पश्चिम बंगाल	2
	57

लोक अदालतें

422. **श्री चंद्रेश पटेल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान देश में अनेक लोक अदालतें लगायी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अदालतों के समक्ष कितने मामले आए तथा कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(घ) इन लोक अदालतों को लगाने पर क्या खर्च आया; और

(ङ) वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान कितनी लोक अदालतें लगाने का लक्ष्य था ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1991 और 31 अक्तूबर, 1991 के बीच 830 लोक अदालतें आयोजित की गईं। एक विवरण, जिसमें उसके ब्यौरे दर्शित हैं, संलग्न है।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) लोक अदालतें, सुलह प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक प्रयास हैं। ये समय-समय पर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों तथा जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 1991 और 1992 के दौरान देश के विभिन्न भागों में लोक अदालतें आयोजित करने के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किया जा सकता।

विवरण

1 जनवरी, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 के बीच आयोजित (राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार) लोक अदालतों को दर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आयोजित लोक अदालतों की संख्या
1	2	3
I. राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	7
3.	गोवा	2
4.	गुजरात	108
5.	हरियाणा	75
6.	हिमाचल प्रदेश	7
7.	जम्मू-कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	53
9.	केरल	7

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	57
11.	मिजोरम	1
12.	उड़ीसा	317
13.	राजस्थान	10
14.	तमिलनाडु	29
15.	त्रिपुरा	2
16.	उत्तर प्रदेश	146
	II. संघ राज्यक्षेत्र	
17.	दिल्ली	2
18.	पांडिचेरी	1
	योग :	830

डी० एल० एफ० द्वारा जमा राशि पर ब्याज का भुगतान न किया जाना

423. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के एक्शन लाइन कालम में "ए वर्ल्ड ऑफ विजडम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पटना जिला मंच ने निर्णय दिया है कि डी० एल० एफ० असफल आवेदनकर्ताओं को अनेक महीनों से अपने पास रखी धन-राशि पर ब्याज का भुगतान करें;

(ख) यदि हां, तो क्या डी० एल० एफ० लिमिटेड ने इस बीच असफल आवेदनकर्ताओं को ब्याज का भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने सभी आवेदनकर्ताओं को ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग ने डी० एल० एफ० लिमिटेड के विरुद्ध की जा रही जांच पूरी कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स डी० एल० एफ० यूनीवर्सल लिमिटेड ने सभी असफल आवेदकों को ब्याज

का भुगतान नहीं किया है क्योंकि उन्होंने तर्क दिया है कि स्कीम की शर्तों तथा निबन्धनों के अन्तर्गत उनको इस तरह के ब्याज के भुगतान की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) से (ङ) मैसर्स डी० एल० एफ० यूनीवर्सल लिमिटेड के मामले में महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 22 नवम्बर, 1991 को सुनवाई के लिए एम० आर० टी० पी० आयोग के समक्ष आनी है। अर्धन्यायिक निकाय होने के नाते एम० आर० टी० पी० आयोग को एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

सहकारी क्षेत्र में सूती मिलें

424. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री श्रीकांत जैना :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राज्य-वार सहकारी क्षेत्र में कितनी सूती मिलें चल रही हैं;

(ख) क्या वे मिलें हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योगों की मांग को पूरा कर पा रही हैं;

(ग) क्या सरकार के पास बिहार में रांची, उत्तर प्रदेश में देवरिया और बलिया जिलों तथा उड़ीसा में कटक जिले में नई मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ऐसी कितनी मिलें स्थापित की जाएंगी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार मिलों की संख्या 120 है।

(ख) सहकारिता क्षेत्र की मिलों के अलावा हथकरघा तथा विद्युतकरघा उद्योग की मांग अन्य क्षेत्रों यथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों आदि द्वारा भी पूरी की जाती है।

(ग) बिहार के रांची अथवा उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया अथवा उड़ीसा के कटक जिले में सहकारिता क्षेत्र में नई मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार सहकारिता क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों तथा फैब्रिक्स बुनाई एककों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	सहकारिता मिलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	9
असम	1

1	2
बिहार	3
गुजरात	5
हरियाणा	1
कर्नाटक	8
केरल	4
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	35
उड़ीसा	10
पंजाब	6
राजस्थान	3
तमिलनाडु	19
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	1
पांडिचेरी	1
योग	120

काला धन निकालने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक योजना

425. श्री एम० डी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री चित्त बसु :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री अरविंद त्रिवेदी :
कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काला धन निकालने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना पर जनता की प्रतिक्रिया आज तक संतोषजनक रही है;

(घ) यदि नहीं, तो योजना में क्या परिवर्तन करने का विचार है;

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत आज तक कितना काला धन निकाला जा चुका है; और

(च) सरकार का पूरा काला धन निकालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने काला धन निकालने के लिए दिनांक 1 अक्तूबर, 1991 को "राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमाराशियां) योजना, 1991" के नाम एक योजना शुरू की है।

अधिसूचित योजना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त 9 बैंकों की नामित शाखाओं में न्यूनतम 10,000 रुपए और उसके बाद 1,000 रुपए के गुणकों में राशियां जमा कर सकता है। इस प्रकार जमा की गयी राशि का 40 प्रतिशत इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी विशेष निधि में जमा करना होता है। इस निधि का उपयोग गन्दी बस्तियों की सफाई और गरीबों के लिए कम लागत के आवास निर्माण के लिए किया जाएगा। जमा राशि का शेष 60 प्रतिशत जमाकर्ता द्वारा निर्धारित फार्मेट में आवेदन करके किसी अवरोध अवधि के बिना आहरित किया जा सकता है।। 60 प्रतिशत की राशि रेखांकित आदाता खाता चैक के रूप में जमाकर्ता को देय है नामित शाखाएं जमाकर्ता द्वारा आहरित की गयी 60 प्रतिशत राशि के सम्बन्ध में आहरण प्रमाणपत्र भी जारी करेंगी। जमाकर्ता को स्वैच्छिक जमाराशियां (उन्मुक्ति एवं छूट) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत कतिपय उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत राशियां जमा करने वाले व्यक्ति को जमाराशि का स्वरूप एवं स्रोत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी, जमाकर्ता के खिलाफ केवल इस आधार पर कि उसने राशि जमा की है, कोई पूछताछ अथवा जांच नहीं शुरू की जाएगी और यह तथ्य कि उसने राशि जमा की है, भारतीय दंड संहिता, स्वापक सुरक्षा एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को छोड़कर किसी भी अपराध से सम्बन्धित किसी भी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार 16 नवम्बर, 1991 तक इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई राशि 19.57 करोड़ रुपए थी।

(च) सरकार को अर्थव्यवस्था में काले धन की उपस्थिति की समस्या की जानकारी है और इसे दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है।

कामोडिटी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना

426. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उपयोगी वस्तुओं के आयात व निर्यात के लिए एक "कामोडिटी मैनेजमेंट बोर्ड" की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो "कोमोडिटी मैनेजमेंट बोर्ड" की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है और इसके प्रस्तावित गठन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) इस तरह का एक प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है।

एक रैंक-एक पेंशन योजना

[हिन्दी]

427. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रैंक-एक पेंशन योजना की जांच करने के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य-मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) 1-1-1986 से पूर्व के रक्षा पेंशनरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति एक रैंक-एक पेंशन की मांग की भी जांच करेगी तथा अपनी रिपोर्ट 31-12-91 तक प्रस्तुत कर देगी।

सोवियत संघ से रक्षा उपकरणों की आपूर्ति

[अनुवाद]

428. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ में हाल में हुए परिवर्तन के बाद भारत सोवियत प्रोटोकालों के अनुसार सोवियत संघ से फालतू पुर्जों तथा रक्षा उपकरणों को खरीदने में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा उपकरणों और फालतू पुर्जों की मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ताकि हमारी रक्षा क्षमता पर प्रभाव न पड़े ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सोवियत संघ में हो रहे राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों से हमारे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौतों में कुछ व्यवधान आ सकता है। फिर भी रक्षा सामानों की सुचारू रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार सोवियत

अधिकारियों से निरन्तर सपर्क बनाए हुए है। इसके साथ ही सरकार अन्य विदेशी स्रोतों के माध्यम से तथा देश में उपलब्ध उत्पादन की सुविधाओं का उपयोग करके आवश्यक रक्षा जरूरतों को पूरा करने के उपाय कर रही है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखे गए सोने का वापसी

429. **श्री मोरेश्वर सावे :**

श्री विजय कुमार यादव :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखे गए सोने के बदले कितना ऋण मिला;

(ख) गिरवी रखे गए सोने को वापस पाने हेतु अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने गिरवी रखे गए सोने की वापसी के लिए यदि कोई कदम उठाए हैं तो वे क्या हैं; और

(घ) गिरवी रखा गया सोना कब तक वापस लाया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) बैंक ऑफ इंग्लैंड, लंदन को हस्तांतरित स्वर्ण के रेहन के बदले लिए गए ऋण 1037 करोड़ रु० के बराबर थे।

(ख) सोने को रेहन रखकर लिए गए ऋण, जैसा कि उपर्युक्त (क) में दर्शाया गया है; पूरी तरह से परिशोधित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया गया है कि सारा सोना वापस लाने के लिए एक योजना तैयार करें और ऐसे सौदों के लिए करेंसी भंडार स्तर और सुरक्षा महत्व को ध्यान में रखते हुए किस्तों में सोना वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने और ऋण माफ करने की प्रक्रिया में अनियमितता

[हिन्दी]

430. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

श्री श्रीकांत जेना :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रांची (बिहार), उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों और उड़ीसा के कटक जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान ऋण देने और ऋण माफ किए जाने की प्रक्रिया में बरती जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) इसके लिये कितने अधिकारी दोषी पाये गये; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (च) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण मंजूर करने, संवितरण करने तथा ऋण माफ करने के बारे में और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अभिकथित अनियमितताओं के बारे में देश के विभिन्न भागों से प्राप्त शिकायतों को, जिनमें रांची (बिहार), देवरिया तथा बलिया (उत्तर प्रदेश) और कटक (उड़ीसा) से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं, सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ निवारक कार्रवाई के लिए उठाया जाता है। जहां तक अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने और हानियों तथा समझौता प्रस्तावों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे ऐसे मामलों के तुरन्त निपटान के लिए विभिन्न अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करें। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के निरीक्षण के दौरान बैंकों की ऋण मूल्यांकन तथा अन्य मामलों के बारे में कई कमियों का पता चलता है। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंक अधिकारियों समेत अपने उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जो दोषी पाए जाते हैं, उचित कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

12 00 मध्याह्न

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानि) : क्या गृह मंत्री महोदय वाराणसी के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि उनका वक्तव्य तैयार है। मैंने उनसे कहा कि वह एक प्रति मुझे दे दें, तभी मैं अनुमति दूंगा। वह तैयार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद एक को बोलने के लिए आमन्त्रित कर रहा हूं। सबसे पहले श्री के० वेंकटगिरि गौड बोलेंगे।

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : मैं तूफान और बारिश से कर्नाटक की जनता तथा वहां की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है, मैं उस बारे में बोलना चाहता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस वर्ष अक्तूबर और नवम्बर में कर्नाटक में तूफान आया था और भारी वर्षा हुई थी। वहां लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही। मूसलाधार वर्षा से राज्य के निचले इलाके प्रभावित हुए हैं। नदियों में बाढ़ आ गई, जिससे मकानों को नुकसान हुआ, नदियों के किनारे जो फसल खड़ी थी उसे भारी नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ तथा पालतू पशु और भेड़-बकरियां मर गईं। बाढ़ और वर्षा के कारण लगभग 75 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

इन सब बातों के अलावा बंगलौर नगर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। नगर की एक तिहाई आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। इन झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में मिट्टी की दीवारों तथा खपरैल की छतों के घर होते हैं। तूफान से खपरैल की छतें उड़ गईं तथा मूसलाधार वर्षा से मिट्टी की दीवारें टूट गईं। इससे यहां के रहने वाले बेघर हो गए। मैंने कुछ ऐसे इलाकों का दौरा किया है जहां मूसलाधार वर्षा हुई है। वह अत्यंत दयनीय स्थिति थी कि इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग तथा उनके बच्चे किस प्रकार तूफान तथा मूसलाधार वर्षा का सामना कर रहे हैं। जो लोग मंदिरों और सरकारी भवनों के पास रहते थे उन्होंने वहां शरण ले ली। लेकिन ऐसे भवन अधिक नहीं हैं, जो उन भवनों से दूर थे, उन्हें भीगे कपड़ों से ही वर्षा में बैठना अथवा सोना पड़ा। इस प्रकार उन्हें गहन वेदना से गुजरना पड़ा।

भारत में विशेष रूप से बंगलौर में पहले ही काफी गरीबी है। इस मूसलाधार वर्षा ने गरीबी की स्थिति को और बिगाड़ दिया। न केवल शीत लहर और खराब मौसम के कारण बल्कि कई भवनों के गिरने से अनेक निर्दोष लोग मारे गये। अनेक लोग बीमार हो गए और उनका इलाज चल रहा है। उनको जो चिकित्सा सहायता दी जा रही है वह बहुत कम है। वास्तव में बुरा चाहने वाले लोगों के लिए ही यह खुश होने की बात है।

वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण कर्नाटक सरकार पर्याप्त राहत नहीं दे सकी। केवल बंगलौर में ही राहत तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य के अन्य भागों में राहत के लिए 60 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जब तक कर्नाटक सरकार को यह राशि नहीं दे दी जाती है तब तक तूफान से प्रभावित लोगों की दशा ऐसी ही रहेगी तथा राज्य की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त ही रहेगी। दिल्ली से कर्नाटक को आश्वासन दिए हैं लेकिन कर्नाटक आश्वासनों के सहारे नहीं रह सकता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कर्नाटक सरकार को पर्याप्त अनुदान दे, ताकि तूफान से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सके और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाया जा सके।

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैंने भी ऐसी ही सूचना दी थी। कोलार, तुमकुर तथा बंगलौर जिलों में बहुत नुकसान हुआ है। अनेक जानें चली गई हैं तथा घरों और फसल का भारी नुकसान हुआ है। विशेष रूप से धान की फसल ठीक कटाई के समय नष्ट हो गयी। कल ही मैंने सुना है कि पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आंशिक क्षतिपूर्ति दे दी गयी है और कर्नाटक को यह आंशिक क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है। इसी बीच माननीय प्रधानमन्त्री जी के निदेश पर रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। मुझे आशा है कि प्राकृतिक विपदाओं से इन तीनों जिलों में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दे दी होगी। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वास्तविक नुकसान का अनुमान लगाने के लिए तत्काल विशेषज्ञ समिति भेजी जाए। इसी बीच जो लोग बाढ़ और प्राकृतिक विपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं उन्हें आंशिक क्षतिपूर्ति दी जाए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : मेरा माननीय प्रधानमन्त्री जी और केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसे प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान माने। इसके अंतर्गत राजस्थान और बिहार को सहायता दी जा रही है और भारत सरकार ने राज्यों को कोई सहायता देने के लिए नहीं कहा

तथा सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इसी प्रकार इन तीनों राज्यों में संचार व्यवस्था को ठीक किया जाए, खड़ी फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए कुछ किया जाए।

अब मैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के जिलों में मूसलाधार वर्षा और बाढ़ से जो हजारों लोग तबाह हो गए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। बाढ़ में पशु, भेड़ें बह गयीं। लाखों एकड़ भूमि में खड़ी फसल पूर्णतः नष्ट हो गयी, प्रत्येक एकड़ में 8,000 रुपये की फसल होती है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर, कृष्णा, गुंटूर और प्रकाशम जिलों में सड़कें, दूरसंचार व्यवस्था, पानी और बिजली की आपूर्ति पूर्णतः खराब हो गई है। भारत सरकार ने अब तक न तो तमिलनाडु और न ही आंध्र प्रदेश को कोई सहायता दी है। यहां तक कि तिरुपति जैसे बड़े शहर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और अलग-थलग हो गए हैं। ऐसे क्षेत्रों से लोग बाहर नहीं आ सकते हैं।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह युद्ध स्तर पर इस स्थिति से निपटे तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में दवाइयां तथा आवश्यक सहायता भेजे। इसे प्राकृतिक आपदा मानना चाहिए। दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। (व्यवधान) यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी दक्षिण के हैं, फिर भी उन्होंने इस बाढ़ की स्थिति के बारे में नहीं सोचा, जिसने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। हम इसे एक गंभीर बात मानते हैं।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, मुझे गिरफ्तार किया गया…

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मुझे आपकी विशेषाधिकार सूचना मिली है। मुझे तथ्यों के बारे में पता लगाना है। मैं इसकी जांच कर रहा हूं आपने महासचिव से भी चर्चा की थी। कृपया अभी यह मुद्दा न उठाएं। जब हमें तथ्य प्राप्त हो जाएंगे तब हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय जी, मैंने एक जांच रिपोर्ट के साथ, फैक्ट्स एण्ड फिगर्स के साथ आपको पत्र लिखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे लिखे पत्रों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया नियमों का पालन कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। एक रिपोर्ट जो हमको मिली है कि हाल ही के उप-चुनाव में यह प्रचार किया गया कि प्रधान मन्त्री जी रिकार्ड वोटों से जीते। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है, जिसके अन्दर यह कहा गया है कि किस तरह से रिगिंग हुई है। कांग्रेस के लीडर ने कहा, जो वहां का एम० एल० ए० है :

[अनुवाद]

"यह भारी चुनाव और शांतिपूर्वक रिगिंग थी।"

[हिन्दी]

इस रिपोर्ट के अन्दर प्रारम्भ से लेकर, जिस दिन से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, किसी कैंडीडेट को नोमीनेशन भरने नहीं दिया जाता, वहां पर लोग बाहर खड़े हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप इस विषय पर रेग्यूलर डिबेट कर रहे हैं। ऐसे ठीक नहीं है। ऐसे सीधे आपके खिलाफ भी मामला उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : यह देश के प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। प्रधान मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में हैवी रिगिंग हुई है, यह देश की डैमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है। यह प्रधान मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि इस काले धब्बे को कैसे हटाएं। इसकी जांच करायी जाए, यह मेरा कहना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो : महोदय, कृपया मुझे भी बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जानकारी मांगी है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव (धेंकनाल) : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने इसकी सूचना नहीं दी। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जानकारी मांगी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी प्राप्त किए बिना निर्णय नहीं ले सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य उन सदस्या की ओर से बोल रहे हैं संभवतः वह तथ्यों के बारे में नहीं जानते हैं। आप वही बात जानते हैं जो महिला सदस्य ने बताई है। उन्होंने जो पत्र मुझे लिखा था वह मेरे पास है। मैंने वह पत्र पढ़ा है और जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं यह निर्णय लूंगा कि इसमें विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं। मैं सबसे पहले सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करूंगा। चूंकि इस बारे में मुझे कुछ संदेह है इसीलिए मैंने जानकारी मांगी है। मैं तथ्य प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान डाक विभाग की पूर्ण असफलता की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल

पर हैं और हमें कोई भी पत्र आदि प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि सरकारी कार्यालय भी प्रभावित हुए हैं।

महोदय, 1989 में संचार विभाग ने दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के विशेष कार्य भत्ता दिया, लेकिन डाक विभाग के कर्मचारियों को नहीं दिया गया तथा डाक विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच इस बारे में बातचीत चल रही थी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। गुवाहाटी खंडपीठ के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामला दायर करने के लिए इसे उच्चतम न्यायालय से वापिस ले लिया गया। यह दूरसंचार विभाग द्वारा विलम्ब करने की नीतियां है। महोदय, मेरा दूरसंचार विभाग से अनुरोध है कि वह इसकी जांच करे। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई पत्र नहीं पहुंच रहे हैं इससे न केवल भारत के नागरिक प्रभावित हो रहे हैं बल्कि सरकार के अपने विभाग भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाक विभाग के कर्मचारियों के साथ तत्काल बातचीत करे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन और सरकार का ध्यान सरकारी-सेवारत डाक्टरों की हड़ताल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विभिन्न निकायों जैसे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना, दिल्ली प्रशासन, भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा, भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आदि के दस हजार सेवारत डाक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। सबसे अधिक दुख की बात है कि मुद्दा एकदम स्पष्ट है ? टिक्कू समिति 1989 में गठित की गई थी और जहां तक मुझे याद है श्री राम निवास मिर्धा उस समय स्वास्थ्य मन्त्री थे। उस समय सरकार और डाक्टरों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। यह साधारण समिति नहीं थी। यह उच्च शक्ति-प्राप्त-समिति थी जिसमें स्वास्थ्य प्रबंधन और कार्मिक प्रबंधन के विशेषज्ञ थे और यह आशा की गई थी कि इस समिति की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी। यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई लेकिन इसकी सिफारिशें नहीं मानी गई—मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी है और इसने सेवारत डाक्टरों की मानक पदोन्नति के पैटर्न के बारे में सिफारिशें की हैं। इसने सीमा शुल्क बोर्ड और टेलीकाम बोर्ड की भांति मेडिकल बोर्ड स्थापित करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा बोर्ड स्थापित किया जाए तो सेवारत डाक्टरों की अनेक समस्याओं से निपटा जा सकता है। श्री शकील-उर-रहमान, श्री रफीक आलम और अन्य सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसकी पुरजोर सिफारिश की थी। मैंने उनके कागजात पढ़े हैं और प्रधान मन्त्री महोदय को लिखे पत्र भी पढ़े हैं तथा अभी भी यह मामला किसी समझौते के बिना लटका हुआ है। इस मामले में कुछ नहीं हुआ है और मजबूर होकर उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। मैं डाक्टरों द्वारा की गई हड़ताल को अच्छा नहीं मानता हूं। डाक्टरों की इस हड़ताल से कोई भी खुश नहीं है और उनमें से अनेक डाक्टर इतने वरिष्ठ हैं कि वह सेवानिवृत्ति के चरण पर हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के केवल छः माह रह गए हैं और उन्होंने अपने पूरे कार्य-काल को दांव पर लगा दिया है। वे भी कहते हैं कि उन्हें भी इस बात से दुख है। लेकिन हमने देखा है कि वर्षों तक बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है।

इसलिए, संसदीय कार्य मन्त्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे कार्य को शीघ्र करें और यह देखें कि कोई भी आत्म सम्मान पर न उतरे। यह कोई सम्मान का प्रश्न नहीं है। पूरे देश की स्वास्थ्य सेवायें इससे प्रभावित हो रही है। और मूलतः टिक्कू समिति की सिफारिशें

स्वीकार की जानी चाहिएं। परन्तु 14 नवम्बर के कार्यालय ज्ञापन में इन सिफारिशों को अस्वीकार किया गया है और यहां तक कि तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इसने उनकी शिकायतों को और भी बढ़ा दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, मन्त्री महोदय ने मुझसे बात की है। वे संभवत: सोमवार को वक्तव्य देंगे। तब इस पर विचार-विमर्श किया जा सकता है और तब हम इसे लेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दें चूंकि वे मेरे पास भी आए थे। मुझे यह बताया गया है कि देश में 250 अस्पताल तथा 1000 चिकित्सा केन्द्रों तथा औषधालयो में कार्य नहीं हो रहा है। हम मरीजों की दुर्दशा का अन्दाजा लगा सकते हैं। उन्हें भी जो भारी कठिनाई हो रही है, इसे मैं समझता हूं, परन्तु महोदय, आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। उनके बार-बार अनुरोध करने पर भी मन्त्री जी ने उनसे बात नहीं की है। प्रधान मन्त्री जी भी उन्हें कोई समय नहीं दे रहे हैं। यद्यपि वे समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग से सम्बन्धित हैं, प्रधान मन्त्री जी उनसे नहीं मिल रहे हैं। वे सरकारी कर्मचारी हैं परन्तु उनसे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। मुझे बताया गया है कि इसमें 2.5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय खर्च निहित है, हो सकता है, इसमें किसी त्रुटि की गुंजाइश हो। 2.5 करोड़ रुपये! पर यह लगता है कि सरकार ने अब इसे आत्मसम्मान का मुद्दा बना लिया है। स्थिति आज इतनी नाजुक है। मैं सरकार से जोर देकर यह कहता हूं कि मरीजों की दुर्दशा होना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैंने डाक्टरों से भी अपील की है कि उन्हें भी यथासंभव अपनी हड़ताल को वापिस लेने के प्रयास करने चाहिएं। पर मैं यह समझता हूं कि उन्हें मिलने तथा उनसे बात करने की बजाय, सरकार अपेक्षाकृत दमनात्मक कार्यवाही कर रही है। विभाग के सचिव जो निर्देश और जैसी जानकारी दे रहे हैं, वह सरकार द्वारा पहले से ही स्वीकृत समिति की सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत है। श्री रफीक आलम जो कि कांग्रेस में थे और स्वास्थ्य मन्त्री थे तथा आपके मित्र स्वास्थ्य मन्त्री श्री शकील-उर-रहमान ने इनकी पुरजोर सिफारिश की थी। उन्होंने कहा है कि उनके शासन में इन सिफारिशों को मान लिया गया था और इन्हें लागू किया जाना था। मैंने देखा है कि यह एक स्तर सम्बन्धी प्रश्न है जिनसे वे जुड़े हैं। डाक्टरों से भी मेरी अपील है कि अपनी हड़ताल वापिस ले लें और मैं इस बात की भी मांग करता हूं कि सरकार को उनसे तत्काल ही बातचीत करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार तथा मन्त्री उनके साथ बैठकर उनसे बात करते हैं तो वे अपनी हड़ताल वापिस ले लेंगे और बातचीत पूरी हो जायेगी। मन्त्री जी को इसकी पहल करनी चाहिये। इन्हें जनता की तथा इस सभा की भावनाओं को समझना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, जनता दल की ओर से हम लोग डाक्टर्स प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं। विपक्ष के नेता ने और सोमनाथ चटर्जी जी ने जो कहा है हम उसका आदर और समर्थन करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री की भी उनकी प्रति पूरी सहानुभूति है जैसी कि पूर्वकालीन स्वास्थ्य मन्त्रियों की थी। यह बहुत पेचीदा मामला बन गया है। जो प्रशासक हैं, नान डाक्टर कैडर के हैं वे नहीं चाहते हैं कि डाक्टर्स को तरजीह दी जाये, इसमें सवाल ढाई करोड़ का नहीं है। सवाल यह है कि डाक्टर्स सम्मानपूर्वक जनता की

सेवा कर पायेंगे या नहीं। मैं चाहूंगा कि आप वह मेमोरंडम देखें, उसको देखने से सही चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। वह चित्र यह है कि जो प्रशासक लोग हैं वे ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जो डाक्टरी सेवा के लोग हैं जो कि बड़े ब्रिलियंट और अच्छे लोग हैं, उनको नीचा दिखाया जावे। इसकी बार-बार कोशिश की जाती रही है। टिक्कू कमेटी या अन्य कमेटी पर सरकार का दृष्टिकोण साफ होना चाहिए और उन्हें आई० ए० एस० और ब्यूरोक्रेट्स के बराबर स्टेटस मिलना चाहिए। सरकार बताये कि इसके बारे में उसका क्या रुख है। दोनों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। डाक्टर और इंजीनियर समान हैं। जब तक हैल्थ मिनिस्ट्री में हैल्थ सैक्रेटरी डाक्टर नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हैल्थ मिनिस्टर परसों वक्तव्य दें और समस्या का निदान करें। मुझे डाक्टरों ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य मन्त्री की पूरी सहानुभूति डाक्टरों के साथ है। इसलिए सरकार की क्या मजबूरी है उनकी मांग मानने में, मुझे समझ नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : यहां मिनिस्टर जब स्टेटमेंट देते हैं तो क्वश्चन्स पूछने की हाउस इजाजत नहीं देता है पर एक-सा करने की कोशिश करूंगा कि 2-4 क्वश्चन्स पूछे जा सकें।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं एक ही वाक्य में अपनी बात कहकर अपने मित्र द्वारा यहां उठाये गये मुद्दों का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पूर्णतया प्रकाश डाला जा चुका है। आप चिन्ता न कीजिये। दूसरों को भी बोलने दीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सोमवार को वक्तव्य देने से पहले ही मन्त्री जी को मामला निपटा देना चाहिए ताकि डाक्टर अपने कार्य पर आ जायें। सोमवार को हम यह नहीं सुनना चाहते कि हड़ताल अभी भी जारी है।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, बाढ़ के कारण लोगों के जान और माल को भारी क्षति हुई है, विशेषकर तमिलनाडु के किसानों को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी खड़ी फसल पूर्णतया बर्बाद हो गयी है। सड़कें, सिंचाई की नहरें तथा पुल बर्बाद हो गये हैं और जब तक ठीक ढंग से उनकी मरम्मत न की जावे, उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। हजारों मकान और झोंपड़ियां पूर्णतया ढह गयी हैं और एक सौ से अधिक लोगों की जान चली गयी है। मोटे अनुमानों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों को उनकी मूल अवस्था में लाने के लिए, राहत कार्यों पर 340 करोड़ रुपये तत्काल खर्च किये जाने की आवश्यकता है।

तमिलनाडु सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किए हैं लेकिन राज्य सरकार वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है। यह पुनर्वास कार्यक्रम लागू कर रही है जिसके परिणामस्वरूप इसके राजस्व में भारी कमी होती जा रही है। अभी तक किसी भी केन्द्रीय दल ने प्रभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में हुई वास्तविक क्षति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल वहां भेजा जावे और इसके साथ-साथ राज्य सरकार की सहायतार्थ, राहत कार्यों के लिए पर्याप्त कोष भी उपलब्ध कराया जावे।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक तथा आन्ध्र-प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया जाए।

श्री वी० कृष्णा राव (चिक्कबल्लापुर) : महोदय, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में······

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक वक्तव्य देने के लिए मन्त्री जी को पहले से ही कह दिया है। आपको, आवश्यकता से अधिक पहले ही मिल चुका है।

श्री वी० कृष्णा राव : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों मकान ढह गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार आपकी अपनी है। आप सरकार से भी बात कर सकते हैं।

श्री वी० कृष्णा राव : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 70,000 मकान ढह गये हैं। इनमें से 20,000 मकान तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं और शेष 50,000 मकान आंशिक तौर पर नष्ट हुए हुए हैं। 200 करोड़ से अधिक रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते क्या हैं ? मैंने पहले ही कहा है कि सरकार एक वक्तव्य देगी।

श्री वी० कृष्णा राव : सात तालाब टूट गये हैं। क्षतिग्रस्त लोग स्कूलों के बरामदों आदि जैसी सरकारी इमारतों में शरण ले रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया कर्नाटक राज्य को प्रधान मन्त्री राहत कोष से कुछ सहायता राशि भेजी जाये ताकि देश के अति गरीब लोगों को तो कुछ सहायता दी जा सके।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इसी सप्ताह की समाप्ति पर, क्षति का जायजा लेने के लिए श्री बलराम जाखड़ तथा सरकारी अधिकारियों का एक दल इस सप्ताह में दल तीन राज्यों आन्ध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी का भी दौरा करने जा रहा है। (व्यवधान) सप्ताह में से अभिप्राय है, कल ही। इसी बीच अन्तरिम उपाय के तौर पर तत्काल ही कुछ धन भी दिया गया गया है, 7 करोड़ रुपये तमिलनाडु को आज ही दिए गए हैं। वापिस आने के बाद, वे निश्चिततया एक वक्तव्य देंगे और सभा को इसकी जानकारी देंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, भूकंप के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी बात के लिये अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार और इस सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पिछले महीने 20 अक्तूबर को एक दैवी आपदा आई और संपूर्ण उत्तरी हिन्दुस्तान भूकंप के झटके में आया जिसमें उत्तर प्रदेश का हिमालय से मिला हुआ जो इलाका है, खासतौर से उत्तर काशी, वहां हजारों लोगों की जानें गईं, हजारों लोग बेघर-बार हो गए, तमाम लोग तबाह हुए और आज पूरा महीना बीत जाने पर भी······ (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : महोदय······

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैं आपको भी अनुमति दूंगा । इतने अधीर न होइये। एक के बाद दूसरे को अनुमति मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : खेद की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारी सुविधाएं मुहैया करने के लिए, राहत कार्य के लिए जितनी मांग की केन्द्र सरकार से, आज एक महीना बीत जाने पर भी प्रदेश सरकार का कहना है कि जितनी अपेक्षित धनराशि केन्द्र से इस कार्य के लिए चाहिए थी, हमको नहीं मिली । मैं इसमें सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, कि सदन की एक सर्वदलीय समिति बनाई जानी चाहिए जो वहां जाकर सारे नुकसान का आकलन करे और जितनी सहायता राशि केन्द्र द्वारा दी जानी चाहिए, वह तत्काल दी जानी चाहिए।

साथ ही साथ एक शासकीय दिक्कत वहां आ गई और वह शासकीय दिक्कत यह है कि वहां बर्फ गिरने लगी, लगातार भूकंप के झटके आए हैं, लोग छज्जों से बाहर मैदान से रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । जो स्थानीय अधिकारी हैं, छुट्टी लेकर या जबरन रिटायरमेंट लेकर या स्थानांतरण करवाकर उस स्थान से बाहर मैदानी क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो प्रशासकीय इकाई राहत कार्य में लगी हुई है, वह कमजोर पड़ गई है। उसके साथ ही एक समानांतर राहत समिति जो सर्वदलीय होनी चाहिए, वह बनाई जानी चाहिए और उसके निर्देशन में राहत कार्य की प्रशासकीय कार्यवाही होनी चाहिए, यह मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उसके साथ जुड़ी है, टिहरी डैम परियोजना है । लोगों का ऐसा कहना है कि उस परियोजना में, उस बांध में चार-चार दरारें आई हैं, जिसको विभाग के लोग झुठला रहे हैं और ऐसा कहना है कि इसी तरह भूकंप के झटके आते रहेंगे तो उस परियोजना को भी क्षति होगी और उसको नुकसान होने पर संपूर्ण उत्तरी भारत तबाही के कगार पर आ जाएगा । इसलिए इन दोनों सवालों को एक साथ विचार कर सरकार इस सदन के सामने एक वक्तव्य दे, उस पर वहां चर्चा हो और एक दिशा-निर्देश सभी दलों की ओर से इस सदन के अन्दर सरकार को दिया जाए और राज्य तथा केन्द्र सरकार, दोनों के समानांतर सर्वदलीय राहत समिति के जरिए राहत कार्य कराया जाए, इन सुझावों के साथ इस महत्वपूर्ण घटना की ओर, इस आपदा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका मुझे खेद है। मैं आपकी चिन्ता को समझ सकता हूं पर हम एक के बाद ही तो दूसरे को अनुमति दे सकते हैं ।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : मैं उसे नहीं दोहराऊंगा जोकि पिछले वक्ता ने कहा है । मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहूंगा ।

प्रथमतः, हम प्रधान मन्त्री जी के आभारी हैं कि वे उत्तरकाशी गये और वहां के लोगों से

मिले और 70 करोड़ रुपये की सहायता का उनसे वादा किया। दुर्भाग्यवश इसमें से कुछ भी वहां नहीं पहुंचा है। इसलिये प्रधानमन्त्री जी से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यथासम्भव यह धन उपलब्ध करायें और यदि, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि यह उपलब्ध किया जा चुका है तो यह स्पष्ट किया जाए कि किस रूप में और कैसे यह वहां पहुंचा है।

केन्द्र से एक मन्त्री महोदय वहां गये थे और उन्होंने 20 लाख रुपये की लोहे की चद्दरों का वादा किया था कि 48 घन्टों में वहां भेज दी जायेंगी। मैं अभी वहां से आया हूं और मुझे पता चला है कि अभी तक कुछ भी वहां नहीं पहुंचा है।

एक और मन्त्री जी भी वहां गये थे और उन्होंने 7 लाख रुपये के बीजों का वायदा किया था परन्तु वहां कुछ भी नहीं पहुंचा है।

मैं वहां के लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि उन्हें सहायता का वायदा करने और बाद में कुछ भी न देने का कोई तुक नहीं है। यह केवल वोट बैंक बनाने की चालें हैं। हम वहां बड़ी मुसीबत में हैं। लगभग 800 लोग वहां मर गए हैं। यदि कोई हमें सहायता देना चाहता है तो यह ठीक ढंग से दी जानी चाहिये।

इसलिये, मैं यह अनुरोध करता हूं कि जिस सहायता का वादा किया जा रहा है, वह तत्काल और शीघ्र दी जानी चाहिये ताकि बर्फ गिरने से पहले लोगों को यह मिल जाये।

टिहरी बांध के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं अपने मित्र द्वारा कही गयी बात का समर्थन करता हूं। इसके बारे में रिपोर्ट मिली है कि इसमें कुछ दरारें पड़ गई थीं जिन्हें चुपके से भर दिया गया है और उनके कोई चिह्न तक भी नहीं छोड़े गए। मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक उचित तथा विस्तृत जांच करवायी जानी चाहिये।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, गत माह के भूकंप ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तरकाशी जिले में विध्वंसात्मक प्रभाव छोड़े हैं। महोदय, सर्दी प्रारम्भ हो गयी है और लोग बेघर हो गये हैं। पुरुष, महिलायें और बच्चे सभी पीड़ित हैं। उन्हें तत्काल राहत और पुनर्स्थापन की आवश्यकता है।

लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि हमें बताया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसे पक्षपातपूर्ण ढंग से कर रही है। यह मानवता का सवाल है और इसलिए इसे पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। जिला परिषद राहत कार्य में शामिल नहीं थी। यह कार्य तो पार्टी के कार्यकर्त्ता कर रहे हैं। इस स्थिति से निबटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की गई है, उस सहायता का पूरा ब्यौरा केन्द्रीय सरकार को प्रकाशित कराना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह किस प्रकार लोगों को वितरित की गयी। क्या कारंवाई की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोरंजन भक्त . मेरा निवेदन यह है कि यह किसी भी दल विशेष का प्रश्न नहीं है। यह तो मानवीय दुख का प्रश्न है। इसलिए सभी मानवीय दुखों को एक साथ लिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**) सरकार को राजनैतिक दलों के साथ इस पर विचार करना चाहिए। जिला परिषद को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री खन्डूरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए पुनः यह बोलना आवश्यक नहीं है। मैं सरकार को निदेश दे रहा हूं कि वह इस मामले पर अपना वक्तव्य दे। मुझे इस सदन को यह अवश्य बताना चाहिए कि सरकार ने पहले ही संकेत कर दिया है कि वह इस मामले पर अपना वक्तव्य देगी। लेकिन मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सम्बद्ध मन्त्री महोदय को यह ज्ञात कराएं कि जो मुद्दे यहां उठाए जाते हैं वे विचार के लिए स्वीकार्य किए जा सकते हैं। लेकिन विवादास्पद भाग को छोड़ दिया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खन्डूरी, आप पुनः खड़े हो गए हैं। आपके लिए पुनः बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : केरल के रबड़ खेतिहारों को विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक रबड़ की कीमत कम कर दी गई है। यह 80-70 रु० तक गिर गई है। रबड़ के उत्पादन की लागत बहुत ही ऊंची है। पिछले साल, सरकार द्वारा आयातित रबड़ बाजार में उपलब्ध कराया गया था। रबड़ उद्योग में इस वजह से भी गम्भीर परिवर्तन हुआ। पिछले साल रबड़ की निर्धारित कीमत पर्याप्त नहीं थी। रबड़ खेतिहारों ने मन्त्री महोदय को ज्ञापन दिया है। वे मन्त्री महोदय से मिले भी थे और उन्हें इस गम्भीर परिवर्तन से अवगत भी कराया था। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि एक माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं तो यह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं। मैं इन मुद्दों पर उनसे उत्तर देने का निवेदन करता हूं क्योंकि यह केरल के रबड़ खेतिहरों की बहुत ही गम्भीर समस्या है।

श्री पी० सी० थामस : यह रबड़ शीट है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह मुद्दा सदन में नहीं लाना चाहिए था। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री पी० सी० थामस : यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से अपने सदस्यों को नियंत्रित करने का निवेदन कर सकता हूं। वे यह नहीं समझ रहे हैं कि वे यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सदन को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। आपकी बात उठाई जा चुकी है। मन्त्री महोदय आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए उठ रहे हैं। तब भी आप उसी मुद्दे को फिर उठाना चाहते हैं।

श्री पी० सी० थामस : उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं सिर्फ उसका समर्थन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जबकि मन्त्री जी तत्काल इसका उत्तर दे चुके हैं तो भी आप बोलना चाहते हैं। मि० थामस आपकी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)*

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : श्री पी० सी० थामस, प्रो० के० वी० थामस और अन्य माननीय सदस्य उस समय मेरे साथ थे जब मैं कोचीन और कोट्टायम के दौरे पर था। श्री रमेश चेन्नित्तला भी वहां मौजूद थे। तुरन्त मैंने निदेश दिया कि एस० टी० सी० आर० एम० ए० 5 ग्रेड रबड़ की खरीदारी आरम्भ कर देगी, यद्यपि यह समर्थन मूल्य का हिस्सा नहीं है। अब तक हमने उन सभी आर० एम० ए० -- 5 ग्रेड रबड़ की खरीदारी कर ली है जो हमें लगभग 920 टन आफर की गई है, मैं सदन को और इस सदन के माध्यम से केरल के रबड़ उत्पादकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आर० एम० ए०—5 ग्रेड रबड़ का प्रत्येक औंस अथवा किलो एस० टी० सी० द्वारा खरीद लिया जाएगा, जो एस० टी० सी० डिपो को आफर किया जाएगा। दूसरा, यद्यपि हम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कल माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के मद्देनजर मैंने एस० टी० सी० को निदेश दिया है कि वह आर० एम० ए० —4 ग्रेड रबड़ की भी खरीदारी करे जोकि उत्तम किस्म का रबड़ है। एस० टी० सी० आर० एम० ए०—4 ग्रेड रबड़ का वह प्रत्येक किलो खरीद लेगी जो उसे ऑफर किया जा रहा है।

ग्रेड रहित रबड़ की अपनी समस्या है। इस किस्म की रबड़ का समर्थन मूल्य नहीं है। मैंने केरल के मुख्य मन्त्री से बोल दिया है। एम० टी० सी० इस मामले में मदद करेगी। उत्तम रबड़ ग्रेड रहित रबड़ है, जो निम्न किस्म वाला रबर है। जो 6000 से 8000 मीट्रिक टन के बीच है— जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। अत: रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन को इसे खरीद लेना चाहिए। मैं इस विषय में मदद करूंगा। मुख्य मन्त्री महोदय कहते हैं कि वह इस मामले की जांच करेंगे। मैं सोचता हूं कि समस्या अभी नियंत्रण में है। आर० एम० ए०—4 ग्रेड आर० एम० ए० —5 ग्रेड सारा रबर एस० टी० सी० खरीद लेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, शायद माननीय सदस्य उत्तेजित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनसे मिलें और उन्हें सुनें तथा आवश्यक कारवाई करें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुनूंगा। यदि आप मुझे समझने में असमर्थ हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष जी, मैं यहां एक-दो महत्वपूर्ण बातों की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में जहां ट्राइबल एरिया है उनमें बहुत-सी जगह इतना भयंकर अकाल और सूखा पड़ा हुआ है, किन्तु राज्य सरकार कुम्भकरण की नींद में सोई हुई है जिसके कारण वहां कोई राहत कार्य नहीं चल रहा है। वहां पर कोई राहत के कार्य न चलने के कारण वहां के लोगों की हालत बहुत दयनीय हो गयी है। वहां लोगों को खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और मवेशियों को घास तथा पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए यहां से एक पार्लियामेंट्री टीम भेजी जाए। (**व्यवधान**)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : भूरिया जी वहां पर तो काफी राहत कार्य चल रहे हैं। आप और हम तो दोनों एक ही क्षेत्र के हैं। (**व्यवधान**)

श्री दिलीप सिंह भूरिया : पांडे जी वे राहत कार्य नहीं हैं। यह कार्य तो जवाहर रोजगार योजना के तहत चल रहा है। वहां पर महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली। उसमें उन्होंने कहा कि अगर बी० जे० पी० नहीं जीती, तो सारे के सारे काम बन्द कर देंगे। यही हुआ, वहां से बी० जे० पी० नहीं जीती और उन्होने सारे के सारे काम बन्द कर दिए। वहां बहुत सीरियस कंडीशन है। (**व्यवधान**)

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं विदिशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो झाबुआ और रतलाम की बात कर रहा हूं। वहां अनाज नहीं मिल रहा है, पशुओं को घास नहीं मिल रही है। वहां पहले जो काम चल रहा था वह सारा का सारा बन्द हो गया है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि वहां पर जल्दी से जल्दी राहत के कार्य चालू किए जाएं, ताकि वहां की जनता को सूखे और अकाल से राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : महाराष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। रे-रोड, कालवा और मालाड रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट के बाद 8 नवम्बर, 1991 को कल्याण में उपनगरीय रैलवे ट्रेन में भयावाह घटना घटी, जिसमें 12 लोगों की जान गई। चूंकि मुम्बई घनी आबादी वाला शहर है और इसकी उपनगरीय रेलों में, जो देश के आधे यात्रियों को ढोती हैं, अत्यधिक भीड़ रहती है, इसलिए आतंकवादियों को एक बड़ा सुलभ शिकार मिल गया है और सरकार इस चुनौती से निबटने में बुरी तरह असफल रही है। इससे यह उजागर है कि पिछले विस्फोट के बावजूद सरकार सतर्कता बरत नहीं पाई है।

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से वक्तव्य देने की मांग करता हूं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। फिर भी कल्याण स्टेशन पर संकट-कालीन प्रबन्ध व्यवस्था का पूरा अभाव साफ दिखाई पड़ता था। स्वयंसेवी संगठनों की सही कारंवाई के कारण यह घातक अव्यवस्था थोड़ी बहुत टाली जा सकी। क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी की विफलता पूरी तरह उजागर हो चुकी थी।

घायलों और मृतकों के सगे-सम्बन्धियों को प्रदान की गई अनुग्रह राशि इतनी कम थी कि यह उनके साथ किया गया क्रूर मजाक लगता था। रेलवे की ओर से मृतकों को 5,000 रुपये और घायलों को 1,000 रुपये प्रदान किये गये थे। इस अनुग्रह राशि को बढ़ाने की जरूरत है। मैं रेल मंत्री से भी इस बारे में वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हमने समाचारपत्रों में यह पढ़ा था कि प्रधानमन्त्री ने 19 नवम्बर को यह घोषणा की थी कि दो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी। मुझे थोड़ा भ्रम-सा हो रहा है।

मेरे प्रिय संसदीय मंत्री जी कृपया मेरी ओर ध्यान दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ भी कहना चाहते हैं उस पर मन्त्री जी कृपया ध्यान दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि प्रधान मन्त्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करती हूं कि मैं जो कुछ भी कह रही हूं उस पर वह ध्यान दें। मैं आश्वस्त हूं कि मेरी मित्र मालिनी भट्टाचार्य भी इस विषय पर अपनी बात कहेंगी।

दो राष्ट्रीय आयोग बनाने के विषय में जो घोषणा की गई है उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उस राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 का क्या हुआ, जिसे हमने पास किया था। श्री रामविलास पासवान यहां मौजूद हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ने आयोग सांविधिक अधिकारों को सांवैधिक दर्जा प्रदान किया है। हम लोग इसके लिए एक दशक से लड़ते रहे हैं। सभी दल इसके प्रति प्रतिबद्ध थे।

अब स्थिति यह है कि क्या इन दो आयोगों को संविधानिक शक्तियां प्राप्त होंगी। यदि हां, तो अन्य अधिनियम पास किया जाना चाहिए। क्यों ये दोनों चीजें अलग कर दी गई हैं। जब एक आयोग का गठन बहुत ही कठिन है तो दो-दो आयोगों का गठन और भी मुश्किल होगा। जैसा कि बंगाल में प्रसिद्ध कथन है—ज्यादा अक्लमंद आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो काम बिगड़ जाता है।

मैं सभी औरतों का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। सभी औरतें उस अधिनियम के प्रति प्रतिबद्ध हैं··· **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां पुरुषों को भी। हम सभी उस अधिनियम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कृपया उस अधिनियम के मुताबिक उस आयोग का गठन जल्दी करें और यह सुनिश्चय करें कि यह किस प्रकार कार्य करता है। और इस विषय में हमारा सहयोग भी प्राप्त किया जाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा कही किसी बात को नहीं दोहरा रही। मैं तो यह कह रही हूं कि हम पिछले सत्र से ही संबंधित मन्त्रियों से कह रहे हैं कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के बारे में कोई आश्वासन दें, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय इस अधिनियम को लागू

करना नहीं चाहते थे। अब हम देख रहे हैं कि इस सम्बन्ध में अनेक आयोग आ रहे हैं। अब इस सम्बन्ध में एक आयोग नहीं बल्कि दो आयोग बने हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे क्यों दोहरा रही हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं समझती हूं कि यह आयोग नहीं, बल्कि समिति मात्र है। ये संवैधानिक नहीं हैं, ये स्वायत्तशासी नहीं हैं। इसलिए सरकार को "राष्ट्रीय महिला आयोग" शब्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है। प्रधानमंत्री इस सभा में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। हम इस सम्बन्ध में चर्चा चाहते हैं।

डा० राम चन्द्र डोम (वीरभूम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से त्रिपुरा से सम्बन्धित अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। त्रिपुरा से विशेषकर बारमुरा, अलथारामुरा, देवतामुरा, लोगटाराट तथा शकाईलॉग आदिवासी क्षेत्र में लोग इस वर्ष खाद्यान्न के संकट से ग्रस्त हैं। इसके कारण बच्चों सहित सैकड़ों आदिवासी लोग पहले ही मर चुके हैं। बीमारी फैली हुई है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम रोक दिया गया है। वहां पर राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की सप्लाई भी नहीं हो रही है। इस प्रकार लोगों को राशन कार्ड का कोई लाभ नहीं मिल रहा। वे अपने क्षेत्र के महाजनों को अपने राशन कार्ड बेच रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन असहाय आदिवासी लोगों को बचाने के लिए आगे आये। मैं सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि वह अपने स्तर पर तथ्यों का पता लगाने के लिए एक संसदीय शिष्टमंडल भेजे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वे मेरी बात को शांति के साथ में सुनें।

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़े में बोलिये और अशांति जैसी कोई बात न आये, इसका ध्यान रखें।

कुमारी उमा भारती : पिछला उपचुनाव जो कि पूरे देश में हुआ है, उसमें अगरतला विधान सभा के उप चुनाव में हमारे प्रत्याशी श्री श्याम हरि जी शर्मा जो कि एक अंग्रेजी स्कूल के प्रिंसिपल थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको अज्ञात शत्रु कहा जा सके। उनकी किसी से रंजिश नहीं थी। वह अत्यन्त मीठे स्वभाव के थे। उनको कोई मारने जैसी बात सोच सकता है, यह किसी की कल्पना में नहीं हो सकता है। जैसे ही हमारी पार्टी ने यह तय किया कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनेंगे तो उनको धमकियों वाले फोन मिलने शुरू हो गये। इस सम्बन्ध में हमारे इलेक्शन एजेंट लगातार एस० पी० से सम्पर्क करते रहे। जब बहुत अनुरोध किया गया तो प्रदेश सरकार की तरफ से उनको अंगरक्षक दिये गये जो कि सादे वेश में उनके साथ रहते थे। 13 तारीख को जब उनकी हत्या हुई तो उसके दो दिन पूर्व उन अंगरक्षकों में परिवर्तन कर दिया गया और उनकी जगह दूसरे दो नये अंगरक्षक लगाये गये। यहां तक कि उनकी हत्या के दो घंटे पूर्व एक प्रेस कान्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने यह कहा कि किसी भी तरह से मेरी हत्या हो

सकती है। हमारी पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने भी त्रिपुरा में लगातार प्रदेश की सरकार से निवेदन किया कि जिस प्रकार से अन्य प्रत्याशियों को पुलिस पेट्रोल की व्यवस्था की गई है, इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिये भी की जाये। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे अगरतला प्रत्याशी के साथ-साथ दो निर्दलीय प्रत्याशी भी वहां से खड़े हुए थे। उन प्रत्याशियों के लिए इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई कि पुलिस की एक गाड़ी अपने साथ सशस्त्र लोगों को लेकर चलती थी, लेकिन हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। अंत में जिस प्रकार का प्रशासनिक कृत्य हुआ है, मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी अधिकृत राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के प्रत्याशी के साथ में नहीं हुआ है। अगरतला में एक छोटे से एरिया में वह एक नुक्कड़ मीटिंग कर रहे थे जिसमें 15-20 लोग भाषण सुन रहे थे। अचानक एक बम ब्लास्ट हुआ, लोग इधर-उधर भागे। एक जीप आकर रुकी और उसमें से उतरे हुए लोगों ने एकदम से फायरिंग शुरू कर दी। हमारे प्रत्याशी श्री शर्मा जी घायल होकर गिर पड़े। वह जैसे ही घायल होकर गिरे तो कुछ लोग मंच पर चढ़े। रात के समय बाजार खुले थे। हजारों की भीड़ इसे देख रही थी। उनके टुकड़े-टुकड़े···(व्यवधान)··· जब इसकी सूचना दी गई तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विष्णु कान्त जी शास्त्री, माननीय श्री आडवाणी जी, श्री जोशी जी के निर्देशानुसार उस सारी घटना की जांच करने के लिए गए। उस समय पर त्रिपुरा प्रदेश के सी० पी० एम० के नेता और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री नृपेन चक्रवर्ती जी से उनकी मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने माननीय श्री शास्त्री जी से कहा कि मुझे मालूम है, एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री का यह कहना है कि उनको मालूम है कि हत्यारे कौन हैं लेकिन उनका कहना है कि उसकी जानकारी हम प्रदेश सरकार को नहीं देंगे। यहां तक कि त्रिपुरा प्रदेश के मुख्य मन्त्री, जिन्होंने कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से निवेदन भी किया है, क्योंकि, उसी प्रदेश के एक मन्त्री श्री समीर बर्मन ने यह कहा है कि अगर सी० बी० आई० के द्वारा इसकी जांच नहीं कराई गई तो मैं मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दूंगा, इस धमकी के कारण त्रिपुरा प्रदेश के मुख्य मन्त्री को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने केन्द्र की सरकार को अनुरोध किया है कि केन्द्र की सरकार इस बात का प्रबन्ध करे कि जल्दी से जल्दी सी० बी० आई० की एक बहुत मजबूत टीम वहां पर जाय। जिन्होंने हत्याएं की हैं, उनको और उस हत्या के पीछे जिन्होंने योजना बनाई है, उनको पूरी तरह से दण्डित किया जाय, चाहे वह कितने ही महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठे हुए लोग क्यों न हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यदि हमारे विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले इस लोकतांत्रिक देश में एक अधिकृत राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के उम्मीदवार को इस तरह से सरे-आम मारा जाय, जबकि लगातार इलैक्शन कमीशन को इसके बारे में सूचना दी गई, प्रदेश की सरकार को इसके बारे में सूचना दी गई, यहां पर चित्र दिखाती हूं कि किस प्रकार से एक जीते-जागते, जिन्दा, खूबसूरत 57 साल के आदमी को टुकड़ों-टुकड़ों में काट दिया गया, हजारों लोगों के सामने काट दिया गया जबकि इसके बारे में लगातार सूचना दी जा रही है। मैं इस बारे में कुछ अखबार आपके सामने भी इस सदन के पटल पर रखूंगी···

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, आप नियमों के अनुसार ऐसा नहीं कर सकती हैं।

कुमारी उमा भारती : आप कहेंगे तो मैं नहीं भी रखूंगी, जिसमें यह बताया गया है कि

हमारे प्रत्याशी की हत्या कांग्रेस की अन्दरूनी लड़ाई के कारण हुई··· (**व्यवधान**) वहां के मुख्य मंत्री यह नहीं चाहते थे कि यह चुनाव हो, क्योंकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से खड़ा था, वह मुख्य मन्त्री के पद का दावेदार हो सकता था इसलिए यह चुनाव न हो पाएं, इसलिए** किराये के हत्यारों ने ही हमारे प्रत्याशी की हत्या इसलिए करवाई, क्योंकि, हमारा प्रत्याशी निरीह था और इसीलिए जान-बूझकर दो दिन पहले उसके सुरक्षाकर्मी हटाकर··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया। अब बहुत लम्बा हो रहा है।

कुमारी उमा भारती : उनकी जगह दूसरे सुरक्षाकर्मी लगाए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वे सुरक्षाकर्मी अपने सामने उनकी हत्या होते हुए देखते रहे, उन्होंने हत्यारों पर फायर नहीं किया और जब हत्यारे घटना स्थल से चले गये तो उसके बाद उन सुरक्षाकर्मियों ने फायर करने का पूरा पाखण्ड किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्र को सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सी० बी० आई० की एक मजबूत से मजबूत टीम त्रिपुरा में भेजी जाय और तीन अनाथ स्त्रियां, जो बिना किसी अपराध के उस प्रत्याशी की हत्या के कारण अनाथ हो गई हैं, वह केन्द्र सरकार से न्याय मांग रही हैं, वह न्याय मांग रही हैं, इस सदन से और उस मोहल्ले के लोग न्याय मांग रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से भरी भीड़ में उनको काट दिया गया···

अध्यक्ष महोदय : आपको टाइम दिया गया है तो उसका यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करती हूं केन्द्र की सरकार से कि जल्दी से जल्दी सी० बी० आई० की टीम वहां भेजी जाय और इसके लिए अगर** और त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त किया जाय।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर हाउस में बयान आना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, सदन में सभी लोग इस बात को मानेंगे कि यह दलगत मामला नहीं है और कम से कम मैं केन्द्र की सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वे वहां पर किसकी सरकार है, इस बात की उपेक्षा करके इस गम्भीर घटना को गम्भीरता से ले और एक छोटी-सी बात है, ऑपरेटिव, बहुत छोटी बात है कि सी० बी० आई० की जांच होनी चाहिए, कोई बड़ी भारी हम कमीशन की बात नहीं कर रहे। यह अगर होता है तो मुझे विश्वास है कि तथ्य सामने आ सकते हैं और वहां की सरकार ने भी डिमांड किया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें तनिक भर भी विलम्ब न करते हुए तुरन्त इस प्रकार की सी० बी० आई० की जांच करायें जिससे पूरा सदन, सदन में बैठे हुए सभी दल, सभी सदस्य संतुष्ट हो सकें कि लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा अमानुषिक प्रहार कहीं होगा तो केन्द्र की सरकार कम से कम उसके साथ रीकन्साइल नहीं करेगी, कोई समझौता नहीं करेगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अगर उम्मीदवारों की इस प्रकार की हत्या होगी तो

** कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कार्य नहीं कर सकेगी। इस मामले पर दलगत नहीं बल्कि देश में लोकतन्त्र कायम रखने के मकसद से विचार किया जाए। इसलिए सरकार उचित कदम उठाए।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं उस क्षेत्र से विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं की कद्र करता हूं। (**व्यवधान**) इस घटना के तुरन्त बाद त्रिपुरा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाए। मैं गृह मन्त्री के विदेश यात्रा पर जाने से पहले स्वयं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाएगी। इसके बाद मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभारी मन्त्री महोदय से मिला। उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया। मैं प्रधान मन्त्री से मिला और उनसे भी अनुरोध किया। मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसा विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा है, त्रिपुरा सरकार भी इस मामले पर इतनी ही चिन्तित है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि उमा भारती ने जो कुछ कहा है उस पर गौर कीजिए। जब तक कोई जांच न हो, किसी व्यक्ति या अन्य पर कोई लांछन न लगाया जाए। यह सच है कि प्रेस के कुछ वर्गों ने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस की अन्दरूनी लड़ाई उत्तरदायी है। लेकिन जब कोई इस सभा के अन्दर यह कहे कि अमुक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है तो ऐसा कथन कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई निजी बात है तो मैं उस पर गौर करूंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इसके बारे में कितनी गिरफ्तारियां की हैं? सरकार ने क्या कार्यवाही की है—यह तो बतायेंगे?···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, जो मांगा था, वह उन्होंने दे दिया है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में एक खून सूखता नहीं है कि दूसरा खून हो जाता है। मुझे दुःख है कि मैं 20 तारीख को, जिस दिन यह अधिवेशन शुरू हुआ था, मैं यहां उपस्थित नहीं था। मैं 20 तारीख को सरगुर गया हुआ था और हमारे सरगुर के जो माननीय सदस्य हैं, उनको इस घटना की जानकारी होगी। सरगुर में इसी 11 तारीख नवम्बर को छः दलितों, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है।···(**व्यवधान**)·· मैसूर, कर्नाटक। मैं 20 तारीख को वहां स्वयं होकर आया हूं, छः हत्याएं की गई हैं। ये हत्याएं भी ठीक उसी प्रकार से की गई हैं, जिस प्रकार से चन्दूर में की गई थी, हाथ-पांव बांध कर और गला काट कर। वहां पर भी एक नहर थी, जिस नहर में उनको फेंक दिया गया। अभी यहां प्रधान मन्त्री जी नहीं हैं, प्रधान मन्त्री जी ने चीफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई थी, एन० आई० सी० की मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है और इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो गरीबों का

विश्वास सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और कानून-व्यवस्था के ऊपर से उठ जाएगा। यह ग्यारह तारीख की घटना है, शैड्यूल्ड कास्ट्स का मामला है और इस मामले में दूसरे मामले को नहीं जोड़ना चाहता हू। अभी आदिवासियों की समस्या आई थी, मैं वहां भी गया था। छः आदिवासी कर्नाटक में भूख से मर गए और उसी के बगल में छः आदिवासी मर गए है, उस जगह का नाम है बलारवी। मैं वहां पर भी होकर आया हूं। वहां पर भी मामला काफी गम्भीर है। मैं समझता हूं कि सरकार को अभी तक इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए था। होम मिनिस्टर या स्टेट होम मिनिस्टर की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर तक वहां निरीक्षण करने के लिए नहीं गए। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, कि चन्दूर में इतनी बड़ी घटना घटी और प्रधान मन्त्री जी नहीं गए, होम मिनिस्टर नहीं गए। पार्लियामेंट में एश्योरेंस देने के बाद अभी तक स्पेशल कोर्ट्स का गठन नही किया गया है। अभी तक जो सरकारी अधिकारी दोषी थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपने सोलह घण्टे तक इस सदन को अवसर दिया बातचीत करने का, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट जीरो निकला। यह घटना 11 तारीख को घटी, चीफ मिनिस्टर जाते है, लेकिन वे घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार गरीबों का विश्वास कैसे कानून-व्यवस्था के ऊपर रहेगा। इस सम्बन्ध में मैंने आपको एडजॉर्नमेंट मोशन दिया हुआ है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या अन्य दलों के, सबने इस बात के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर आप एक मोशन एक्सेप्ट कीजिए, चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन कीजिए या कालिंग एटेंशन कीजिए और कोई अन्य सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य किया जाए। अभी आपने तीन-चार इशूज के लिए कहा है, मैं चाहूंगा कि इस इशू पर सरकार को कहिए कि सरकार इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर सदन विचार करे। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपका इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं तत्काल इसका उत्तर नहीं दे रहा। मैं तथ्य प्राप्त करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं, संसद सदस्य, कह रहा हूं। मैं वहां गया हूं। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके ऊपर पूरा विश्वास है।

[अनुवाद]

फिर भी मैं तथ्य प्राप्त करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

———

12.13 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चरखी दादरी और गुड़गांव में सशस्त्र बलों के शाखा भर्ती कार्यालयों तथा छावनी क्षेत्र में सिविलियनों को भूमि आवटन इत्यादि के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 488 तथा 2504 के 9 जनवरी, 1991 तथा 9 अगस्त, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : श्री शरद पवार की ओर से मैं निम्नलिखित वक्तव्यों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) श्री बंसी लाल, संसद् सदस्य द्वारा चरखी दादरी और गुड़गांव में सशस्त्र बलों के शाखा भर्ती अधिकारियों के बारे में श्री बंसी लाल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 488 के 9 जनवरी, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 735/91]

(2) (एक) छावनी क्षेत्र में सिविलियनों को भूमि आवंटन के बारे में श्री संतोष कुमार गंगवार, संसद् सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2504 के 9 अगस्त, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 735/91]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 29 — आठवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 736/91]

(दो) विवरण संख्या 26 — आठवां सत्र, 1987 का भाग 2

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 737/91]

(तीन) विवरण संख्या 26 — नौवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए स० एल० टी० 738/91]

(चार) विवरण संख्या 24 — दसवां सत्र, 1988 आठवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 739/91]

(पांच) विवरण संख्या 20 — ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 740/91]

(छह) विवरण संख्या 17 — बारहवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 741/91]

(सात) विवरण संख्या 16 — तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 742/91]

(आठ) विवरण संख्या 13 — चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 743/91]

(नौ) विवरण संख्या 10 — दूसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 744/91]

(दस) विवरण संख्या 6 — तीसरा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 745/91]

(ग्यारह) विवरण संख्या 4 — छठा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 746/91]

(बारह) विवरण संख्या 3 — सातवां सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 747/91]

(तेरह) विवरण संख्या 2 — पहला सत्र, 1991 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 748/91]

1.00 म० प०

विदेशी मुद्रा बंध पत्र (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, श्री दलबीर सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारत विकास बंधपत्र योजना, 1991 जो 21 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 597 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) भारत विकास बंधपत्र (संशोधन) योजना, 1991 जो 22 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 636 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) विदेशी मुद्रा प्रेषण (उन्मुक्ति) योजना, 1991, जो विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 20 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 594 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, 1991 जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 24 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 633 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या में एल० टी० 749/91]

(4) 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 750/91]

(5) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नादिया ग्रामीण बैंक, नादिया का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 751/91]

(दो) लंगपी देहंगी ग्रामीण बैंक, दिपहू का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 752/91]

वित्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : महोदय, श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से मैं वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 334 (अ), जो 9 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 5 से 11 जुलाई, 1991 तक भारत के दौरे पर आये जिम्बावे के विदेश मन्त्री महामहिम डा० नाथन एम० शामूयारिरा तथा शिष्टमंडल के दो सदस्यों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 340 (अ), जो 11 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 14 से 16 जुलाई, 1991 तक भारत के दौरे पर आये तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम मवालिमू जूलियस के० न्यरेरे तथा शिष्ट-मण्डल के सात सदस्यों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 529 (अ), जो 13 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 18 से 20 अगस्त, 1991 तक भारत के दौरे पर आये मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मोमून अब्दुल गयूम तथा शिष्टमण्डल के 15 सदस्यों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 530 (अ), जो 13 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 11 से 17 अगस्त, 1991 तक भारत के दौरे पर आये अरब मिस्र गणराज्य के विदेशी मामलों के उप प्रधान मन्त्री महामहिम डा० बूटरोस बूटरोस घाली तथा शिष्टमण्डल के दो सदस्यों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 534 (अ) जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 17 से 19 अगस्त, 1991 के भारत के दौरे पर आये उजबेक सोवियत समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इस्लाम ए० करीमॉव तथा शिष्टमण्डल के 35 सदस्यों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 537 (अ) जो 19 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 18 से 21 अगस्त, 1991 तक भारत के दौरे पर आये पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के विदेश सचिव महामहिम श्री शहयार एम० खान तथा शिष्टमण्डल के दो सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 548 (अ) जो 28 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 26 से 29 अगस्त, 1991 तक भारत के दौरे पर आये बंगलादेश जनवादी गणराज्य के विदेश मामलों के मन्त्री महामहिम श्री ए० एस० एम० मोस्तफिजूर रहमान तथा शिष्टमण्डल के पांच सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यामक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 559 (अ) जो 6 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विदेश मन्त्रियों, राष्ट्रमण्डल महासचिव, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि, शिष्टमंडलों के सदस्यों और अन्य अधिकारियों, जिन्होंने 13 से 14 सितम्बर, 1991 तक नई दिल्ली में हुए दक्षिणी अफ्रीका पर विदेश मन्त्रियों के राष्ट्रमण्डल समिति की बैठक में भाग लिया था, को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 560 (अ) जो 6 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9 से 12 सितम्बर, 1991 तक भारत के दौरे पर आये भूटान नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक तथा शिष्टमण्डल के 16 सदस्यों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 753/91]

1.00 म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 18 सितम्बर, 1991 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त आठ विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंध पत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक, 1991

(3) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1991

(4) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1991

(5) पंजाब विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1991

(6) जम्मू कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1991

(7) स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक, 1991

(8) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक 1991।

2. महोदय, मैं 18 सितम्बर 1991 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथा अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) विधेयक, 1991

(2) विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 1991

(3) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

---

101 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 25 नवम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 1991 पर आगे विचार और पारित करना।

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना—

(क) बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक, 1991

(ख) चाय कम्पनियां (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन, विधेयक, 1991

(4) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना—

(क) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1990

(ख) कुटंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, सभा के सम्मुख आगामी कार्य के सम्बन्ध में, मैं दो निवेदन करना चाहूंगा। उनमें पहली बात वही है जो मैंने आपको उस समय कही थी, जब आपने पार्टी के नेताओं को कक्ष में आमंत्रित किया था। मैंने कहा था कि एक छोटा आम चुनाव हाल में समाप्त हुआ है और इसके दौरान हुई गड़बड़ी, बूथ पर कब्जे और हिंसा की घटनाओं जैसे अपराधों पर अंशतः अथवा खंडवार चर्चा करते रहे हैं। यह सब कुछ चुनाव सुधारों को, जो चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा जहां तक सम्भव हो, संपूर्ण प्रक्रिया को सुस्पष्टता प्रदान कर सकते हैं, को लाने की तत्काल आवश्यकता को कम करके दर्शाता है। यह उल्लेख किया है कि संसद के सम्मुख तीन विधेयक लम्बित हैं। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर उन्हें दूसरी सभा में पुरःस्थापित किया गया था। मुझे यह देखकर निराशा और आश्चर्य हुआ है कि सरकार द्वारा घोषित, चर्चा किये जाने वाले विधेयकों की कार्य-सूची में उन तीनों को सम्मिलित नहीं किया गया था। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सत्र के कार्य में इन तीनों विधेयकों को अवश्य सम्मिलित किया जाये और इस सत्र में ही उन्हें पारित किया जाये। निःसन्देह इन तीन विधेयकों के अलावा भी बहुत कुछ आवश्यक कार्य किये जाने हैं। लेकिन कम से कम इन तीन विधेयकों को तो अवश्य लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि एक लम्बे अर्से से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लोक सभा के केवल सात सदस्य, जो दिल्ली के अपेक्षित विभिन्न कार्यों और सेवाओं की तुलना में उनके साथ न्याय करने में असमर्थ हैं, के अलावा वहां की जनता के किसी प्रकार के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं। इस राज्य की अनेक बड़ी समस्यायें हैं और वे समस्यायें दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद द्वारा निपटाई जाती हैं। महानगर परिषद में सभी दलों की यह एक समवेत मांग थी कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, तो कम से कम एक राज्य विधान सभा तो यहां होनी ही चाहिए, लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि इस सत्र मे दिल्ली के भावी ढांचे पर तथा दिल्ली के चुनावों के शीघ्र प्रबन्ध करने पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : आपकी सहमति से, मैं विपक्ष के माननीय नेता को सूचित करना चाहूंगा···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अभी उत्तर देना चाहेंगे ? मेरे विचार में अन्य एक या दो सदस्य हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : हां, लेकिन मेरे विचार में···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप उन्हें बाद में उत्तर दे सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, तीन विधेयकों के सम्बन्ध में, मैं विपक्ष के माननीय नेता को सूचित करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि उन्हें उस बात की जानकारी है कि ये विधेयक राज्य सभा में हैं। वास्तव में यह मामूली-सी अनदेखी हुई लगती है और इसी वजह से इसे सभा की कार्य-सूची में शामिल नहीं किया गया। हम वचनबद्ध हैं। मैं पहले ही यह सभा में कह चुका हूं। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने भी कहा है। हम वचनबद्ध हैं कि वे विधेयक लाये जायें और पारित हों। यह इसी सत्र में हो जाए, उसके लिए हम समुचित प्रयास करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जहां तक सम्भव हुआ अगले सत्र तक हम यह कार्य अवश्य करेंगे। अगर हम अधिक नहीं तो उतने तो इच्छुक हैं ही जितनी कि अन्य पार्टियां।

दिल्ली के बारे में हम अवश्य ही गंभीरता से कार्य करेंगे। (व्यवधान) मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। महोदय, बोलने के मूल अधिकार को सीमित किया जा रहा है। बात यह है कि हम तात्कालिकता को भी समझते है क्योंकि हम समझते हैं कि 12 दिसम्बर को महानगर परिषद का मामले पर चर्चा होगी। हम दिल्ली के मामले पर अवश्य तत्काल ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रह गए हैं, जिसको आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

राष्ट्र में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। रोजगार के मौलिक अधिकार के बारे में संविधान में संशोधन का बिल पिछले बहुत दिनों से विचाराधीन है, इस विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में अवश्य रखा जाए।

अहमदाबाद से दिल्ली ब्राड-गेज रेलवे लाइन का निर्माण कार्य, इस विषय पर विचार करना भी बहुत आवश्यक है। इस विषय को भी आगामी सप्ताह की कार्य सूची में रखा जाए।

इसी प्रकार से इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर के लिए योजना आयोग से समुचित सहायता दिलवाने के मामले पर भी विचार करना चाहिए।

इसी तरह से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता देने पर भी आगामी सप्ताह विचार करना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हुई है, अतः अगले सप्ताह की कार्यसूची में इन विषयों को लिया जाना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बेरोकटोक वृद्धि हो रही है और वर्तमान सरकार के आने के बाद इस साल के बजट के बाद से कीमतों में और बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है। आज देश में आवश्यक वस्तुओं के लिए जनता परेशान है। वित्त मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि अक्तूबर माह से कीमतें घटने लगेंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं, केवल विषय बतलाइए।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा आग्रह है कि आगामी सप्ताह की कार्य सूची में इस विषय को रखा जाए और कीमतों को 1989 के स्तर पर लाने के विषय पर विचार किया जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि नेपाल के प्रधानमन्त्री हमारे यहां आने वाले हैं। कोसी नदी का पश्चिमी कोसी नहर का मामला लगातार उठता रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ इतना कहिए कि इस विषय को डिसकशन के लिए लिया जाए, भाषण मत दीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं तर्क दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस काम को पूरा करे। 90 फीसदी काम पूरा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं। आप जैसे सीनियर मेंबर इन तरह से करेंगे तो और भी बहुत सारे मेंबर हैं, जिन्होंने अपनी बात कहनी है।

श्री भोगेन्द्र झा : तर्क नहीं दूंगा तो स्वीकार कैसे करेंगे। अध्यक्ष महोदय पश्चिमी कोसी नहर के मामले में मन्त्री महोदय सदन में आश्वासन दे चुके हैं कि वित्तीय कारणों से पश्चिमी कोसी नहर योजना को नहीं रोका जाएगा। इससे साढ़े 8 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी और 90 फीसदी काम इसका पूरा हो गया है, सिर्फ 10 फीसदी के पीछे वह क्षेत्र इन सुविधाओं से वंचित रह रहा है। इसलिए आगामी सप्ताह की कार्य सूची में इसको अवश्य सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, बीरपुर से लेकर चतरा, हिमालय में जो रेल पटरी है, उसको बिहार सरकार बेचने जा रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस कार्यवाही को तुरंत रोकना चाहिए। इस मामले को भारत सरकार और रेल मंत्रालय अपने हाथ में ले, यह दो देशों का मामला है। इस विषय पर भी आगामी सप्ताह चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं :—

(1) अनिवार्य वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता।

(2) बम्बई नगर के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी में भी मुम्बई शब्द प्रयुक्त किये जाने की आवश्यकता।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करें :—

(एक) भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त/उपायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

(दो) अल्पसंख्यक समुदायों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों के दौरान सभा में इन प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह के दौरान उन्हें अति तात्कालिक मामले के रूप में लिया जाये।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़े जाएं :—

(1) उत्तर प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार को अपने सुरक्षा बलों को सज्जित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अत्याधुनिक शस्त्रों की प्रदेश सरकार को आपूर्ति की जाए।

(2) आगरा को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करें :—

(1) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी भागों में हाल ही में आये भूकम्प से पीड़ितों के पुनर्वास की एक व्यापक योजना केन्द्र सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए।

(2) गढ़वाल क्षेत्र में आए भूकम्प ने टिहरी बांध परियोजना पर पुनः प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस परियोजना पर केन्द्र सरकार द्वारा पुनः विचार किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये—

(1) कर्नाटक में मदिकेरी और सुब्रमण्या के बीच की सड़क को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से तुरंत ही पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता।

(2) मंगलौर हवाई अड्डे पर प्रत्येक मौसम में हवाई सेवा को सुगमता प्रदान करने हेतु एक नई हवाई पट्टी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न-लिखित विषय सम्मिलित किये जाएं :

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उन्हें एक रैंक-एक पैंशन की सुविधा देने, समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उन्हें फिर से रोजगार प्रदान करने तथा अन्य लाभ देने के बारे में।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : महोदय, बढ़ते हुए मूल्यों को कानून में रखने पर चर्चा का विषय कार्य मंत्रणा समिति के विचाराधीन है, और मुझे विश्वास है कि समिति इस पर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए—

(1) सम्पूर्ण भारतवर्ष के सिनेमा हालों में प्रत्येक शो प्रारम्भ होने से पहले न्यूजरील के पश्चात् राष्ट्रीय गीत जन-गण-मन राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए प्रारम्भ किया जाए।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजना के लिए आई० डी० ए० की वित्तीय सहायता हेतु।

———

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा 20 नवम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 20 नवम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मन्त्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

1.13 म० प०

[अनुवाद]

चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक*

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक*

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.15 म० प० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.15 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.22 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.22 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

---

* दिनांक 22-11-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पंजाब के संबंध में वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी जिसके लिए तीन घंटे आवंटित किए गए हैं। सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य जिनकी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तब वे 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर इसकी सूचना मेज दें तथा जिस कटौती प्रस्ताव को वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी क्रमांक संख्या भी उल्लिखित करें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तावित समझा जाएगा।

प्रस्तावित कटौती प्रस्तावों की क्रमांक संख्या दर्शाने वाली सूची अभी थोड़ी देर में ही सूचना बोर्ड पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति दिखायी पड़ती है, तब वह बिना विलम्ब के सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के नोटिस में इसे लाएं।

श्री मदन लाल खुराना बहस की शुरूआत करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी-लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग सं०	मांग का नाम	16-9-91 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की राशि	
1.	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि तथा वन	84,98,94,000	27,53,22,000	28,32,98,000	9,17,75,000
2.	पशुपालन और मछली पालन	34 94,01,000	1,34,62,000	11,64,67,000	44,88,000
3.	सहकारिता	12,76,17,000	54,69,05,000	4,25,39,000	18,23,00,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	3,73,86,000	37,50,000	1,24,62,000	12,50,000

1	2	3		4	
5.	शिक्षा	4,42,88,48,000	23,43,000	1,47,62,83,000	7,82,000
6.	निर्वाचन	5,01,27,000	—	1,67,09,000	—
7.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	12,62,82,000	—	4,20,93,000	—
8.	वित्त	2,20,17,48,000	7,75,72,000	73,39,16,000	2,58,58,000
9.	खाद्य तथा आपूर्ति	3,64,95,000	6,71,04,48,000	1,21,64,000	—
10.	सामान्य प्रशासन	14,94,89,000	—	4,98,30,000	—
11.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,38,98,89,000	—	46,32,96,000	—
12.	गृह मामले तथा न्याय	1,84,04,07,000	7,50,00,000	61,34,70,000	2,50,00,000
13.	उद्योग	10,51,38,000	29,63,25,000	3,50,46,000	9,87,75,000
14.	सूचना तथा लोक सम्पर्क	4,74,93,000	—	1,58,31,000	—
15.	सिंचाई तथा बिजली	11,34,55,47,000	4,74,31,47,000	3,78,18,50,000	1,58,10,49,000
16.	श्रम तथा रोजगार	4,98,63,000	—	1,66,20,000	—
17.	स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास	15,75,45,000	21,20,81,000	5,19,14,000	7,09,63,000
18.	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	1,76,25,000	—	58,76,000	—
19.	योजना	2,18,59,36,000	—	72,86,45,000	—
20.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	3,00,000	—	1,00,000	—
21.	लोक निर्माण कार्य	1,42,01,35,000	75,22,00,000	47,33,80,000	25,07,34,000

1.	2	3		4	
22.	राजस्व तथा पुनर्वास	68,00,51,000	—	22,66,82,000	—
23.	ग्रामीण विकास तथा पंचायतें	32,42,25,000	—	10,80,76,000	—
24.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	90,90,000	63,42,000	30,30,000	21,13,000
25.	सामाजिक और महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	39,60,67,000	4,18,82,000	13,20,22,000	1,39,61,000
26.	राज्य विधान मण्डल	1,82,88,000	—	60,96,000	—
27.	तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	28,88,04,000	39,63,000	9,62,69,000	13,20,000
28.	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	1,94,76,000	2,59,50,000	64,92 000	86,50,000
29.	परिवहन	88,88,10,000	22,04,11,000	29,62,71,000	7,34,72 000
30.	चौकसी	1,78,77,000	—	59,59,000	—

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना परिचर्चा आरम्भ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग पंजाब के बजट पर फिर से बहस कर रहे हैं। पंजाब का बजट पास नहीं हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर के 12 महीनों में से 8 महीने पूरे हो गये हैं, पंजाब का बजट अभी संसद में ही है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं जिस तरह से यह बजट को कैजुअल वे में ले रहे हैं, उसी तरह से यह सरकार पंजाब को भी कैजुअल वे से और बड़े कैलस तरीके से ले रही है। मैंने पिछली बार यह आब्जेक्शन किया था कि जो हमको बजट दिया गया था, वह 4-5 पेज का पम्फलेट ही थे। मुख्य रूप से सरकार की परफारमेंस रिपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जरूरी होती हैं, वह नहीं थी। उसके बिना बजट अधूरा माना जाता है। उसमें पिछले वर्ष की परफारमेंस रिपोर्ट से ही ज्ञात होगा कि कितना बजट दिया गया; कितना खर्च किया, कितना रह गया, यदि रह गया तो कैसे रह गया। इस बात

को मैंने पिछले बजट बहस के जरिये उठाया था और अब यही बात की गयी। इसमें कोई नया दस्तावेज नहीं दिया गया। यह सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही है। उस समय भी वित्त मंत्री जी ने जवाब में कहा था। लेकिन पिछली बार 2-3 सितम्बर को बजट पर बहस हुई और अब नवम्बर खत्म हो रहा है। यह बहस फरुटफुल तब होती जब पंजाब के लिए जो बजट दिया गया है, उसके साथ इसकी परफारमेंस रिपोर्ट भी मिल जाती। लेकिन आज भी पुराने बजट की तरह इसमें कोई नया कागज नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसको कैजुअल वे में ले रही है कि पंजाब का बजट इस तरह से पास कर दिया जाये। इसे लाइटली वे ले रही है। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि यह सरकार अक्षम है और पंजाब की समस्या को हल करने के लिए इसके अन्दर जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, उसका सर्वथा अभाव है। अगर वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो क्या इस तरह से बजट आता ? क्या इस तरह से कैजुअल वे में लिया जाता ? मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव को पोस्टपोंड करके सरकार ने वहां के लोगो के साथ बहुत बड़ा अन्यया किया है, एक फाड किया है। उसको चुनाव पोस्टपोंड नहीं करना चाहिये था। चूंकि कांग्रेस उस समय चुनाव मे रैस में नहीं थी, अब स्वयं उसमें आने के लिए यह सब ड्रामा हुआ है। मैं उसको यहां रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन कांग्रेस से यह जरूर कहूंगा कि जब-जब पंजाब में नार्मलसी लाने की कोशिश की गयी, नार्मलसी लाने के लिए कदम बढ़ाया गया, उस कदम को मजबूती के साथ नहीं उठाया बल्कि विदड़ा किया। पंजाब में नार्मलसी न आये, इसके लिए काफी हद तक सरकार जिम्मेदार है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां की घटनाओं में चाहे वह लोंगोवाल समझौता हो, चाहे जिस समय वहां के मुख्यमंत्री श्री बरनाला थे, तीन महीने पहले राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उनकी तारीफ की और उसी सरकार ने तीन महीने के अन्दर यहां संसद के अन्दर घोषणा करके उसको डिसमिस कर दिया। उस समय पंजाब के लोगों के अन्दर एक गुस्सा छा गया। और अब, जब चुनाव होने में कुछ घण्टे ही रह गये थे, उस दिन वहां के गवर्नर लोगों से शान्तिपूर्वक मतदान करने के लिए अपील कर रहे थे। परन्तु चुनाव रद्द कर दिए गए तब तक न जाने कितने लोग मर गये, जो कुछ होना था या जितना हो चुका, हो चुका और रुपया जितना खर्च किया गया, वह कर लिया परन्तु डेमोक्रेसी के इतिहास में यह पहली बार किया गया और चुनाव पोस्टपोंड करके पंजाब की जनता को गुस्से की आग में डाल दिया। मेरा कहना यह है कि वहां की असेम्बली के चुनाव न कराकर पंजाब में जो हालात पैदा कर दिये, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार पर है। मैं एक बार फिर वही बात कहना चाहता हूं जो पिछली बार की थी कि इस बजट के अन्दर पिछली परफारमेंस रिपोर्ट होती जो इसके अन्दर आती। मैं चाहूंगा कि सरकार बताए कि इस बजट के अन्दर प्राथमिकताएं क्या हैं ? आज जो पंजाब के हालात खराब है, उसको ठीक लाइन पर लाने के लिए, वहां नॉर्मलसी लाने के लिए बजट के अन्दर आपने कोई स्पेशल प्रॉविजन रखा है, यह मैं जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने पंजाब के लोगों से वायदा किया था कि एक साल में एक लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर रहा, आपने नौकरियों पर बैन लगा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने एक साल के अन्दर रोजगार दिया ? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आपने इण्डस्ट्रीज खोलने का वादा किया था। मैं जानना चाहता हूं

कि कितनी इण्डस्ट्री खोली हैं ? कुछ के शिलान्यास भी हुए हैं, वह बंद क्यों हुई हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि एस० वाई० एल० का काम खत्म क्यों हो गया है ? करोड़ों रुपया उसमें लगा है। जितना काम हुआ था सब बेकार हो गया क्योंकि जो आपने नहर खोदी थी, उस पर काम न होने से मिट्टी भर रही है। इसलिए वह करोड़ों रुपया जो आपने नगर खोदने में लगाया वह बेकार हो गया। उससे जो लाभ पहुंचना चाहिए था, वह नहीं पहुंच रहा है। सैकड़ों-करोड़ों रुपया जो बर्बाद हुआ हैं उसका जिम्मेदार कौन है ? मैं जानना चाहता हूं कि थीन डैम प्रोजेक्ट का क्या हुआ ? वहां काम बहुत स्लो हो रहा है। (व्यवधान) मैं एक दो मिनट और इस विषय पर लूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे थीन डैम हो, चाहे एस० वाई० एल० नहर हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, संसद को वह चीजें क्यों नहीं बताई जा रहीं ताकि यह बहस कुछ फ्रूटफुल होती।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब की इकॉनॉमी आज खत्म हो रही है। वहां राइस मिल्स, वुलन मिल्स, स्पिनिंग मिल्स आदि का काम खत्म हो रहा है क्योंकि जिस समय से वहां टैररिज्म हुआ, जिस तरह से वहां अपहरण हो रहे हैं और वहां लोग काम नहीं कर पा रहे, यह मैं कहना चाहता हूं। फिर मेरा कहना है कि पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेन्ड चला है कि जितने देश के अन्य क्षेत्रों से ट्रक जाते हैं सामान से भरे हुए, वह गायब हो जाते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 27 ट्रक गायब हुए हैं पिछले 5-6 महीनों के अन्दर। मैं चाहता हूं कि उसकी सी० बी० आई० से इन्क्वायरी कराएं। क्योंकि अगर इस तरह से ट्रक गायब हो जाएंगे तो कौन आदमी अपना माल वहां भेजेगा ? मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी सरकार कुछ बताए। मैंने पिछली बार भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं। किडनैपिंग का जो रेट है वह बढ़ रहा है और अब तो किडनैपिंग केवल पंजाब में नहीं रही बल्कि दिल्ली और देश के अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि एक जो विदेशी राजदूत का अपहरण हुआ दिल्ली के अंदर, उसको दिल्ली की एक सरकारी कालोनी के अंदर रखा गया तीन चार दिन तक, फिर बुरका पहनाकर हरियाणा के रास्ते से पंजाब ले जाया गया। जी हां, बुरका पहनाकर। आप संसदीय कार्य मन्त्री हैं, मैं यह बात हाउस के अन्दर कह रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसका कंट्राडिक्शन करें। यहां होम मिनिस्टर बैठे हैं। आपकी सरकार अपहरणकर्ता को खोज नहीं पा रही है। मैं अभी दिल्ली की बात नहीं करूंगा क्योंकि होम मिनिस्टर ने शाम को बैठक बुलाई है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने पंजाब में किडनैपिंग को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए, अगर आपने लोगों का विश्वास फिर से प्राप्त नहीं किया, लोगों में कॉनफिडेन्स पैदा नहीं हुआ तो मुझे खतरा है उपाध्यक्ष जी, कि वहीं से लोगों का माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों के जान-माल की सुरक्षा नहीं रहेगी तो लोग वहां से आना शुरू हो जायेंगे जो पूरे देश के लिये और पंजाब के लिए घातक बात होगी।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। नई सरकार को आये इतने महीने हो गये, आपने कहा था कि 100 दिन में यह करेंगे, 100 दिन में वह करेंगे, 100 दिन में नई आर्थिक नीति अपनायेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या को हल करने के लिए नई सरकार ने आने के बाद से अब तक क्या पौलिसी अपनाई, क्या कदम उठाये। आपने अपने मैनिफैस्टों में कहा था, आप बतायें कि पंजाब और कश्मीर के बारे में आपने क्या कोई नीति अपनाई। सरकार की क्या नीति है। पंजाब के बारे में जिस तरह से टुकड़ों के अन्दर, पौलिसी अपनाई जा रही है, एडहाकिज्म

चल रहा है, उस एडहाकिज्म को और मत चलाइये। पंजाब के बारे में और कश्मीर के बारे में पूरी अपोजीशन को विश्वास में लेकर, अन्य दलों से बात करके, कोई हल निकालिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय समस्या होने के नाते, आप पूरी बहस करके अपोजीशन को विश्वास में लेकर, अन्य दलों को विश्वास में लेकर, पंजाब के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाइये, यह मेरा आपसे निवेदन है। अभी तक आप एडहॉकिज्म के ऊपर चल रहे हैं। न तो सुरक्षा की दृष्टि से आपने देश को मजबूत किया, न पंजाब को, न आर्थिक दृष्टि से आप खुशहाली लाये, न वहां माइग्रेन्ट्स की प्रोब्लम को आपने सोल्व किया, न अभी तक सीमा को सील किया, न लॉ एण्ड आर्डर को बहाल किया और न वहां चुनाव कराये। इस बजट मे, इन समस्याओं के बारे में, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, यही मैं कहना चाहता हू।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पंजाब की स्थिति क्या है। वहां अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर आदि जितने बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यदि आपके पास आंकड़े उपलब्ध हों तो आप दीजिए कि आपने इन जिलों में कितने बिजली के बिल लोगों को दिये, बिजली की मद में कितना रिवैन्यू इकट्ठा किया। मेरी जानकारी है कि इन जिलों में लोगों को बिजली के बिल दिये ही नहीं जाते है, पेमेंट होना तो बाद की बात है। किसी की हिम्मत नहीं है कि इन क्षेत्रों में जाकर बिजली के बिल पे करे, आज पंजाब की हालत यह हो गयी है।

आज से कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर, जिन्होंने पंजाब की एकता और अखण्डता के लिए शानदार काम किया है, जिस तरह से हमला किया गया, उस दिन मैं भी वहां गया हुआ था। उनकी तो भगवान ने रक्षा कर ली वरना जिस गाड़ी में वे जा रहे थे, रिमोट कंट्रोल के जरिये, बम द्वारा उनकी कार पर हमला किया गया था। कहते हैं कि वह बम इतना शक्तिशाली था कि पंजाब के अन्दर आज तक उतनी शक्ति के बम का कभी प्रयोग नहीं हुआ। उनकी गाड़ी के साथ कोई एक गाड़ी और खड़ी थी, उसमें वह बम था। जैसे ही डा० बलदेव प्रकाश जी की गाड़ी उधर से निकली, रिमोट कन्ट्रोल के जरिये वह बम फट गया। उनका ड्राईवर, उनका सीक्योरिटीमैन तथा दो लोग और, कुल 4 लोग वहीं मारे गये। डाक्टर साहब के भी छर्रे लगे, मैं स्वयं उन्हें अस्पताल में देखने गया था। मजे की बात यह है कि पंजाब के गवर्नर पहली बार उस दिन अमृतसर गये हुए थे, वे उस दिन अमृतसर में मौजूद थे। हमें तो ऐसा लगा जैसे आतंकवादियों ने पंजाब के गवर्नर को चैलेंज किया हो कि तुम जिसके लिए इतनी सुरक्षा की बात करते हो, जो पंजाब का रहनुमा बना हुआ है, जो वहां शान्ति और भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम बम मार रहे हैं, हिम्मत है तो रोक लो। आतंकवादियों ने पंजाब के गवर्नर को जैसे यह एक चुनोती दी थी जो उस दिन अमृतसर में ही मौजूद थे। जिस तरह से बलदेव प्रकाश जी पर बम मारा गया, उससे ऐसा ही प्रतीत होता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। जब मैं वहां गया तो मुझे पुलिस के अधिकारियों ने बताया, मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम अफेयर्स इसकी जांच करायें, जो इस समय सदन में मौजूद हैं, कि आजकल पुलिस के परिवार वाले ही क्यों आतंकवादियों के टारगेट बने हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा पुलिस वालों के परिवार के लोग आतंकवादियों का निशाना बने हैं। इससे शहरों में जिनकी ड्यूटी है, उनके अन्दर एक डर है, आतंक फैला हुआ है। वहां की पुलिस को डिमोरेलाइज करने के लिए आतंकवादियों ने यह एक खेल शुरू किया है। इसके कारण पंजाब के पुलिस ऑफीसरों के मन में,

पंजाब के पुलिस कर्मियों के मन में डर है। मेरा कहना यह है कि पंजाब पुलिस के लोगों के परिवारों को जो गांवों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह पाकिस्तान के बारे में दोमुंही बात करना बन्द करें। यह बात आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बारे में कोई मुख्य समस्या या जड़ है, तो पाकिस्तान है, लेकिन हमारे यहां सरकार के रवैये में फर्क है। हमारे प्रधान मंत्री हरारे में एक वक्तव्य देते हैं जिससे आभास मिलता है कि पाकिस्तान सीधे रास्ते पर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर देश के अन्दर एक वक्तव्य देते हैं कि पाकिस्तान हमले की तैयारी कर रहा है। हो सकता है वे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कह रहे हों या वे सत्य बात देश को बताना चाहते हों। अब इन दोनों बातों में कौन-सी बात सही है, यह देश को बताया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, वह सत्य है या रक्षा मंत्री जी ने जो कहा है, वह सत्य है? पंजाब के अन्दर पान की दुकान पर खड़ा व्यक्ति और नाई की दुकान पर बैठा व्यक्ति जब ये दो वक्तव्य अलग-अलग पढ़ता है, तो वह समझ नहीं पाता है कि देश किस दिशा में जा रहा है और सरकार जैसे वक्तव्यों से क्या संदेश देशवासियों को देना चाहता है। मजे की बात यह है कि आप शिमला समझौते की भावना की बात करते हैं। जब यहां दिल्ली में आपके विदेश सचिवों की मीटिंग होती है, तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री साहब अधिकृत कश्मीर, जो कश्मीर का 1/3 हिस्सा है वहां वार की बातें करते हैं। वे हमको ललकारते हैं और हम यहां शिमला समझौते की रट लगाते हैं। मेरा कहना यह है कि आप देश के सामने क्या पेश करना चाहते हैं? क्या सिगनल देना चाहते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की ओर से जो बात आए, वह एक आए और सही बात आए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बार-बार कह रही है कि पाकिस्तान के अन्दर ट्रेंड किए हुए लोग कश्मीर और पंजाब में भेजे जा रहे हैं। इस बात को आज कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अन्दर ट्रेनिंग कैंप लगे हुए हैं। इसलिए यह कहना कि पाकिस्तान हम पर हमला करने जा रहा है, कहना ठीक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने तो आलरेडी हमला कर दिया है। हमारे देश के सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान ने अपने यहां ट्रेंड लोगों को भेजकर आतंकवादियों के रूप में लोगों को मरवाना, अगवा करना, लोगों को लूटना, अगर यह लड़ाई का हिस्सा नहीं है, तो और क्या है?

1965 में युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने लोगों को हिन्दुस्तान के अन्दर भेजा था, तब युद्ध हुआ। इसलिए मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान ने अनडिक्लेयर्ड वार आलरेडी शुरू कर दी है और अपने यहां से ट्रेंड करके गुप्तचर और घुसपैठिए भेज रहा है और हमारे लोगों को मरवा रहा है जिससे इस देश देश की आजादी खतरे में पड़ जाए इंस्टेबिलिटी इस देश में हो जाए, यह काम तो वह आलरेडी कर रहा है। अब इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है? यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक नीति बनाइए। आपको एडहॉकिज्म पर नहीं चलना चाहिए। प्रधानमंत्री हरारे में कुछ कह रहे हैं और इस देश में रक्षा मंत्री कुछ और ही बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि आप जो शिमला समझौते की बात करते हैं यह वन-वे ट्रैफिक नहीं है। यह दोनों तरफ से होना चाहिए। केवल आपकी तरफ से शांति-शांति

की रट ठीक नहीं है, शांति की रट अगर हो तो उनकी तरफ से भी होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया स्पष्ट करे। इसके बारे में मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप पंजाब की रक्षा करना चाहते हैं तो वहां पर सिक्युरिटी बैल्ट बनाई जाए। राज्य सभा से प्रस्ताव पास है, आपके पास पावर है। पंजाब के बारे में अलग-अलग मंत्रियों के अलग-अलग जो वक्तव्य आते हैं आप पंजाब के बारे में वाईट पेपर जारी कीजिए। कहां-कहां गलती हुई है, कहां कमी रह गई है, उसे सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है। पंजाब की नीति को टुकड़ों के रूप में मत देखिए। पंजाब की समस्या, कश्मीर की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या मानिए। यदि उसके आधार पर आपने यह समस्या समझ ली तो मुझे लगता है कि एक लौंग टर्म नीति, दृढ़ नीति बनाने में आसानी होगी।

एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है। आज इतने वर्ष हो गये, पाकिस्तान का जो रवैया है, मैंने पहले कहा कि उसने इस देश में अनडिक्लेयर्ड वार एक तरह से शुरू की हुई है। हम बार-बार कहते हैं कि हमारे पास नक्शे हैं, प्रमाण हैं कि पाकिस्तान में कहां-कहां ट्रेनिंग कैम्प लग रहे हैं। मेरी मांग है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटम देना चाहिए। उसे स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए कि अगर निश्चित समय तक ट्रेनिंग कैम्प बन्द नहीं किए तो भारत सरकार उन कैम्पों को बन्द करने के लिए कदम उठाएगी। हमें यह कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कबूतर की तरह आंख बन्द करके समस्या को कब तब टालते रहेंगे। पंजाब में नौरमैलसी लाकर चुनाव कराए जाएंगे यह आपने वादा किया है। मैंने कल भी अखबार में पढ़ा है। पंजाब में जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे पंजाब की जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। पंजाब के लोगों में आपकी क्रैडीबिलीटी लो हो गई है।

आखिर में, कश्मीर की तरह पंजाब से आए हुए माईग्रेंट्स को सेमी-परमानेंट तरीके से बसाने के लिए कदम उठाइए। जिस तरह से कश्मीर से आए हुए माईग्रेंट्स नर्क का जीवन दिल्ली और जम्मू में व्यतीत कर रहे हैं उसी तरह से पंजाब के लोगों की हालत भी खराब है। कई महीनों से वोट क्लब पर वे दिन-रात बारिश में, ठंड में बैठे हैं। क्या कोई आदमी अपने घर-बार को छोड़कर इस तरह से बैठता है ? वे बहुत दुखी हैं, अपने ही देश में वे शरणार्थी बने हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए बजट में क्या प्रावधान है और उनको किस तरह से बसाना चाहते हैं।

ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इसका जवाब पिछले बजट में आना चाहिए था। पिछले बजट में मैंने सोचा कि सरकार नई-नई आई है इसलिए जल्दबाजी में बजट पेश कर रही है। अब तो सरकार को ढाई-तीन महीने मिल गये थे, यदि सरकार चाहती तो जो कमियां रह गई थीं उनके लिए कुछ कर सकती थी। यह वही दस्तावेज है और बहस भी वैसी ही रही है, कोई नई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन पंजाब के अन्दर नयी चुनौतियां सामने आयी हैं। उनका मुकाबला करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं यह मैं आपसे जानना चाहूंगा ? हमारे होम मिनिस्टर और फाइनान्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वह हमें बतायें कि पंजाब के आर्थिक विकास के लिए, पंजाब के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर को मेंटेन करने के लिए, पंजाब में चुनाव कराने के लिए और वहां शांति स्थापित करने के लिए वह क्या करने वाले हैं ? आप पाकिस्तान के साथ किस तरह डील करने वाले हैं ? अगर मेरे इन सवालों का जवाब मिलेगा तो इस बहस का कुछ लाभ होगा।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य और आपूर्ति शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

पंजाब की जनता को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (1)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने में असफलता। (6)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब में हिंदुओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असफलता। (7)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने में असफलता।(8)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

पंजाब के सीमाओं पर सेना तैनात करने की आवश्यकता। (9)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए राज्य के फिरोजपुर, अमृतसर और गुरुदासपुर जिलों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की सेना के हवाले करने की आवश्यकता। (2)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब में आतंकवादियों पर चल रहे मुकदमों का शीघ्र निपटान करने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (3)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब में अपने ठिकानों में छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकाले जाने की आवश्यकता। (4)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता। (5)

"कि श्रम और रोजगार शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किया जायें।"

रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने के कारण पंजाब की जनता में व्याप्त असंतोष। (12)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम रखने में असफलता। (10)

"कि गृह और न्याय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों की घुसपैठ तथा उनकी अवैध गतिविधियों को रोकने में असफलता। (11)

"कि राजस्व और पुनर्वास शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब के आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को पर्याप्त मुआवजा देने तथा उनका पुनर्वास करने में असफलता। (13)

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एम० एम० जैकब निम्न विषयों पर वक्तव्य देंगे :

(एक) दिल्ली में हाल ही में जहरीली औषध के सेवन के कारण हुई मौतें।

(दो) वाराणसी में हाल की साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति।

2.51 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) जहरीली दवाओं के पीने से संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में हाल ही में हुई मौतें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं इस सम्मानीय सदन के माननीय सदस्यों को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में हाल ही में हुई दुखद घटना के बारे में सूचित करता हूं, जिसमें 199 व्यक्तियों की जानें गयी।

5-11-1991 को लगभग 4.15 बजे अपराह्न हिन्दू राव अस्पताल से शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को जहर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसी दिन 7.55 बजे अपराह्न इसी हालात में एक दूसरे व्यक्ति को भर्ती किया गया। बाद में दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और पुलिस द्वारा मरणोपरान्त जांच-पड़ताल की गयी। जांच से पता चला कि दोनों व्यक्तियों ने एक ही "सुरा" पी रखी थी।

6-11-1991 को थाना जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, शालीमार बाग, अशोक विहार और माडल टाउन के पुलिस थानों में हिन्दू राव अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि उनके क्षेत्रों से कुछ निवासी अज्ञात जहर के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जांच से पता चला कि उन सभी ने "करपूर आसव" नामक आयुर्वेदिक दवा पी रखी थी।

दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला है कि "करपूर आसव" "कर्नाल फार्मेसी" नामक फर्म द्वारा तैयार किया जाता है, जिसकी यूनिट उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में है। दिल्ली

पुलिस ने फर्म का पता लगाने तथा इसके उत्पाद को जब्त करने के लिए तत्काल गाजियाबाद पुलिस से अनुरोध किया। 7 नवम्बर, 1991 की सुबह, दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से फैक्ट्री को सील कर दिया और सारा माल जब्त कर लिया। यह पाया गया कि यूनिट खुले मैदान में अस्वास्थ्यकर वातावरण में चल रही थी।

साथ ही साथ दिल्ली के सभी पुलिस थानों को सुरा की खुदरा दुकानों तथा वितरकों पर निगरानी रखने और मार्किट में उपलब्ध सभी बोतलों को कब्जे में लेने के लिए कहा गया।

जहरीली दवा जिसके कारण मौतें हुई उसके नमूने केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला और दिल्ली प्रशासन के आबकारी विभाग की प्रयोगशाला को भेजे गए। दोनों प्रयोगशालाओं ने इस "करपूर आसव" में मेथिल अल्कोहल होने की पुष्टि की है। मुख्य वितरकों सहित फर्म के चार मालिकों में से तीन को गिरफ्तार किया गया है। फर्म का एक मालिक लापता है।

अभी तक 199 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और इस समय 63 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं। 77 व्यक्तियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गयी है तथा 6 व्यक्ति, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, डाक्टर की सलाह के बगैर अपनी अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़कर चले गए।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में व्यापक तौर पर छापे मारे और तलाशियां लीं जिसके परिणामस्वरूप अभी तक 93 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 337 आपराधिक मामले दर्ज किए गए और 73087 "सुरा" की बोतलें जब्त की गईं। दिल्ली प्रशासन के आबकारी विभाग ने विभिन्न स्रोतों से 100 से अधिक नमूने लिए हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन के आबकारी विभाग ने आयुर्वेदिक दवाइयों की 13 दुकानों को सील कर दिया है।

पूछताछ करने पर पता चला है कि अपराधी यूनिट, मैसर्स कर्नाल फार्मेसी को उत्तर प्रदेश सरकार के आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि निदेशालय द्वारा पहले एक उत्पादन लाइसेंस दिया गया था। आगे की गई पूछताछ से पता चला है कि इस यूनिट के लाइसेंस का 31-12-1988 के बाद नवीकरण नहीं कराया गया। यह भी पता चला कि यूनिट के पास 31-12-1988 के बाद उत्पादन करने का वैध लाइसेंस नहीं होने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग द्वारा इकाई को प्रत्येक वर्ष 4,000 लीटर पीने वाली अल्कोहल की मंजूरी जारी होती रही। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वे इकाई से संबंधित गतिविधियों के सभी ब्यौरे हमें भेज दें। उनके उत्तर आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा इस जहरीली दवा के पीने से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी को 10,000 रु० तथा अंधे हो गए प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रु० की दर से अनुग्रहपूर्वक राहत स्वीकृत की गयी है।

जांच-आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जगदीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग द्वारा इस घटना की जांच की जाएगी तथा इसके विचारार्थ विषयों में जहरीली औषधि को तैयार करने, उसका उत्पादन करने, बिक्री तथा आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने, इस बारे में की गयी लापरवाही यदि कोई हो, तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

सरकार जहरीली औषधि तैयार करने और उसकी बिक्री करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की जांच-पड़ताल तेजी से करने के सभी प्रयास कर रही है।

औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 में आयुर्वेदिक औषधियों सहित, औषधियों को तैयार करने, उसका वितरण करने तथा बिक्री करने के लिए कुछ विशेष विनियामक प्रक्रिया निहित है। गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम में, उत्पादित दवाओं और उनकी बिक्री, भंडारण और वितरण आदि के कार्य को औषधि निरीक्षकों द्वारा विनियमित करने की व्यवस्था है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी राज्य औषध नियंत्रकों को 14-11-1991 को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाइयों का उत्पादन निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाए और औषधि निरीक्षकों द्वारा उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के उत्पादों की विस्तृत जांच की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिल्ली प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि उत्पादित जहरीली औषधियों और आयुर्वेदिक दवाओं के नाम से बिकने वाली जहरीली दवाओं के उत्पादकों, भंडारकों और विक्रेताओं पर सख्ती से मुकदमा चलाया जाए। सभी राज्य सरकारों को यह भी निदेश जारी किए गए हैं कि "प्रसन्ना", जो कि "करपूर आसव" का एक संमिश्रण है, के स्थान पर संसाधित स्प्रिट का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाए।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा सभी संभव कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली प्रशासन के सभी संबंधित विभागों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है और निदेश दिए गये हैं कि आबकारी कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और इस विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देशों को सख्ती से कार्यान्वित किया जाए। दिल्ली प्रशासन ने, आबकारी विभाग के प्रवर्तन विंग और दवा नियंत्रक संगठनों द्वारा मारे गये छापों पर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने में माननीय सदस्य मेरा साथ देंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देने के बाद और स्पष्टीकरण नहीं मांगे जाते।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, 200 लोग मारे गए, तो हम कहां उसको डिस्कस करेंगे। यहां 200 लोग मारे जायें और हम यहां सवाल भी नहीं पूछ सकते ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य मंच का चयन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मुझे आप बता दें। दिल्ली में कोई इलैक्टेड बॉडी नहीं है, 200 लोग मर गये। मेरे पास यह 31 लोगों की लिस्ट है······

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम एकदम स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपको रूल को सस्पेंड करने का अधिकार है। मैं केवल दो सवाल पूछूंगा। हम फिर कहां पूछें सवाल ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह नियम की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा की मांग कर सकते हैं। हमें सुस्थापित नियमों का पालन करना है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : फिर आप इस पर डिस्कशन रख दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपके हाथ में है, आप नोटिस दे दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : नोटिस तो मैंने दिया हुआ है।

(दो) **वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में हाल में हुई साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार काली की मूर्तियों के विसर्जन के लिए जा रहे परम्परागत धार्मिक जुलूस के दौराम 8 नवम्बर, 1991 की शाम को वाराणसी में सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ। जुलूस के दौरान जलाए गए पटाकों से दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के जख्मी होने की घटना के परिणामस्वरूप दो समुदायों के मध्य झगड़े हो गए। असामाजिक तत्वों ने लूटपाट और आगजनी करने के लिए इस घटना से उत्पन्न असंतोष का फायदा उठाया। इन तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाह से दो समुदायों के मध्य पथराव और छुरेबाजी की घटना हुई। सिनेमा हाल से बाहर आ रहे कुछ व्यक्ति भी हिंसा के शिकार हुए। इन झड़पों के परिणामस्वरूप 8 व्यक्ति मारे गए, 4 घटनास्थल पर ही मारे गए और 4 की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई, 9 व्यक्ति जख्मी हुए। आगजनी के कारण कुछ दुकानों को थोड़ी क्षति पहुंची। दंगों की सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियाती उपाय के रूप में 8 पुलिस थानों के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया।

11 नवम्बर, 1991 से कर्फ्यू में धीरे-धीरे ढील दी गई। तथापि, 13 नवम्बर, 1991 को उस समय पुन: हिंसा भड़क उठी, जब कुछ लोगों ने मदनपुरा बस्ती में एक टेम्पो में जा रहे कुछ यात्रियों पर चाकू और बर्छियों से हमला किया। इनमें एक महिला मारी गई और 4 व्यक्ति जख्मी हुए। जमगणवादी मुहल्ले में एक समुदाय के लोगों की भीड़ एकत्र हुई और उन्होंने उत्तेजनात्मक नारे लगाने शुरू कर दिए। मोहल्ला सुनारपुरा और रेवती तालाब में छुरेबाजी की 4 घटनाएं हुईं। ए० डी० एम० (सीटी) और पुलिस अधीक्षक (सीटी) पर एक बम फेंका गया, जिससे एक अर्दली जख्मी हो गया। इन नई घटनाओं के दौरान 7 व्यक्ति मारे गए और 11 जख्मी हुए। उसके बाद गिरफ्तारी और तलाशी का कार्य तेज किया गया।

राज्य सरकार के अनुसार कर्फ्यू में सख्ती बरती गई और पुलिस ने भी अवैध शस्त्रों/

गोलाबारूद और विस्फोटों का पता लगाने के लिए घर-घर की तलाशी ली। पुलिस ने अब तक 617 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें से 302 व्यक्ति एक समुदाय के और 315 दूसरे समुदाय के हैं।

इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 17 व्यक्तियों की जानें गईं और 26 व्यक्ति जख्मी हुए। मारे गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हुई, जो पुलिस हिरासत में था। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी मृत्यु की कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिए हैं।

वाराणसी शहर में पुलिस चौकियां स्थापित की गईं और गहन गश्त जारी है। इस समय शहर में पी० ए० सी० की 13 कम्पनियां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 6 कंपनियां तैनात हैं। 18 नवम्बर, 1991 से कोई अप्रिय घटना सूचित नहीं की गई है। राज्य अधिकारियों ने सूचित किया है कि इस साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को 20,000 रु० का अनुग्रहपूर्वक अनुदान और गंभीर रूप से जख्मी हुए प्रत्येक व्यक्ति को 4,000 रु० और मामूली रूप से जख्मी हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रु० का अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को सभी आवश्यक मदद और सहायता दी जा रही है। राज्य को 15 नवम्बर, 1991 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पांच अतिरिक्त कंपनियां उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और कर्फ्यू में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। सभी सांसदों, विधायकों सहित पात्र मामलों में कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं।

केन्द्र सरकार देश में साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, फिर भी साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए केन्द्र ने समय-समय पर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केन्द्र राज्यों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करता है और जब कभी आवश्यक होता है तो उन्हें केन्द्रीय बल उपलब्ध कराता है। हाल के सप्ताहों में केन्द्र देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा के बारे में राज्यों को सतर्क करता रहा है। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के संदर्भ में साम्प्रदायिक सौहार्द्रता के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए 2 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी ताकि सांप्रदायिक स्थिति में सुधार हो सके। राष्ट्रीय एकता परिषद के सभी संबंधितों से संयम बरतने और इस प्रकार का व्यवहार करने की अपील की, जिससे सभी समुदायों के मध्य सांप्रदायिक सौहार्द और विश्वास उत्पन्न हो।

वाराणसी की स्थिति के बारे में तथा जिस प्रकार से इस स्थिति को बिगड़ने दिया गया उसके बारे में सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की, उनके बारे में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया है। मैंने उनका ध्यान उस विशेष मुद्दे की ओर आकर्षित किया, जिससे सदस्य उत्तेजित हुए हैं और साथ ही साथ उनसे इस मुद्दे पर पूरी सूचना भेजने का अनुरोध किया। मैंने मुख्य मन्त्री को घटनाओं की न्यायिक जांच करने के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध भी किया है। मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि मुख्य मन्त्री ने मुझे आज सवेरे सूचित किया है कि वाराणसी में हुए साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच करने का आदेश दे दिया है।

(तीन) सोने का लेन-देन

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : 18 जुलाई, 1991 को, मैंने इस सम्मानीय सदन में सोने के लेन-देन के बारे में स्वयं एक वक्तव्य दिया था। उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि हमारी सरकार को कार्यभार संभालने के समय किस प्रकार भुगतान संतुलन के एक अपूर्व संकट का सामना करना पड़ा था। मैंने विस्तार से यह भी बताया था कि पिछली सरकार ने सरकारी भंडार में से 20 मीट्रिक टन सोना विदेश में इस विकल्प के साथ बेचने का निर्णय लिया था कि छः महीने की अवधि के पश्चात् इसकी पुनः खरीद कर ली जाएगी। इस सोने का वास्तविक निर्यात 21 से 31 मई, 1991 के बीच किया गया था। मैंने यह भी उल्लेख किया था कि पिछली सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्णय से भी सहमत थी कि वह अपने सोने का 15 प्रतिशत तक का भाग विदेश के सेंट्रल बैंक की सुरक्षा में रखा जाए ताकि इस सोने के रेहन पर एक अल्पावधिक ऋण लिया जा सके। भुगतान शेष की गंभीर स्थिति के कारण हमारी सरकार ने इस निर्णय का समर्थन किया तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 जुलाई, 1991 तथा 18 जुलाई, 1991 के बीच अपने भंडार में से सोना विदेश भेजा। इन दो सौदों से हमें लगभग 60 करोड़ डालर की राशि प्राप्त हुई तथा नकदी की गंभीर समस्या से निपटने में सहायता मिली।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस संकट से निपटने, अपनी साख को पुनः प्राप्त करने तथा अर्थव्यवस्था को उत्साहजनक विकास मार्ग पर वापिस लाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इन उपायों में विनिमय दर समायोजन के माध्यम से थोड़े समय में बृहत आर्थिक स्थिरता, वित्तीय अनुशासन की बहाली और सुदृढ़ मुद्रा नीति तथा इसके साथ-साथ व्यापार नीति एवं औद्योगिक नीति में संरचनात्मक सुधार शामिल हैं।

मैंने 18 जुलाई, 1991 के अपने वक्तव्य को निम्नलिखित शब्दों के साथ समाप्त किया था :

> "सोने का निर्यात एक कष्टकर जरूरत थी लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने जो निर्णय लिए हैं उनसे कुछ समय में हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। मैं इस बारे में भरसक प्रयत्न करूंगा कि हमने जो सोना विदेश भेजा है उसे यथाशीघ्र भारत में वापस लाया जाए।"

श्री पी० वी० नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हमारी सरकार को इस बात की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने संसद के माध्यम से देश के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 47 मीट्रिक टन सोने को गिरवी रख कर लिए गए सभी ऋण चुका दिए गए हैं और अब यह सोना ऋणभार से मुक्त हो गया है। इसी प्रकार, जब्त किए गए उस 20 मीट्रिक टन सरकारी सोने के संबंध में पुनः खरीद का विकल्प अपनाने का निर्णय किया गया है जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुनः खरीद के विकल्प के साथ बेचा गया था। इस सोने को 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1991 के बीच पुनः खरीद की देय तारीखों को फिर से प्राप्त कर लिया जाएगा। हमारा इरादा इस सोने को भारतीय रिजर्व बैंक को अन्तरण करने का है और इस प्रकार इसे अपने सरकारी सोने के भंडार में जमा करने का है।

सरकार, अपनी विदेशी भुगतान स्थिति में सक्षमता बहाल करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इस उद्देश्य के अनुसरण में वह कई मुद्दों पर कार्रवाई कर रही है।

———

3.09 म० प०

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92--जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हम पंजाब बजट पर चर्चा जारी रखेंगे। श्री कोड्डीकुनील सुरेश।

श्री कोड्डीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं पंजाब बजट का समर्थन करता हूं। उस राज्य में जो स्थिति व्याप्त है, उसमें इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है कि हम यहां इस बजट पर चर्चा करें और इसे पारित करें।

मैं सरकार के पंजाब में चुनाव कराने के निर्णय का भी समर्थन करता हूं क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि पंजाब की स्थिति तभी सामान्य हो सकती है जबकि जन प्रतिनिधियों को समस्या सुलझाने का अवसर मिले। मैं आशा करता हूं कि पंजाब में समयानुसार चुनाव होंगे।

3.10 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

संसद में पहली बार पंजाब बजट पर चर्चा नहीं की जा रही है। पंजाब समस्या काफी लम्बी खिंच गई है। कई निर्दोष लोगों की जानें गई हैं और लाखों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हुई है। मैं यह नहीं कह सकता कि आतंकवाद बढ़ा है या नहीं। कुछ लोगों का विचार है कि पंजाब हमारे हाथों से निकल गया है। मैं इस अनुमान से सहमत नहीं हूं। पंजाब की स्थिति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे हमें आश्वासन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पंजाब में सिखों और हिन्दुओं में सद्भाव।

साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने तथा हिन्दुओं और सिखों के बीच अलगाव पैदा करने के काफी प्रयास किए गए हैं। किन्तु देशभक्त हिन्दू और सिख वहां भाईयों की तरह रहते हैं। हालांकि वहां आतंकवाद को फैले हुए लगभग एक दशक हो गया है फिर भी यह सिर्फ एक या दो जिलों में ही सीमित है। यह राज्य के किसी और जिले में नहीं फैला। हिन्दुओं और सिखों को बांटने में असफल होने पर आतंकवादी और उनके मालिकों ने अब अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है, उनका विचार है कि पड़ोसी राज्यों में व्यापक हिंसा फैलाने से साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने का उनका मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

अतः मैं सरकार से इस मामले में सतर्क रहने का अनुरोध करूंगा। हमें पंजाब की पूर्ण सांप्रदायिक शांति से सबक सीखना चाहिए और इसे मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रायः यह कहा जाता है कि बेरोजगारी और गरीबी आतंकवाद का मूल है। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। पंजाब सबसे सम्पन्न राज्य है और बेरोजगारी की समस्या अन्य राज्यों में अधिक है। मेरे विचार से पंजाब में धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद का कारण है। आतंकवादियों में कट्टरता है और उन्हें अपने पड़ोस की कट्टर शक्तियों से प्रेरणा मिलती है। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई रूढ़िवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई का एक अंग होना चाहिए। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए और यह लड़ाई विभिन्न स्तरों पर लड़नी है। हमें पंजाब के युवकों को आतंकवादी प्रभाव से दूर रखने का गम्भीर प्रयास

करना चाहिए। रोजगार देने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। किन्तु उसे आतंकवाद को समाप्त करने की समग्र रणनीति का एक अंग ही होना चाहिए।

मुझे आशा है कि श्री पी० वी० नरसिंह राव के परिपक्व नेतृत्व में सरकार, पंजाब समस्या का समाधान पाने के अपने अभियान में सफल होगी।

मैं पुन: पंजाब राज्य के इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, इसलिए कि आपने इस अहम मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है। खुराना जी की शिकायत है कि पंजाब का बजट जिस तरह से पेश किया गया है यह कैजुअल वे में पेश किया गया है। अगर पंजाब में सरकार रहती तो ऐसा नहीं होता। अवश्य नहीं होता। अगर दिल्ली में सरकार रहती और दिल्ली विधान सभा रहती तो खुराना जी को दिल्ली की चर्चा करने को मिलती, सुरा वाले काण्ड पर सवाल पूछने का मौका मिलता।

मेरी शिकायत दूसरी है। मेरी शिकायत यह है कि बजट को तो हम स्वीकार करने जा रहे हैं। मुझे गिला है, शिकायत है कि डॉ० मनमोहन सिंह जैसे विद्वान का वक्त इसमें क्यों जाया किया जा रहा है। यह पंजाब का बजट है। इसलिए मैं बड़े दर्द और वेदना के साथ आज खड़ा हुआ हूं। खुराना जी ने कहा कि पंजाब में जो हो रहा है उसकी जड़ में पाकिस्तान है। मेरा उनसे बहुत ही विनम्र मतभेद है। मैं यह नहीं मानता कि पाकिस्तान उसकी जड़ में है। पाकिस्तान आज सहायता दे रहा है। आतंकवादियों को पाकिस्तान से सहायता मिलती है वहां कैम्प है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन पंजाब में जो समस्या उठ खड़ी हुई है उसकी बुनियाद में पाकिस्तान नहीं है। उसकी बुनियाद में हम लोग हैं, हमारी मानसिकता, हमारा राजनीतिक स्वार्थ है। ऐसे काफी लोग इस सदन में बैठे हुए हैं, इस सदन के सदस्य हैं, वे बरी नहीं किए जा सकते।

मुझे दु:ख है कि वहां चुनाव नहीं हुए और राष्ट्रीय मोर्चे की जो सरकार थी उसने चुनाव नहीं करवाया। गलती हुई है। हमारे नेता आदरणीय वी० पी० सिंह जी ने बाद में कहा कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुनाव करवाना चाहिए था। जब वे अमृतसर गए थे उसके बाद चुनाव करवाना चाहिए था। गलती बाद में जरूर जाहिर की गयी। मुझे इस बात का गिला है कि आदरणीय खुराना जी, अभी इस समय नहीं हैं, उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ने कहा कि दबाव से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने पंजाब में चुनाव नहीं करवाए। कौन दबाव दे रहा था, यह जग-जाहिर है। पंजाब में ऐसा क्यों हुआ? जिससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि देश में हर पगड़ी पहनने वाला, सिख भाई अपने धर्म के अनुसार पगड़ी पहनते हैं, सन्देह की निगाह से देखे जाते हैं। आज मनमोहन सिंह जी भी देश के दूसरे कोने में जाए तो हम लोगों ने जो वातावरण पैदा कर दिया है, मनमोहन सिंह जी को भी लोग समझेंगे कि कोई आतंकवादी आ गया है या आतंकवादियों का एजेंट आ गया है। लेकिन यह सवाल क्यों उठा? पंजाब में जो परिस्थिति पैदा हुई है उसकी जड़ में सभापति जी, 1984 में जो दिल्ली में घटना हुई थी, हम लोगों को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। हमें अपने दामन में जरा झांकना चाहिए।

खुराना जी ने शरणार्थियों की चर्चा की। अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता है चाहे

पाकिस्तानी हो, कश्मीरी हो या हिन्दुस्तान के लोग हों, कोई घर नहीं छोड़ना चाहता है, कोई शरणार्थी नहीं बनना चाहता है। लेकिन मजबूर होता है। क्यों होता है ? क्यों मजबूर होता है शरणार्थी बनने के लिए ? मुझे तो ऐसे शरणार्थियों के अलावा ऐसे राजनीतिक शरणार्थियों की भी चिन्ता है जो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं। राजस्थान को चरागाह बना लिया है। भारत के भूतपूर्व गृह मन्त्री राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, आदरणीय सभापति जी, इस कुर्सी को सुशोभित करने वाले भी अब राजस्थान में चले गए। वे राजनीतिक शरणार्थी लोग हैं। ऐसा क्यों हुआ ? क्यों आज तीन जिले, जहां 1965 में, 1971 में, जब-जब इस देश पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, उन तीन जिलों में हमारी माताएं, बहनें और बच्चे सिपाहियों के लिए घर में खाना बना कर, जहां बन्दूकें चल रही थीं, तोप चलती थी, गोले बरस रहे थे, वहां खाना ले जाते थे। आज क्यों उन तीन जिलों की फौज को घेरने की जरूरत पड़ रही है ? कहा नहीं गया है, हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है तथा और अखबारों में भी छपा है। हमारा दूर-संचार, आकाशवाणी कहे न कहे, हमारा दूरदर्शन कहे या न कहे, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों के कानों में यह बात पहुंच गई है कि सरहद पर जो तीन जिले हैं, हमारे भारत की बहादुरी और दिलेरी के प्रतीक जिले हैं, उन जिलों को फौज घेरे हुए है।

जब चुनाव हो रहा था तो आपने चुनाव क्यों रोक दिया जबकि पोलिंग पार्टी चल पड़ी थी और पचासों कैण्डीडेट मारे जा चुके थे। रात्रि का समय था और उस समय प्रधान मन्त्री से पूछे बिना ही चुनाव रोक दिया गया। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ने परिस्थिति पैदा की है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे गुनाहों ने पैदा किया है। 1984 में दिल्ली में जो घटनाएं घट रही थीं, वह किसी देश का नहीं, सियासत का नहीं, हमारी इंसानियत, तहजीब और तकहूम संस्कृति पर कलंक है। जांच की प्रक्रिया हुई। क्या जांच हुई। जो लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों को कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है। 1984 के बाद खुराना जी की सरकार से शिकायत है। पर उनकी पार्टी के आदरणीय नेता श्री आडवाणी जी, जो कि विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने तो इसे चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया है। खुराना जी को व अन्य साथियों को शिकायत हो सकती है, लेकिन विरोधी दल के नेता को इस सरकार से कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत रहती तो प्रमाण पत्र क्यों दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ऐसा योग्य प्रधान मन्त्री इस देश में नहीं हुआ। आडवाणी जी, जरा मोरारजी भाई को भी याद कीजिए। आप तो उनकी केबिनेट के मन्त्री थे। इंदिरा जी भी इस देश की प्रधान मन्त्री हुई हैं। उनसे भी मेरा काफी मतभेद हुआ।··· (व्यवधान)···मैं जो कह रहा हूं, उसको सुन लीजिए। दिल्ली में निर्दोष लोगों की हत्या हो रही थी। उस समय देश का गृह मन्त्री कौन था, याद कीजिए। मुझे याद है, दिल्ली में तीन दिनों तक नरसंहार हुआ। सरकार का कहना है कि 2300 लोग मारे गए थे। बूढ़े-बच्चे मारे गए थे। उस समय गृह मन्त्री कौन था। अगर दूरदर्शन का रिकार्ड सही है, अगर वह कैसेट टेप है, तो उस समय के गृह मन्त्री जी ने तीन दिनों के बाद कहा था—अब बहुत हो गया है। जरा रिकार्ड देख लीजिए और वही-गृह मन्त्री जी आज इस देश के प्रधान मन्त्री हैं।···(व्यवधान)···लोगों की शिकायत है कि एम्पलायमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। पंजाब के लोगों के लिए पेप्सी कोला की फैक्ट्री खोल दी गई। श्री मनमोहन सिंह जी बतायेंगे कि उससे कितना एम्पलायमेंट जनरेट हुआ है। पता लगा है कि कोका-कोला भी आ रहा है। मैकडॉवल भी लाइए और कांटे की फाई चिकेन भी लाइए। इससे देश के लोगों का एम्पलायमेंट जनरेट होगा—जैसे इस देश के लोगों को न ठंडा पेय बनाना आता है और न पिजा बनाना आता है। इम्प्लायमेंट जेनरेट होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि

हमारे अपने क्षेत्र के बहुत से गरीब मजदूर भाई हर साल पंजाब जाते हैं। पहले बड़ी खुशी से परिवार के लोग उनको विदा करते थे। लेकिन आज विदा करते हैं तो मुझे पुराने जमाने की याद आ जाती है। जैसे पुराने जमाने में कोई दूर इलाके तीर्थ स्थल को जाता था तो उसका श्राद्ध पहले कर दिया जाता था कि पता नहीं लौटेगा या नहीं। आज वही स्थिति आ गई है, गरीब मां-बाप समझते हैं कि हमारे बेटे लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आप कब तक हत्यायें करायेंगे। हत्या की राजनीति इस देश में कब तक चलेगी। क्या हुआ पीलीभीत में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और क्या हो रहा है। पुलिस की कस्टडी में जब लोग मरने लगे और आप कहें कि इंकाउंटर में मरे हैं तो आप समझते हैं कि लोग विश्वास कर लेंगे ? लोगों का जनतांत्रिक प्रक्रिया से विश्वास उठ गया है।

सभापति जी, पंजाब में एकाएक चुनाव रोक दिया। किसने रोके ! महाधिकार प्राप्त देश के महा निर्वाचन कराने के पदाधिकारी श्रीमान टी० एन० शेषन ने। जहां निर्वाचन आयोग इस देश के जनतंत्र का प्रभारी है आज सारे देश में उनके नाम की ख्याति है और**

उन्होंने पंजाब में क्या किया, उसके बाद अब बिहार में कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मैं यह बात कहने का आदी नहीं हूं, लेकिन कहनी पड़ती है जब दिल में दर्द आ जाता है। पंजाब को ठीक करने के लिए, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए...

सभापति महोदय : इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आपने कहा है वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री हरि किशोर सिंह : **

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, अगर ये विदड्रा नहीं करते हैं तो आप एक्सपंज कर दें।

सभापति महोदय : प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस आने वाला है, आप समाप्त कीजिए।

श्री हरि किशोर सिंह : अगर गलत है तो मैं विदड्रा करता हूं। मैं कह रहा था कि सरकार किस तरह से विधि व्यवस्था को कायम करना चाहती है। आप वहां इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रख्यात विधि व्यवस्था के ज्ञाता को फिर पंजाब में ले आये हैं जो हाल में दिल्ली में सी० आर० पी० एफ० के डायरेक्टर जनरल थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको इनसानों और मुर्दों में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : एक तरफ आप कह रहे हैं कि हालात को सुधारा जाये और दूसरी तरफ कह रहे हैं, कि यह गलत है आप कैसी बात कर रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं कह रहा था कि ऐसे आदमी को जब आप पंजाब में लाकर शांति स्थापित करना चाहते हैं, पंजाब के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, आप पंजाब में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि पंजाब में वहां के जो भाई हमारी राष्ट्रीय धारा से कुछ अलग-थलग पड़ रहे हैं, उनको जीतने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचिये, क्योंकि यह आवश्यक है।

———

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सोमवार को अपनी बात जारी रख सकते हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य लेंगे।

3.30 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 37 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

सभापति महोदय : कार्य सूची में क्रमांक संख्या 1 पर अंकित संविधान (संशोधन) विधेयक के श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पुरःस्थापन का श्री सुधीर सावंत विरोध करेंगे।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : मैंने निर्णय किया है कि पुरःस्थापन के चरण में मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। मैं बाद के चरण पर इस पर चर्चा करूंगा।

सभापति महोदय : तो, आप पुरःस्थापन की अवस्था में विधेयक का विरोध नहीं करना चाहते।

श्री सुधीर सावंत : इस अवस्था पर नहीं।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.31 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 343 और 348 में संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री योगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

3 31 म० प०

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2, आदि में संशोधन)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सीमांत किसान और कृषि कर्मकार परिवार सुरक्षा विधेयक*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सीमान्त किसानों और कृषि कर्मकारों के परिवारों की सुरक्षा के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमान्त किसानों और कृषि कर्मकारों के परिवारों की सुरक्षा के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरि—अनुपस्थित।

श्री अनादि चरण दास—अनुपस्थित।

श्री एस० बी० सिदनाल—अनुपस्थित।

श्री भगवान शंकर रावत।

कृषि उपज कीमत नियतन प्राधिकरण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि उपज की न्यूनतम लाभकारी कीमतें नियत करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उपज की न्यूनतम लाभकारी कीमतें नियत करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म० प०

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नये अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 22 नवम्बर 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.35 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक* (अनुसूची में संशोधन)

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1991* अनुसूची में संशोधन

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० के० वी० थामस : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.36 म० प०

गुवाहाटी उच्च न्यायालय (इम्फाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 1991*

श्री थाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इम्फाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इम्फाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री थाइमा सिंह युमनाम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.36 म० प०

प्रत्यर्पण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन)*

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० सी० थामस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.37 म० प०

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 मे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० सी० थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.38 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 18-क का अन्तःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.38 म० प०

[अनुवाद]

निराश्रित महिला कल्याण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रित महिलाओं के कल्याण और तत्संबद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निराश्रित महिलाओं के कल्याण और तत्संबद्ध विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.39 म० प०

[अनुवाद]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.39 म० प०

[अनुवाद]

उड़ीसा उच्च न्यायालय (बोलनगीर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलनगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोलनगीर में उड़ीसा

---

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोलनगीर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.40 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 371 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलनगीर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.40 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

डा० के० डी० जेस्वाणी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० डी० जेस्वाणी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.41 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(अनुसूची में संशोधन)

श्री पी० सी० थामस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.41½ म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*
(धारा 125 में संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.42 म० प०

[अनुवाद]

निर्धन व्यक्ति कल्याण विधेयक*

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.43 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 81 में संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.44 म० प०

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण) विधेयक, 1991*

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* *

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

* दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

3.45 म० प०

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी विधेयक—जारी

सभापति महोदय : अब हम 13 सितम्बर, 1991 को श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक को लेंगे :

"कि देश के सभी व्यस्क नागरिकों के लिए रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए साधनों और उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। श्री भोगेन्द्र झा ने 5 मिनट का समय लिया था। अतः एक घंटा और 55 मिनट बचे हैं।

श्री भोगेन्द्र बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, यह विधेयक, बेकारी के मसले पर, बेरोजगारी के मसले पर है और जो हमारे प्रयास रहे हैं, हमारी इच्छाएं रही है, विधेयक या प्रस्ताव आते रहे हैं, उनसे थोड़ा भिन्न है। इसमें सिर्फ यह मांग नहीं है कि मौलिक अधिकार हो या राज्य की जिम्मेदारी हो, वह तो है ही। मगर सिर्फ मौलिक अधिकार करने से या कहने से सभापति जी वह अधिकार नहीं मिल जाता है। हमारे देश मे लिखने का अधिकार सबको है, अखबार निकालने का अधिकार सबको है, सभा, भाषण का अधिकार सबको है, लेकिन साधन सबके पास नहीं हैं। इसलिए अखबार आज कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में हैं। मौलिक अधिकार हो और उसको हम सुनिश्चित नहीं कर सकें, यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है। हमारे समाज की और हर पूंजीवादी समाज की यह विडम्बना है। हमारे संविधान में भी यह विडम्बना है। इसलिए यह जो विधेयक है, वह इस बात का प्रयास करता है कि जो कुछ हम वैधानिक रूप से दावा करें, उसको हम पूरा भी करें। इसीलिए सभापति जी, इसकी जो कुछ धाराएं है, उनके अनुसार पहली धारा यह है कि यह राज्य की जिम्मेदारी होगी। राज्य का मतलब, देश की सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार, अर्धसरकारी संस्थाएं, सभी की यह जिम्मेदारी होगी कि जो कोई काम चाहता हो और उसकी क्षमता है, उसको वह काम दें।

सभापति जी, मैं फिर जोर देना चाहूंगा कि काम सिर्फ उस व्यक्ति को देना नहीं है, उस व्यक्ति को तो काम देना है, उसकी रोजी के लिए, उसके परिवार के लिए, मगर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस हर काम करने की क्षमता रखने वाले का और बिना क्षमता वाला कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता नहीं है, तो उसकी क्षमता का उपयोग हमारे समाज के लिए हो, हमारे देश के लिए हो और हमारा समाज और देश उसके आगे बढ़े। बेरोजगार रहने से उस क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। बच्चे जवान होते है, बूढ़े होते हैं, मृत हो जाते हैं, पर उनकी क्षमता का उपयोग समाज को, देश को आगे बढ़ाने में नहीं हो पाता है। इस मायने में बेरोजगारी एक अभिशाप है। यह देश और समाज के आगे बढ़ने में भी बाधक हो जाती हैं। इसीलिए इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा ?

अभी हमारी क्या विडम्बना है, किसी के माथे पर 15 एकड़ जमीन है, किसी के माथे पर

20 एकड़ जमीन है, जो चोरी करके जमीन रखे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह घूम रहा है कि मैं बेरोजगार हूं। वह खेती खुद नहीं करेगा, दूसरे को जमीन नहीं देगा, बेचेगा भी नहीं और नौकरी भी करेगा। इससे हमारी खेती के उत्पादन में बाधा पड़ती है।

सभापति जी, जिस समय हम लोगों ने अंग्रेजी राज्य में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था उस समय बड़े-बड़े जमींदार तो बहुत खत्म हो गए थे, मगर मेरी अपनी आशंका है कि गैर हाजिर भूमिस्वामियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अनुपस्थित भूमिस्वामियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमारा बहुत पढ़ा-लिखा तबका है। कोई डॉक्टर हैं, कोई अभियन्ता हैं, कोई शिक्षक हैं, किसी से कम नहीं हैं या आज हम राजनेता ही हैं, तो हमारे हिस्से में जो खानदानी भूमि है जिसमें न मैं खेती करता हूं, न करूंगा, न अपनी सन्तान को खेतिहर बनाऊंगा, न अपनी सन्तान की सन्तान को खेती करने दूंगा, मगर मैं खेती की जमीन नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जिस परिवार ने हमें पैदा किया, जिस परिवार ने हमें सहयोगी बनाया है, अगर बच्चा बालिग हो जाए, तो कोई बिरला ही मिलेगा, कोई हाकिम, हुक्काम, ऑफीसर, अभियन्ता जो भी होगा, वह अपने मुशाहिरे में से, अपनी पेंशन में से, अपनी भविष्य निधि में से, सहोदर भाई को भी हिस्सा दे, जब अपना लड़का बालिग हो जाए, संतान बालिग हो जाए, तब। मगर कोई भी अपनी खानदानी जमीन, भूमि में हिस्सा नहीं छोड़ेगा। पूरा शिक्षित समाज 100 फीसदी बेईमानी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है और उसकी समझ में नहीं आता है कि हम बेईमानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो एक सहोदर समझकर, सहयोगी समझकर, जिन्दगी भर अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, फावड़ा लेकर हल जोतकर, वह देखता है कि उसकी कमाई में उसका हिस्सा होगा और जो नौकरी कर रहा है उसकी कमाई में मेरा हिस्सा नहीं होगा। इसलिए वह भी खेती में थोड़ा कम ध्यान देने लगता है, इसलिए भी हमारा उत्पादन मारा जाता है। तीसरी तरफ जो दूसरे काम में हैं, सुयोग्य हैं, मगर थोड़े नजदीक हैं, थोड़ा ध्यान उनको अपनी भूमि पर देना पड़ता है। जो बहुत दूरी पर है, तब वह बदली कराने की फेरी में रहते हैं। मैं समझता हूं ज्यादा सांसदों, विधायकों के लिए यह काम हो गया है पहले नौकरी हो जाए उसके बाद घर के पास बदली कराएं ताकि वे खेती भी देख सकें। वे जिस काम में हैं उस काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, पूरी क्षमता, बुद्धि, शक्ति नहीं लगा पाते हैं। हर तरह से हमारे देश की बुद्धि, क्षमता, कुशलता का बर्बाद होने का एकरूप है। इसलिए इसकी धारा चार में दिया गया है कि हरेक नागरिक को, जिसको कोई रोजगारी मिल गई, यह तय करना है कि आमदनी का स्रोत निवास स्थल को छोड़कर, आवास को छोड़कर अगर कोई दूसरा है तो वह उसे रखे या नौकरी करे ताकि वह इसमें ध्यान दे। अपने भाई को दे दे, बेच दे, जमा किश्त में रुपया जमा कर दे, मगर उत्पादन का साधन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोना गाड़कर मिट्टी में रख दें। भूमि उत्पादन का साधन है; अगर कोई कारखाना है तो वह उत्पादन का साधन है, वस्तु पैदा करने का साधन है। मेरे लिए ही नहीं हमारे देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए। इसलिए उसका उपयोग पूरा न होने दें, यह अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए।

इसमें एक हजार रुपए मासिक आय का दिया गया है। मैं समझता हूं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बढ़ी है इसे बढ़ाना मुनासिब है। यह जिस समय दिया गया था, पिछली लोक सभा में भी हमने इस बारे में कहा था, वह इसी रूप में रह गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी पिछली सरकार ने भी इसको बढ़ाया जिसके हम समर्थक थे। वर्तमान सरकार तो

उसको और तेजी से घुड़दौड़ की रफ्तार से बढ़ाती जा रही है। ऐसी स्थिति में उसको बढ़ाना होगा। मगर उसका निहित सिद्धांत यह है कि अगर खास आमदनी परिवार की बसर के लायक हो जाए, नौकरी हो जाए तीन वर्षों के भीतर हम निर्णय कर लें कि दूसरी आमदनी के जरिए को रखेंगे या नौकरी को रखेंगे। दोनों एक साथ नहीं रखेंगे। इससे एक सवाल पैदा होता है कि बाद में क्या होगा। इसलिए यह इस धारा में दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति अवकाश प्राप्ति के बाद अपने जीवन की बची-खुची निधि जो कुछ भी लगाए, राज्य का यह जिम्मा होगा कि उसके सुनियोजन के लिए उतनी रकम अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में उसे दे ताकि वह बैठकर उत्पादन कर सके। अवकाश प्राप्ति के बाद कोई बेकार नहीं हो जाता है। शारीरिक क्षमता घटती है लेकिन जीवनभर का अनुभव उसके पास रहता है। ऐसी स्थिति में वह खेती में नहीं जाएगा, फावड़ा नहीं चलाएगा, हल नहीं छुएगा, मगर वह बैठकर कुछ सुनियोजित उत्पादन का काम कर सकता है। इसलिए उसकी क्षमता का उपयोग हो सकता है। इसलिए राज्य का यह भी कर्तव्य है कि जो इसमें दिया गया है कि अवकाश प्राप्ति के बाद जितनी रकम जिन्दगीभर की बचत से वो लगा सके कम-से-कम उतनी रकम राज्य भी उसको अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में दे ताकि वह भी खुशहाली से जिन्दगी बसर कर सके और देश के धन में वृद्धि करने में सहायक हो।

सभापति जी, मैं जो चाह रहा हूं हमारे सभी मित्र इस पर गहराई से विचार करें। मैं चाहूंगा कि हमारा जो प्रसार माध्यम है, अखबार भी है, वह भी इस पर विचार करें। कुछ कठिन जरूर होगा। वह यह है कि जो किसी नौकरी में है वह बगैर त्यागपत्र दिए दूसरी नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे सकता है। हम सबका यह अनुभव है कि हम जितने आवेदन पढ़ते हैं नई रोजगारी के लिए, उसमें सौ में से 80-85 ऐसे लोगों के रहते हैं जो खुद काम कर रहे हैं और बेहतर काम के लिए आवेदन दे रहे हैं। जो मेरे जीवन का अनुभव है, महाविद्यालय के शिक्षक जब नौकरी पक्की हो जाती है तो पढ़ाना छोड़कर, बहुत से लोग सबकी बात नहीं कह रहा हूं, और किसी साक्षात्कार के लिए दौड़ते रहेंगे। इससे दोनों काम में नुकसान होता है। एक शिक्षक की प्रतिष्ठा, मर्यादा, योग्यता का जो उपयोग होना चाहिए नए शिक्षक पैदा करने में छात्रों को लेकर वह नहीं कर पाते हैं।

वैसे ही दूसरे पेशे में है, इससे यह फायदा होगा कि शुरू से ही चयन करने में आसानी होगी, वह कोई क्षेत्र चुन लेगा कि उसकी रुचि और क्षमता किसके लायक है। मगर यह कहीं कठोर न हो जाय इसलिए जो नौकर हैं, वह सब चाहते हैं कि हमको नई जगह आवेदन देने की आजादी रहे। तो ऐसी आजादी से जो लोग वास्तव में बेरोजगार हैं, उनके आवेदन पर अक्सर विचार ही नहीं हो पाता है, सम्भव ही नहीं हो पाता है। लाखों में नहीं, आवेदनों की संख्या दसियों लाखों में चली जाती है। स्वर्गीय कर्पूरी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आवेदन के बारे में एक बार किया तो 33 लाख लोगों का आवेदन पड़ा। उन आवेदनों की छंटनी भी नहीं हो सकी, काम देना तो दूर की बात है। अभी मैं कह रहा हूं, बिहार की बात है, जितने प्रशिक्षित शिक्षक थे, बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रशिक्षित लोगों को हम नियुक्त नहीं करेंगे, बल्कि प्रशिक्षित अप्रशिक्षित सब मिलाकर आवेदन दें, तब करेंगे। प्रशिक्षित लोग तब हम लोगों के पास आते थे कि हम लोगों का क्या होगा, मैंने कहा आन्दोलन कीजिए, उन्होंने कहा कि आन्दोलन करेंगे तो जो गैरप्रशिक्षित है, वह लोग कहेंगे कि हमको मौका मिला है तो हमें केवल

आप अप्रशिक्षित ही रखना चाहते हो। जो नये लोग हैं, वह आवेदन दें तो मौका मिलेगा और मैंने कई जगह कहा कि मिलना होना तो प्रशिक्षित को नहीं मिलता, जो तुमको आवेदन का मौका मिला है, वह नहीं मिलने का रास्ता है कि नहीं सम्भव है इसलिए आवेदन दो। मैंने कहा कितना आवेदन पड़ेगा तो कहा कि 50 लाख से लेकर एक करोड़ आवेदन पड़ेगा। तो छंटनी में कितना समय लगेगा और जो दूसरे लोग हैं, काम वाले, वह आवेदन दें तब क्या हाल होगा ? इसलिए जो लोग काम मे हैं, वह बिना त्याग-पत्र दिए हुए आवेदन नहीं दें तो आवेदनों की संख्या गुणात्मक रूप में घट जायेगी, कम हो जाएगी, चयन करना आसान रहेगा, नये लोगों को अवसर भी मिलेगा और जो लोग काम में हैं, उनको तरक्की का क्या होगा ?

सभापति जी, इसमें एक धारा इसलिए दी गई है कि जो कोई काम में है, हर पांच साल के बाद उनकी प्रोन्नति का प्रावधान हो, काम के आधार पर, योग्यता के आधार पर। वह खुद योग्यता भी बढ़ाते जायें, क्षमता भी बढ़ाते जायें और जो काम करें, उसको देखकर भी हर पांच साल पर प्रोन्नति का प्रावधान रहे ही ताकि उनको अन्यत्र दौड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़े। जिस काम के लिए वह देश का पैसा खा रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी काम भी करते रहें, दौड़ते रहें, इसकी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। उसी काम में वह विशेषज्ञ भी बनेंगे, ज्यादा क्षमता भी हासिल करेंगे, अपने अनुभव से और काम से और अपना स्वार्थ और परमार्थ की दोनों की सिद्धि करेंगे, देशहित की भी सिद्धि करेंगे।

सभापति जी इसकी विभिन्न धाराओं में जो कुछ बातें कठोर लगती हैं और इस सबके बाद जिन लोगों को काम नहीं मिल पाये तब क्या होगा ? इसलिए दिया गया है कि राज्य का जिम्मा होगा कि हर एक व्यक्ति को सस्ते सूद पर ऋण, अनुदान और दूसरी सुविधायें साधन के रूप में, उत्पादन के साधन के रूप में देनी होंगी, स्वनियोजन के लिए। स्वनियोजन के जरिए भारत के समान देश के चीन के समान देश में भी इतनी ज्यादा आबादी वाले देश में हम भारी उद्योग के पक्षधर हैं, इसके बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मझोले उद्योग आवश्यक हैं, बड़े पैमाने पर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए। लघु उद्योग और ज्यादा बड़े पैमाने पर आवश्यक हैं, अति लघु उद्योग भी बड़े पैमाने पर आवश्यक हैं मगर भारत जैसे देश में, जहां हम 85 करोड़ मस्तक वाले हैं, एक अरब 70 करोड़ हाथ वाले हैं, ऐसे देश में गृह उद्योग स्वनियोजन उत्पादक उद्योग एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी क्षमता की चीज है। इस कार्यशक्ति का पूरा उपयोग करना आवश्यक है इसलिए राज्य का यह भी जिम्मा होगा कि चाहे वह औरत हो या मर्द हो, स्वनियोजन के लिए, और मैंने जोर दिया है, उत्पादक स्वनियोजन पर, कई मित्र कहेंगे, दूसरा कोई नियोजन नहीं, दूसरा कोई नियोजन अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे चलते उसमें बाधा नहीं पड़ेगी। इसलिए उत्पादक उद्योग स्वनियोजन के लिए राज्य ऋण, अनुदान, साधन, केवल पैसा नहीं, हमारे यहां एक बीमारी है, हमारे पिछड़े इलाकों में, खासकर पूर्वी भारत में, और मध्य भारत में एक बड़ी बीमारी है कि ऋण लेकर बीज को ही खा लेते हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैंने जोर दिया है कि साधन, उत्पादन का साधन भी दें। इस तरह नियोजन और स्वनियोजन से, उत्पादक स्वनियोजन से, मिलाकर सारे देश में काम करने की क्षमता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम देना, उनसे काम लेना या स्वनियोजन के जरिए उनकी क्षमता का उपयोग करना, हमारे देश के लिए संभव है, व्यावहारिक है और इसी उद्देश्य से यह विधेयक रखा गया है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए

नियम तो बनाने पड़ेंगे, खास बातों के लिए, जिस उद्देश्य से यह विधेयक रखा गया है, और हमारे कुछ माननीय सदस्य इन बातों को जानते भी हैं। मैंने सरकार से बेरोजगारी का आंकड़ा मांगा था। पिछले साल तक शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार मिलाकर 3 करोड़ 43 लाख और 86 हजार हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दो करोड़ के ऊपर है। उनकी इतनी बड़ी तादाद है, जिनके पास अभी तक काम नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं, जो नाम दर्ज कराने की फिक्र भी नहीं करते हैं। जरूरत नहीं समझते हैं और भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी फौज, जो उत्पादकों की फौज है, जो उत्पादन के सबसे बड़े साधन हैं मानव के रूप में, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक ही है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारा पिछड़ाव है, उसको दूर करने में बाधा पड़ रही है।

सभापति जी, परसों 20 तारीख को अतारांकित प्रश्न संख्या 177 में जो उत्तर दिया गया है, उसके मुताबिक जिन लोगों को स्वनियोजन के लिए ऋण दिया गया है, खासकर वे जो गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, उनमें 42 फीसदी लोग हैं जो दो हजार रुपये तक आमदनी खर्चा घटा कर हासिल कर सके। एक हजार से लेकर दो हजार तक 18 फीसदी हैं। 501 रु० से 1,000 रु० तक नौ फीसदी हैं, जो अपनी आमदनी को दुगुने से बढ़ा सके हैं। उनके परिवार की जो आमदनी

4.03 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

पहले थी, ये साधन राज्य द्वारा देने के बाद उस आमदनी को दुगुना कर सके हैं और कुछ ऐसे भी हैं 20 फीसदी के लगभग, जो कोई आमदनी नहीं बढ़ा पाए हैं। इसमें जो दिया गया है, 6400 पर गरीबी की रेखा की सीमा है, उसमें 40-44 प्रतिशत लोग इस सीमा को पार कर चुके हैं। यह स्वनियोजन की क्षमता को दिखलाता है, सारा भ्रष्टाचार, सारी गड़बड़ी, हमारा अपना पिछड़ापन। जब मैं पिछड़ापन की बात कह रहा हूं तो वह कोई किसी दल के आधार पर नहीं कह रहा हूं। इस पिछड़ेपन में कम-व-बेश सभी दल एक साथ हैं। नौकरी के लिए हम दौड़ेंगे, लेकिन स्वनियोजन के लिए नहीं कहेंगे कि खुद पैदा करो। नौकर नहीं बनो, मालिक बनो, मजदूर हम नहीं कहते हैं। यह विभाजन रेखा पक्की नहीं है, व्यक्ति भले हों, दल के आधार पर भी नहीं हैं। यह जो सामूहिक पिछड़ापन है, जिससे स्वनियोजन में बाधा पड़ती है, उत्पादन बढ़ाने में बाधा पड़ती है, समाज को बदलने में बाधा पड़ती है जो सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, उससे लड़ने में भी बाधा पड़ती है। इसलिए यह जो विधेयक है, यह इस बात पर जोर देता है कि स्वनियोजन, साधन और ऋण देना भी राज्य का जिम्मा रहेगा। जो कोई नौकरी न चाहे या उनको न मिले, दोनों ही हालत में यह होगा। जिनको थोड़ा-सा हुनर होगा, थोड़ी-सी समझ आ जाएगी और उत्पादन का ढर्रा हमारे देश का पकड़ेगा, तो जापान या कुछ ऐसे देश जिनसे हम मुकाबला करने में पीछे नहीं रह सकते हैं। विशालता हमारे देश में है, लेकिन विशालता के चलते एक करवट ले लें, एक अंगड़ाई ले लें, तो वह विशालता बोझा बन कर नहीं रहेगी। हमारी विशालता हमारे देश के लिए वरदान बन जाएगी और बड़ी तेजी से हम अपने लिए, विश्व के लिए ज्यादा लाभदायक भविष्य का निर्माण करने में लाभदायक हो सकेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकारी पक्ष भी इसका अध्ययन करे। हम लोग कहते रहे हैं कि मौलिक अधिकार में काम को दिया जाए। शुरू में मैंने कहा कि इस मौलिक अधिकार से काम मिल नहीं जाएगा, जो नौकरियों की हालत है।

अभी हमारे वित्त मन्त्री हमारे राजकीय क्षेत्र पर लगे हुए हैं कि कैसे इनको कम किया जाए, कैसे कितनों को घटाया जाए और कितनों को खत्म किया जाए। मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तथ्य है कि अधिकांश राजकीय क्षेत्र में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उसमें बैठे हुए हैं और इससे केवल यही नहीं है कि ज्यादा लोगों में काम बढ़ता है, इसमें बाधा यह है कि उसमें अगर कुछ काम करने वाले नहीं हैं, तो जो काम करने वाले हैं वह भी वही उदाहरण शुरू कर देते हैं वह भी उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, अतः काम का ढीलापन होता है, जिससे समाज और देश को नुकसान होता है और उनको खुद भी नुकसान होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो लोग, जहां काम करने के लिए, जिस काम के लिए आवश्यक हैं वह वहीं पर रहें, जहां पर उनकी रुचि हो, क्षमता हो, इसको ध्यान में रखकर रहें। फिर दौड़ने की गुंजाइश अपवाद के रूप में रखी जाए, कोई ऐसी मजबूरी हो जो उनके बस की बात न हो तो बात अलग है, अन्यथा वे चुनकर उसी में रहें, अन्य किसी में आवेदन न दें।

सभापति जी, जहां तक आमदनी की बात है, उनके लिए मैंने कहा है, जो एक हजार रु० का सवाल है उसको मैं भी चाहूंगा संशोधित करके आगे बढ़ाया जाए या इस तरह से रखा जाए कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ, मुद्रास्फीति के साथ अपने आप उसकी वृद्धि होती चली जाए, ऐसा आधार भी तय कर लिया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो मैं सदन के विचारार्थ इस विधेयक को पेश करता हूं, इस भरोसे के साथ कि इसमें शासक दल या विरोध पक्ष के रूप में नहीं, इसको किसी व्यक्ति या दल के रूप में नहीं, सिर्फ निजी विधेयक है इसलिए यह देश के आवश्यक विधेयक के रूप में है और मैं समझता हूं कि सारे मित्र इसका अध्ययन करेंगे, सुझाव देंगे और अगर इसमें कोई विरोध करना भी मुनासिब समझें, तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर ही तो इस रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे।

इसलिए मैं चाहूंगा कि इस समझ के साथ इस विधेयक को सदन स्वीकार करे। इस आशा से मैं इस विधेयक को, इन शब्दों के साथ सदन के सामने रख रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मैं संसद के माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पुरःस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं में भागीदार हूं और देश के लगभग प्रत्येक हिस्से में फैली बेरोजगारी की समस्या के प्रति समान रूप से सजग हूं। मैं इस विधेयक के कुछ अंशों का पूर्णतः विरोध करता हूं।

मैं केरल से चुनकर आया हूं और आप इससे सहमत होंगे कि शिक्षित बेरोजगारी हमारे राज्य में बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में हमारा राज्य संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां उद्योग नहीं हैं और जो उद्योग हैं भी, वे रुग्णावस्था में हैं। पिछले वर्ष हम प्रति-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं और लगभग अस्सी प्रतिशत लोग उनमें अत्यधिक पढ़े-लिखे हैं लेकिन रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। स्कूल, कॉलेज तथा अन्य तकनीकी और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त युवा लोगों को रोजगार प्रदान करना राज्य तथा राष्ट्र का कर्तव्य होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ सकता कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है और कानून बन जाता है तो किस प्रकार वह रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर सकता है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया है कि अगर मौलिक अधिकारों में कुछ शामिल किया जाता है और इसे लागू किये जाने

योग्य बनाकर भी उसे लागू नहीं किया जा सकता तो फिर यह उपहास का विषय हो जायेगा। मैं उससे सहमत हूं और उसका समर्थन करता हूं।

मैं आपका ध्यान संविधान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विचार में यह विश्व में कहीं भी किसी भी समय पर बनाया गया अत्यन्त पवित्र विधान है। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का विश्व भर मे स्वागत हुआ है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि उन्हें मौलिक अधिकारों के समान लागू नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में प्रस्तावना संविधान का आधार नहीं बल्कि उसकी मूल आत्मा है। इसमें कहा गया है :

> "हम, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए······"

यह संविधान की आत्मा है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी विधिगत न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों सहित सभी परवर्ती अनुच्छेद इस प्रस्तावना पर आधारित हैं।

सुप्रसिद्ध न्यायविद् सालमंड ने न्याय को इस प्रकार से परिभाषित किया है "कि न्याय घिरे हुए शहर में पड़ी रोटी के समान है जिसका न्यायसंगत आवंटन आवश्यक है।" बहुत से न्यायविद् और यहां तक कि एक सामान्य जन भी उस परिमाण के साथ पूर्ण सहमत नहीं होगा। अगर न्याय घेराव वाले शहर की रोटी के समान है तो फिर वह वास्तविक न्याय किस प्रकार हो सकता है ? न्याय निर्धनता का विभाजन नहीं है। एक देश में निर्धनता है और अगर सभी में वह समान रूप से विभाजित है तो क्या इसे न्याय कहा जा सकता है ? मैं कहूंगा कि न्याय तो सतत बहने वाली नदी के समान होना चाहिये ताकि जिसके पास भी कम हो वह उसे पूरा भर ले। मेरे विचार में संविधान का उद्देश्य भी यही है।

यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 43 वर्षों के पश्चात् भी हमारे स्वप्न पूरे नहीं हुए और हमारे बहुत से कार्यक्रम अभी भी लागू किये जाने हैं। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि पिछले 43 वर्षों की हमारी उपलब्धियां यहां तक कि समाजवादी देशों द्वारा की गई उन्नति की तुलना में भी अत्यन्त प्रशंसनीय और आश्चर्यजनक हैं। मैं उस विषय पर अब बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उस विषय को राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता।

मैं माननीय सदस्य की भावना और चिंता का समान रूप से भागीदार हूं। मेरा यही कहना है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मात्र एक विधान लाने से यह एक विडम्बना ही बनकर रह जायेगी और मुझे माफ किया जाये अगर मैं यह शब्दावली प्रयुक्त करूं कि यह संविधान के नाम पर मात्र एक धोखा होगा।

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों और मौलिक अधिकारों में बुनियादी अन्तर है। श्री बसु सविधान पर बोलते हुए कहते हैं :

"फिर भी संविधान में उल्लिखित सिद्धान्तों की न्यायालय पूर्णत: उपेक्षा नहीं कर सकते और जैसा कि अभी देखा जा रहा है, हमारे उच्चतम न्यायालय ने इन सिद्धान्तों को वास्तविक रूप में लागू किये जाने में सहायता की थी। यहां तक कि उन मामलों में जिनमें मौलिक अधिकार पर प्रहार के रूप में संगत विधान को चुनौती दी गई थी।"

यह राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की महत्ता को दर्शाता है। इस विधेयक में वर्णित प्रत्येक बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों ने स्वयं में समाहित की हुई है।

मुझे आश्चर्य है कि एक राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि काम का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि अगर काम करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल हो जाता है तो क्या वे हमारे युवाओं को रोजगार देने में समर्थ हो सकेंगे। मौलिक अधिकार में इसे शामिल करना अलग बात है। यह बहुत आसान कार्य है। हममें से दो-तिहाई हाथ ऊपर उठाएं तो कल को यह विधेयक बन जायेगा। लेकिन अगर हम विधेयक पास करके उसे बेरोजगार युवाओं के पास भेज दें तो क्या उससे कुछ हो पायेगा? क्या उससे उन्हें रोजगार का कोई अवसर मिल पायेगा? हम विधेयक, सिफारिशें या कुछ और नहीं चाहते बल्कि हम तो ऐसी कार्यवाही चाहते हैं जो रोजगार का सृजन करे। हम पिछले दो वर्षों से जवाहर रोजगार योजना लागू कर रहे हैं। मैं सरकार को बधाई दूंगा कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने और रोजगार का सृजन करने हेतु कोई ठोस प्रस्ताव आया है।

प्राक्कलन समिति का सदस्य होने के नाते, हम तीन-चार राज्यों के दौरे पर थे और यह देखना अति उत्साहपूर्ण लगा कि पहली बार पंचायतों को धनराशि मिल रही थी। मेरे राज्य की बहुत-सी पंचायतों को और यहां तक कि छोटी पंचायतों को 5 या 6 लाख रुपये अथवा एक वर्ष के लिए 7 लाख रुपये मिल रहे हैं। पहली बार वे एक पंचायत में 5 लाख रुपया इकट्ठे रूप में देख रहे है। अब हम देखते हैं किस-किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर तारकोल लगाया जाता है, किस प्रकार से बिजली दी जाती है और किस प्रकार से वहां पानी की सप्लाई की जाती है। इसके साथ ही एक सख्त निर्देश भी दिया गया है कि 50 प्रतिशत धनराशि मजदूरी के रूप में दी जायेगी और 50 प्रतिशत से कम धनराशि उस कार्य में लगने वाले पदार्थों पर लगेगी। वास्तव में यह विधान एक निर्णय, राजनीतिक इच्छा का द्योतक है जिसमें हमने बेरोजगारों अथवा कमजोर वर्ग को और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा रोजगार के सृजन का प्रयास किया है। अत: हमें उसी प्रकार की योजनाएं तैयार करनी हैं। इस विधेयक में मुझे डर है कि इनमें से एक प्रस्ताव मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है। मैं उसे बता सकता हूं। विधेयक के खण्ड 4 (1) में कहा गया है :

"प्रत्येक नागरिक जिसे नौकरी प्राप्त है, वह आर्थिक अथवा अन्य लाभों के लिए स्वरोजगार के अतिरिक्त किसी और कार्यवाही में संलिप्त नहीं करेगा।"

हम इसे लागू कैसे कर सकते हैं? हमारे राज्य में अंशकालिक सफाई कर्मचारी को 350 रुपए प्रति माह मिलते हैं। दो वर्ष पूर्व देश के सर्वाधिक बिकने वाले समाचारपत्र के प्रथम पृष्ठ पर चौंकाने वाला एक चित्र तथा समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक बी० एड० स्नातक युवती ने कोचीन नगर निगम में एक अंशकालिक सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया है तथा एक बी० एड० स्नातक युवक का चित्र प्रकाशित किया गया था जो कि 350 रुपए प्रतिमाह के लिए

सार्वजनिक रूप से सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। इसलिए अगर यह विधेयक पारित हो गया तो उस लड़की को वैकल्पिक रोजगार के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जायेगा। मेरी समझ में यह सब नहीं आ रहा है।

श्री योगेन्द्र झा : कृपया विधेयक को ध्यान से पढ़िए।

श्री ए० चार्ल्स : हां, मैंने विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं आपकी चिन्ता का सम्मान करता हूं तथा उससे सहमत हूं। परन्तु अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो इससे उन्हें अवसर से वंचित होना पड़ेगा। अगर हम बासु द्वारा लिखित संविधान की पुस्तक को पढ़ें तो उसमें कहा गया है :

"नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर ही प्रत्येक राज्य को कानून निर्माण करना चाहिए।"

इसके साथ-साथ मौलिक अधिकार भी महत्वपूर्ण है। कानून के समक्ष समानता से सम्बन्धित संविधान के 14वें अनुच्छेद में कहा गया है :

"राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

यह हमारे संविधान का आधार है। इसे लागू किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि रोजगार के मामले में किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 32 सांविधिक उपचारों से सम्बन्धित है। मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों में अन्तर हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। हम सभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं। परन्तु इस विधेयक का आशानुकूल परिणाम नहीं निकलेगा। इतना ही नहीं, जिस दिन ऐसा विधेयक पारित हो गया, वह इस राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य का दिन होगा, हम रोजगार प्रदान करने के इच्छुक हैं। हमें राज्यों को अधीनस्थ विधान बनाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, हम निर्देश दे सकते हैं तथा रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए विधान बना सकते हैं। परन्तु इस विधेयक की धारा 4(6) में कहा गया है :

"किसी भी ऐसे व्यक्ति को रोजगार के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसे कि किसी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है, जब तक कि वह अपनी पहली नौकरी के त्यागपत्र नहीं दे देता।"

मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है। मैं पहले उप-सचिव था तथा तत्पश्चात् केरल लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा। इसमें मेरा लम्बा अनुभव है। हमारे राज्य में अगर क्लर्क की नौकरी के लिए विज्ञापन दिया जाता है तो करीब 10 लाख लोग उसके लिए आवेदनपत्र भेजते हैं तथा केवल एक प्रतिशत लोगों को ही नौकरी प्राप्त होती है तथा बाकी के 99 प्रतिशत उम्मीदवारों को चार वर्ष से भी अधिक समय तक यह जानने के लिए इन्तजार करना पड़ता है कि उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। लोक सेवा आयोग में भी परिणाम घोषित होने में देरी होती है। पिछले छः या सात सालों में संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर भी इस माननीय सदन में चर्चा नहीं हुई है। अगर हम उस रिपोर्ट पर चर्चा करें तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई चयन में देरी के

चौंका देने वाले तथ्य सामने आयेंगे तथा दूसरे लोक सेवा आयोगों का यही हाल है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए मेरे बेटे ने एम० ए० पास की है। वह बेरोजगार हैं। उसने कोई विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन के संदर्भ में वह नौकरी के लिए आवेदन देता है। उसे एक चपरासी की नौकरी मिल जाती है तथा वह ड्यूटी पर चला जाता है क्योंकि हम श्रम के महत्व को मानते है। बड़ा रोचक किस्सा है कि हमारी भूतपूर्व सरकार के एक मंत्री ने युवकों को आवारा कुत्ते पकड़ने के लिए कहा। सारे राज्य में काफी शोर शराबा हुआ कि स्नातक युवकों को नगरपालिका ने आवारा कुत्ते पकड़ने के लिए कहा है। सबसे मजेदार बात मेरे निगम त्रिवेन्द्रम में हुई। युवकों ने आवरा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया एक आवारा कुत्ते के सात रुपए मिलते थे, छः महीनों में इसका 38,000 रुपए बिल बन गया तथा अभी भी इस सम्बन्ध में कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि हमारे बच्चों को कुत्ते पकड़ने के लिए कहा गया था। अब कम से कम उसका भुगतान कीजिए, यह मामला हमारे देश की स्थिति पर प्रकाश डालता है। इसलिए क्या आप यह कह सकते हैं कि एक स्नातकोत्तर युवक जो कि चपरासी की नौकरी कर रहा है, अगर उसे क्लर्क या किसी और पद के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए वह पात्र होगा, तो उसे अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा तथा चार वर्ष तक यह जानने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि उसे नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि केवल एक प्रतिशत लोगों को वास्तव में नौकरी प्राप्त होती है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हो सकता हूं अगर इस बात की गारंटी दी जाए कि जब कोई आवेदन करे तो उसे नियुक्ति अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं है। मेरे विचार में युवकों की चिन्ता में शामिल होते हुए तथा युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मुझे रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। परन्तु इस विधेयक में अधिकतर धारायें गलत रूप में बनाई गयी हैं। मुझे खेद है कि मुझे उसका विरोध करना पड़ रहा है। यह एक गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक है। मैं इसका कार्यक्षेत्र जानता हू। इसके बावजूद जब आप कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत करते हैं तथा उस पर चर्चा करते हैं, तो उसके लिए मैं बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता परन्तु इसको अधिक अर्थपूर्ण तो होना ही चाहिए।

मैं प्रसन्न हूं, तथा मैं भावनाओं का सम्मान करता हूं। परन्तु मैं इसके बिलकुल विरुद्ध हूं क्योंकि इससे युवकों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इससे राष्ट्र का कोई भला नहीं होगा। इससे कोई रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि 'काम का अधिकार' जैसे शब्द जो संविधान में प्रयोग किए गए हैं, वे संविधान के साथ धोखा हैं तथा राष्ट्र को धोखा देने तथा राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। '2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य' का नारा हम सुनते आ रहे हैं। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा। जब हम ऐसे नारे सुनते हैं तो लगता है कि 2000 ई० तक कोई बीमारी नहीं रहेगी। सभी लोग स्वस्थ होंगे तथा यहां तक भी लगता है कि किसी को मृत्यु नहीं होगी। परन्तु आश्चर्य की बात यह कि '2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मैं केरल राज्य से हूं जहां पर कि '2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य' कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य का उदाहरण हम देख सकते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री इस सम्बन्ध में जानते है। आप अस्पतालों में जाइए तो दुखद तथा गंदी परिस्थितियों से आपका सामना होगा। गरीब लोगों को आवश्यक दवाइयां भी नहीं मिलती हैं। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें छोटे-छोटे

आपसी झगड़ों को भूल जाना चाहिए। आइए अपने हृदय में झांककर देखें। पिछले पांच वर्षों से देश में क्या हो रहा है ? हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं तथा कीचड़ उछाल रहे हैं तथा गरीब व्यक्ति को मूल आवश्यकताओं से भी वंचित किया जा रहा है। यह समय हमारा आपस में एकता प्रदर्शित करने का है। देश के समक्ष खतरा बना हुआ है। देश की सुरक्षा खतरे में है। जिस धर्मनिरपेक्षता को हमने चाहा था, वह कहीं नजर नहीं आ रही है। आइए, इकट्ठे होकर राष्ट्र के लिए कार्य करें तथा महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक पर विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस विधेयक में निहित सिद्धांत का समर्थन करता हूं। जहां तक कुछ प्रावधानों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। जहां तक संविधान में निहित सिद्धांत का प्रश्न है, तो मेरे विचार में सरकारी पक्ष के बैंचों पर बैठे सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे।

महोदय, प्रश्न रोजगार गारंटी का है। मैं अपने मित्रों से निवेदने करता हूं कि वे विधेयक के उद्देश्यों को समझने की चेष्टा करें। जहां तक मैं समझता हूं, रोजगार की गारंटी किसी न किसी प्रकार मिलनी चाहिए। यही विधेयक का उद्देश्य है। सदन में कोई भी सदस्य नहीं होगा जो कि देश के वर्तमान माहौल में उन बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की गारंटी नहीं चाहेगा जिनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

महोदय, सबसे पहले वर्तमान में समस्या की गंभीरता को समझिए। रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश के 3 करोड़ दस लाख बेरोजगार हैं। नेशनल सेम्पल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार अर्थशास्त्रियों द्वारा लगाए गये आकलन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या सात करोड़ हो गयी हैं। इस प्रकार कुल शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 10.10 करोड़ हो गई है जो कि कुल कार्य बल का 25 प्रतिशत है। भारत में 80 करोड़ अनुमानित जनसंख्या में से 40 करोड़ 18.58 वर्ष आयु वर्ग के हैं। अद्यतन सरकारी आकलनों के अनुसार भारत के 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। महोदय, इससे भी पता चलता है कि लोग किस हद तक आंशिक रोजगार पर निर्भर हैं तथा हमारे लोगों के एक बड़े वर्ग को पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं है।

इस सम्बन्ध में, काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने की आवश्यकता को हमें समझना पड़ेगा। मेरे विचार में युवकों तथा विद्यार्थियों द्वारा लम्बे समय से यह मांग की जा रही है। काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करना अगर राष्ट्रीय मोर्चा के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल था, तो काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना रोजगार गारंटी योजना के बराबर नहीं माना जा सकता। इनको समान नहीं माना जा सकता। महोदय, आज आप महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज देश का संविधान काम के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं मानता। परन्तु यह तथ्य महाराष्ट्र सरकार को रोजगार गारंटी योजना लागू करने से वंचित नहीं करता। इस विधेयक के अनुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को रोजगार गारंटी योजनाओं के विकास के लिए कानून बनाने चाहिए

तथा इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय कानून भी बनना चाहिए। महोदय, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की कुछ भी भावनायें रही हों परन्तु सिद्धांत रूप में काम से अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति दिलाने का प्रयत्न अवश्य किया गया। हम जो कि उसका एक समर्थक दल थे, हमने राष्ट्रीय मोर्चा से पूछा कि वास्तव में इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। इस संबंध में जो नोट राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा तैयार किया गया, वह इस प्रकार है :

> "नेशनल सेम्पल सर्वे से वर्ष 1987-88 के लिए प्राप्त प्रतिदिन बेरोजगारी की स्थिति के आंकड़ों तथा उस आधार पर बनी उचित अवधारणा के अनुसार यह आकलन लगाया गया है कि वर्ष 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2059 मिलियन मानव दिवसों तथा शहरी क्षेत्रों में 746 मिलियम मानव दिवसों के रोजगार अवसर पैदा करने होंगे।"

इस प्रकार पहली बार बेरोजगारी की समस्या की विकरालता को समझने तथा इसके वास्तविक रूप को पहचानने का दृढ़ प्रयास किया गया।

इन आंकड़ों के अनुसार, यह एक वर्ष में 2850 लाख कार्य दिवस बनते हैं। रोजगार के इतने अवसर पैदा किए जाने हैं। और महोदय, उन्होंने यह भी गणना कर ली है कि इतने बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 12,900 करोड़ रुपए की कुल राशि की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा ऐसा आकलन किया गया था।

मैं जानता हूं कि इसमें बहुत-सी कठिनाइयां हैं। 12,900 करोड़ रुपया कहां से आयेगा ? यह इस बात का दूसरा पहलू है और यदि आप मुझे समय दें तो मैं उसे भी स्पष्ट कर सकता हूं। रोजगार प्रदान करने के लिए संसाधनों का संचयन किया जा सकता है।

मेरे योग्य साथी, जो मुझसे पहले बोल रहे थे, ने जवाहर रोजगार योजना की सफलता का उल्लेख किया है। मैं इस कार्यक्रम का विरोधी नहीं हूं। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक इस समस्या की महानता का सम्बन्ध है, इस योजना के लिए दिया गया धन बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने अभी-अभी कहा है, प्रति वर्ष 2850 लाख कार्य दिवस पर रोजगार पैदा करने के लिए, 12,900 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जबकि वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए केवल 3,650 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये गये। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं और न ही मैं जवाहर रोजगार योजना की आलोचना कर रहा हूं। बल्कि इस समस्या को तत्काल निपटाये जाने की आवश्यकता को देखते हुए, जहां ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 12,900 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य स्कीमों को आबंटित की गई धनराशि बहुत ही कम है, जो कि 3,650 करोड़ रुपए है। सरकार का स्वरूप कैसा ही क्यों न हो, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार पैदा करने तथा गरीबी दूर करने के अन्य कार्यक्रमों के लिए, यह केवल 3,650 करोड़ रुपए ही उपलब्ध करा सकती है।

इसलिए, मुख्य प्रश्न यह है कि यदि सरकार को इस समस्या की राजनीतिक समझ है कि इन्होंने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे इतने विशालकाय जनसमूह के लिए रोजगार गारंटी पैदा करनी है तो इन्हें आवश्यक संसाधन भी खोजने होंगे। यदि आप मुझे समय दें, तो मैं भी संसाधन बता सकता हूं। लेकिन जहां तक कांग्रेस सरकार के दृष्टिकोण का संबंध है,

हमें समझना चाहिए कि यह क्या है। कांग्रेस पार्टी का अनन्तिम चुनाव घोषणापत्र मेरे पास है जिसमें यह कहा गया है, "कांग्रेस पार्टी भी प्रतिवर्ष गारन्टीकृत ग्रामीण रोजगार के 1000 कार्य दिवस पैदा करेगी।" यह उनका प्रतिवर्ष गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के 1000 कार्य दिवस पैदा करने का वायदा है। बेशक, 1000 कार्य दिवस रोजगार पैदा करने के लिए अपेक्षित धनराशि की मैंने भी गणना नहीं की है। पर कांग्रेस सरकार द्वारा इस बारे में किया गया आबंटन मात्र २.650 करोड़ रुपए ही था। यदि विधेयक को घोटाला माना जाता है तो मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव-घोषणापत्र एक बहुत बड़ा घोटाला है। यह चुनाव घोषणापत्र एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी का है जोकि आज सत्ता पक्ष में विराजमान है।

इसलिए, इस विधेयक के पीछे जो सिद्धांत है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं। केंद्रीय सरकार के स्तर पर एक ऐसा विधान होना चाहिए जो कि गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के दिशा-निर्देश देता हो। महाराष्ट्र रोजगार गारंटी स्कीम की रूपरेखा में ऐसा किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्यवश जहां तक मुझे याद है, अन्य किसी भी राज्य सरकार ने इस गारंटीकृत रोजगार स्कीम को लागू नहीं किया है। गरीबी दूर करने की यह सभी योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित हैं। निसंदेह, राज्य सरकारों को भी खर्च के लिए समान्तर व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए महोदय, इस किस्म के विधान बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है और इस सभा द्वारा बनाए गए आदर्श विधान के आधार पर राज्य सरकारें भी विधान तैयार कर सकती हैं।

जहां तक संसाधनों का संबंध है, जैसा कि आपको विदित है, समानान्तर चल रही अर्थ-व्यवस्था में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का काला धन है। आज भी हम देखते हैं कि शीर्षस्थ एकाधिकार घरानों ने 2600 करोड़ रुपए का ऋण लिया हुआ है, जो कि इसमें बाधक है जहां तक मुझे याद है, प्रतिवर्ष 500 करोड़ से 600 करोड़ रुपए का आयकर वसूल नहीं हो पाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि आयकर का निर्धारण भी उचित नहीं है। इसलिए यदि राजस्व की चोरी पर रोक लगाई जाये, यदि कुछ काला धन बाहर आ जाये, यदि बड़े एकाधिकार घरानों द्वारा इन वित्तीय संस्थानों के शोषण की अनुमति न दी जाये और देश की अर्थव्यवस्था को वास्तविक अर्थ-व्यवस्था में बदल दिया जाये, जो कि गरीब जनता के हितों में उपकारी हो तो संसाधन प्राप्त हो सकते हैं।

यह संसाधनों का प्रश्न नहीं है। यह मुख्यतः राजनीतिक इच्छा का प्रश्न है। दुर्भाग्यवश मुझे बहुत तीखी टिप्पणी करनी पड़ रही है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक इच्छा द्वारा संसाधनों को तैयार किया जाये, उनका सृजन किया जाये और सामाजिक कल्याण व सामाजिक न्याय के लिए उन संसाधनों का प्रयोग किया जाये।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं बहुत से सुझाव देना चाहता था। मैं सोचता हूं कि यह उचित अवसर नहीं है और मैं, सुझावों की लम्बी सूची से, सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। उदाहरण के तौर पर आज देश में 60 करोड़ लोग अनपढ़ है। यदि हम उनके लिए साक्षरता अभियान जैसे विशाल कार्यक्रम को लें, जैसे कि केरल ने किया है और जैसा कि पश्चिमी बंगाल कर रहा है, हम बहुत अधिक शिक्षित व्यक्तियों तथा महिलाओं को इसमें रोज-गार दे सकते हैं।

यदि हम वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक बड़े राष्ट्रीय अभियान के रूप में लें तो हम करोड़ों लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं।

यदि हम पूरे देश में भूमि सुधारों के उचित कार्यान्वयन की योजना को अपनाएं तो हम अपने देश में ग्रामीण निर्धनता को काफी हद तक दूर कर सकते हैं और इससे हम पूरे राष्ट्र के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक नया माहौल भी तैयार कर सकते हैं।

इसलिए महोदय, इस समस्या के अनेकों पहलू हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार अपने उचित परिप्रेक्ष्य मे इस पर विचार करेगी। एक बार फिर मैं इस बात पर बल देता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर एक विधान बनाया जाना चाहिए जिससे शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐसे लोगों को गारन्टीकृत रोजगार दिया जा सके जो अपने अस्तित्व के लिए जीविका नहीं जुटा सकते।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, श्री भोगेन्द्र झा ने जो बिल प्रस्तुत किया है, हालांकि उसमें अनेक विसंगतियां हैं, अभी लाइब्रेरी हॉल में मैंने उनसे कहा था कि आपने जो एक हजार रुपए की रकम है, उसको अलग कर दिया जाए नौकरी के अधिकार से, तो उन्होंने सहज उस बात को स्वीकार किया और यहां यह बात बताई कि जिस समय मैंने यह बिल प्रस्तुत किया था उस समय महंगाई इतनी नहीं थी, आज महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है।

माननीय सभापति जी, इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि परसों जब आकाशवाणी, कोटा में मेरा साक्षात्कार हुआ था, उस समय मुझसे यही पूछा गया था कि आज आप देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या कौन-सी मानते हैं, तो मैंने यही कहा था कि इस देश के सामने आज यदि कोई सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, जो मुंह बाये खड़ी है, वह बेरोजगारी है। बेरोजगारी से बढ़कर कोई दूसरी ज्वलंत समस्या इस देश में नहीं है और इसको हल करने का कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय चित्त बसु जी ने जो बात कही कि बिल पैदा करनी पड़ेगी, पार्टी का भेद भुलाकर, राजनीतिक छुआछूत को एक तरफ रखकर, दो बातों के सम्बन्ध हमें कठोरता से निर्णय लेने होंगे। उस समय हम सबको एकमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा कि बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए हम अमुक कदम उठायेंगे।

दूसरी जो समस्या है, वह जन्म-दर की है और इसके लिए भी हमें कठोरता से, एकमत से, एक ध्वनि से निर्णय लेने होंगे। तब जाकर शायद यह बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है और देश की समस्या भी हल हो सकती है।

माननीय सभापति जी, हमने इस समस्या के हल के लिए क्या-क्या नहीं किया। इस देश में अनेकों योजनाएं बनीं। आप पूरे देश का एक बार सर्वे तो करवा कर देखिये कि अब तक बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए पिछले 44-45 सालों में हमने कितना रुपया अपव्यय किया। नाना प्रकार की योजनाएं बनीं, अनेक प्रकार के लोगों से वायदे किए बल्कि आज का बेरोजगार तो हम नेताओं को बड़ी हेय दृष्टि से देखने लगा है, जब भी हमारा कोई नेता वायदा करता है। माननीय वी० पी० सिंह जी ने जब रोजगार गारंटी स्कीम का वायदा किया तो सब लोगों ने कहा था—यह तो मात्र वायदा है, वायदे का क्या? उस समय हमें भी लगता था क्योंकि उस योजना में एक खामी थी। रोजगार गारंटी स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति कोर्ट में

जाकर, मुकदमा करके, रोजगार प्राप्त कर सकता था लेकिन जिसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कोर्ट में जाकर जीत सके तो उसे रोजगार की गारंटी किस प्रकार से मिल सकती है। उस समय इस प्रकार की चर्चा बहुत चली थी।

देश के अन्दर नेहरू रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, रूरल डेवलपमेंट योजना आदि अनेक प्रकार की योजनाएं बनीं और उन पर पैसा बर्बाद होता चला गया। हर बार यह बताया गया कि हम इतने लाख काम के दिवस सृजित करेंगे, यदि आपने उतने काम के दिवस वास्तव में सृजित किये तो उसके बावजूद लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर क्यों नहीं उठाया जा सका। यह एक अहम् प्रश्न है।

आज दो प्रकार के बेरोजगार हमारे देश में पैदा हो गये हैं—एक शिक्षित बेरोजगार और दूसरे अशिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार तो किसी न किसी प्रकार, जैसे भी बने, अपने लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था कर लेता है लेकिन 5-7 दिन पहले, दिवाली के अवसर पर, एक ग्रामीण व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बोला कि भाई साहब मुझे नौकरी दिलवाइये। फटी हुई धोती पहने था। दो बार तो मैंने कहा कि प्रयत्न करूंगा मगर तीसरी बार मुझे भी खीज आयी और मैंने कहा कि तुम ग्रामीण हो, कोई कलैक्टर या इंसपैक्टर तो बन नहीं सकते, उस चौराहे पर क्यों नहीं चले जाते, जहां बेरोजगारों की भीड़ रोज खड़ी रहती है। हिन्दुस्तान के शहरों में पिछले 10 वर्षों से इस प्रकार के हाट लगने लगे हैं जहां व्यक्तियों को नियमित रूप से बेचा जाता है, जहां नियमित रूप से उसकी बोली लगायी जाती है- -अमुक मजदूर इतने का है, अमुक 20 रुपये का है। ये जो हाट लगते हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति शाम को लौटकर वापस नहीं आता, वह अपने लिए, उदर-पूर्ति के लिए, कुछ न कुछ व्यवस्था वापस करके ही वापस आता है। लेकिन आज पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को कोई रास्ता दिखायी नहीं दे रहा है। एक तरफ तो हम कम्प्यूटराईजेशन के युग में जा रहे हैं, आधुनिक तकनीक को बैंकों में अपनाना चाहते हैं, सदन में रोज नोट लगते हैं कि इससे बैंकों में बेरोजगारी बढ़ेगी, छंटनी होगी, यदि आप कम्प्यूटर ले आए तो इन बेरोजगारों का क्या होगा। यदि कम्प्यूटर आएगा तो लोगों की रोजी-रोटी छिनेगी। ऐसी स्थिति में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। पढ़े-लिखे लोगों के सामने आज यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। क्या हम आधुनिक तकनीक को स्वीकार न करें? यदि आधुनिक तकनीक को स्वीकार करते हैं तो बेरोजगार लोगों को कहां खपायेंगे, यह समस्या हमारे सामने पैदा हो रही है। आज लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो पाता। दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक को भी हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए इन दोनों स्थितियों के बीच में तालमेल की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। मुझे याद है, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा सूटिंग्स एण्ड शर्टिंग्स मिल के अन्दर गया। एक तरफ पुरानी मिल के अन्दर 6 हजार आदमी कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभी-अभी 3 साल पहले इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन की सहायता से नयी मिल एस्टाब्लिश की है, उसके अन्दर आधुनिक मशीनें लगायी गयी हैं, उसका उत्पादन पुरानी मिल से, जहां 6 हजार आदमी काम कर रहे हैं, डेढ़ गुना है और आदमियों की संख्या सिर्फ 96 है। 96 आदमी काम कर रहे हैं और उत्पादन डेढ़ गुना हो रहा है क्योंकि वहां सारी की सारी कपड़े की मिल कम्प्यूटराइजेशन के आधार पर है। जहां भी कोई खराबी आती है, वहीं पर लाल बत्ती जल जाती है और टूं, टूं की आवाज होती है और वहीं पर मशीन रुक जाती है

और खराबी ठीक होकर मशीन चल जाती है। इस प्रकार से वहां पर आदमी की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है।

माननीय सभापति जी मेरा कहना यह है कि हमको यह निश्चय करना पड़ेगा कि कौन-कौन उद्योग ऐसे है जिनके ऊपर हम कम्प्यूटराइजेशन को नहीं लादेंगे। आज मेरे कोटा जिले के अन्दर एक एन० टी० पी० सी० का कारखाना खोला गया है। उसमें 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक दूसरा कारखाना मेरे कोटा जिले में गढ़ेवान में खाद का लग रहा है जिसके बारे में मुझे आज ही पता चला है कि उसमें 942 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और वहां पर इसके पूरा होने के साथ ही सरकार 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि उसमें 1200 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया जाएगा? आज एन० टी० पी० सी० के कारखाने में 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेट करने के बाद मात्र 300 आदमी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गढ़ेवान का खाद का कारखाना एस्टाब्लिश होने के बाद मात्र 400 आदमी काम कर सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको रोजगारोन्मुखी उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। हमें ऐसे उद्योगों को बैन करना चाहिए जिनमें कम आदमियों को रोजगार मिले।

माननीय सभापति जी, पिछली कांग्रेस सरकार ने कई जाली योजनाएं चला रखी हैं। उनको भी हमें सख्ती से बैन करना चाहिए, वरना यह देश तबाह हो जाएगा। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने कुछ कठोर कदम उठाकर वित्तीय अनुशासन कायम किया है, उसी प्रकार से कठोर निर्णय लेकर इन योजनाओं को, जो जाली रूप से चल रही हैं, बंद करना पड़ेगा। आज ही मुझे एक प्रश्न का उत्तर मिला है जिसमें बताया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह सरकार खादी और ग्रामोद्योगों के माध्यम से 70 लाख लोगों को रोजगार देगी। खादी ग्रामोद्योग में काम क्या है—मधुमक्खी पालन, ताड़ का उत्पादन, नकली रेशा बनाना। सभापति जी, इस प्रकार का बहुत ढकोसला हो चुका है। इसके नाम पर देश को बहुत लूटा गया है और चूसा गया है। मेरा कठोर शब्दों में निवेदन है कि आपको एक बार ये जो ढोंगी योजनाएं चल रही हैं, इनको चलाना बन्द करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। इनके बारे में आपको कठोरता से निर्णय लेना पड़ेगा और हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। वरना इस देश का नौजवान इस देश का क्या करेगा, यह कोई समझने वाला नहीं है।

सभापति जी, मैं बी० जे० पी० का होने के नाते बड़ी जोर से नारा लगाता था "नौजवानों को काम दो, दोनों हाथों को काम दो वरना गद्दी छोड़ दो"। मैं यहां बैठे हुए राजनेताओं से, विशेषकर साम्यवादियों से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने यहां बंगाल में जो बेरोजगारी भत्ता चालू किया था, उसका क्या हुआ, उसको बंगाल सरकार ने वापस क्यों ले लिया दो साल में ही? जवानों को काम दो वरना गद्दी छोड़ दो, बेकारों को काम दो वरना गद्दी छोड़ दो। आज यह यथार्थपरक नहीं है। कर्नाटक ने बेरोजगारी-भत्ता चालू किया था। दो साल में उनकी सारी योजना असफल हो गई और विवश होकर उनको बेरोजगारी भत्ता बिल वापस लेना पड़ा क्योंकि विकास के सारे पैसे बेरोजगारी भत्ते में जाने लग गए और विवश होकर सरकार को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा। बेरोजगार जवानों की, बेरोजगार पढ़े-लिखे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है।

माननीय सभापति जी, आज से 15 दिन पहले मेरे यहां पर एक जगह पर 6 पोस्टें खाली

थीं। उनके लिए 635 लोगों ने एप्लीकेशंस दी थीं। मैंने प्रिंसीपल से पूछा कि आपने 635 लोगों को क्यों बुलाया ? उन्होंने कहा कि यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आए हैं और हमने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था, हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नहीं मांगीं। इसलिए जितनी भी एप्लीकेशन्स आई हैं, उन सबको आहूत करना पड़ा। जब मैंने उनसे पूछा कि जब आपने सिर्फ 6 लोग लेने हैं और 365 लोग बुलाए हैं, तो आप इनमें से कैसे और किस प्रक्रिया के माध्यम से 6 आदमी छांटेंगे, तो उन्होने कहा—दाऊदयाल जी इसके लिए कोई मापदण्ड नहीं है। मेरे पास स्वयं के पास 58 पुर्जियां अलग-अलग लोगों के नामों की सिफारिशों की मेरी जेब में पड़ी थीं। मैंने उन सबको फाड़कर फेंक दिया और मैंने कहा कि मैं किसी की भी सिफारिश करने में असमर्थ हूं। एक जवान जो एम०ए० फर्स्ट डिवीजन था, उसने घर पर आकर मुझे बड़े साफ शब्दों में चेतावनी दी थी—दाऊदयाल जी मैं आपके पास 7वीं बार आ रहा हूं और 7 बार आकर भी अगर आपने मुझे रोजगार नहीं दिलवाया, मैंने कहा—बेटे यह तो केवल चतुर्थ श्रेणी का इंटरव्यू है, चपरासी की जगह है और तुम एम० ए० पास हो। उसने कहा कि मुझे कुछ भी नौकरी मिले, एक बार धन्धा मिलना चाहिए। पिछले साल मेरे माता-पिता ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी है, ऐसी स्थिति में मुझे जॉब मिलनी चाहिए। आप कृपा करके नौकरी दिलवा दें। यदि नौकरी नहीं मिली तो मैं आपके दरवाजे पर आकर जहर की पुड़िया खाकर मर जाऊंगा। यह कितने शर्म की बात है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी समस्याएं दाऊ दयाल के सामने ही नहीं सभी सदस्यों के सामने आती होंगी। जवान आज बेरोजगार बनकर खड़ा हुआ है। भोगेन्द्र झा जी प्रगतिवादी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में कहीं भी आदमी आदमी को नहीं घसीटता है, आदमी पर आदमी चढ़कर अगर कहीं जाता है तो श्री ज्योति बसु के राज में जाता है। आदमी को आदमी घसीटने वाला रिक्शा केवल कलकत्ता की सड़कों पर दौड़ता है। बम्बई में, श्री शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि क्या महिलाएं अपना सर्वस्व नहीं बेचती हैं, जवान बच्चे दुकान लगाकर ऐसे ही खड़े रहते हैं, भिंडी बाजार में क्या होता है। दस-दस साल की बच्चियां पेट की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर को बेचती हैं। क्या माननीय सदस्यों को यह सब नजर नहीं आता है। हम इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। अगर गम्भीर होते तो भोगेन्द्र झा जी के बिल पर सबको एकमत होना चाहिए। बेरोजगारी के साथ मखौल न करें।

एक वेकेंसी निकलती है और कई लोगों से पोस्टल आर्डर मंगाए जाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में जवान पांच-पांच सौ गज की दूरी से रुपया खर्च करके नौकरी पाने के लिए जाते हैं। मैं राज करने वालों पूछना चाहता हूं कि नौकरी के लिए फार्म कितने रुपये में छपता है। एक रुपये में छपता है और आप उसे पचास रुपये में बेचते हैं। यह उन्नचास रुपये किसकी जेब में जाते हैं ? क्यों लूटा जाता है जवानों को ? यदि इसी प्रकार से लूट करते रहे तो जवान किसी को माफ नहीं करेगा। इस देश का भविष्य क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। बेरोजगारी के लिए इस बिल में यह करना चाहिए कि जवान शर्तों के बिना एप्लाई कर सके और जब कॉल लैटर आ जाए तो बिना पैसे के रेलवे पास उसे मिलना चाहिए। श्री देवी लाल ने प्रयत्न किए थे लेकिन वे चले नहीं। हमें सब ढकोसलों को बन्द करके एक मन से प्रस्ताव लाना चाहिए। हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करके बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करना चाहिए। यदि बेरोजगारी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो देश में तबाही हो सकती है।

मेरे राजस्थान में 340 रुपए में नौ-नौ, दस-दस साल से चपरासी की पोस्ट पर लोग काम कर रहे हैं। दस साल बाद वेकेंसी होती है, दस साल से बैन लगा रखे हैं कि हम नई भर्ती नहीं करेंगे। कृपा करके तय कीजिए कि हम कितने लोगों को नौकरी में खपा सकते हैं। जवानों को झांसे मत दीजिए। जवानों को यदि इसी प्रकार झांसे देते रहे तो देश के लिए संकट की अवस्था आ सकती है। नए प्रधान मन्त्री सभी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर इस कार्य को देखें। रोजगार गारण्टी योजना के तहत और उन्होंने इस सम्बन्ध में एक बिल प्रस्तुत किया था, जिससे एक नई सोच बनी थी इसलिए फिर से इस नई सरकार के नए प्रधान मन्त्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक मन से बेरोजगारी की समस्या को सबसे अहम् समस्या मानकर इसको प्राथमिकता देते हुए, सब योजनाओं में सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारी की तरफ देकर कोई कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के समर्थन अथवा विरोध का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यदि कोई इस विधेयक के उद्देश्यों को देखें जोकि मैं समझता हूं कि प्रशंसनीय हैं, सभी के लिए गारन्टीकृत रोजगार; तो इस विधेयक के पीछे जो सिद्धान्त या धारणा है, मैं समझता हूं कि कोई भी इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठायेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसके कानून बनाने से, जैसा कि हमारे सामने है, उद्देश्य पूरा हो सकेगा, प्रत्येक को रोजगार की गारन्टी का प्रयोजन पूरा हो सकेगा। यही मुद्दा है, जिस पर बोला जाना है।

यह कहना बड़ा आसान है : "पवार जी, आप नहीं कह सकते कि 'भिंडी बाजार' में क्या होता है। बेरोजगारी के कारण पैसे के लिए मनुष्य को बेच दिया जाता है!" हम यह कह सकते हैं। मैं भी यह कह सकता हूं कि उज्जैन में अथवा मध्य प्रदेश में क्या होता है। हर जगह यही कुछ हो रहा है बेरोजगारी की समस्या के समान ऐसी कोई समस्या नहीं है जोकि मानवता के इतना प्रतिकूल हो। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार सभी क्रियाकलाप बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की ओर लक्षित होते हैं। इस देश में व्यवहार और नीति भी इसी तरह की रही है।

मैं सोचता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ही ऐसी पहली और अकेली सरकार है जिसने रोजगार गारन्टी स्कीम लागू की है। जब आप रोजगार की बात करते हैं तो आम रोजगार की ही नहीं बल्कि रोजगार की किस्म की बात भी करनी होती है। इस विधेयक के खंड में यह उल्लेख किया गया है---

> "राज्य का यह दायित्व होगा कि वह रोजगार को इच्छुक सभी वयस्क नागरिकों को रोजगार प्रदान करे।"

पहले हमें रोजगार को व्यावहारिक स्वरूप में परिभाषित करना होगा। यदि आप इस खंड को स्वीकार करते हैं तब प्रत्येक नागरिक अथवा खेत में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति यह कहेगा कि उसे अलग क्षेत्र में रोजगार चाहिए। इसलिए हमें रोजगार की किस्म के बारे में भी निर्णय लेना होगा।

महाराष्ट्र में हमने यह देखा है कि यद्यपि वहां पर रोजगार गारन्टी योजना है और सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है, कोई श्रमिक ही वहां उपलब्ध नहीं है। वास्तव

में, ऐसी बहुत-सी योजनाएं, कम से कम मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो देखी ही हैं. कार्य नहीं कर रही हैं और उन्हें लागू भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काम करने के लिए कोई श्रमिक ही उपलब्ध नहीं है। स्थिति ऐसी ही है। इसलिए व्यावहारिक तौर पर इस खंड को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले हमें रोजगार की, रोजगार की किस्म की परिभाषा करनी होगी और आप किस किस्म के बेरोजगार को किस विशेष ढंग से रोजगार देना चाहते हैं, इसकी परिभाषा करनी होगी। प्रथम दृष्टि से पढ़ने पर इसमें दिये गये खंडों को हम स्वीकार नहीं कर सकेंगे।

जब कभी हमारे सामने ऐसा कोई कानून आता है तो हमें दो बातें देखनी होंगी। पहली यह कि क्या वह संविधान के भाग चार के अनुरूप है और दूसरी यह कि क्या वह मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता।

सभापति महोदय, इस विधेयक के विरोध या समर्थन करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति विधेयक के उद्देश्य को पढ़ता है ? सबके लिए रोजगार गारन्टी जिसकी मैंने प्रशंसा की है, मेरे विचार से कोई व्यक्ति इस विधेयक के सिद्धान्त या विचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठायेंगे लेकिन हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह अधिनियमन के उद्देश्य के प्रति जैसे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारन्टी देने के उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। इस प्रश्न पर हमको बोलना होगा।

यह कहना बहुत आसान है श्री पवार जी जो कुछ भिण्डी बाजार में हो रहा है आप उसे कह नहीं सकते हैं, "बेरोजगारी के कारण लोगों को बेचा गया है।" हम यह कह सकते हैं। जो कुछ उज्जैन या मध्य प्रदेश में हो रहा है मैं उस बारे में भी कह सकता हूं। हर जगह यही सब कुछ हो रहा है। बेरोजगारी मानव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, इस जैसी और कोई समस्या नहीं है। वास्तव में, प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार का लक्ष्य बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना होता है। अत: इस देश की यही प्रक्रिया और नीति बन गई है।

मेरे विचार से महाराष्ट्र सरकार प्रथम सरकार रही है और केवल इसी सरकार ने रोजगार गारन्टी योजना को शुरू किया है। जब आप रोजगार की बात करते हैं इसका अभिप्राय आम-तौर पर सामान्य रोजगार से नहीं है बल्कि आपको रोजगार के किस्म के बारे में भी बताना होगा। इस विधेयक के खण्ड में कहा गया है—

> "राज्य के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह रोजगार चाहने वाले सभी व्यस्क नागरिकों को रोजगार दे।"

वस्तुत: प्रथम हमें 'रोजगार' शब्द को परिभाषित करना होगा। यदि आप इस खण्ड से सहमत हैं तो प्रत्येक नागरिक या कोई व्यक्ति जो फार्म में काम कर रहा है कहेगा कि वह विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार चाहता है। अत: हमें रोजगार की किस्म के बारे में निर्णय लेना चाहिए।

महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि रोजगार गारन्टी योजना है और सरकार लोगों को रोजगार देना चाहती है फिर भी मजदूर (श्रम) उपलब्ध नहीं है। ऐसी कई योजनाएं जैसाकि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी देखा है कि वे क्रियान्वित नहीं हो रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी नहीं हो सकता है क्योंकि काम के लिए श्रम उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति है। अतः यह खण्ड वस्तुत: स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले हमें रोजगार को, रोजगार के प्रकार को और उन बेरोजगार के प्रकारों को परिभाषित करना होगा जिन्हें आप किस विशेष तरीके से रोजगार देना

चाहते हैं। जब हम पहली बार इन खण्डों को पढ़ते हैं जो यहां दिये गए हैं, को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होंगे।

जब कभी ऐसा अधिनियमन हमारे समक्ष आता है तो हमें दो बातें देखनी होंगी। प्रथमतः क्या यह संविधान के भाग चार से सामंजस्य करता है और दूसरा क्या यह मौलिक अधिकारों को कम करता है, इसमें अब यहां पर यह कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों का शायद इतना महत्व नहीं है और मौलिक अधिकारों की नीति-निर्देशक तत्वों पर प्रधानता है। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है।

न्यायाधीश चन्द्रचूड़ ने एक मामले में जो कुछ कहा था उसको मैं उद्धृत करूंगा :

"भारतीय संविधान भाग III और भाग IV के बीच संतुलन बनाये रखने के मूल सिद्धान्तों पर आधारित है किसी एक को पूर्ण प्रधानता प्रदान करना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है। संविधान के मूल ढांचे की मुख्य विशेषता मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाये रखना है।"

5.00 म० प०

वास्तव में आपको इस सामंजस्य को सुनिश्चित करना होगा। अब यह अधिनियम अनुच्छेद 39(क) और अनुच्छेद (41) को कानूनी तौर पर प्रवर्तन करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 39(क) में कहा गया है :

"राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।"

अनुच्छेद 41 में कहा गया है :

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के..."

अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (भाग चार) हमें बताते हैं कि आर्थिक क्षमता और विकास के साधनों के अन्तर्गत काम के अधिकार को प्रदान करना होगा।

5.01 म० प०

(श्रीमती भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

इस विशेष कथन 'साधनों के अन्तर्गत और काम के अधिकार के सिद्धान्तों पर विशेष बल देना' को संविधान के निर्माताओं ने जानबूझकर छोड़ दिया था क्योंकि यदि आप कहते हैं कि काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यदि आप कहते हैं कि राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह उन नागरिकों को जो रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार प्रदान कराए तब 20 करोड़ युवा भारतीय न्यायालय चले जायेंगे और न्यायालय मामलों से भरा हुआ होगा। इससे देश में

आश्चर्यजनक भ्रान्ति उत्पन्न हो जायेगी। सभी को रोजगार प्रदान करना है जो हम सभी चाहते हैं इसके लिए यह पद्धति स्वीकार नहीं की जा सकती।

दूसरी बात यह है खण्ड 4 (1) में कहा गया है :

"प्रत्येक नागरिक जिसे कोई काम प्राप्त हो गया है अपने आपको अपने रोजगार से भिन्न किसी ऐसी गतिविधि में अन्तर्ग्रस्त नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय या अन्य अभिलाभ प्राप्त हो।"

मैं पूछना चाहता हूं, यदि एक नागरिक बैंक में सावधि जमा कराना चाहता है या वह शेयर खरीदना चाहता है तो क्या वह वित्तीय लाभ प्राप्त करने में शामिल नहीं है ? इसीलिए खण्ड 4 (1) अपने मौलिक अधिकार के भाग 3 पर प्रहार करते हैं। अत: यह खण्ड 4 (1) संविधान के अधिकार के परे है और प्रारम्भ से ही अभिशून्य है। खण्ड 4 (II) में कहा गया है :

"जिस नागरिक को काम दे दिया गया है, उसे सेवा में भर्ती होने के दो वर्ष के भीतर उसके द्वारा अपने आवास प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त चल या अचल सम्पत्ति को छोड़कर किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का अपना स्वामित्व या हिस्सा त्याग देना होगा..."

प्रथमत: मैं यहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भूमि की समस्या आती है तो प्रथम हम इस समस्या पर चर्चा से पहले भूमि सुधार के लिए प्रभावकारी कानून बना देते हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि छंटनी की एक धारा होती है औद्योगिक विवाद अधिनियम नियोक्ता को अपने श्रमिकों की छंटनी करने का अधिकार देता है अब उस व्यक्ति का क्या होगा जिसने दो वर्ष काम किया है और उसके बाद इकाई की आर्थिक विषमता होने के कारण उसकी छंटनी हो जाती है यदि उसके पास चल या अचल सम्पत्ति नहीं है और उसे निकाल दिया जाता है और उसके पास कोई काम धन्धा भी नहीं तो उसके साथ क्या होगा ? इसलिए यह धारा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती जैसा कि आज हमने देखा है।

विधेयक का खण्ड 5 इस प्रकार है :—

"राज्य के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह परीक्षा और/या कार्य निष्पादन के आधार पर सभी कर्मचारियों की सावधिक पदोन्नति सुनिश्चित करे।"

ऐसा पहले से ही हो रहा है। मैं नहीं जानता कि कौन-सा विशेष संगठन या संस्थान इस विशेष खण्ड को निर्दिष्ट करता है। दूसरा, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की पदोन्नति में आरक्षण देने के सिद्धान्त पर प्रहार करते हैं क्योंकि यदि आप कहते हैं कि परीक्षाओं और/या कार्यनिष्पादन के आधार पर सभी कर्मचारियों की पदोन्नतियां होंगी तो आरक्षण नीति जो हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही चलती आ रही है, निष्प्रभावी हो जायेगी, अत: यह भी संविधान के अधिकार के परे है।

खण्ड 6 में कहा गया है कि यदि आप कहीं पर आपके पास रोजगार है तो आप किसी और स्थान पर रोजगार नहीं ले सकते। यह अनुच्छेद 19 (ख) से परस्पर विरोधी है जो मौलिक अधिकार देता है। भाग (3) आपको गारन्टी देता है कि आप किसी भी स्थान पर, कहीं भी और

किसी समय रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अत: यह संविधान के अधिकार के परे है और अभिशून्य है। खण्ड 7 बहुत महत्वपूर्ण और रुचिकर है। यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य सस्ती ऋण सहायता तथा अन्य सुविधाएं उत्पादी रोजगार प्राप्त करने की सभी सुविधाएं दी जायेगी, जिसमें सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं। मैं इस खण्ड से पूरी तरह से सहमत हूं। यह खण्ड वास्तव में सरकार की नीति का मामला है और पहले से ही लागू किया जा चुका है। अब यदि हम इस खंड पर चर्चा करते हैं तो यह एक विस्तृत विषय है। हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं और पब्लिक सेक्टर के गैर-कार्यकरण की बात करते हैं, मैं कारणों के बारे में नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन हमें यह महसूस करना होगा कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इस देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकता। यह खण्ड जो यहां रखा गया है पहले से ही बना हुआ है लेकिन निचले स्तर पर इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। केवल एक ही तरीका है जिससे हम इस देश में बेरोजगारों के लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं और वह केवल एकमात्र तरीका है, ग्रामीण भारत के लिए कापरेटिव और केवल कापरेटिव है। पश्चिमी महाराष्ट्र में इस आन्दोलन ने परिणाम दिखाये है। पश्चिमी महाराष्ट्र में कोई पब्लिक सेक्टर नहीं था, वहां कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं था, लोगों ने ही आपस मिलकर बात की और उन्होंने ऋण सहायता और अन्य ऐसी सुविधाओं का उपयोग किया। अत: प्रश्न यह है कि क्या कानूनी कारवाई से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या इस कानून को अधिनियमित करके क्या लोग कापरेटिव बनाने के लिए आगे आयेंगे, सरकार द्वारा दी गई नई सुविधाओं का लाभ उठायेंगे ? सरकार सस्ती दरों पर ऋण दे रही है। खादी ग्रामोद्योग चार प्रतिशत पर ऋण दे रहा है लेकिन कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोगों को स्वरोजगार खोजने के लिए पर्याप्त शिक्षा नहीं दी है और दूसरा, मेरे विचार से महाराष्ट्र की छोड़कर कापरेटिव आन्दोलन कहीं भी लोकप्रिय नहीं हुआ है। यदि आप सबको रोजगार देना चाहते हो तो पहली बात यह है कि हमें सामाजिक आन्दोलन शुरू करना होगा और यह केवल कानून अधिनियमित करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम राजनीतिज्ञों को और राजनीतिक पार्टियों को जनता के पास जाना होगा और बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा फूले की तरह सामाजिक आन्दोलन को आगे लाना होगा ताकि लोगों को दिये जा रहे लाभ का फायदा उठाया जा सके।

आज मुझे इस बुनियादी कमी का पता चला है। सरकार की नीति और कार्यक्रम है। लेकिन लोग इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जहां तक कापरेटिव आन्दोलन का सम्बन्ध है पश्चिमी महाराष्ट्र भारत के लिए एक उदाहरण है क्योंकि वहां कोई पब्लिक सेक्टर नहीं था, वहां कोई प्राइवेट सेक्टर से पूंजी निवेश नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र विशेष में काफी रोजगार है, आपको वहां पर नौकर जैसे कार्यों के लिए कर्मचार नहीं मिलेंगे। अत: हमें उस विशेष चीज को देखना चाहिए। उस विशेष उदाहरण का अधिनियमित करना चाहिए और फिर उपायों को देखना चाहिए। केवल कानून बनाने से बेरोजगारी की समस्या निपटने वाली नहीं है। हमें सामाजिक आन्दोलन की आवश्यकता है और उचित वैज्ञानिक अधिनियमन की आवश्यकता है क्योंकि यह नीति पूर्णतया अपर्याप्त है। हमें काफी अनुसंधान करने होंगे। काले धन की भी बात हुई थी। मैं श्री चित्त बसु से पूरी तरह सहमत हूं कि यदि हम 12000 करोड़ रुपये के काले धन को निकाल सके और उसका उपयोग रोजगार के अवसर पैदा करने में लगा सके जो हम निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कहना आसान है और इसको लागू करना बहुत मुश्किल। हमारी

सरकार के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति है। यह बात नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है लेकिन हमारे पास लोगों के सहयोग की कमी है। यही वास्तविक समस्या है जिस पर हम सब राजनीतिक पार्टियों को चर्चा करनी चाहिए बजाय इसके कि केवल राजनीतिक गतिविधियों की ओर ध्यान देने का प्रयास करते हैं और लोगों के सहयोग से सामाजिक बदलाव लाते हैं तो मेरे विचार से हम अपनी गतिविधियों से आश्चर्यजनक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

अतः जो कुछ मैंने कहा था उसको ध्यान में रखते हुए मैं विधेयक की बहुत-सी धाराओं का समर्थन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं माननीय सदस्य से इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करूंगा जिससे हम एक अच्छे अनुसंधानिक और अधिक वैज्ञानिक तरीके से अधिनियम (कानून) बना सकें जो हमारे संविधान और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप है। और जिसे लागू किया जा सकता है जिससे कि हम विधेयक के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। मैं विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं और हम विधेयक के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अतः मैं इस विशेष अधिनियम को वापिस लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो श्री भोगेन्द्र झा द्वारा लाया गया है। मैं सदस्यों से इस समस्या पर केवल ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गहराई से सोचने का अनुरोध करूंगा। मैं श्री झा को भी धन्यवाद देता हूं कि वह इस विधेयक को सही व ठीक तरह से सही समय पर लाये हैं। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान वर्तमान सरकार तथा पार्टी, जो सत्ता में है, के व्यवहार पर और उनके विचार करने पर निर्भर करता है। कांग्रेस सरकार ने आज तक बहुत-सी समस्याएं निपटाई है लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। समस्याए अभी समस्याएं बनी हुई हैं।

अब बेरोजगारी की समस्या हमारे समाज के लिए अभिशाप तथा हमारे राष्ट्र के लिए कैंसर जैसी बीमारी बन गई है। इस समय राष्ट्र को इस समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हमारी स्वतन्त्रता के चवालीस वर्षों के दौरान भी सरकार का इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई व्यवहार ठीक नहीं रहा है, ऐसी कई समस्याए हैं जिनका इस सरकार ने हल ढूढ़ा है लेकिन वे बेरोजगारी की इस ज्वलन्त समस्या से नहीं निपट सकी है।

सभी बातों को भूलकर पार्टी की राजनीति दूर रखकर हम सबको इस समस्या को सुलझाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए और इस देश को बचाना चाहिए। मेरे विचार से भारत में एक चौथाई जनसंख्या से भी अधिक लोग बेरोजगार है। हमें समूचे देश में व्याप्त इस समस्या के महत्व और विस्तार की वास्तविकता को जानना चाहिए।

वे लोग जो बेरोजगार नहीं हैं बेरोजगारों के दर्द को नहीं जान सकते। वे माता-पिता जो सर्विस में होते हैं वे आत्म-हत्या या स्वास्थ्य के ग्राउंड पर सेवानिवृत्त होकर अपने बेटों या अपने बच्चों को नौकरी दिलाते हैं। अतः हमें इस समस्या को गहराई से लेना चाहिए। मैं दुबारा इस बात को कह रहा हूं कि हमें इस समस्या को सरसरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

भारत के नागरिक के रूप में हमें कुछ अधिकार होने चाहिए। उदाहरण के लिए काम का

अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, रहने का अधिकार, अस्तित्व को बनाये रखने का अधिकार और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत के नागरिकों को ये सब सुविधाएं प्रदान करे।

मेरे विचार से अलगाववाद और विघटन की समस्याएं बेरोजगारी की समस्या से ही उत्पन्न हुई हैं।

[अनुवाद]

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आए और अपने भाषण के अन्त में मैं इस सम्बन्ध में इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ सकारात्मक सुझाव दे रहा हूं। यहां पर पूरे देश में तत्काल काफी भूमि सुधार कार्य किया जाना है; आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में सुधार करना; उत्पादन तथा कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना, औद्योगिक नीति को उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में बदलना; उन स्थानों पर, जहां कच्चा माल उपलब्ध है वहां अनिवार्य रूप से उद्योग आरम्भ करना है। सरकार को लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। निरक्षरता को दूर किया जाना है। राज्य को आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा लोगों को शिक्षित करने का कार्य शुरू करना चाहिए। देश के सभी स्थानों में कृषि तथा उद्योग में एक साथ सुधार होना चाहिए। संविधान में काम के अधिकार को शामिल किया जाना है।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आज बेरोजगारी देश में बहुत भयानक है। मुझे तो आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो लोग 42 वर्ष तक कानून और नियम बनाते रहे तथा किसी पंचवर्षीय योजना में वे नियम और कानून सफल नहीं हुए। इसके बावजूद भी आज इस बिल का विरोध करते हैं। उनको तो कम से कम इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि 38 वर्ष तक हमने राज्य चलाया है और जो भी किया उससे कोई भी बेरोजगारी में परिवर्तन नहीं हुआ। यदि यह बिल कानून के रूप में आता है तो कम से कम इसका समर्थन तो निश्चित रूप से करना चाहिए। इसे दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए इस देश का कि आज भी इस बिल को समर्थन नहीं मिल रहा है।

जोशी जी ने ठीक कहा कि आज सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं भी यही कहता हूं कि आज एक स्वर से सब लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहां बेरोजगारों की बाढ़ नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बेरोजगारों की बाढ़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे लोक सभा का मेम्बर हो या विधान सभा का मेम्बर, सबके दरवाजे पर भीड़ रहती है नोजवानों की। वे यही कहते हैं कि कोई काम कहीं-न-कहीं दिला दीजिए। हम सब लोग लाचार रहते हैं काम दिलाने में। इसलिए, क्योंकि सरकार का दरवाजा बन्द है, सरकार के पास कुछ काम नहीं है। 1975 से इस सरकार का दरवाजा बन्द है, कोई वेकेंसी नहीं। अगर कोई काम दिलाना चाहता भी है तो उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह कानून बना दिया जाएगा, यह बिल कानून का रूप धारण कर लेगा, संविधान के आर्टिकल 16 में नया क्लाज जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी नौजवान, चाहे

किसी की भी सरकार हो, अगर वह काम लेना चाहेगा, सरकार काम नहीं देती है तो कोर्ट की शरण लेकर वह काम ले सकता है।

क्राइम कंट्रोल करने के लिए आई० पी० सी० बना हुआ है, सी० पी० सी० बना हुआ है। कोई स्टेटमेंट सही या गलत है, इसके लिए एवीडेंस एक्ट है। उसके मुताबिक देखा जाता है। धारा 302, 395, 396 के मुकदमे में गवाही अगर सच हो जाती है तो मुलजिम को आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाती है। उसी प्रकार से यदि बेरोजगारी को दूर करना है तो संविधान में निश्चित रूप से संशोधन करना जरूरी है। संविधान में अगर संशोधन नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि इस देश के बेरोजगारों को काम मिलने वाला नहीं है भले ही हम ख्याली पुलाव पकाते रहें, चुनावी घोषणा-पत्र में बड़ी-बड़ी बातें लिखते रहें, भाषण करते रहें। उसे इस देश के नौजवान सुनने और मानने वाले नहीं हैं। यह सच बात है कि अगर एक-दो साल तक इस देश के नौजवान इंतजार करेंगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो मैं समझता हूं बगावत के अलावा कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जोशी जी ने कहा कि श्री ज्योति बसु के राज में आदमी आदमी को खींचता है। मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मध्य प्रदेश में सोना बना दिया। आपके यहां लैट्रिन नहीं हैं और पाखाना साफ किया जाता है। मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली में आकर के अपने पेट की जीविका करते हैं। आपके यहां सिंचाई का इंतजाम नहीं है। कई राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है, तो कौन-सा आपने सिंचाई का काम किया है। क्या आपने बेरोजगारी दूर कर दी है। लेकिन आप आलोचना करने से बाज नहीं आते हैं। आप कहते हैं कि श्री शरद पवार ने नहीं किया। आप यह कहिए कि कांग्रेस ने 42 साल के रिजिम में कुछ नहीं किया। आपने केवल श्री शरद पवार के बारे में कहा है जो कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री भी रहे हैं, लेकिन वहां पर बेरोजगारी दूर नहीं हुई।···(व्यवधान) बंगाल में, रोजगार के मामले में आदमी आदमी को खींचता है, इससे मैं इंकार नहीं करता। जब सरकार बंद करना चाहती है तो लोग नहीं मानते हैं। कौन से सोने का राज्य आपने बना दिया है। आप मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगते हैं जबकि फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं मांगते। आप सवा रुपया मांगते हैं और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से कार सेवा करा देते हैं। लेकिन आप बेरोजगारों के लिए आप कोई इंतजाम नहीं करते हैं। मैं कोई आलोचना की बात नहीं करता हूं। आप इस बात को ले आए हैं इसलिए कह रहा हूं। आखिर राम भजन से कुछ नहीं होने वाला है। भोजपुरी में एक कहावत है "भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो हाथ में कंठी माला"। देश भूखा रहेगा तो राम का भजन नहीं होगा। कांग्रेस के लोगों को खुले दिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। बिहार से पांच-दस लाख आदमी रोजगार करने आते हैं। अभी केरल के एक साथी ने कहा कि संविधान के आर्टिकल-16 में फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जायेगा तो इससे अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। संविधान में संशोधन करने से संविधान का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। संविधान में जोड़ा जा सकता है, वह ठीक है। आर्टिकल-16 में कोई क्लाज जोड़ा जाता है कि बेरोजगारों को काम देना है तो मैं समझता हूं यह कोई गैर-कानूनी नहीं होगा। इसे निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए। 42 वर्ष की आजादी के बाद भी सिंचाई का इंतजाम नहीं हुआ है। इस बारे में कांग्रेस के भाइयों को सोचना चाहिए जो कि माइनोरिटी की सरकार चला रहे हैं। जब आपके 425 सदस्य थे तो आपने कुछ नहीं किया। इस देश के लोगों को काम देने के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए, तब कुछ काम हो सकता है। पुराने रास्ते पर चलेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला है। मैं

कांग्रेस भाईयों से कहना चाहता हूं कि विरोध की बात मत सोचिए। इस कानून को पास कीजिए जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी0 चाक्स (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदया, मुझे बहुत खुशी है कि इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने देश के युवाओं के बारे में सोचा और देश के सभी युवाओं को रोजगार दिलाने के बहुत अधिक प्रयत्न किए हैं। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों द्वारा कहा गया है, यहां कुछ असंगति है जैसे कि केवल एक विधेयक प्रस्तुत करने से ही रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता है। मैं कुछ अन्य बातों को भी मानता हूं जो कि इस विधेयक के प्रावधानों में दी गई है। अब किसी भी व्यक्ति के लिए केवल इस प्रकार के विधेयक या कानून के होने मात्र से ही रोजगार पाना सम्भव नहीं है जिसमें कहा गया है कि सभी रोजगार पाने के इच्छुक प्रौढ़ नागरिकों को रोजगार देना राज्य के लिए अनिवार्य है। यह सही है कि यह एक सतत् प्रयास है। यह भी सही है सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। लेकिन इसके लिए मुख्य बात ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा जहां रोजगार दिए जा सकें और मैं समझता हूं कि अधिक उद्योग आरम्भ करने के सम्बन्ध में तथा अधिक उद्योगों को लगाने के लिए नियमों में छूट देने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति इस सम्बन्ध में एक अच्छा कदम है। देश के युवाओं को काम दिलाने के बारे में एकमात्र तरीका यह होगा कि रोजगार के अधिक अवसर तलाश किए जाएं, जैसा कि कृषि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के मामले में है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना एक अन्य पहलू है।

कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, रबड़ के सम्बन्ध में सुबह यहां बहुत शोरगुल था। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त, लगभग 6 लाख लघु कृषक भी इसी क्षेत्र में लगे हैं और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें इस मन:स्थिति में नहीं हैं कि वह यह देखें कि रबड़ की खेती को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त सुरक्षोपाय किए गए हैं और जिससे इस क्षेत्र में अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं।

यह विधेयक बहुत अच्छा विधेयक है और मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि यह केवल ऐसे प्रभावशाली विधेयकों को प्रस्तुत करके प्राधिकारियों तथा सरकारों को बेरोजगार जैसी बहुत गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए अधिक समय दिया जा सके। अन्य रोजगारों को कम करने के सम्बन्ध में दूसरे अथवा कुछ नौकरियों से त्यागपत्र देकर अन्य नौकरियों में जाने सम्बन्धी प्रावधान व्यवहार्य नही है। एक अन्य प्रावधान भी है जो कि इस विधेयक की धारा (7) में दिया गया है। इसमें कहा गया हैं कि :

> "राज्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों सहित स्व-रोजगार के इच्छुक सभी नागरिकों को कम ब्याज दर पर ऋण राज सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।"

मैं नहीं जानता कि क्या सेवानिवृत्त व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता है। लेकिन जहां तक कि युवाओं का सम्बन्ध है, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह युवाओं को ऋण सुविधा प्रदान करें। जो युवा उपयुक्त सुझावों के साथ आगे आते है, उनको ऋण सुविधाएं प्रदान

करने अथवा विभिन्न क्षेत्रों में उनको रोजगार दिलाने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने का दायित्व सरकार पर है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में ऐसा एक प्रावधान बहुत उपयुक्त रहेगा।

यहां एक अन्य प्रावधान भी है जो इसे दण्डात्मक बनाता है। खंड 8 में कहा गया है कि धारा 4 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिक से अधिक एक वर्ष से अधिक अवधि का कारावास अथवा 10,000 रु० से अनधिक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जाएगी। यदि इस सम्बन्ध में विधेयक पारित किया जाता है तो यहां एक प्रावधान होना चाहिए जिसमें रोजगार के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट होना चाहिए जिसका लाभ व्यक्ति उठा सकें। यहां अनेक अनुसूचियां होनी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि ऐसे कौन-कौन-सी नौकरियां हैं जिनके लिए युवा प्रार्थनापत्र भेज सकते हैं। यदि राज्य के अधिकारी मार्गनिर्देश देने के इच्छुक नहीं हैं अथवा सही तरीके से मार्गनिर्देश नहीं दे रहे हैं अथवा अवसर नहीं दे रहे हैं, तो कुछ प्रकार के दण्डात्मक उपाय दिए जाना आवश्यक है। यदि इसे समाविष्ट किया जा सकता है तो इस दिशा में एक कानून पास करना बेहतर रहेगा।

मैं मानता हूं कि वर्तमान विधेयक को माननीय सदस्य, श्री भोगेंद्र झा के गंभीर प्रयत्नों के फलस्वरूप लाया गया है जो कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा जो कि उनके दिमाग में है अथवा जिन पर उन्होंने चर्चा की है।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया और मैं इस विधेयक के पीछे जो उद्देश्य है उसका समर्थन करता हूं।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : मान्यवर, अध्यक्ष महोदया, बेरोजगार गारंटी विधेयक बिल जो लाया गया है, हो सकता है इसमें कुछ अव्यवहारिक बातें हों लेकिन भावनात्मक रूप से मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। मुझसे पूर्व बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय पर प्रकाश डाला। कांग्रेस का पिछले 42 वर्ष तक जो राज्य रहा, उसमें उन्होंने अनेक योजनाएं रखीं लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज देश के अन्दर बेरोजगारी की समस्या कहीं भी कम नहीं हुई, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर इस समस्या का निदान सही तरीके से नहीं किया और शीघ्र न किया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में देश के अन्दर एक विचित्र स्थिति खड़ी हो जाये। देश की आजादी के बाद जितनी भी योजनाएं लागू की गईं, उनको लागू करने में जो दृष्टिकोण रहा वह विशेष रूप से दूसरे देशों की नकल उतारने का रहा। कभी हमने अमेरिका की नकल उतारने का विचार किया कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगायी जाएं, कभी रूस की नकल उतारने की तथा समाजवाद का नारा देकर पूरे देश को धोखे में रखा गया।

अभी मुझसे पूर्व कांग्रेस के एक माननीय सांसद इस विषय को रख रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आता कि वे अपने कांग्रेस के 42 वर्षों के शासन की प्रशंसा कर रहे थे या उसकी बुराई कर रहे थे। मैं तो इस विधेयक के संबंध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह आज आपस में बहस का मुद्दा नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को एकमत से से इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख नौजवान इस बेरोजगारी की सीमा में सम्मिलित होते हैं। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र है। उस क्षेत्र में हजारों नौजवान प्रतिवर्ष बेरोजगार हो रहे हैं। प्रतिदिन नौजवान अपनी माता से तिलक लगाकर यह

सोचकर जाता है कि आज तो उसको निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होगी, लेकिन जब शाम को वह जगह इंटरव्यू देने के बाद लौटता है तो उसको नौकरी प्राप्त नहीं होती जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वह कहीं न कहीं, किसी न किसी व्यसन में सम्मिलित हो जाता है। चाहे वह पंजाब की समस्या हो, चाहे असम की समस्या हो, ये सारी की सारी समस्याएं इस बेरोजगारी की समस्या से संबंधित हैं। मेरा पूरे सदन से निवेदन है, सभी सदस्यों से निवेदन है कि इस विधेयक के बारे में और गंभीरता से विचार करके इसमें जो-जो विषय और सम्मिलित किए जा सकते हैं उनको सम्मिलित करके इस विधेयक को पारित किया जाए ताकि देश के अन्दर बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलदाना) : सभापति महोदया, जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां छः बजे की ओर बढ़ गयी थीं, मुझे चिंता हो रही थी कि क्या मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका मिलेगा। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसा कि वर्तमान युवा कांग्रेस अध्यक्ष मेरे पीछे बैठे हैं और इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, मैं इस विधेयक पर अपने विचार एक सीमित तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा।

बेरोजगारी की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। इस विधेयक पर बोलने वाले सभी वक्ताओं ने इस बात की ओर इशारा किया है कि किस तरह से इन वर्षों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है।

सभापति महोदय : क्या आप एक क्षेत्र के लिए बैठेंगे ? हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में सभा की राय लेनी है। क्या हम सब इस बात से सहमत हैं कि इस चर्चा को छः बजे तक जारी रखा जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : इस विधेयक पर बोलने वाले सभी वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि पिछले वर्षों में किस तरह बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और यद्यपि पिछले अनेक वर्षों के दौरान अधिक बेरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के कई कार्यक्रम, कई योजनाएं बनाई गई हैं और अनेक कार्यान्वित की गई हैं लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे पास 75 मिलियन रोजगार पाने वाले थे वहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् दिसम्बर, 1989 तक यह आंकड़े बढ़कर 32.77 मिलियन तक पहुंच गए। केवल इतना नहीं। प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में हम रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं। लेकिन रोजगार पाने वालों की संख्या, चाहे वह रोजगार निदेशालय में हो अथवा कहीं और बहुत तेजी से बढ़ रही है और दौड़ रही है।

इस सभा के माननीय तथा अनुभवी सदस्य श्री चित्त बसु ने आंकड़े उद्धरित किए हैं और मेरे पास भी रोजगार निदेशालय से कुछ आंकड़े आए हैं जो यह दर्शाते हैं कि इस वर्ष मार्च में हमारे चालू रजिस्टरों में रोजगार पाने वालों की संख्या 4.3 करोड़ थी। यह केवल उनके आंकड़े हैं जो कि रोजगार पाने के इच्छुक हैं, जो कि बेरोजगार हैं। यह आंकड़े किसी भी तरह उन लोगों को नहीं दर्शाते हैं जिनको रोजगार के अवसर तो मिले हों, लेकिन, व्यावहारिक दृष्टि से बेरोजगार हैं क्योंकि वे अल्प-रोजगार हैं।

श्री चार्ल्स ने बताया कि केरल के कुछ क्षेत्रों में स्नातकों को सड़कों की सफाई करनी पड़ती है। क्या हम इसे पूर्ण रोजगार कहेंगे? अथवा क्या यह सही मायनों में रोजगार है? अथवा क्या हम एक स्नातक को उसकी शिक्षा के अनुसार रोजगार दे सकेंगे? मेरे विचार से रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों में से ये आंकड़े गायब हैं। यदि हम उन अल्प रोजगार लोगों को भी ध्यान में रखें तो ये आंकड़े रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों से तीन-चार गुना अधिक होंगे। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि यद्यपि श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत विधेयक का लक्ष्य तथा उद्देश्य काफी सराहनीय हैं परन्तु इसका ब्यौरा इसके मकसद से मेल नहीं खाता।

श्री सुधीर सावंत ने विधेयक की कमियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इसमें कई कमियां हैं तथा इन कमियों को दूर करना होगा। यदि हमें एक उपयुक्त विधेयक बनाना है, यदि हम ऐसा विधेयक चाहते हैं जो काम के अधिकार को सुनिश्चित करें, तथा जो लाखों रोजगार के इच्छुक लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने में मदद करे तो मेरे विचार से इस उद्देश्य के लिए मैं राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र रोजगार अधिनियम की सिफारिश करता हूं।

श्री चित्त बसु ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान लोगों को कई आशाएं थी जो पूरी नही हुई। उन्होने बताया कि 1991 के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 1000 मिलियन कार्य दिवसो का सृजन करने का वादा किया था। उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय में कार्य दिवसों की संख्या के सृजन तथा बजट प्रावधान की आवश्यकताओ के निर्धारण के बारे में भी बताया। जब वह महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे तो यह भूल गए कि य कांग्रेस सरकार ही थी जिसने महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। यदि पश्चिम बंगाल की साम्यवादी दलों की सरकार ने जो पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से शासन चला रही है, उनकी सलाह एक अनुभवी सदस्य के नाते मानी होती तो पश्चिम बंगाल देश के सबसे अधिक बेरोजगारों को शरण देने वाले राज्य के नाम से नहीं जाना जाता। राज्य में करीब 45 लाख बेरोजगार लोग हैं। आपने उन्हें सड़क के किनारे या पुल के नीचे आश्रय दिया होगा। आपने उन्हें दिन में बगैर दो वक्त के खाने के सोने के लिए मजबूर किया होगा और इसी तरह जाने क्या-क्या बातों के लिए मजबूर किया होगा। यह इस तरह की परिस्थिति हैं। हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं तथा वास्तविकता यह है कि देश के करीब 45 लाख बेरोजगार लोग बंगाल में हैं। मैं यह आरोप लगाने की कोशिश नहीं कर रहा कि कुछ बातों को लागू करने में एक पार्टी असफल रही है तथा दूसरी पार्टी सफल रही है। परन्तु ऐसी परिस्थितियों में जहां कि हमारे सामने कुछ बातें गलत हुई हैं तो मेरे विचार से यह अच्छा होता कि हम अपनी आवाज उठाते तथा गलतियों को उजागर करने की कोशिश करते।

वर्ष 1991-92 में सरकार ने 900 मिलियन कार्य दिवस सृजित करने का निश्चय किया है

जिससे 6 मिलियन बेरोजगार लोगों को वर्ष में करीब 150 दिन के लिए काम मिलेगा। हमें इससे भी अधिक करना होगा। हमने उन योजनाओं को देखना है जिन्हें लागू करने का हमने फैसला किया है तथा जो बजट प्रावधान हमने किए है उन्हें हमें बढ़ाना होगा। परन्तु जब हम ऐसे महत्वपूर्ण तथा नाजुक कार्यक्रमों को लागू करते हैं तो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हो रही हैं।

मध्य प्रदेश के एक माननीय सदस्य आज कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में भयंकर सूखा पड़ा है। आदिवासी जिलों में तो समस्या और भी गंभीर है। बस्तर और अन्य आदिवासी जिलों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के तहत जो धन जुटाया गया था उसे राजनैतिक कारणों से अन्य जिलों को दे दिया गया है। ऐसा क्यों? इस प्रकार के महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुख कार्यक्रम के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ तो हम एक-एक व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात करते हैं दूसरी ओर राजनैतिक कारणों से धन को किसी और मद में खर्च किया जा रहा है। जब चुनाव में किसी क्षेत्र विशेष से अपेक्षित समर्थन हासिल नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समय उक्त कार्य के लिए जुटाए गए विशेष धन को किसी और मद में खर्च कर दिया जाए। इसलिए, मैं यहां सिफारिश करना चाहूंगा कि आज हमें 'रोजगार गारन्टी' अधिनियम की सख्त जरूरत है। और यह अधिनियम महाराष्ट्र द्वारा पारित अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। हम सभी ग्रामीण रोजगार की विशेषताओं से अवगत हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक हैं—बेरोजगारी का आकलन करने में परेशानी, श्रमिक कानूनों की अवहेलना, रोजगार का मौसमी स्वरूप, स्वनियोजित श्रमिकों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार, श्रमिकों की गतिहीनता, पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों में अत्यधिक गतिहीनता और बेरोजगार महिलाओं का उच्च अनुपात। इन मूल विशेषताओं और महाराष्ट्र रोजगार गारन्टी अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार को सदन में एक समान अधिनियम पारित करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सलाह देना चाहूंगा कि इस विषय में विलम्ब नहीं होना चाहिए और इस अधिनियम को लोक सभा के इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर और कुछ अन्य सदस्यों के साथ मैं इस विषय पर बहस कर रहा था। हमारा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जब हम आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं तो जाहिर है कि विश्व का प्रत्येक सातवां व्यक्ति भारत का नागरिक है। लेकिन हमारा मस्तक गर्व से उठने की बजाए शर्म से नतमस्तक हो जाता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है। हमें इस पर चिन्तन करने की जरूरत है। शीघ्र ही हम चीन को मात देने जा रहे हैं और इस प्रकार देश विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। अभी तक हमने आबादी में भारी कमी लाने के लिए ऐसा कोई प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। 70 के दशक में कुछ जगहों में आबादी को नियंत्रित करने की कुछ कोशिश हुई थी। इसका कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं रहा। लेकिन मानना होगा कि यह बहुत ही सही स्वस्थ प्रयत्न था। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिनकी वजह से राजनैतिक उठा-पटक हुई। लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जब राष्ट्र आबादी के बढ़ते दबाव तले डूब रहा हो तो सरकार को साहसपूर्ण पहल करनी होगी। यहां तक कि यदि राजनैतिक हानि भी ऐसी पहल से हो तो इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यदि हम साहसपूर्ण पहल करते हैं तो जाहिर है कि हम देश को डूबने से बचा सकते हैं। हम जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए जब तक कठोर कानून का आश्रय नहीं लेते तब तक हम यह

सोच भी नहीं सकते हैं कि यहां किसी भी तरह के विकास का भविष्य है।

मैंने पहले ही सदन का बहुत समय लिया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार को काफी महत्व दिया गया। सरकार की नीति की घोषणा भी अब तक हो चुकी है। सरकार की ओर से नाजायज सरकारी खर्च को रोकने की नीति की घोषणा भी कर दी गई है। मंत्रियों और अन्य राजनैतिक प्रतिनिधियों के विदेश जाने पर भी पाबन्दी लगी है। कई कदम उठाए गए हैं। कई सुधार कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। चल रहे सुधार कार्यक्रम इस प्रकार हैं—आर्थिक सुधार, वित्तीय परिवर्तन, नई औद्योगिक नीति, आयात व निर्यात नीति में परिवर्तन, पंचायती राज और स्थानीय निकायों को सुधारने के लिए नगरपालिका विधेयक। लेकिन मैं सलाह देना चाहूंगा कि जो कदम देश को विकसित करने के लिए उठाए गए हैं, वे असफल साबित होंगे यदि सम्बद्ध अधिकारी या प्रशासक अवसर के अनुकूल कार्य निष्पादन नहीं करता है। चाहे यह जनसंख्या नियंत्रण कानूनों की बात हो या रोजगार उत्पन्न करने के कानून की बात हो या किसी अन्य कानूनों की बात हो, मैं यहां सलाह देना चाहूंगा कि हमें प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार लाना होगा। सरकारी अधिकारियों या नौकरशाही की प्रवृत्तियों तथा उनके उत्तरदायित्व अथवा उनकी प्रतिबद्धता की जांच करनी होगी। यदि हम ऐसा करने में सक्षम हैं, तो हम जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजनाओं और अन्य रोजगारोन्मुख योजनाओं को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने में सक्षम हो सकेंगे।

अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय को सलाह देना चाहूंगा। पिछले सत्र में भी जब रोजगार पर एक सदस्य के गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर बहस चल रही थी तो मैंने श्रम शक्ति पर राष्ट्रीय आयोग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इंजीनियरिंग कालेजों, मेडीकल कालेजों और कई अन्य व्यावसायिक व शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन क्या हमने कभी (सिविल व बिजली) यह ज्ञात करने की कोशिश की है कि आने वाले वर्षों में देश को कितने अभियंताओं (सिविल व विद्युत), चिकित्सकों तथा वास्तुकारों की जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि अब तक हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार को एक ऐसे स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए जिसे विभिन्न श्रेणियों के उन कार्मिकों का मूल्यांकन निरन्तर करते रहना चाहिए जिसकी जरूरत राष्ट्र को आने वाले वर्षों में होगी।

समय बहुत ही सीमित है, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक में निहित सिद्धान्तों और भावनाओं का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक के खंडों पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस विधेयक के प्रारूप में अनेक परिवर्तनों की जरूरत हो सकती है। अतः मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं चाहूंगा।

आगे बढ़ने से पहले, मैं इस सदन से और सभी मित्रों से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि इस विधेयक के प्रावधानों पर जो बहस हम सभी कर रहे थे क्या उस बहस से इस देश के करोड़ों बेरोजगारों को आशा की ज्योति दिखाई पड़ेगी। यदि नहीं, तो हम निरर्थक प्रयास कर रहे हैं।

अन्य उपचारात्मक उपायों का उल्लेख करने के पहले समस्या के कारणों पर दृष्टिपात करना चाहिए। निस्सन्देह, मूल कारण तो यह रहा है कि राष्ट्र के साथ भारतीय संविधान में जो

वादा किया गया था उस वादे को हमारी क्रमिक सरकारें निभा नहीं पाईं। अब हम स्वीकारते हैं कि निर्वाचित सरकार का पहला उत्तरदायित्व यह है कि वह इस देश के प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे, जैसे — भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रावधान। चूंकि क्रमिक सरकारें देश के साथ किए गए इन वादों को पूरा करने में असफल रही हैं इसलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगारी की समस्या को स्वीकार करता है। सही सोचने वाले प्रत्येक आदमी के दिमाग में इस बात को लेकर चिंता है कि इस समस्या से कैसे निबटा जाए। आज बार-बार यहां कहा गया है कि, हमारे पास कई कार्यक्रम हैं जैसे एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, जवाहर रोजगार योजना आदि। ये वोटों की लालसा में चलाए गए शब्दजाल मात्र हैं। इन सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के पीछे जो मंशा है उसको लेकर हम चिन्तित हैं। इस देश के लोगों को हमने हताशा और अशांति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रतिभा पलायन हो रहा है।

जब तक हम इस देश के नवयुवकों में यह आत्मविश्वास पैदा नहीं कर देते कि वे राष्ट्र और समाज के लिए भविष्य की वास्तविक धरोहर हैं, कि वे सिर्फ कुछ मांगें रखने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इस समाज के प्रति उनका दायित्व है — तब तक हम छोटी-से-छोटी समस्या का भी समाधान नहीं ढूंढ़ पाएंगे जिसका सामना आज हमारे समाज को करना पड़ रहा है।

सर्वप्रथम, मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा-व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तनों की भारी मांग है। भारी परिवर्तन किया जाना चाहिए, हमारे नवयुवकों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जानी चाहिए। आज हम उदार नीति बनाने के बारे में तथा उत्पादन के ज्यादा अवसर प्रदान करने की बात करते हैं। साथ ही हम यह भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने के लिए तथा रोजगार उत्पन्न करने के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन ज्यादा उत्पादन करने के लिए हम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करते हैं।

सर्वप्रथम, बेरोजगारी की समस्या के मूल कारणों में से एक कारण हमारी त्रुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। आंकड़ों के मुताबिक ऐसे नवयुवकों की संख्या 40 करोड़ है—जो 18 से 58 वर्ष के सक्षम व होनहार नवयुवक है, जिनसे हम राष्ट्रीय योगदान की ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। उनमें रोजगार प्रदान करने के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है, और न ही भविष्य के लिए भी कोई योजना है। आज हम यह सोचते हैं कि इस समस्या का निदान कैसे ढूंढ़ा जाए। जबकि हम इस समस्या का कारण तलाशते ही नहीं हैं। कई तरह के विचार यहां व्यक्त किये भी गए हैं। जब हम इस ज्वलन्त समस्या पर विचार कर रहे होते हैं तब भी हम राजनैतिक लाभ की मंशा त्याग नहीं पाते। हम कभी इस पार्टी की सरकार पर तो कभी उस पार्टी की सरकार पर कीचड़ उछालते हैं। हम क्षण भर के लिए भी राजनैतिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर इस भयानक समस्या पर विचार नहीं कर पाते। कल जब हम सभी इस सदन से जा चुके होंगे तो हम सभी इस बात को भूल चुके होंगे। लेकिन हम जब समाज के पास जाते हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम उनके प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय : क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हू ? आपको और कितना समय चाहिए।

6.00 म० प०

श्री बी० धनंजय कुमार : मैं पूरा करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि हम सभी जिम्मेदार हैं। हमें सभी मतभेदों को भुला देना चाहिए। आज हमें एकजूट होकर इस समस्या के सर्वोत्तम निदान का निश्चय करना चाहिए और इसके साथ ही यह भी कि राष्ट्रीय धन सम्पत्ति में कैसे वृद्धि लाई जाए और विश्व में हम भारत के लिए किस प्रकार बेहतर स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, मैं सलाह दूंगा कि सिर्फ विधान बनाने तथा कुछ गारन्टी दे देने से अथवा सुन्दर शब्दों के प्रयोग से कुछ भी होने वाला नहीं है। कम से कम, मैं नहीं समझता कि इतनी बहस से, एक भी व्यक्ति को रोजगार मिल सकेगा। अतः हमें अपना समय और अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाना चाहिए। हम सभी को मतभेदों को भुलाकर, सभी राजनैतिक संकीर्णताओं को दूर कर इस समस्या का निदान ढूंढना चाहिए। महोदया, मैं आपके माध्यम से महान विद्वान श्री भोगेन्द्र झा से, जो इस विधेयक को बहुत ही उम्मीद से यहां लाये हैं, विनम्र निवेदन करूंगा कि कम से कम यहां यह अवसर तो है कि इस असाधारण समस्या को जानकारी में लाया जा सके, जिसका सामना हमारे समाज में हजारे सगे-सम्बन्धियों को करना पड़ता है और इस प्रकार इस सरकार की आंख खोली जा सके।

सभापति महोदय : यदि आप और समय लेना चाहते हैं तो जाहिर है कि मुझे सदन की अनुमति लेनी होगी। अब तो 6 बज चुके हैं।

श्री बी० धनंजय कुमार : नहीं, महोदया! मेरे मित्र ने सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है। इस समस्या को निबटाने के लिए उन्हें कम से कम गम्भीर प्रयत्न तो करने दीजिए। सरकार से निवेदन करने में मैं उनको सहयोग दूंगा। हम सभी को समाज में रहना है। मैंने निवेदन किया है कि आपसी मतभेदों को भुला दिया जाए, तभी समस्या का निदान ढूंढा जा सकेगा। इसलिए मैं इस विधेयक के सिद्धान्त और भावना का समर्थन करता हूं। मुझे मालूम नहीं है कि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए अथवा इसका समर्थन करने के लिए विचार करेगी भी या नहीं। खैर, यह तो उन पर निर्भर करता है।

माननीय सदस्य : आप इस विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा नहीं ?

श्री बी० धनंजय कुमार : इस पर वोट देने का प्रावधन उचित नहीं होगा। यही तो मुझे डर लगता है। लेकिन समस्या गम्भीर है। इसका निदान उचित ढंग से खोजना होगा। यही मैं यहां पर कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 25 नवम्बर, 1991/अग्रहायण 4, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केंद्र, 12/3, श्री राम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53.